राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का अट्ठावनवां दिवस [संख्या: 22

मंगलवार,

21 मार्च 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न श्री नरपत सिंह राजवी।

जयपुर में साइबर ठगी के दर्ज मुकदमे

424. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला जयपुर में साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज हुए हैं? यदि हां तो विगत चार वर्षों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि में साइबर ठगी को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों को उनका धन वापस प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। जिला जयपुर में विगत चार वर्षों में साइबर ठगी के 995 प्रकरण दर्ज हुए हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) साइबर ठगी को रोकने के लिए किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त दर्ज प्रकरणों में साइबर ठगी के शिकार हुए 98 व्यक्तियों का धन वापस प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, क्या पूरे राज्य में साइबर क्राइम कैटेगराइजेशन करके, उसका कोई आकलन किया गया है? इस आकलन के माध्यम से साइबर क्राइम की रोकथाम में क्या बदलाव

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हुआ? जिस बैंक के खाते में साइबर क्राइम के तहत राशि ट्रांसफर होती है, उस बैंक के लोगों की मिली-भगत की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या सरकार बैंक खाता खुलवाने के सम्बन्ध में आर बी आई, वित्त विभाग तथा ट्राई के सामने नयी चिप जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विचार रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप यदि परिशिष्ट-ब में 9 नम्बर पर देखें तो उसमें है, ''साइबर अपराध में प्रयुक्त बैंक खातों/पेमेंट गेटवे अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है।''

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने लार्जर परिप्रेक्ष्य में बात कही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, don't ask policy related question. Please be particular about this question.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): पर्टिकुलर हूं सर।

श्री अध्यक्ष: पालिसी पर नहीं, प्लीज। आप सीनियर आदमी हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): और इसीलिए मैंने कहा है कि इसे फ्रीज करवाएं is a one part, जहां से ट्रांसफर हो जाता है, उससे पहले। उसके बाद में आप क्या कर पाएंगे? जितना भी नोडल, जिस आदमी को स्केपगोट बनाया है, वह इस प्रकार का व्यक्ति होगा, जिसके नाम से खाता है, वह बिल्कुल इनकेपेबल है, उतने अमाउंट का खाता धारित करने के लिए। क्या आप भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर बी आई के साथ इस सम्बन्ध में ब्रेक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए कुछ कर रहे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप फिर परिशिष्ट-ब के 4 नम्बर को देखें, ''साइबर अपराधियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने, मोबाइल नम्बर, आई एम ई आई नम्बर व बैंक खाताधारक की जानकारी प्राप्त करने हेतु CyCAPS Portal का उपयोग किया जा रहा है। यह सब भारत सरकार की मदद से ही हो रहा है।''

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

शिक्षा संविदा कर्मियों का नियमितीकरण

425. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि संविदा सेवा नियम, 2022 के अन्तर्गत शिक्षा संविदा कर्मियों का अनुभव व पूर्व की सेवा को शून्य कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियम में संशोधन कर योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियमित पद व नियमित ग्रेड-पे करने हेतु उक्त के बिन्दु संख्या 20 के अनुसार उक्त की स्क्रीनिंग कर नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): वर्तमान में संविदा सेवा नियम, 2022 में पूर्व की सेवा के अनुभव को इन नियमों के तहत लिए जाने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। पूर्व के सेवा अनुभव की अवधि को स्केलिंग के आधार पर इन सेवा नियमों के तहत गणना किये जाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन है। कार्मिक विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन संशोधित नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसमें कितना समय लगेगा, जिससे कार्मिकों को लाभ मिल सके?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सुरेश कुमार जी वर्मा, संयुक्त शासन सचिव ने 10.03.2022 को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इनके अनुसार, उन्हें विभिन्न निगम, बोर्ड, स्वायत्त शासन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022 को गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में अडॉप्ट किये जाने की कार्यवाही 15 दिवस, इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाये जाने हेतु वित्त विभाग से प्रशिक्षित कराने की कार्यवाही 15 दिवस, पहले से ही सृजित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए नियम 4 के तहत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही 15 दिवस, संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग किये जाने की कार्यवाही एक माह निर्धारित करके उन्हें परिपत्र भेज दिया गया है। इसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

आवारा पशुओं को नियंत्रित करने की योजना

426. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आवारा पशुओं को नियंत्रित करने हेतु कौन्-सी योजना संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त को नियंत्रित करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) प्रदेश में आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में कोई योजना विशेष संचालित नहीं है। नगरीय निकायों द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं को सार्वजनिक स्थानों/आम रास्तों से पकड़कर कांजी हाउस भेजने की कार्यवाही की जाती है। Cattle Tresspass Act, 1871 की धारा 12 के अन्तर्गत पकड़े गये इन पशुओं की रिहाई हेतु निर्धारित की गयी शास्ति वसूल किये बिना पशुओं को नहीं छोड़े जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं, जिनकी पालना निकायों द्वारा की जाती है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लावारिस गायें हैं, इन्हें नियंत्रित करने के लिए गोशाला की तर्ज पर क्या किसान को गाय पालने पर भविष्य में कोई अनुदान देने का विचार सरकार रखती है?

श्री अध्यक्ष: यह तो आपने पशुपालन का पूछ लिया। यू डी एच का पूछें कोई।

अगला प्रश्न। श्री खुशवीर सिंह।

वनकर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस

427. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार वनकर्मियों को पुलिस, पटवारी एवं ग्रामसेवक के समान वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) क्या वन विभाग में कैटल गार्ड, गार्ड, फोरेस्टर को हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस-किस पद पर कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त को हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या वन कर्मचारी, अधिकारी को गश्त के दौरान हथियार उपलब्ध करवाये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कौन-कौन-से पद पर कौन-कौन-से हथियार उपलब्ध करवाये गये? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त को हथियार उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम) (वन मंत्री के स्थान पर): (1) सरकार द्वारा वनकर्मियों को पुलिस के समकक्ष वेतन देने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है।

(2) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। वनकर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का सरकार द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है।

(3) जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। हथियारों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, आज मैं सबसे पहले बधाई दूंगा विश्व वन दिवस की। क्या सरकार आज विश्व वन दिवस पर वन रक्षकों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस, जिसकी मांग लम्बे समय से, 70 और 80 के दशक से चली आ रही है पे-ग्रेड की, आपने लिखा है कि प्रक्रियाधीन है, क्या आप समय-सीमा बता सकते हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, वन रक्षक, सहायक वनपाल, वनपाल क्षेत्रीय II, क्षेत्रीय I, इसमें जो पे-स्केल है, वह तो वन रक्षक और पुलिस कान्स्टेबल की बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पटवारी एवं ग्रामसेवक का पूछा है। ये जो हमारे वन रक्षक हैं, ये पुलिस के समकक्ष हैं। पे-स्केल तो बराबर है। 5200 इनकी है और 5200 ही वन रक्षक की है। ग्रेड-पे में फर्क है। 2000 इनकी है, 2400 इनकी है। 400 रुपये का फर्क है। नवम्बर, 2022 में फोरेस्ट विभाग ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने का और वेतन विसंगति दूर करने का। उसका परीक्षण चल रहा है, जल्द ही कार्यवाही करेंगे।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, समय-सीमा इन्होंने नहीं बतायी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि कोरोना में आक्सीजन की कमी को देखते हुए वन कर्मियों को आये दिन वन की रक्षा के लिए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, खनन माफियाओं के पास में वैपंस होते हैं, उनके पास अच्छे संसाधन होते हैं। क्या उन्हें रोकने के लिए आप वन कर्मियों को गश्त के दौरान वैपंस उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वेतन से होते हुए कहां पर आ गये? मूल प्रश्न क्या पूछ रहे हैं और सप्लीमेंट्री कहां जा रही है?

अगला प्रश्न। श्री जे.पी. चन्देलिया।

प्रतापगढ़ में विंड पावर हेतु आबंटित भूमि

428. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री रामलाल मीणा के स्थान पर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ में कितनी ऐसी भूमि है, जो पूर्व में विंड पावर (पवन ऊर्जा) को आबंटित होने के उपरान्त उक्त पर अब तक एक भी पवन ऊर्जा की इकाई स्थापित नहीं हुई है व मौके पर सदियों से काबिज आदिवासी खेती कर रहे हैं? राजस्व क्षेत्र, गांव व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विंड पावर कम्पनियों के आबंटन खारिज कर उक्त भूमि को वास्तविक मालिक आदिवासियों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जिला प्रतापगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय भूमियों पर विंड पावर पवन ऊर्जा कंपनियों को स्वीकृत 438 MW पावर प्रोजेक्ट हेतु मुख्य रूप से दो DEVELOPER कम्पनियों M/s Regen Power & Welpsun कंपनी के नाम 465.81 है. भूमियों का आबंटन विंड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु किया गया था। उक्त आबंटित भूमियों पर Regen Power द्वारा कुल 1.5 MW की 151 इकाइयां स्थापित की गयी हैं तथा Welpsun Ltd. द्वारा कुल 2 MW की 71 इकाइयां स्थापित की गयी हैं, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	**तहसील क्षेत्र**	**आबंटी संस्था**	**आबंटित क्षेत्रफल**	**आबंटन की तिथि**
1.	अरनोद	M/S REGEN Ltd.	42.64 है.	13.04.2011
2.	पीपलखूंट एवं प्रतापगढ़	M/S REGEN Ltd.	36.96 है.	08.05.2012
3.	पीपलखूंट एवं अरनोद	M/S REGEN Ltd.	41.33 है.	26.11.2012
4.	पीपलखूंट एवं प्रतापगढ़	M/S REGEN Ltd.	283.92 है.	15.07.2013
5.	प्रतापगढ़	M/S Welpsun Ltd.	60.96 है.	27.02.2013
		कुल	**465.81 है.**	

मुख्य रूप से पटवार हलका रामपुरिया, रतनपुरिया, देवगढ़ से सम्बन्धित 18 राजस्व गांवों की कुल 174.88 है. भूमियों की भौगोलिक स्थिति एवं तकनीकी कारणों (हवा के प्रवाह क्षेत्र का एंगल एवं मौके स्थिति अनुसार खाई क्षेत्र अत्यधिक ढलाननुमा स्थिति तथा अन्य कारणों से) से अनुपयोगी रही है। उक्त रिक्त भूमियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, राजस्व गांव, तहसील सहित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विंड पावर कम्पनियों को आबंटित अनुपयोगी भूमियों के आबंटन निरस्त किये जाने हेतु स्वतः आवेदन भी प्रस्तुत किये गये हैं तथा अनुपयोगी भूमियों के सम्बन्ध में आक्षेपित आडिट पैरा अनुसार प्रस्तावित विधियों के तहत आबंटन निरस्त करने की कार्यवाही संचालित की जा रही है। प्रचलित विधियों के तहत विधिवत आबंटन निरस्ती के उपरान्त उक्त भूमियों के आवण्टन/नियमन हेतु उद्घोषणाएं जारी होने के अनुसार आबंटन किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): साहब, प्रश्न संख्या 428 बोला है।

श्री अध्यक्ष: हां, 428 ही है। रामलाल जी की जगह ये पूछ रहे हैं।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, एक तरफ तो आदिवासियों के अच्छे के लिए, भले के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेकानेक उपाय किये जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा जिस जमीन पर काश्तकारी की जा रही है, खेती की जा रही है, उनकी जमीनों पर विंड पावर कम्पनियों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उन जमीनों को छोड़कर, जिन पर आदिवासियों के द्वारा खेती की जा रही है, कोई अन्य जमीन इन पावर कम्पनियों को वहीं दे दी जाये?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012-13 के अन्दर दो कम्पनियों M/s REGEN Ltd. और M/s Welpsun Ltd. को 465.81 हैक्टेयर जमीन अलाट हुई थी। इसमें इनको 438 मेगावाट बिजली के लिए विंड लगाने के कहा तो इन्होंने 390 मेगावाट बिजली की लगायी। इसमें जो बीच में लगभग 174.88 हैक्टेयर जमीन बची, इसमें कुछ ट्रांसमिशन लाइन नहीं दे पाने की वजह से वह जमीन रह गयी और कुछ जमीन के लिए कम्पनी ने खुद ने स्वविवेक से सरेंडर करने के लिए लिख दिया। जो अत्यधिक ढलाननुमा जमीन थी और हवा के प्रवाह के अनुसार उनके टेक्निकल स्थिति में नहीं आ पायी जिसकी वजह से 34 हैक्टेयर के लगभग जमीन सरेंडर करने के लिए कम्पनी ने खुद ने जिला कलेक्टर को दिया। अब 132 के.वी. ग्रिड का जो 220 के.वी. में अपग्रेडेशन हुआ तो डिपार्टमेंट ने ट्रांसमिशन की लाइन अब दी है तो कम्पनी यह कह रही है कि हम बाकी बची हुई जमीन में बिजली लगा देंगे। यह बात ठीक है और आपने कहा कि आदिवासियों की वहां खेती है, लेकिन पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार की रिपोर्ट में वह जमीन खाली पड़ी हुई है जिसके कारण से यह दिक्कत आयी है। फिर भी हमने जिला कलेक्टर को यह चीज कही है कि जो 34 हैक्टेयर कुछ जमीन है जो ढलाननुमा, खड्डेनुमा है और कम्पनी के लगाने के बाद में बचती है तो उसको कमेटी के माध्यम से रखकर नियमानुसार अलाट करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): वन क्वेश्चन मोर सर। जिन जमीनों पर विंड पावर कम्पनीज को परमिशन दे देंगे या वे अपना लगा लेंगे तो जिन आदिवासियों की जमीन उसके अन्तर्गत आती है उनको कोई वैकल्पिक जमीन आप देने का विचार रखते हैं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन उनके नाम पर है ही नहीं, जमीन कम्पनी के नाम अलाट है। रिकार्ड में सिवाय

(श्री रामलाल जाट)

चक दर्ज है और कम्पनी को 2012-13 में ही अलाटेड है। यह बात ठीक है कि जो प्लेन जमीन है उस पर कुछ आदिवासी लोग खेती कर रहे हैं और रिकार्ड में 91 नहीं बनी हुई है। फिर भी कम्पनी को अभी ट्रांसमिशन लाइन दी तो उसमें लगाने के बाद बाकी बचेगी तो कम्पनी ने खुद लिखकर दे रखा है तो उसको सरेंडर करवाकर अलाटमेंट कमेटी में रखेंगे और नियमानुसार उनको अलाट हो जाएगी।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

जयपुर के पर्यटन स्थलों का विकास

429. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पर्यटन विकास कोष से वर्ष 2021-22 व 2022-23 में जयपुर के हवामहल, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सागर एवं मावठा जलाशय आदि पर्यटन स्थलों पर किस-किस प्रकार के, कौन-कौनसे कार्य करवाये गये तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मुरारी लाल जी।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): पर्यटन विकास कोष से वर्ष 2021-22 व 2022-23 में जयपुर के हवामहल, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, सागर एवं मावठा जलाशय पर्यटक स्थलों पर पर्यटन विकास कार्य हेतु कोई विकास कार्य/राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं पूछना यह चाह रहा था कि कितनी-कितनी हुई माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: स्वीकृति ही नहीं हुई तो क्या पूछेंगे आप?

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मेरा निवेदन है कि जयपुर के लिए, प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसलिए बजट में 2021-22 में 500 करोड़ की हुई, 2022-23 में एक हजार करोड़ की घोषणा हुई। 1,500 करोड़ रुपये के बाद भी, जयपुर में दुनिया का हर तीसरा पर्यटक आता है, उसमें रखरखाव और एमिनिटीज के लिए पर्यटकों की डिमांड होती है तो मेरे लिए यह ताज्जुब की बात है।

(श्री सतीश पूनियां)

मेरा दूसरा प्रश्न है, क्योंकि इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता और कैबिनेट मंत्री जी आज पधारे नहीं हैं। राजा साहब को जवाब देना था। पूर्ववर्ती सरकार ने आमेर को आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन केन्द्र सरकार के सहयोग से घोषित किया था। मैं जानना चाह रहा हूं कि कागज से लेकर धरातल तक उसकी अब तक की क्या प्रगति है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1,500 करोड़ रुपये के विकास कोष की घोषणा की गयी थी उसमें 510.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति पूरे प्रदेश में जारी कर दी गयी है। जयपुर में भी अन्य जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर हमने काफी काम करवाये हैं।

जो आइकोनिक डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो, अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा के बिन्दु संख्या 125 (1) पर घोषणा की है कि विरासत नगरी आमेर, जयपुर को आइकोनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें 176 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है। इससे पूर्व किसी योजना में इन डेस्टिनेशन पर काम नहीं किया गया था। भारत सरकार की तरफ से जरूर इसका कृष्णा सर्किट के तहत जो बजट आया था उसमें सरकार ने इस पर काम किया था।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा 2013 से 2018 के बीच में केन्द्र सरकार ने की थी और 300 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान था। राजस्थान सरकार के सहयोग से आमेर को विकसित करना था और मैं उसकी प्रगति जानना चाह रहा था।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): जैसा मैंने बताया कि केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कृष्णा सर्किट प्रोजेक्ट में जयपुर शहर में निम्न स्थलों पर राशि रुपये 26.41 करोड़ के पर्यटन विकास कार्य कराये गये थे पिछले कार्यकाल में। इसमें तीन प्रकार की योजनाएं थीं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक सर्किट प्रोजेक्ट में जयपुर शहर में स्थित घाट के बालाजी पर राशि रुपये 421.83 लाख के पर्यटन विकास कार्य कराये गये थे। तीसरा इनका था, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैरिटेज सर्किट प्रोजेक्ट में जयपुर शहर में स्थित नाहरगढ़ फोर्ट पर राशि रुपये 87.92 लाख तथा जयपुर

(श्री मुरारी लाल)

शहर एवं आसपास फसाड इलुमिनेशन पर राशि रुपये 2697.62 लाख के पर्यटन विकास कार्य कराये गये थे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

जायल में आगजनी की घटनाएं

430. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक आगजनी की कितनी घटनाएं घटित हुई? उक्त से कितने परिवारों को आर्थिक हानि हुई व कितनों को मुआवजा राशि दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जायल उप खण्ड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) विधान सभा क्षेत्र जायल में 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक आगजनी की कुल 10 घटनाएं घटित हुई। उक्त घटनाओं में 10 परिवारों को आर्थिक हानि हुई जिनमें से 07 परिवारों को एस डी आर एफ नॉर्म्स अनुसार राशि रुपये 1,21,100/- का भुगतान किया गया।

(2) वर्तमान में जायल उप खण्ड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आगजनी की घटना घटित होने पर नजदीक के फायर स्टेशन से अग्निशमन वाहन भिजवाया जाता है।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिन किसानों को भुगतान नहीं किया गया उनको कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

दूसरा प्रश्न है कि जायल नगरपालिका वाहन में अग्निशमन वाहन कब तक देने की आपकी मन्शा है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो वंचित तीन पीड़ित परिवार हैं उनके द्वारा डी एम आई एस पोर्टल पर आवेदन नहीं दिये जाने के कारण भुगतान नहीं कर सके। मेरा माननीय सदस्य

(श्री गोविंद राम)
से निवेदन है कि अगर आप आवेदन करवायेंगे तो हम तीनों परिवारों को भुगतान करवायेंगे।

जहां तक अग्निशमन वाहन की बात है, नगरपालिका, जायल द्वारा स्थानीय निकाय विभाग में शर्तें पूरी करते हुए यदि आवेदन किया जाएगा तो फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पोर्टल इज मस्ट? बिना पोर्टल के कम्पन्सेशन नहीं मिलेगा?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): छह महीने तक तो पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी है और छह महीने के बाद में जो हमारा आपदा प्रबन्धन शासन सचिव हैं, उनके सामने करेंगे तो भी कर देंगे। अभी मैंने विभाग से बात की है कि अन्यथा ये कलेक्टर के सामने आवेदन करवायेंगे तो भी हम लोग भुगतान करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमित चाचाण।

नवलगढ़ के साइंस पार्क में प्लेनेटेरियम का निर्माण

431. श्री अमित चाचाण (नोहर) (डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) के स्थान पर): क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ कस्बे में विज्ञान पार्क की स्थापना के पश्चात् कितनी राशि के क्या-क्या कार्य किये गये तथा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बजट 2023-24 में जयपुर के साइंस पार्क के विकास हेतु तीस करोड़ तथा जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में लगभग दस-दस करोड़ रुपये की लागत से प्लेनेटेरियम्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो साइंस पार्क, नवलगढ़ को उक्त सुविधाओं से वंचित किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नवलगढ़ के साइंस पार्क में भी उक्त सुविधाओं हेतु स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (श्रीमती जाहिदा खान): (1) विज्ञान पार्क नवलगढ़ की स्थापना के पश्चात् विभाग द्वारा स्वीकृति क्रमांक

(राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

1307 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा राशि 10 लाख रुपये व्यय किये गये हैं, जिनसे मुख्यतः इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम का निर्माण व अन्य सिविल कार्य जैसे पीछे खाली जगह पर सी.सी. ब्लाक लगाने का कार्य आदि किया गया है।

(2) जयपुर, जोधपुर व उदयपुर के Science parks/centres का विकास करने हेतु कुल राशि 30 करोड़ रुपये तथा जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में लगभग 10-10 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत से Planetarium के निर्माण कार्य बाबत राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा की गई है। नवलगढ़ साइंस पार्क में विकास कार्य हेतु 102 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। यह स्वीकृति District Mineral Foundation Trust (DMFT), झूंझुनूं द्वारा आदेश क्रमांक 2930 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से जारी की गई है, जिसके पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नवलगढ़ द्वारा Letter to Processed the work दिनांक 14.02.2023 को जारी किया जा चुका है। उक्त आदेश के अनुरूप कार्य की शुरुआत 24.02.2023 एवं Stipulated date of completion 23.08.2023 निर्धारित है। सा.नि.वि., खण्ड नवलगढ़ से प्राप्त सूचना अनुसार तारामण्डल DMFT द्वारा जारी स्वीकृति का भाग है। DMFT एवं सा.नि.वि. से समन्वय बैठाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तारामण्डल डिजाइन के अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है।

(3) (उपरोक्तानुसार) नवलगढ़ साइंस पार्क में विकास कार्य हेतु 102 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, यह स्वीकृति District Mineral Foundation Trust (DMFT), झूंझुनूं द्वारा आदेश क्रमांक 2930 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से जारी की गई है, जिसके पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नवलगढ़ द्वारा Letter to Processed the work दिनांक 14.02.2023 को जारी किया जा चुका है। उक्त आदेश के अनुरूप कार्य की शुरुआत 24.02.2023 एवं Stipulated date of completion 23.08.2023 निर्धारित है। सा.नि.वि., खण्ड नवलगढ़ से प्राप्त सूचना अनुसार तारामण्डल DMFT द्वारा जारी स्वीकृति का भाग है। DMFT एवं सा.नि.वि. से समन्वय बैठाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तारामण्डल डिजाइन के अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चार साल

(श्री अमित चाचाण)

में नवलगढ़ में मात्र 10 लाख रुपये ही इसमें खर्च किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 102 लाख की जो आपने वित्तीय स्वीकृति जारी की है, यह कार्य कब शुरू करवा दिया जाएगा और कब तक यह पूर्ण हो जाएगा?

श्रीमती जाहिदा खान (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): यह जो हमने 102 लाख दिये हैं यह डी एम एफ टी के द्वारा सैंक्शन हुए हैं और 23.08.2023 तक हम पूरा कर देंगे और 24.2.2023 को शुरू कर देंगे।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि डी एम एफ टी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से समन्वय बिठाकर करवाया जाएगा तो यह समन्वय कब तक बिठाया जाएगा?

श्रीमती जाहिदा खान (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): एक्चुअली यह हमारे डिपार्टमेंट से पूछा भी नहीं गया था यह अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बताना चाहूंगी, लेकिन फिर भी हमने यह करके कि डवलपमेंट होना चाहिए, हमने उनसे को-आर्डिनेशन करके सिर्फ सेफ्टी पाइंट्स हमने अपने पास रखे हैं अदरवाइज बाकी डवलपमेंट वे करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

फुलेरा में नवीन कृषि उपज मण्डी की स्थापना

432. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) (श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) के स्थान पर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में नवीन कृषि उपज मंडी समिति की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां? नवीन कृषि उपज मंडी समिति खोले जाने के मानदण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नवीन कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। विगत तीन वर्षों में प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में 21 नवीन कृषि उपज मण्डी समितियों की स्थापना की गई है, जिसका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.03.2012 द्वारा नयी कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु 40 लाख रुपये वार्षिक आय का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में मुख्य मण्डी प्रांगण किशनगढ़-रेनवाल एवं इसके अधीन गौण मण्डी सांभरलेक व फुलेरा है। इनके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नवीन कृषि उपज मण्डी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा नवीन मण्डियों की स्थापना इनकी उपादेयता, औचित्य व आवश्यकता के आधार पर विस्तृत आकलन एवं विश्लेषण उपरान्त की जाती है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने खण्ड (1) में कहा कि 20.03.2012 में नई कृषि उपज मण्डी के गठन के लिए 40 लाख रुपये वार्षिक आय का मानदण्ड है। क्या यह सही है कि फुलेरा में जो नवीन कृषि उपज मण्डी का प्रस्ताव है, उसकी आय 40 लाख से कई-कई गुना ज्यादा है? नम्बर एक।

दूसरा, आपने खण्ड-1 में कहा कि तीन वर्षों में आपने 21 नवीन कृषि उपज मण्डी खोली हैं, तो आप मुझे बतायें कि 2019-20, 2020-21 और 2022-23 की बजटीय घोषणा के अन्दर, जो विधान सभा में पढ़ा गया था, उनमें कितनी नई कृषि उपज मण्डी खोलने की बजटीय घोषणा की और आपने कितनी खोली हैं?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, फुलेरा गौण मण्डी की आय 40 लाख से अधिक है। मैं इसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि किशनगढ़रेनवाल मुख्य मण्डी है, उसके अन्दर यह मण्डी आती है। गौण मण्डी फुलेरा की 2018-19 की आय मात्र 19.38, 2019-20 की आय मात्र 38.12 लाख, वर्ष 2020-21 की आय 5.25 लाख, 2021-22 की आय जीरो है और 2022-23 की आय फिर जीरो है। इसके पीछे कारण यह हुआ कि जैसे ही वे तीन कानून आये थे, मण्डी प्रांगणों के बाहर मण्डी टैक्स लेना बन्द कर दिया, उसके बाद में इनकी आय जीरो हो गई है। पहले तो जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि आय बहुत ज्यादा है, दो साल से जीरो हो गई है।

तीन बजट घोषणाओं 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में टोटल

(श्री मुरारी लाल)

88 नवीन मण्डियों की घोषणा की गई है और इन 88 में से 21 मण्डियां विधिवत रूप से गठित करके, संचालित कर दी हैं और बाकी जो मण्डियां हैं, उन पर चरणबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि बजटीय घोषणा, क्या बजटीय घोषणा का...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फुलेरा पर ही पूछें, जनरल प्रश्न नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सर, इसमें पहला सवाल प्रदेश की मण्डियों का है। क्या उस बजटीय वर्ष में, जो बजटीय घोषणाएं की थीं, वे उसी बजटीय वर्ष में पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप 88 कृषि उपज मण्डियों में से 21 खोल रहे हो, तो इस बजट की घोषणा का अर्थ क्या रहेगा? राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, इसका मैन कारण यह है कि हमने जब बजटीय घोषणा की थी, उसके तुरन्त बाद में भारत सरकार के तीन कानून आ गये। इससे हमारी सारी इनकम इफेक्ट हो गई और उसके कारण हमने इनको चरणबद्ध रूप से लिया है।

आपको पता है पिछले सत्र में हमने उन कानूनों को वापस पारित भी कर दिया, लेकिन अभी हमारे वे तीनों कानून महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां पेंडिंग हैं। मेरा तो आपसे निवेदन है कि वे कानून जल्दी ही आ जायें तो शेष मण्डियों को भी हम खोल दें।

श्री सभापति: अगला प्रश्न। हीराराम।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में बेरोजगारी भत्ता

433. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को देय बेरोजगारी भत्ता योजना लागू है? यदि हां, तो कब से तथा अब तक कितने बेरोजगार युवाओं को कितना-कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीराराम)

(2) क्या सरकार बेरोजगारी भत्ते में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता के स्थान पर): (1) जी हां। वर्तमान में बेरोजगार स्नातक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने हेतु दिनांक 01.02.2019 से सम्पूर्ण राज्य में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत पुरुष आशार्थियों को 3,000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 3,500 रुपये प्रतिमाह भत्ता राशि वितरित की गई। बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 56 में उक्त योजना में आशार्थियों को 3 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घन्टे इन्टर्नशिप करते हुए पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया।

योजना प्रारम्भ दिनांक 01 फरवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2023 तक योजनान्तर्गत कुल 6,23,173 पात्र आशार्थियों को 1927.90 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर लाभान्वित किया गया है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, 2021 के तहत पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर आशर्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वर्तमान में बेरोजगारी भत्ते में वृद्धि करने का कोई विचार विभागीय स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि पात्र आशार्थियों को तीन माह का कौशल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए एप्लाई किया है और जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तब तक गवर्नमेंट उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही है। ट्रेनिंग होने के बाद वे इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं तो ही उनका भत्ता रोका गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थान

434. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों की मनमर्जी को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति व नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के संबंध में जारी की गई नीति, नियमों की कठोरता से पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा दिशा-निर्देश दिनांक 11.11.2022 जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्ति कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हेतु विधेयक The Rajasthan Coaching institutes (Control And Regulation) Bill, 2023 लाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा दिशा-निर्देश दिनांक 11.11.2022 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु इसकी सतत मॉनिटरिंग दिशा-निर्देशों द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है।

जिला स्तरीय समितियां दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करवा रही हैं। इस हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को पत्र दिनांक 08.02.2023 एवं 15.02.2023 लिखे गये हैं।

प्रस्तावित अधिनियम बनने के बाद उसके प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैंने कोचिंग संस्थानों की मनमर्जी के खिलाफ प्रश्न पूछा है। मंत्री महोदय, ये कोचिंग संस्थान अपनी मनमर्जी से फीस लेते हैं। क्या सरकार की इनके फीस के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई कार्ययोजना है? इसके अलावा जो कोचिंग संस्थान हैं, वहां छात्र व अध्यापक, कक्षा कक्ष और छात्र, इस अनुपात के सम्बन्ध में सरकार की कोई कार्ययोजना है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक्ट ला रहे हैं, ये सब प्रोविजन होंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण हेतु राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल, 2023 लाया जाना प्रक्रियाधीन है। दिनांक 17 जनवरी, 2023 को आयोजित चिन्तन शिविर के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विधेयक के प्रारूप पर स्टेकहोल्डर्स के सुझाव आमंत्रित करने एवं स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करने के दिशा-निर्देश प्रदान किये हैं। इन निर्देशों के अनुसरण में विधेयक की प्रति दिनांक 17.01.2023 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर तथा समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस जारी कर 27.01.2023 तक सुझाव आमंत्रित किये गये व दिनांक 27.01.2023 को मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक आयोजित कर चर्चा की गई और इसमें जो प्रावधान हैं, वे सारे मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

डूंगरपुर में जारी श्रमिक कार्ड

435. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर) (श्री गणेश घोघरा के स्थान पर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कितने श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किये गये हैं तथा जिनको श्रमिक कार्ड जारी नहीं किये गये हैं, उनको कब तक श्रमिक कार्ड जारी कर दिये जायेंगे? उक्त कार्ड से कितनों को किस-किस योजना से लाभान्वित किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रमिक कार्ड की क्या पात्रता निर्धारित है? क्या सरकार टी एस पी क्षेत्र में सर्वे कर प्रत्येक गरीब परिवार को श्रमिक कार्ड जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में अब तक 14,959 निर्माण श्रमिकों के श्रमिक कार्ड जारी किये जा चुके हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग के स्तर पर केवल 123 आवेदन हैं, जिनका यथाशीघ्र वरीयतानुसार

(राज्य मंत्री, श्रम)

निस्तारण कर दिया जायेगा। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। योजनावार पंजीकृत श्रमिकों के स्वीकृत सहायता आवेदनों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) मंडल में श्रमिक कार्ड/पंजीयन की पात्रता निम्न प्रकार है:-

1. श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो।

2. आवेदन से पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन भवन अथवा अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित रहा हो।

उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाला प्रत्येक श्रमिक पंजीयन करा सकता है, जिसमें टी एस पी क्षेत्र भी शामिल है। पंजीयन हेतु श्रमिक स्वयं अथवा अपने निकट के ई-मित्र केन्द्र से विभागीय ऑनलाइन पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। जन-प्रतिनिधियों अथवा श्रमिक संगठनों की मांग पर अथवा राज्य सरकार के कार्यक्रम जैसे 'प्रशासन गांवों के संग' आदि कार्यक्रमों के माध्यम से विभाग स्तर से शिविर लगाकर श्रमिकों को ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी दी जाती रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने खण्ड-2 में कहा है कि हमने शिविर लगाकर 'प्रशासन गांवों के संग', जो अभियान चलाया था और अलग से शिविर लगाकर हमने श्रमिक कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां अब तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, 2022 में 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान चला था, उसमें 1,164 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। फिर, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जहां मजदूर सुबह चौकी पर इकट्ठा होते हैं, ऐसे स्थान पर 67 दिन लगातार कैम्प लगाकर 400 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। कुल करीब 1,564 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

केन्द्र सरकार से राज्य को प्राप्त राजस्व हिस्सा

436. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019 से माह जनवरी, 2023 तक कितना राजस्व हिस्सा राज्य सरकार को दिया है तथा कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में केन्द्र से मिलने वाली राशि को राज्य सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं में कितना-कितना प्रतिशत व्यय किया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) केन्द्र सरकार से प्राप्त केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि की सूचना वित्त वर्ष 2019-21 से 2022-23 (31 जनवरी, 2023 तक) की निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष	**केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त केन्द्रीय करों में हिस्सा**
2019-20	36049.14
2020-21	35575.77
2021-22	54030.61
2022-23 (31 जनवरी, 2023 तक)	40239.84

वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान (RE) राशि 57,230 करोड़ 78 लाख रुपये के विरुद्ध दिनांक 31.01.2023 तक जारी राशि के आधार पर राशि 16,990 करोड़ 94 लाख रुपये प्राप्त होना शेष है।

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि राज्य सरकार की संचित निधि में जमा की जाती है। राज्य की संचित निधि में जमा राशि से बजट प्रावधान के अनुसार राज्य के पूंजीगत एवं राजस्व व्यय किये जाते हैं। इस कारण भारत सरकार से प्राप्त राशि के व्यय को योजनावार चिह्नित किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। शंकर सिंह जी, आज वित्तीय प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि योजनावाइज केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर मिली और दूसरा सवाल है कि कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में डिविजिबल पूल का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलता है, उसमें से राज्य सरकार को 6.26 प्रतिशत मिला करता है। ठीक है? पहले सिस्टम यह था कि जितनी भी आपकी सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स थीं और सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम्स थीं, उनका पैसा राज्य के कंसोलिडेट फंड में जमा होता था, लेकिन 2021-22 से क्या हुआ कि उन्होंने सारा सिस्टम बदल दिया। पहले वह ट्रेजरी के मार्फत खर्च होता था। अब वह सारा सिस्टम बदल दिया है और बदल करके आपका एक नया खोल दिया कि बैंकों में खाता खुलवाओ और स्टेट नोडल अकाउंट के नाम पर वह पैसा सीधा का सीधा ही वहां जाता है। जितना पैसा वहां से आता है, 21 दिन के अन्दर-अन्दर लाजिमी तौर वहां पर जमा कराना पड़ता है। वहां जमा कराने के बाद में उसका हिसाब इस तरीके से नहीं रख सकते कि किसमें कितना खर्च हो गया, वह चक्कर है।

श्री अध्यक्ष: आज यह प्रश्न पूछा कहां से?

अगला प्रश्न। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

संस्कृत शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती

437. श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? विगत भर्ती प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में व कितने पदों पर की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त शिक्षकों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने पदों पर व नहीं, तो क्यों?

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक के 2,116 पद रिक्त हैं। विगत भर्ती प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2022-23 में अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए भर्ती

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

विज्ञापन दिनांक 27.06.2022 द्वारा 272 पदों के लिए प्रारम्भ की गई, जिसके तहत 216 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। शेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभागान्तर्गत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 1,844 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): मैं सवाल पूछूं सर?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना। प्रश्न पूछ रहे हैं वो।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जो सवाल किया था विगत भर्ती प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में व कितने पदों पर की गई? यह प्रक्रियाधीन का मुझे आन्सर मिला। विगत भर्ती किस वर्ष में पूरी की गई, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 2022-23 में अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी की विज्ञप्ति 27.6.2022 द्वारा 272 पदों के लिए प्रारम्भ की गई। इसमें 216 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। 56 पदों का डिग्री का और इनका सबका वैरिफिकेशन हो रहा है। दस दिन के अन्दर-अन्दर इनकी भी नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): सर, यह तो प्रक्रियाधीन भर्ती के बारे में बताया गया। विगत भर्ती जो पूर्ण हो चुकी थी, उसके बारे में मैंने पूछा था, उसका जवाब मेरा नहीं आया।

दूसरा, जो आन्सर दिया आपने उसमें 56 पद जिनको अभी नियुक्तियां नहीं दी गई हैं उनकी नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी? जो आप आन्सर दे रहे हैं उस भर्ती को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा और पिछली भर्ती कब हुई? ये दो आन्सर मुझे चाहिये, सर।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): पिछली भर्ती के बारे में तो आपने मेरे से पूछा भी नहीं। आपने विगत भर्ती प्रकिया, विगत भर्ती प्रक्रिया 2022-23 में हुई उसमें 272 पद रिक्त थे, 216 पदों पर नियुक्ति कर ली गई और 56 पदों पर मैंने आपके माध्यम से बता दिया है कि दस दिन के अन्दर-अन्दर इनकी नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा मोबाइल टावर लगाने की अनुज्ञा

438. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में प्रदेश में टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा मोबाइल टावर लगाने से पूर्व सरकार के विभिन्न मानदण्डों को पूरा कर अनुज्ञा लेना आवश्यक था? यदि हां, तो उक्त हेतु टेलीकॉम कम्पनियों को किस-किस स्तर से अनुज्ञा लेना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मोबाइल टावर लगाने पर स्थानीय नागरिकों द्वारा भी विरोध व आपत्ति दर्ज कराई जा सकती थी? यदि हां, तो सरकार के दिशा-निर्देशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2023 को लिए गये निर्णय के अनुसार उक्त सभी प्रकार की अनुज्ञा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु अनुमति देने के लिए अधिकृत अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.02.2017 के संबंधित प्रावधान की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) निजी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने एवं आपत्तियां मांगने के प्रावधान को समाप्त नहीं किया गया है, तथापि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.08.2022 के द्वारा निजी भूमि पर टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के संबंध में अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रावधान को समाप्त किया गया है। उसी के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.01.2023 को आदेश जारी कर प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.8.2022 के द्वारा निजी भूमि पर टेलिग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावित क्षेत्रवासियों तथा निवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के प्रावधान को भी

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

स्पष्ट रूप से समाप्त किया गया है? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निजी भूमि में स्थापित किये जाने वाले मोबाइल टावर से रेडियेशन के कारण प्रभावित होने वाले आमजन से किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं ली जा सकती है? नम्बर एक।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपत्तियां ली जाती हैं और उन पर निर्णय किया जाता है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, नहीं ली जाती है बिलकुल नहीं ली जाती। डायरेक्ट ही वो लगा देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न पूछना है न तो आप प्रश्न पूछिये दूसरा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या सरकार टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में 13 जनवरी, 2023 को जारी किये गये दिशा-निर्देशों को संशोधित कर मोबाइल टावर लगाने से पूर्व प्रभावित क्षेत्रवासियों से आपत्ति लेने का प्रावधान जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने आपसे कहा न कि आदेश 6.2.2017 के अनुसार निजी भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मोबाइल टावर की स्थापना से पूर्व आमजन से आपत्ति प्राप्त किये जाने का प्रावधान वर्तमान में भी यथावत है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

पोलीथिन पर प्रतिबन्ध

439. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पोलीथिन पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के उपरान्त भी उत्पादन एवं उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पोलीथिन खाने से गौवंश एवं अन्य पशुधन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं उनकी मृत्यु भी हो जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त को बचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई) (पर्यावरण मंत्री के स्थान पर): (1) प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सराकर द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 के द्वारा 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसमें 50 माइक्रोन से मोटे प्लास्टिक बैग्स के उपयोग की छूट दी गई है। दिनांक 30.09.2021 से इसे बढ़ाकर 75 माइक्रोन तथा दिनांक 31.12.2022 से इसे बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया गया है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग्स एवं प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का उत्पादन कर रही सभी इकाइयों को बन्द कर दिया गया है। बन्द किये जाने के उपरान्त अवैध रूप से संचालित जयपुर, बीकानेर एवं अलवर जिलों में स्थित 38 इकाइयों को पुन: बन्द किया जाकर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 33 एवं 31ए के अन्तर्गत राशि रुपये 10.00 लाख का जुर्माना वसूला गया है। किन्तु समीपस्थ प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्लास्टिक कैरी बैग्स एवं अन्य आइटम्स के अवैध परिवहन के प्रकरण समय-समय पर सामने आये हैं।

उक्त परिवहन एवं आयातित प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

नगरीय निकायों द्वारा निकाय क्षेत्रों में फुटकर विक्रेताओं, पथ विक्रेताओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों से माह दिसम्बर, 2022 तक 415.10 टन प्लास्टिक कैरी बैग्स की जब्ती कर 04.09 करोड़ राशि का जुर्माना वसूला गया है।

सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार पोलीथिन अन्तर्गतहित होने से पशुओं में कुपोषण तथा रूमन ओवरलोड से Asphyxia के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है।

पशुपालन विभाग द्वारा पोलीथिन अन्तर्गतहित किये हुए पशुओं का शल्य चिकित्सा (रूमेनोटोमी) द्वारा उपचार किया जाता है। राज्य में पोलीथिन खाने से गौवंश एवं अन्य पशुधन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के

(राज्य मंत्री, श्रम)

बारे में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थाओं में एवं जन चेतना/पशु चिकित्सा शिविरों/गोष्ठियों के माध्यम से नियमित एवं लगातार अवगत करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कैरी बैग के निर्माण, आयात, भण्डारण व क्रय-विक्रय करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम के तहत जुर्माने और पांच साल की सज़ा का प्रावधान है? यदि हां, तो गत चार साल में कितने लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किये गये और कितने लोगों को सज़ा हुई? पहले प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए 2010 में एक कानून बना है और आज दिन तक 35 अभियोजन पेश किये गये और आपने 2014 से 2018 तक सिर्फ 16 अभियोजन पेश किये। हमने ज्यादा पेश किये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने पूछा कि सज़ा कितने लोगों को हुई?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): यह कोर्ट का मामला है, अभी अभियोजन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: अभी किसी को सज़ा नहीं मिली। कोर्ट में चल रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने जवाब में बताया कि प्रदेश में पोलीथिन कैरी बैग्स बनाने वाली एक भी इकाई नहीं है, फिर यह थड़ियों पर, ठेलों पर और बड़ी-बड़ी दुकानों पर खुलेआम इनका इस्तेमाल हो रहा है, वह कैसे हो रहा है? क्या यह भी सही है कि बाहर से तस्करी हो रही है तो क्या अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है और यदि अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है तो कितने अधिकारियों के खिलाफ गत चार वर्षों में आपने कार्यवाही की?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री सुखराम विश्नोई)

2010 में जब कांग्रेस सरकार थी तो पूर्ण प्रतिबन्ध का कानून लाये। भारत सरकार 2021 में प्रस्ताव लायी वो सिर्फ 50 माइक्रोन तक का था, उसके बाद में संशोधन करके 30.9.2021 को 75 माइक्रोन किया, फिर 31.12.2022 को और संशोधन करके 120 माइक्रोन किया। अध्यक्ष जी, इनका सवाल यह है कि ये कहां बनते हैं, तो राजस्थान में पूर्ण प्रतिबन्ध है, परन्तु आपकी सरकार के पड़ोस के शासित हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इनमें कहीं भी प्रतिबन्ध नहीं है, वहां से चोरी-छिपे ला रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकायदा जैसा कि जवाब में भी आया हुआ है नगरपालिका के मार्फत करीब 4.9 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया और 415.10 टन प्लास्टिक जब्त की गई। कुल मिला करके हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और हमारी सरकार आने के बाद में एक फैक्ट्री जयपुर की है वह अवैध बना रही थी तो उस पर दस लाख रुपये का जुर्माना किया गया। अलवर में पकड़ा, बीकानेर में तीन जगह तीन फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। मतलब हमारी मंशा है कि पूर्ण प्रतिबन्ध हो, परन्तु आपको चाहिये कि जो आपके पड़ोसी स्टेट हैं बी जे पी के, वहां भी पूर्ण प्रतिबन्ध हो, ताकि यहां प्लास्टिक नहीं आ सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिरधारी लाल।

मंदिर मूर्ति की भूमि पुजारियों के नाम दर्ज करने की कार्ययोजना

440. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मंदिर मूर्ति की जमीन पूर्व में पुजारियों के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी? यदि हां, तो कब तक? क्या पूर्व में दर्ज मंदिर मूर्ति की जमीनों से पुजारियों के नाम विलोपित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र क्रमांक प. 3(19) राज-6/20-20 दिनांक 28.12.2020 द्वारा राजस्व रिकार्ड में पुजारियों के विलोपित नामों को पुनः दर्ज करने का आदेश दिया था? यदि हां, तो प्रदेश में दिसम्बर, 2022 तक कितने पुजारियों के नाम राजस्व रिकार्ड में पुन: दर्ज किये गये? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व में विलोपित उक्त के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी हां। यह सही है कि मंदिर मूर्ति की जमीन पहले मंदिर मूर्ति के साथ-साथ पुजारियों के नाम दिनांक 13.12.1991 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी।

राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज-4/90/37 दिनांक 13.12.1991 के क्रम में राजस्व रिकार्ड में से पुजारियों के नाम विलोपित कर दिये गये हैं। जिसका उद्देश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरुद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके।

(2) जी नहीं। राजस्व विभाग ने पुजारियों के विलोपित नामों को पुन: राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश नहीं दिये हैं। परिपत्र दिनांक 13.12.1991 एवं पत्र दिनांक 28.12.2020 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पुजारियों के विलोपित नामों को पुन: राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। परिपत्र दिनांक 13.12.1991 विधि अनुसार है एवं विधि विभाग से राय लेकर ही राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह परिपत्र विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर ही आधारित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछ लें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यही प्रश्न है कि यदि सरकार पुजारी किसानों को यह सुविधा नहीं देना चाहती, फिर 28.12.2020 को पत्र क्यों जारी किया गया? कारण सदन के पटल पर रखें। सारी सुविधाएं दे रहे हैं फिर भी क्या है कि पुजारियों को खातेदारी अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो, प्रश्न क्या है आपका? 2020 में विलोपित करने का आर्डर क्यों निकाला, यही प्रश्न है?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 13.2.1991 तक पुजारियों के खाते में खातेदारी हक थे, उसके बाद हटा दिये गये। उसके बाद 28.12.2020 को राज्य सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें और सुविधा दी जा रही है, मगर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि जब सारी सुविधा सरकार दे रही है तो पुजारियों के नाम से खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये जाते? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदिर के पुजारी का निधन होने के बाद उसका कौन उत्तराधिकारी होगा, इसके समाधान के लिए यह क्वेश्चन लगाया जा रहा है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब काफी शिकायतें आई थीं तो 31.12.1991 को यह सर्कुलर राजस्व विभाग ने निकाला था। जागीर अधिग्रहण नियम, 1952 के बाद से ही जिनके खाते में मंदिर खातेदार था, वह तो मंदिर ही रहा, उसके बाद पुजारी के नाम दर्ज हुआ, भगवान को नाबालिग मानते हुए सर्कुलर 13.12.1991 के आधार पर खातेदारी से पुजारियों का नाम हटा दिया गया। उसके बाद 2001 में 36 लोग हाई कोर्ट में भी गये और 2015 में फैसला भी आया। राजस्व विभाग ने समय-समय पर उसके आधार पर लगभग 7 सर्कुलर निकाले। जहां तक माननीय सदस्य का कहना है, तो 13.12.1991 के सर्कुलर को ही क्लियर करते हुए 28.12.2020 का सर्कुलर निकाला है। इसमें इनको कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे पेयजल-विद्युत कनेक्शन संबंधी, फसल खराबा हो तो उसके अनुदान संबंधी। माननीय मुख्य मंत्री जी को 13.8.2019 को किसी डेपुटेशन के माध्यम से शिकायत आई, उसके आधार पर यह सर्कुलर निकाला। यह सर्कुलर 12.9.2018 के आदेश के साथ ही निकला, जिसमें राज्य सरकार को कहीं जमीन रहन नहीं रखनी हो और उसमें कोई लाभ मिल रहा हो, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खाद बीज मिल रहे हो, उसे लेने के लिए, बैंक का खाता खोलकर पुजारी को जब हाई कोर्ट ने केयर टेकर माना ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनका बहुत लिमिटेड प्रश्न है कि पुजारी की डैथ होने के बाद आप कैसे एश्योर करोगे कि दूसरा पुजारी बैंक के अकाउंट को आपरेट करे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): एक रजिस्टर संधारण किया जा रहा है, जिसके आधार पर गांव वाले या देवस्थान विभाग में जो रजिस्टर्ड मंदिर होते हैं, उनका तो देवस्थान विभाग के आधार पर जो सर्कुलर बना हुआ है, उसके आधार पर दूसरे पुजारी का नाम अंकित किया जाता है। बाकी गांव वालों की जो कमेटी होती है, गांव वाले जो तय करते हैं, उसके आधार पर ग्राम सभा से देवस्थान विभाग में जाता है या एस डी एम, तहसीलदार के पास जाता है, उस रजिस्टर में उसका नाम अंकित होता है। रेवेन्यू रिकार्ड में उनका नाम अंकित नहीं होता है। जागीर अधिग्रहण बिल से पहले कोई खातेदार पुजारी है तो वह तो खातेदार रहेगा, लेकिन उसके बाद जो अंकित है, वह खातेदार नहीं रहेगा, यह इसमें प्रावधान है। जो 28.12.2020 का सर्कुलर है, वह तो उसको सुविधा देने के लिए किया गया है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): जब सारी सुविधा दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: खाते की जमीन खाते में दर्ज नहीं हो सकती।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): फिर यह सुविधा दे रहे हैं तो खाते का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें एक कानून बना दिया जाये...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कोर्ट के फैसले हैं ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप नीचे बैठें, आप बैठें। अगला प्रश्न। श्री अशोक डोगरा।

बून्दी में पर्यटन विकास समिति का गठन

441. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बून्दी में पर्यटन विकास समिति का गठन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त का गठन कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के पास बून्दी में शिल्पग्राम निर्माण की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2020 द्वारा राज्य के सभी जिलों में जिला पर्यटन विकास समिति का गठन किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में बून्दी में शिल्पग्राम निर्माण की योजना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर आकलन कर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 20 जनवरी, 2020 को विकास समिति का गठन हो गया, इसके साथ जो परिशिष्ट दे रखा है, इसके 9 नंबर में बताया है कि सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार दो स्थानीय विशेषज्ञ सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा। अभी तक तीन साल में किसी भी सदस्य का मनोनयन नहीं हुआ है। आखिर में इसमें कहा है कि समिति का प्रशासनिक विभाग पर्यटन विभाग होगा तथा समिति की बैठक प्रतिमाह कम से कम एक बार आयोजित

(श्री अशोक डोगरा)

की जायेगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तीन साल में एक भी बैठक नहीं हुई, न मनोनयन हुआ, तो विकास कैसे होगा? क्या कारण रहे कि तीन साल में पर्यटन विकास की एक भी बैठक नहीं हुई?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय के निर्देश से 29.9.2022 को बून्दी महोत्सव में पर्यटन समिति की मीटिंग हुई थी। आपको पता है कि बून्दी में हर साल पर्यटन महोत्सव होता है, उसमें कुछ फैसले हुए थे। जहां तक दो सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न है, यह बिलकुल सही है कि दो सदस्यों का मनोनयन अभी तक नहीं हो पाया है।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 29.09.2022 की जो बैठक बता रहे हैं, वह तो बून्दी महोत्सव की एक बैठक थी। इसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि प्रति माह कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जायेगी। कोई बैठक नहीं हुई, यह गलत इन्फोर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा, मैं यह पूछना चाह रहा था कि बून्दी एक पर्यटक नगरी है, मैंने आपके विभाग से आंकड़े लिए हैं, 55-60 हजार देशी-विदेशी पर्यटक हर साल बून्दी आते हैं। यह कोरोना से पहले के फिगर हैं। 18-20 हजार विदेशी पर्यटक आते हैं। वहां जिस रास्ते पर वे जाते हैं, चाहे किला देखने जाएं, गढ़ देखने जाएं, बावड़ियां, छतरियां, जहां भी जाते हैं, वहां सड़कें टूट रही हैं, गंदगी रहती है, इम्प्रेशन खराब जाता है। नगरपालिका कहती है कि पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या पर्यटन विभाग कोई विशेष पैकेज बून्दी की सड़कों एवं सफाई के लिए देना चाहता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि पर्यटन): अध्यक्ष महोदय, बून्दी में पर्यटन स्थल पर 2020-21, 2021-22, 2022-23 से लगातार हमारे पर्यटन विकास कोष द्वारा काम किये गये हैं। कितना पैसा उपलब्ध होता है, इस आधार पर निर्णय किये जायेंगे कि वहां क्या काम करवाये जाएं, क्या काम नहीं करवाये जाएं। वैसे लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हुई थी कि 1,500 करोड़ रुपये के विकास कोष का गठन किया गया है और उसमें से 500 करोड़ रुपये की हमने स्वीकृतियां भी जारी कर दी हैं। इसमें आपका बून्दी भी सम्मिलित है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

लाडनूं में किसानों को फसल खराबे का अनुदान

442. श्रीमती मंजु देवी (जायल) (श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं) के स्थान पर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसलों का कितना-कितना प्रतिशत नुकसान दर्शाया गया है? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि में कितनी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि का किसानों को अनुदान दिया गया एवं कितना अनुदान दिया जाना शेष है तथा शेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक बाढ़ एवं सूखे से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नहीं हुआ है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक बाढ़ एवं सूखे से फसलों में 33 प्रतिशत से कम खराबा होने के कारण कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि किसान कितने घंटों में अपनी फसलों का नुकसान किस-किस तरीके से दर्ज करा सकता है और किस-किस माध्यम से दर्ज करा सकता है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारा पोर्टल बिलकुल अपलोड रहता है, उस समय में अगर खराबा है, तो पोर्टल पर अपलोड करवा सकता है। पटवारी और डी एम आई एस पोर्टल खुला रहता है। किसान से बैंक का खाता, आधार कार्ड लेकर पटवारी उस पर अपलोड करता है और उसके आधार पर कलेक्टर के पास भेजा जाता है, फिर कलेक्टर आपदा प्रबन्धन विभाग में भेजता है और हम यहां से कलेक्टर को राशि आबंटित करते हैं। कलेक्टर द्वारा सीधे किसान के खाते में पेमेंट कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सहायता

443. श्री कालूराम (डग): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में विगत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि कार्य करते समय कृषकों की मृत्यु व घायल होने पर कितने कृषकों को सहायता राशि दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त सहायता हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए कितने स्वीकृत किये गये तथा कितने आवेदन किन-किन कारणों से लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र डग में कृषि उपज मण्डी समिति, चौमहला व कृषि उपज मण्डी समिति, भवानीमण्डी आती है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में 2019-20 से 2022-23 (माह जनवरी 2023) तक कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में कृषकों की मृत्यु या अंग-भंग होने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत 133 कृषकों को 249.15 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई, जिसका संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में 01 जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 206 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 164 आवेदन स्वीकृत किये गये है एवं 07 आवेदन लम्बित हैं। लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'ब' तथा प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये पूछना चाहता हूं कि नम्बर (1) पर आपने बताया कि 133 आवेदन स्वीकृत किये हैं, 28 आवेदन निरस्त किये हैं और 9 आवेदन लम्बित हैं। ये 28 आवेदन किस कारण से निरस्त हुए हैं और लम्बित 9 को कब तक मुआवजा मिल जायेगा?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जो आवेदन निरस्त किये गये हैं उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास है जो कि 28 की है। माननीय सदस्य, आप मेरे से प्राप्त कर लेना, चूंकि लिस्ट लंबी है। जो पेंडिंग आवेदन हैं, उनका हम शीघ्र ही वन-मंथ के अन्दर निस्तारण कर देंगे।

श्री कालूराम (डग): नम्बर 2 पर आपने कहा है कि भारत कंवर पत्नी श्री मदन सिंह की मृत्यु दवाई छिड़कने के कारण हुई। फार्म 2022 में जमा हुआ। इसकी एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय, एफ एस एल रिपोर्ट छह-छह महीने में नहीं देते हैं तो आदमी आवेदन नहीं कर सकता है। दूसरे में आपने बताया कि 2022 से इसमें मीटिंग नहीं हुई। 8 महीने हो गये हैं, इसकी मीटिंग कितने दिनों में होती है? बिजली के करन्ट से व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसमें जिसके नाम कनेक्शन होता है, उसी को अपन देते हैं। उसमें मजदूर भी काम करते हैं। क्या दूसरे खेती करने वालों को भी आप देंगे? क्या हार्ट अटैक से मरने वालों को भी देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतने प्रश्नों का उत्तर ही नहीं आयेगा।

श्री कालूराम (डग): आप इसमें कितनी राशि देंगे? कितने टाइम में?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, इसकी क्लियर-कट नीति बनी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि हार्ट अटैक वालों को इसमें नहीं दिया जाता है। मैं आपको पालिसी दिखा दूंगा, उसमें सारी गाइडलाइन दी हुई है कि किन-किन को मिलेगा, किन-किन को नहीं मिलेगा? बाकी जो कह रहे हैं कि पेंडिंग हैं तो उसके लिए मैंने बोला है कि जो भी पेंडिंग हैं, उन सबका वन-मंथ में निस्तारण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश मोदी।

जोधपुर की पंचायत समितियों में खेल मैदान का निर्माण

444. श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना) (सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां) के स्थान पर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:
-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति में खेल मैदान निर्माण का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो जिला जोधपुर की किन-किन पंचायत समितियों में कहां-कहां पर खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल के स्थान पर): जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जन-

(श्री टीकाराम जूली)

प्रतिनिधि/जन सहयोग/सी एस आर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जाती है, जिसे वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2023-24 में बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।

जोधपुर जिले में पंचायत समिति/ब्लाक स्तर पर युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में खेल स्टेडियम का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जायेगा? आपने कितनी पंचायत समितियों में बना दिये हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज केवल जोधपुर का प्रश्न है। Please, be particular for Jodhpur.

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि युवाओं के लिए शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही खेलों का भी महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत अधिक हैं..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will allow it for Jodhpur. Please. अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक। श्रीमती सफिया जुबेर।

जिला मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय की स्थापना

445. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़) (श्री सुरेश टाक (किशनगढ़) के स्थान पर): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में जिला मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी?

(2) उक्त घोषणा के अनुसार अब तक किन-किन जिला मुख्यालयों पर उक्त वाचनालय की स्थापना कब-कब की गई व उक्त में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, भाषा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां।

(2) राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक जिला

(राज्य मंत्री, भाषा)

पुस्तकालयों में सावित्री बाई फूले वाचनालय माह अक्टूबर, 2022 तक स्थापित किये जा चुके हैं। (आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)

उक्त वाचनालयों में फर्नीचर, ग्लास विंडो, रैक्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी (सेल्फ स्टडी) करने वाले युवाओं को प्रतियोगी साहित्य, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति एवं सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी कि जब यह सवाल लगा था, तब राजस्थान में 33 जिले थे, अब 50 हो गये हैं तो क्या सभी 50 जिलों में सावित्री बाई फूले वाचनालय बनेंगे? अगर बनते हैं तो 50 विधान सभाएं कवर होंगी तो बाकी की बची हुई डेढ़ सौ विधान सभा क्षेत्रों में क्या सावित्री बाई फूले वाचनालय बनेंगे? मुझे लगता है कि सभी विधान सभा क्षेत्र में सावित्री बाई फूले वाचनालय खोलने चाहिए। क्या सरकार की यह मंशा है?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सबसे पहले तो जहां जिले बनेंगे, वहां सारे जिला स्तरीय कार्यालय खुलेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2023-24 की बजट घोषणा में ब्लाक स्तर पर ज्योतिबा फूले वाचनालय खोलने की घोषणा की है, वे सभी ब्लाक स्तर पर खुल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: और पूछना है? क्या एक ही प्रश्न है? एक प्रश्न और पूछ लें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभी वाचनालयों के नाम सावित्री बाई फूले जी रखा गया है। मुझे लगता है कि सावित्री बाई फूले जी महिलाओं के लिए तो एक स्पेशल महान हस्ती थीं, मुझे लगता है कि उनके नाम से शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक चीजों के नाम सावित्री बाई फूले जी के नाम पर रखने चाहिए, खास तौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): निश्चित तौर पर आप सुझाव दे देना। जहां कहीं भी आपको लगता है कि ऐसी संस्था हो, उसका नाम करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में बाल श्रम के लम्बित प्रकरण

446. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, जयसमन्द, सेमारी व झल्लारा तहसील में विगत चार वर्षों में कुल कितने बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाया गया व कितनी एफ आई आर दर्ज करवाई गईं तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, सराडा, जयसमन्द, सेमारी व झल्लारा तहसील अंतर्गत विगत चार वर्षों में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2019-20, 2020-21, 2021-22, इसमें आपने यह कहा है कि जो बाल श्रमिक हैं, वे मात्र सात बताये हैं। ये कहां के हैं, किस स्थान पर काम कर रहे थे और क्या कार्य कर रहे थे? यह आप बतायें, यही मेरा कहना है। फिर मैं दूसरा और पूछूंगा, तीसरा पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: आज चार अलाउ हैं, चौथा भी अलाऊ है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 में सलूम्बर में एक बाल श्रमिक की जानकारी मिली, उसके नियोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद में 2021 में एक सलूम्बर, एक सराड़ा, एक जयसमन्द, एक सेमारी, एक झल्लारा। फिर सलूम्बर में 2022 में, ये टोटल सात हैं। सातों में चालान कर दिये हैं।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): ये जो सात हैं, वे कौनसे गांव के हैं, कौनसी पंचायत के हैं? यह कृपया आप जरूर बतायें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): ऐसा आपने नहीं पूछा है। मैंने तहसील का नाम तो बता दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले आप बैठें। आराम से जवाब देने दें, फिर खड़े हों।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): साहब, इनका सवाल यही है कि सलूम्बर, सराड़ा, जयसमन्द, सेमारी, झल्लारा तहसीलों में विगत चार वर्षों में कुल कितने बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाया गया। मैंने इन चार वर्षों

(श्री सुखराम विश्नोई)

का बता दिया। गांव-पता तो पूछा ही नहीं। आपने विधान सभा क्षेत्र का पूछा है, गांव का नहीं पूछा है कि कौनसे गांव का था, कहां बरामद किया। वह तो आपने नहीं पूछा। उसके बाप का क्या नाम था, जाति क्या है, यह तो आपने नहीं पूछा। आपने तो तहसील का पूछा था, वह बता दिया।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र में ज्यादातर बाल श्रमिकों का शोषण होता है। चाहे होटलों में हो, चाहे भोजनालय में हो, चाहे बाग़-बगीचों में हो। आपने यह तीन-चार साल का जो सात का आंकड़ा बताया है, आपकी यह पूरी रिपोर्ट ही गलत है। मैंने यह भी कहा है कि किस-किस थाने में इन बाल श्रमिकों का मुकदमा दर्ज हुआ है? यह भी बता दें और चालान कब पेश हुआ है, यह भी बतायें।

श्री अध्यक्ष: मदन जी, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सीनियर आदमी हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तहसील का पूछा था। इसका मैंने परिशिष्ट-1 में बता दिया है। बाकी आप कह रहे हैं कि सात ही क्यों है? यह तो अच्छी बात है कि सात ही हैं, बाल श्रम के केस कम मिले हैं। अब लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए कम हैं।

दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आप इनको मुक्त कब करायेंगे, तहसील-थाना आदि का पूछा है। आपके प्रश्न में जो बात आयी, वह मैंने बता दी है। माननीय अध्यक्ष जी, 12.10.2021 को मानक संचालन प्रक्रिया तय की गयी। उसके तहत विभिन्न विभागों, सामाजिक न्याय, बाल अधिकारिता, पुलिस, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्वयंसेवी संस्था, जिस किसी को भी जानकारी मिलती है, वह पहले थाने में मुकदमा दर्ज कराता है। श्रम विभाग की जिम्मेवारी यह बनती है कि जो बाल श्रमिक साल या दो साल रहा है, बाल श्रमिक का मतलब यह हुआ है कि उसकी आयु 14 वर्ष से नीचे की हो, तब तो बिलकुल प्रतिबंध है। उससे आप कोई काम नहीं करा सकते। 14 से 18 के बीच में है, उनसे जोखिम भरे काम नहीं करा सकते। जैसे कि खनन है, ईंट-भट्टे हैं, विषैले पदार्थ हैं, चमड़ा उद्योग है, रासायनिक उद्योग हैं, कीटनाशक हैं। 14 से 18 तक से ये जोखिम भरे काम नहीं करा सकते और 14 से कम वाले के करा ही नहीं सकते।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की सहायता करने वाला कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप तो हो, आप सहायता कीजिए हमारी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर 2019 में 1651 बाल श्रमिक मुक्त करवाये गये, 801 एफ आई आर दर्ज की गई और 790 चालान पेश किये गये। वर्ष 2020 में 1,803 मुक्त कराये गये, 726 एफ आई आर दर्ज की गयी। वर्ष 2021 में 1,291 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये, 648 में चालान हुआ। वर्ष 2022 में 557 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए और 276 चालान किये गये। इसमें टोटल 769, 704, 597 और 75 अलग चालान पेश करके 284 मुकदमों में सज़ा भी हो गयी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय बैठिए प्लीज। नीचे बैठिए। I will not allow. नीचे बैठिए। मिस्टर राठौड़।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): भीनमाल की बात करनी है।

श्री अध्यक्ष: आप नीचे बैठिए। I will name you. नीचे बैठिए। I will name you. माननीय राठौड़ साहब, I will not allow it. माननीय सदस्य, आप नीचे बैठिए, प्लीज। आपको नहीं समझना है, बाहर जाइए। आप ही के समस्या है। सदन में आये हैं तो सदन के नियम का पालन कीजिए, नहीं करना है तो बाहर जाकर जो करना है, वह करिए। सदन में नियम का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपको बाहर निकालूंगा।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष: जाइए फिर। निकालने की जरूरत कहां है, उठकर जाइए। निकालने का कष्ट क्यों करें? आप खुद ही चले जाइए। सदन में आप जीतकर आये हैं, सदन के सदस्य हैं। सदन में एक बात को कैसे रखना है, इस बारे में जानकारी नहीं है तो फिर सदन की अपनी भूमिका निर्वहन नहीं करते हैं। आप सदन में जीत कर नहीं आते, बाहर सड़क पर सब काम कर सकते हैं। सदन में तो नियम और कानून के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। आप जन-प्रतिनिधि हैं, लेकिन नियम कानून के अंतर्गत अपनी बात रख सकते हैं। नियम का पालन नहीं करेंगे तो मुझे अनप्लीजेंट काम करना पड़ेगा। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बोल रहे हैं आप। आप सुन नहीं रहे हैं। आप ट्रेनिंग लेकर आये हैं।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों के लिए विकास कार्यों के उपयोग हेतु वित्तीय कोष स्वीकृत करने के संबंध में।

(2) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में रावतसर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाए जाने के संबंध में।

(3) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में देबारी चौराहे पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में।

(4) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा पर निम्बाहेडा-नीमच मार्ग पर परिवहन अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों से अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्वीकृत पुल-ओवर ब्रिज व अण्डर ब्रिज का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मृत अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ओलावृष्टि से हुई पशुधन की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से सेई बांध की सुरंग चौड़ी करने व चक-चाडमारिया बांध का निर्माण करने तथा जवाई बांध तक जल लाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में।

(9) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में सड़कों का निर्माण कार्य समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में।

(11) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में ई-मित्र आपरेटरों को महानरेगा योजनान्तर्गत कम्प्यूटर आपरेटर के पदों पर नियुक्त करने के संबंध में।

(12) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से जिला अलवर को सम्भाग घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल एवं सीवर की लाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को क्षति होने के संबंध में।

(15) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से ऐतिहासिक आनासागर झील के दुर्गन्धयुक्त गंदे पानी से आमजन की हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा शहर के पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

(17) श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की और से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता से सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए ऋण को जमा कराने की अवधि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

(18) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में ओलावृष्टि, तेज अंधड़ एवं बेमौसम वर्षा से हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने के संबंध में।

(19) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से नवगठित दूदू जिले में रूपनगढ़ उपखण्ड को शामिल नहीं करने के संबंध में।

(20) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से एम बी एम यूनिवर्सिटी, जोधपुर में पार्ट टाइम तथा फुल टाइम कोर्सेज की कक्षाओं का संचालन एक ही समय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(21) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

पंचायत बमोरीघाटा द्वारा कराये गये विकास कार्यों में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(22) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से नवगठित दूदू जिले में फुलेरा विधान सभा क्षेत्र को शामिल नहीं करने के संबध में।

(23) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राजस्थान चिकित्सक संघर्ष समिति के नेतृत्व में दिनांक 20 मार्च, 2023 को चिकित्सकों द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल, श्री अशोक लाहोटी, श्री वासुदेव देवनानी, श्रीमती इन्दिरा देवी, श्री पुखराज एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कृषि मंडी स्थित दुकानों की डी एल सी दर कम करने के संबंध में।

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में व्याप्त पेयजल संकट का समाधान करने के संबंध में।

(3) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर आरक्षण प्रदान करने के संबंध में।

(4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की उप तहसील हरनावदाशाहजी को तहसील में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(5) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत उतराना के मालियों की बाडिया में अधूरी सड़क एवं खाल की पुलिया का निर्माण करवाने के संबंध में।

(6) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत गरनिया में कचरा संग्रहण हेतु आबंटित की गई भूमि का आबंटन निरस्त करने के संबंध में।

(7) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर शीघ्र निर्णय करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर संभाग में बढ़ती बाल तस्करी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने के संबंध में।

(10) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद में नहरों का पक्का निर्माण करवाकर किसानों को राहत प्रदान करने के संबंध में।

(11) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चला, जिला सीकर के भवन निर्माण हेतु आबंटित बजट की शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति जारी करने के सबंध में।

(12) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बून्दी शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था करवाने के संबंध में।

(13) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल जीवन मिशन के कार्यों में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से श्री सीमेंट कंपनी, गोठड़ा, नवलगढ़ द्वारा किसानों को जमीन का मुआवजा दिए बिना अवैध खनन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में पेयजल की योजनाओं का समय से कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गिरधारीलाल। स्थगन प्रस्ताव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव। स्वर्णकार बोर्ड का कागज तो इधर-उधर तो नहीं है आपके पास।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): साहब, कल मैंने स्थगन तहसील में खराबे के हिसाब से दिया था।

श्री अध्यक्ष: स्वर्णकार बोर्ड के संबंध में है। आपको बोलना है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मैं खराबे के संबंध में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: जो लिखा है, वह ही हो सकता है। अभी बैठिए आप। श्री अशोक लाहोटी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्वर्णकार पर बोलना है आपको?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मैं ये देकर गया हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठिए आप। रिकार्ड नहीं होगा। अशोक लाहोटी जी। एक तो आपको अलाउ किया, फिर आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठिए आप। सुन नहीं रहे हैं आप?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप सुन नहीं रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: जनता की आवाज बाहर जाकर करिए। माननीय अशोक लाहोटी। अध्यक्ष के नियमों का पालन नहीं करने वाले मिस्टर पूनियां, I will name him. प्लीज, ये काम नहीं है। आप जाइए। आप बाहर जाइए। माननीय पूनियां जी। आप सुन नहीं रहे हैं? माननीय पूनियां जी, I have to do an unpleasant duty. माननीय अशोक लाहोटी। आप सुन नहीं रहे हैं?

सदन कूप में

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल का सदन कूप में प्रवेश व नारे)

सदस्य का निष्कासन

गिरधारीलाल, श्री का सदन से निष्कासन

(माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल को मार्शल द्वारा सदन से बाहर ले जाया गया।)

मार्शल, बाहर ले जाइए इनको। नहीं समझ में आता है। बाहर ले जाइए। बाहर ले जाओ, प्लीज। बात समझा दी, समझ में नहीं आती है। अध्यक्ष के नियम नहीं मानते हैं। प्लीज, आप बाहर जाइए।

अशोक लाहोटी जी। अशोक लाहोटी, सुन नहीं रहे हैं आप?

सांगानेर में पेयजल एवं सीवर की लाइन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पी एच ई डी द्वारा पीने के पानी की लाइनें तथा जे डी ए द्वारा सीवरेज की लाइनों का काम किया जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में लगभग सारी सड़कें टूट गई हैं। जगह-जगह पर पानी भर रहा है, मिट्टी उड़ रही है और लोग भयंकर परेशान हो रहे हैं।

महोदय, जब पी एच ई डी पानी की व सीवरेज लाइनें जे डी ए डाल रहा था, उस दौरान इनको जब एस्टीमेट बनाना था, पानी की लाइनें बीच में ड़ालने के कारण पूरी रोड टूट गई। जे डी ए ने जो एस्टीमेट बनाया वह केवल पेचवर्क व रोड कट का बनाया। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि डिग्गी रोड से टोंक रोड के बीच में और पृथ्वीराज नगर में 306 किलोमीटर पाइप लाइन डल रही है। 306 किलोमीटर में लगभग 150 करोड़ रुपये सड़क बनाने में खर्चा आएगा। अभी जे डी ए ने जो काम शुरू किया है, जो टेंडर लगाए हैं, वे केवल 19.49 करोड़ रुपये के लगाए हैं। वर्षों से सड़कें टूटी पड़ी हैं और सड़कें बन नहीं पा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, एक पैकेज में सीवरेज लाइन का.. (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस, दो मिनट। सीवरेज लाइन 38 किलोमीटर की डलनी है, उसमें 20 करोड़ रुपये खर्चा आएगा और केवल 5 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किये जा रहे हैं। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां-जहां काम हो गया, वहां जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिए जाएं। बची हुई सड़कों का टेंडर, पूरी नई सड़क बनाने के लिए एस्टीमेट बनाकर इन सड़कों को बनाया जाएं। रोड कट और पेचवर्क से सड़कें नहीं बनेंगी। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपये की सड़कें टूटी है और मात्र कुछ करोड़ रुपये के ही टेंडर लगाए जा रहे हैं। जे डी ए द्वारा बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, मंत्री जी उसको रोकें। इन सारी सड़कों को नई बनाएं। आगे बरसात आने वाली है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज तीन बिल हैं। प्लीज वाइंड अप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष जी, एक मिनट। कल थोड़ी-सी बरसात में ही घुटनों तक पानी भर गया। चाहे रामपुरा रोड हो या और कोई जगह हो, घुटनों-घुटनों तक पानी भरा हुआ है, इसको जल्दी ठीक करवाएं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवानानी।

आनासागर झील के प्रदूषित पानी से आमजन को कारित परेशानी

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में आनासागर ऐतिहासिक झील है, जहां हज़ारों लोग प्रात: चौपाटी पर घूमने के लिए आते हैं। पर्यटक भी आते हैं। वहां पर सैकड़ों मकान उसके चारों ओर बने हुए हैं। इस समय इसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है, पानी का रंग ऐसा आ रहा है जैसे गन्ने का रस हो, अर्थात् पूरी तरह हरा-हरा पानी सामने घूम रहा है। यह 13 फीट भराव क्षमता वाली झील इन दिनों भरी हुई है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, इनको देखिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना ध्यान रखो। माननीय सदस्य आक्या जी, आपका काम उधर देखने का नहीं है। आप अपनी जगह बैठे रहो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 13 नालों से सीवरेज का गंदा पानी, प्लास्टिक की थैलियां, कचरा पहुंच रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अपनी जगह पर। महेन्द्र जी, प्लीज। मंत्री जी, अपनी जगह पर आइये। माननीय मंत्री जी, जगह पर।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): रघु शर्मा जी...

श्री अध्यक्ष: रघु शर्मा जी आपके पास आ रहे है, बैठें आप। आप बार-बार बैठे-बैठे बोलते हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हैंगिंग पुल, काजी का नाला गंदगी से अटा पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी में जलकुम्भी और काई के चलते चौपाटी, गौरव पथ तथा आस-पास के इलाक़े में भयंकर बदबू आ रही है। घूमने वाले तथा आस-पास के इलाक़े में रहने वाले लोगों का घूमना व रहना दूभर हो गया है। यहां तक कि झील में मछलियों को आक्सीजन देने वाला प्लांट भी बन्द है। साधारणतया साफ पानी में घुलनशील आक्सीजन चार परसेंट होती है, वर्तमान में डेढ़ से दो परसेंट रह गई है। आक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए जो पांच-छह कान्सेंट्रेटर थे वे भी कबाड़ हो चुके हैं। फिल्टर खराब पड़े हैं। यहां तक कि एन जी टी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, वह जवाब तक नहीं दे रहे हैं। गंदा पानी लगातार आ रहा है। प्रात:काल घूमने वाले, रहने वाले परेशान हैं।

अत: मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि तुरन्त कोई कदम उठाए अन्यथा भयंकर बीमारी फैलेगी और पर्यटक भी कम होंगे, आस-पास रहने वालों का जीवन भी दूभर हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: इन्दिरा जी।

मेड़ता में सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण वापसी की अवधि में वृद्धि

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, किसान को-आपरेटिव बैंक से लोन रहे हैं, किसान की फसल आज चौपट हो गई है। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं, आप वसूली करना चाहते हो, लेकिन किसान की फसल वैसे भी बरसात से पूरी तरह से चौपट हो गई है। आप तारीख बढ़ाने की घोषणा करें। बरसात के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के फालकी गांव में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। आपके कर्मचारी सही जांच नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति खतम हो गया, मुआवजा नहीं दिया जा रहा। आपकी सरकार उनको मुआवजा दिलाये। सही ढंग से खेत की गिरदावरी करें और उनको मुआवजा देने की आप कृपा करें। आज की तारीख में किसान की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। आप मुआवजा दिलवाने की घोषणा करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

जोधपुर की एम बी एम यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम, फुल टाइम कोर्सेज की कक्षाओं का एक ही समय संचालन

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में एम बी एम इंजीनियरिंग कालेज जो पूर्व में संचालित था, उसमें दो तरह के कोर्स का अध्ययन हो रहा था। मास्टर आफ इंजीनियरिंग के लिए पार्ट टाइम क्लासेज, जिसके अन्दर जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उसको एम ई की डिग्री तीन साल में दी जाती है। जो रेगुलर पढ़ते हैं, उनको दो साल में डिग्री दी जाती है। जब से एम बी एम यूनिवर्सिटी बनी है, पार्ट टाइम की अलग से क्लास लगती थी, दोनों की कामन क्लास कर दी है। पार्ट टाइम के अन्दर जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वे किसी न किसी जॉब में हैं। या तो वे सरकारी कर्मचारी हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पार्ट टाइम एडमिशन लिया, ज्यादा फीस दी, उनको तीन साल के अन्दर एम ई की डिग्री दी जा रही है। अभी दोनों क्लासेज साथ में चालू कर दी।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि पार्ट टाइम व रेगुलर की क्लासेज अलग-अलग करें, ताकि पार्ट टाइम में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वे भी अपनी मास्टर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान चिकित्सक संघर्ष समिति के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि धरती का दूसरा भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक, 32 हजार चिकित्सक आज तीसरे दिन भी आंदोलनरत हैं। कल स्टेच्यू सर्किल पर जब ये अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। डेढ़ दर्जन डाक्टर्स घायल हुए पांच महिला डाक्टर घायल हुईं।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में तकलीफ इस बात की है कि सारे मेडिकल कालेज ठप पड़े हैं, सारे निजी चिकित्सालय ठप पड़े हैं, सारी सी एच सी व पी एच सी ठप पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, वेदना तब बढ़ जाती है, राजस्थान में 22 हजार आई सी यू के बेड हैं, उनमें लगभग 16 हजार 500 के करीब मरीज भर्ती हैं, जीवन और मृत्यु के संघर्ष में। आज रेजिडेंट डाक्टर्स हड़ताल पर चले गए, इसके कारण जीवन हार रहा है, मृत्यु जीत रही है। मैं चाहूंगा कि न्यायसंगत मांग है, सदन के सामने आना हरेक का अधिकार है। कल वे आ रहे थे। मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं, सबसे प्रभुत्व वर्ग डाक्टर्स पर लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज। आप राइट आफ हेल्थ के स्टेकहोल्डर से जबरदस्ती करना चाहते हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते।

मंत्री महोदय, यह छोटी बात नहीं है। सरकार को सावचेत रहना चाहिए। आज भी स्टेच्यू सर्किल पर हज़ारों की संख्या में डाक्टर्स इकट्ठे हैं। आप आज भी उनसे बात नहीं करना चाहते। आप जबरदस्ती एक काला कानून थोपना चाहते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत चाहूंगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले। लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करो। आपने चिकित्सकों को पीटा है, जिन्होंने कोरोना में अपनी जिंदगी को दाव पर लगाया, उनको पीटा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त।

295, जोराराम कुमावत। जोराराम कुमावत। श्री संजय शर्मा। (व्यवधान) बोलिए। माननीय सदस्य, अपनी जगह ...(व्यवधान) हो गया, बात हो गई। जोराराम कुमावत, नहीं हैं। श्री संजय शर्मा।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अलवर शहर में व्याप्त पेयजल संकट

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल संकट गहराने लगा है। अलवर शहर की आबादी करीबन पांच लाख के आसपास हैं और नियमों के अनुसार शहर को प्रतिदिन 561 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि अभी 285 लाख लीटर पानी ही मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिनको बात करनी है, प्लीज अपने चैम्बर में जाएं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अलवर शहर के होली ऊपर, हरबक्श का मोहल्ला, लादिया, अखैपुरा.....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री गोविन्द जी, सदस्य का मतलब ही नहीं है बोलने का। प्लीज। माननीय, बोलें।

(समय: 12.20 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अलवर शहर के होली ऊपर, हरबक्श का मोहल्ला, लादिया, अखैपुरा, लालखान, चमेली बाग, पहाड़गंज, धोबीघट्टा, सोनावा डूंगरी, चेतन एन्क्लेव, मरेठियाबास, नवाबपुरा, अशोका टाकीज के आसपास का क्षेत्र, खपटा पाडी, भीकम सैयद, बापू बाजार, एन ई बी दाउदपुर, शिवाजी पार्क, बुध बिहार, हसनखां मेवात नगर, साहब जोहडा, इंदिरा कालोनी, नयावास, स्कीम नम्बर 10, स्कीम 3, विवेकानंद नगर, कालाकुआ, स्कीम नम्बर 1, स्कीम नम्बर 2, स्कीम नम्बर 4, मेहताब सिंह का नोहरा, मुंशी बाजार, चावण्ड पाडी, देहली दरवाजा बाहर, विकास पथ, स्वर्ग रोड, महल चौक, बीच का मोहल्ला, बलजी राठौड़ की गली, मालन की गली बिच्छू की गली, तीज की रोड, विजय नगर, बल्लायोडा, राठ नगर, गणपति बिहार, शिव कालोनी, शिकारी बास, कर्मचारी कालोनी, प्रताप नगर, मोहल्ला श्यौलालपुरा, पड़ाव की चक्की, खदाना, जती की बगीची, मन्नी का बट, मरेठियाबास, सिविल लाइन, लोहिया पाड़ी, तिवाड़ी का कुंआ, नुक्ती का कुंआ, लखण्डा वाला कुंआ, केशव नगर, नयाबास, हरदेव विहार, लाल डिग्गी, साहजी का कुंआ, रामानन्द नगर, मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड, मेंहदीबाग, नरुका कालोनी, घीवर

(श्री संजय शर्मा)

बस्ती, काला कुंआ, स्कीम नम्बर 8, शांति कुंज, रणजीत नगर, श्री राम नगर आदि में पेयजल की भारी समस्या व्याप्त है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि अलवर शहर में व्याप्त पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा शहर के नजदीक स्थित सिलीसेढ़ बांध से पानी लाने हेतु करीब 36 करोड़ रुपये की योजना जो सरकार के पास अभी लंबित है उसे अगर सरकार जल्दी स्वीकृति दे दे तो अलवर शहर की पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अभिनेश महर्षि।

नायक को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर आरक्षण

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर आरक्षण प्रदान करने के संबंध में निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन है कि दिनांक 13.01.2013 को राजस्थान में ई-मित्र पोर्टल पर नायक से बदलकर नायका कर दिया गया था, जबकि राजस्थान में नायका नाम से कोई जाति ही नहीं है। पिछले 40 साल से यह नायक के नाम से जाना जाता है और इनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया था जबकि राजस्थान के अलावा गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि कई प्रदेश में आज तक नायक नाम से ही जानते हैं।

1871 क्रिमिनल जनजाति एक्ट में नायक समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना है। वर्ष 2003 में भारत सरकार की एक ट्राइबल डाक्यूमेन्ट्री में नायक समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2008 के एक फैसले में नायक समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना है। वर्तमान में वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में नायक समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना है। भारत सरकार द्वारा घोषित जनजातियों की सूची 13 के भाग 10 में नायक जाति को नायकडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक लिखा हुआ है। तहसीलदार, बीकानेर के पत्र क्रमांक बी/स्था/2012/453 दिनांक 01.10.2012 के द्वारा नायक से नायका बनाने का अनुरोध किया था। उसमें भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक

(श्री अभिनेश महर्षि)

27/28 जनवरी, 2009 का उल्लेख किया गया था। तहसीलदार (राजस्व) के अनुरोध को स्वीकार कर कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 25.10.2012 को हिन्दी रूपान्तरण नायक से नायका कर के ई-मित्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया, जो सर्वथा अनुचित है।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश में पोर्टल पर नायका को नायक कर इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करें, ताकि इन्हें संवैधानिक हित दिलवाकर राहत प्रदान हो सके।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंहजी (अनुपस्थित), श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

उतराना ग्राम पंचायत के मालियों की बाड़िया में अधूरी सड़क एवं खाल की पुलिया का निर्माण

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उतराना के गांव मालियों की बाड़िया की अधूरी सड़क एवं खाल की पुलिया के निर्माण हेतु सूचना।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के ग्राम पंचायत उतराना के राजस्व गांव मालियों की बाड़िया वर्ष 2006 में श्रीमान शासन सचिव के राजस्व पत्र क्रमांक प.9 (24) राज.1-2006 जयपुर, दिनांक 24.09.2007 द्वारा राजस्व गांव घोषित किया गया था। उक्त ग्राम की लाखेरी बूंदी सड़क एनएच-29 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है तथा शेष 2/0 से 5/0 तक, कुल 3 किलोमीटर का रास्ता वर्तमान में कच्चा है, जिस पर पक्की डामर सड़क मय पुलिया बनाया जाना अति आवश्यक है। श्रीमान, बरसात के दिनों में गांव के किनारे मेज नदी भयंकर उफान पर रहती है। पिछले 2 वर्षों से गांव में पानी घुस जाता है और दूसरी ओर मुख्य कच्चे रास्ते में नाला में पानी आ जाने से गांव के चारों तरफ से पानी भर जाता है जिससे गांव का सम्पर्क टूट जाता है और सम्पर्क टूटने से पंचायत मुख्यालय तक भी नहीं पहुंच पाते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई, प्रसूताओं को चारपाई पर लाना पड़ता है। गांव तक वाहन पहुंचना असम्भव हो जाता है। कई बार तो प्रसूताएं लाखेरी अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। इस वर्ष भी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बरसात के समय बाढ़ आ जाने से पुलिया टूट जाने के कारण गांव का सम्पर्क काफी दिनों बंद रहा था।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा निवेदन है कि ग्राम मालिया की बाड़िया से लाखेरी बूंदी एन एच तक अधूरी सड़क व खाल की पुलिया के निर्माण करवाने के आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

गरनिया ग्राम पंचायत में कचरा संग्रहण हेतु आबंटित भूमि को निरस्त किया जाना

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 295 के अन्तर्गत सूचना।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र जैतारण की नगरपालिका जैतारण में कचरा संग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत गरनिया के खसरा नम्बर 260 किस्म गोचर रकबा 259.15 बीघा में से 20 बीघा जमीन डम्पिंग यार्ड के लिए आबंटित की गई है। उक्त आबंटित 20 बीघा जमीन की जानकारी न तो ग्राम पंचायत गरनिया को थी और न ही नगरपालिका मण्डल, जैतारण को। जब उक्त आबंटित जमीन की जानकारी स्थानीय ग्राम पंचायत गरनिया को मिली तो समस्त ग्रामवासियों ने लिखित में शिकायत दर्ज करवा कर डम्पिंग यार्ड के लिए आबंटित उक्त जमीन को निरस्त करने की मांग प्रशासन से की। उक्त आबंटित जमीन के विरोध में स्थानीय ग्रामवासियों ने राज्य सरकार के 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान का भी बहिष्कार किया था। ग्रामवासियों का तर्क था कि उक्त आबंटित जमीन में से पानी का बहाव क्षेत्र है जहां से ग्राम गरनिया के एक मात्र मॉडल तालाब में पानी आने का रास्ता है, उक्त गांव में पशुधन की संख्या अधिक है। उक्त जमीन ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल के मैदान, गौशाला, बालिका विद्यालय, पानी की टंकी गांव की आबादी के किनारे स्थित है। ग्राम गरनिया का गांवाई तालाब सम्पूर्ण गांव का एकमात्र जल स्रोत है जो पशुधन व आमजन के पेयजल के लिए व अन्य कार्यों के उपयोग में आता है। ग्राम गरनिया के 50 प्रतिशत लोगों की आजीविका पशुपालन पर निर्भर है। उक्त आबंटित जमीन की

(श्री अविनाश)

जैतारण नगरपालिका क्षेत्र से अधिक दूरी होने व राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटना का खतरा रहता है। उक्त आबंटित जमीन नगरपालिका मण्डल, जैतारण द्वारा उपयोग में नहीं लेने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव नगरपालिका मण्डल, जैतारण द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2022 को लिया गया एवं उसकी प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों व स्थानीय ग्राम पंचायत गरनिया को प्रदान की गई। ग्रामवासियों की लगातार मांग रही है कि ग्राम पंचायत गरनिया की 20 बीघा गोचर भूमि जो नगरपालिका, जैतारण के डम्पिंग यार्ड के लिए आबंटित की गई थी, उसको ग्रामवासियों के हित में तुरन्त प्रभाव से निरस्त करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि ग्राम पंचायत गरनिया के ग्रामवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त आबंटित जमीन को निरस्त करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री छगनसिंह।

राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर निर्णय

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान के 5 लाख पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स के एक मात्र संगठन राजस्थान पेंशनर्स समाज के प्रदेश पदाधिकारीगण पिछले 6 महीनों से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन बजट 2023-24 में आवश्यक घोषणाएं नहीं होने से निराशा ही हाथ लगी है। अत: श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त विषय को गम्भीरतापूर्वक लेकर इस बजट सत्र में ही पेंशनर्स समाज के हितों को देखते हुए निम्न मांग पूरी की जाये:-

1. वर्तमान में पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जा रही है जिसे विभाजित कर चार राज्यों की तर्ज पर राजस्थान पेंशनर्स को भी 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमश: 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत की अतिरिक्त पेंशन दिये जाने की घोषणा कर आदेश जारी करायें।

2. RGHS के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों तथा परियोजना निदेशक द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर अथवा बिना आदेश जारी किये पेंशनर्स की दवा की आपूर्ति में होने वाले व्यवधान को रोकने हेतु वित्त विभाग को निर्देशित करें।

(श्री छगनसिंह)

3. वर्तमान में RGHS योजना के तहत राजस्थान पेंशनर्स समाज व राज्य सरकारी कार्मिकों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक इलाज निःशुल्क किया जा रहा है, उसको बढ़ाकर चिरंजीवी योजना के तौर पर ही RGHS योजना में भी 25 लाख तक निःशुल्क इलाज एवं दुर्घटना बीमा 05 लाख से बढाकर 10 लाख करने की कृपा करावें।

श्री सभापति: श्री अमृतलालजी।

उदयपुर सम्भाग में बढ़ती बाल तस्करी की घटनाएं

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है उदयपुर जिले के जनजाति बहुल क्षेत्रों में विशेषकर झाडोल, कोटड़ा, फलासिया, मामेर समेत जिले के अन्य क्षेत्रों में बाल तस्करी, बच्चों की खरीद फरोख्त करने की घटनाएं विगत तीन वर्षों में बड़े पैमाने पर हुई हैं। समय-समय पर कई मामले सामने आते गये हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सतही कार्यवाही कर मामले की तह तक जाकर नेटवर्क को ध्वस्त करने के गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। उदयपुर जिले के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं सम्भाग के अन्य जिलों से बड़े पैमाने पर बच्चों को भारत के अन्य राज्यों में बेचने वाले गिरोह एवं तंत्र विकसित हो चुके हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी, हाल ही में उदयपुर जिले में पकड़ में आए थे। बाल तस्करी गिरोह तथा पूर्ववर्ती घटनाओं हेतु एक उच्च स्तरीय एजेंसी गठित कर जांच की घोषणा प्रदेश सरकार करे एवं इन मामलों में सम्पूर्ण तंत्र को समाप्त करने हेतु विशेष जांच दल (टास्क फोर्स) गठित किये जाने की सरकार अनुशंसा करे।

राजस्थान बाल तस्करी में प्रथम है। बाल तस्करी के साथ-साथ अन्य अपराध भी इस तरह के नेटवर्क के साथ पनप रहे हैं, जिनका समय रहते सरकार द्वारा नियंत्रण जरूरी है। अतः मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार उक्त संबंध में शीघ्र ही कड़े कदम उठाकर और निर्णय कर बाल तस्करी को रोकने की दिशा में नजीर पेश करें।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम (अनुपस्थित), श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द में नहरों का पक्का निर्माण कार्य

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसींद-हुरड़ा में भोजपुरा फीडर का कार्य पिछले कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। पिछले साल डी एम एफ टी फण्ड से 1 करोड़ 20 लाख स्वीकृत हुए, काम भी हुआ, मगर अभी तक यह कार्य अधूरा है। भोजपुरा फीडर का कार्य पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपयों की और जरूरत है। यह फण्ड डी एम एफ टी से या और किसी मद से दिलाकर वर्षो से अधूरे पड़े इस कार्य को पूरा कराएं। इस फीडर से 100 से अधिक गांवों को सिंचाई व पेयजल की किल्लत से निजात मिलेगी। खारी बांध की नहर टूटी हुई है, उसकी भी मरम्मत कराने की जरूरत है तथा खारी बांध पर विश्रांति गृह जो पूरा जीर्णशीर्ण व टूटा हुआ है, उस भवन को भी नया बनाया जाये। हुरड़ा उप खण्ड में सरेरी बांध पर भी रख-रखाव की जरूरत है। वहां कोई भी कर्मचारी नहीं है, इसकी भी जांच कराकर वहां कोई चौकीदार लगाया जाये और सरेरी बांध की नहरें भी पूरी टूटी हुई हैं, उन्हें भी रिपेयर कराने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में पाटन बांध, हुरड़ा तालाब तथा और भी छोटे -मोटे तालाब हैं, जिनसे पूरे क्षेत्र में सिंचाई होती है, उनके रख-रखाव की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए बनी नहरें जो कि पूरे क्षेत्र में टूटी हुई हैं, जिससे सिंचाई के समय पानी की बर्बादी होती है और टेल तक पानी जाने में दिक्कत आती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र आसींद-हुरड़ा के तीनों ही उप खण्ड आसींद, बदनौर तथा हुरड़ा की सभी टूटी पड़ी नहरों को पक्की बनाकर वहां के किसानों को राहत दिलाने की कृपा करावें।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

चला (सीकर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु बजट का आबंटन

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चला के भवन निर्माण का बजट दिलवाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

(श्री सुरेश मोदी)

पहले यहां चला में PHC थी, जिसके भवन निर्माण हेतु 211 लाख रु. की स्वीकृति एन.एच.एम.पी.आई.पी. 2021-22 योजनान्तर्गत दी गई थी। इस अस्पताल को CHC में क्रमोन्नत किया गया एवं PHC भवन निर्माण का स्वीकृत पैसा स्वास्थ्य मंत्रीजी के क्षेत्र की PHC महरिया (लालसोट) दौसा को दिनांक 26/07/2022 को स्थानान्तरित कर दिया गया, परन्तु बार-बार निवेदन करने के बावजूद CHC भवन निर्माण हेतु 550 लाख रु. की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई है।

अभी CHC जिस भवन में चल रही है वह बहुत पुराना एवं छोटा है इसलिए जनता एवं स्टाफ को बहुत परेशानी हो रही है। भवन निर्माण हेतु भूमि का कब्जा स्वास्थ्य विभाग को दिया जा चुका है। काफी जगह CHC भवन निर्माण हेतु बजट दिया गया है तो मेरे यहां भी जनता की परेशानी को देखते हुए एवं CHC के सुचारु संचालन हेतु शीघ्र भवन निर्माण का बजट 550 लाख रु. का दिया जाये।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत पर्यटन नगरी बूंदी शहर की सफाई व्यवस्था, टूटी सड़कें, सीवरेज के गड्ढे, टूटी नालियों में सुधार करने तथा आबादी के अनुपात में वार्डों में सफाई कर्मी लगाने बाबत निवेदन है।

बूंदी जिला मुख्यालय है। यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला, बूंदी का किला, चौरासी खम्बों की छतरी, राणी जी की बावड़ी सहित सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिर, बावड़ियां व कई प्रसिद्ध मंदिर हैं।

वर्तमान में बूंदी शहर की सड़कों व नालियों की स्थिति काफी जर्जर अवस्था में है। यहां पर शहर में हुए सीवरेज कार्य में कम्पनी की लापरवाही से जगह-जगह लीकेज हैं जिससे यहां पर जरा-सी बारिश मे सड़कों पर पानी भर जाता है। नालियां टूटी हुई हैं या भरी हुई हैं जिससे समस्त शहर में गन्दगी हो रही है और गन्दगी से हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। खराब सड़कों से लोग दुर्घटनागस्त हो रहे हैं। अभी विगत दिनों ही नैनवां रोड पर बाइक गड्ढे में उछलने से एक चिकित्सा अधिकारी व एक अन्य दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। यहां पर वर्तमान मे देशी-विदेशी पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, पर यहां की टूटी

(श्री अशोक डोगरा)
सड़कों और नालियों से हो रही गंदगी को देखकर बूंदी शहर के प्रति उनकी नकारात्मक सोच बढ़ती है। बूंदी शहर के प्रवेश की समस्त सड़कें जिनमें प्रमुख रेलवे तिराहा से देवपुरा राजकीय महाविद्यालय तक, पुराने बाईपास से नगर परिषद् तक, खोजागेट रोड, लंका गेट रोड, जहां शहर का सारा यातायात का दबाव रहता है, वो पूर्णतः जर्जर हो रही हैं जिन पर रोजाना जाम लगता है ओर दुर्घटनाएं होती हैं। इनको बहुत शीघ्र बनाया जाना अति आवश्यक है।

नगर परिषद द्वारा पक्षपात करते हुए वार्डों में सफाईकर्मी नहीं लगाए हैं जिससे वार्डों की हालत काफी खराब है। यहां पर गंदगी रहती है। कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में सफाई कर्मचारी जरूरत से ज्यादा लगाये हुए हैं तथा भाजपा पार्षदों द्वारा रोजाना निवेदन करने पर भी सफाई कर्मचारी उनके वार्डों मे नहीं लगाये जा रहे हैं।

अतः बूंदी शहर की समस्त टूटी सड़कों व नालियों को शीघ्र बनाया जाए, सीवरेज के चैम्बर सही कराये जाएं एवं बूंदी शहर मे फैली भयंकर गंदगी से निजात दिलाने के लिए जनसंख्या अनुपात में वार्डों मे सफाई कर्मचारी लगाये जावें, ताकि इस पर्यटन व धार्मिक नगरी का विकास हो सके व आमजन राहत की सांस ले सके।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह जी।

जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों में अनियमितताएं

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र में हो रहे कार्य में अनियमितता के संबंध में निवेदन है कि प्रदेश में सभी जिलों में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी पहुंचाने की स्कीम से कार्य हो रहा है, जिसमें सरकार द्वारा गाइड लाइन जारी करके कार्य किया जाना सुनिश्चित किया गया है। सभी जिलों में नियमानुसार संवेदकों के द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है, लेकिन जो सर्वे किया गया है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कई घर और ढाणियां अभी भी इस योजना में पेयजल स्कीम से वंचित हो रही हैं। संवेदकों द्वारा सर्वे का हवाला देकर आमजन को वंचित किया जा रहा है। विभाग द्वारा जो सर्वे किया गया था, उसका निर्धारित नक्शा, मैप जो भी हैं, उसको सार्वजनिक करके आमजन तक पहुंचाना चाहिए, जो अभी भी गांवों में नहीं है। इस प्रकार से सैकड़ों घर और ढाणी इस महत्वपूर्ण स्कीम से वंचित हो रहे हैं।

(श्री हमीर सिंह भायल)

इस योजना में संवेदकों को जो मापदंड निर्धारित करके दिया गया है, उसमें घोर लापरवाही बरती जा रही है। गेज के अनुसार पाइप नहीं लगाकर हल्की क्वालिटी के कार्य से राजकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितनी भी लाइन बिछाई जा रही है, वो पूरी सड़क की निर्धारित सीमा के अंदर डाली जा रही है और पाइप जितनी सीमा तक गहरा डालना चाहिए, उतना नहीं डाला जा रहा है। सभी स्थानों पर खानापूर्ति की जा रही है। करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही जो सी.सी. सड़क, डामर सड़क, खरंजा तोड़ा जा रहा है। वह एक भी स्थान पर ठीक नहीं किया जा रहा है। सड़कें सभी स्थानों पर तोड़कर डाल दी हैं। संवेदक और विभाग, सभी आंख मूंद कर बैठे हैं, आमजन दु:खी है। मेरे क्षेत्र में लगभग 21 फर्म कार्य कर रही हैं, पर सभी निर्धारित मापदंड को ताक में रखकर कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार के साथ ही आम जनता को नुकसान हो रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि मेरे क्षेत्र सिवाना में हो रहे कार्य की जांच के साथ ही पृष्ठ सर्वे करवाकर वंचित रहे घर-ढाणियों को जुड़वाने और डामर सड़क, सी.सी. सड़क, ग्रामीण सड़क, खरंजा आदि को ठीक करवाने के लिए विभाग को दिशा-निर्देश जारी करवाकर राहत प्रदान करायें। धन्यवाद।

(समय : 12.40 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष पूनिया।

गोठड़ा (नवलगढ़) की श्री सीमेंट कंपनी द्वारा किसानों को जमीन का मुआवजा दिये बिना अवैध खनन

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि श्री सीमेंट कंपनी, गोठड़ा (नवलगढ़) द्वारा किसानों के साथ हठधर्मिता व अपनी जमीनों के मुआवजे, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने सहित कई मांगों को लेकर सैकड़ों किसान व युवा, महिला पिछले 55 दिन से कंपनी के गेट के सामने चौबीस घंटे के धरने पर बैठे हुए हैं। न स्थानीय प्रशासन, न सरकार का नुमाइंदा व न ही कंपनी के अधिकारी किसानों से वार्ता कर रहे हैं। कंपनी वर्तमान सरकार के राजनीतिक संरक्षण में किसानों के खेतों में बिना मुआवजा दिये अवैध खनन कर रही है तथा किसानों के परिवारों के साथ बदसलूकी से पेश आ रही है। स्थानीय

(श्री सुभाष पूनिया)

प्रशासन किसानों पर गलत मुकदमे दर्ज कर किसानों को मानसिक रूप से कमजोर कर उनके आंदोलन को कमजोर करने की कुचेष्टा कर रहा है। अध्यक्षजी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अपने आपको किसान हितैषी कहने वाली कांग्रेस सरकार किसानों की मांगों पर तुरंत ध्यान देकर किसान परिवारों के साथ न्याय करे व सरकार किसानों के साथ बदसलूकी करने वाले सरकारी कर्मचारियों व कंपनी के अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही करे। आजादी के अमृतकाल में भी कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों का साथ देकर किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा दक्षिण में पेयजल की योजनाओं का कार्य समय से प्रारम्भ नहीं होना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में पेयजल की योजनाओं का समय से कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहरवासियों से जुड़ी एक प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में कोटा शहर पेयजल की गंभीर समस्या के संकट से जूझ रहा है। चम्बल के किनारे बसे होने के बाद भी कोटा शहर की कई कालोनियों में रहने वाले 5 लाख से भी अधिक लोगों के लिए पेयजल की समस्या बनी हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी का कम प्रेशर व समय से पानी नहीं आने की समस्या से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में बाहर से आये 2 लाख कोचिंग विद्यार्थियों को भी टैंकरों से पानी उपलब्ध कराना पड़ता है, जो उनकी बीमारियों का सबब बनता है। कृषि भूमि पर बसी कालोनियां और बहुमंजिला इमारतों के वासी भी पानी के लिए तरस रहे हैं और फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। गर्मी और बरसात में तो पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो जाता है, जिसका मुख्य कारण कोटा में 40 वर्षों से डिस्ट्रीब्यूटरी की छीजत है। पाइप लाइन नही बदली गयी, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है और कोटा में पानी की किल्लत बढ़ जाती है।

(श्री संदीप शर्मा)

जलदाय विभाग ने 250 करोड़ के प्रस्ताव भेज रखे हैं, परन्तु धीमी प्रक्रिया होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही किया गया। नगर विकास न्यास का जलदाय विभाग मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है। यह चिंता का विषय है कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में जल पहुंचे, बाकी सब रीते रह जाएं, यह सर्वथा अनुचित है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि कोटा में पेयजल समस्या को सुधारने के लिए भेजे गये प्रस्तावों की प्रक्रिया का शीघ्र निस्तारण किया जाये ताकि लोगों को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 131, श्री संयम लोढ़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान उच्च न्यायालय में पुराने प्रकरणों का निस्तारण एवं विशेष प्रकरणों में निर्धारित अवधि में निर्णय

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय में एडमिशन की स्टेज पर ही लम्बित पुराने प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने एवं विशेष प्रकरणों में कानून के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं होने से पीड़ित पक्षकारों को समयबद्ध न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर माननीय विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक के द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाने हेतु 16.03.2023 को रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया था। तथ्यात्मक टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नहीं हो सकी तथा तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होने पर ही अवगत कराया जा सकेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भारत की संसद और विधान सभा ने जो कानून बनाये हैं, उसमें एस.सी., एस.टी. एक्ट में चार्जशीट के बाद दो महीने के अंदर निर्णय करने as per as possible. NIA Act143/3 में 6 महीने के अंदर निर्णय करने, पाक्सो एक्ट

(श्री संयम लोढ़ा)

सेक्शन 35(3) एक साल के अंदर निर्णय करने, प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 4 में दो साल में निर्णय करने और इसी तरीके से अन्य एन.आई.ए. एक्ट में भी 6 महीने के अंदर निर्णय करने का कानून में प्रावधान है। इसके बाद भी राजस्थान हाई कोर्ट में एडमिशन की स्टेज पर 01 लाख 90 हजार मामले लम्बित हैं, जिनमें 35 साल से एक मामला, 25 साल से 19 मामले, 20 साल से 61 मामले और 15 साल से 780 मामले एडमिशन की स्टेज पर लम्बित हैं। पाक्सो एक्ट में 10 हजार 203 मामले लम्बित हैं। जहां 12 साल से 01, 11 साल से 05, 10 साल से 12, 09 साल से 31, 08 साल से 68, 07 साल से 138, 6 साल से 209, 05 साल से 438, 04 साल से 1 हजार 25, 03 साल से 1 हजार 482, 02 साल से 2 हजार 753 और एक साल से 4 हजार 41 लम्बित हैं।

ऐसे ही एट्रोसिटी एक्ट में 19 हजार 159 मामले स्पेशल कोर्ट में लम्बित हैं। इनमें 29 साल से 01, 25 साल से 02, 24 साल से 01, 23 साल से 01, 22 साल से 01, 19 साल से 03, 18 साल से 03, 17 साल से 01, 16 साल से 02, 15 साल से 06, 14 साल से 09, 13 साल से 44, 12 साल से 95, 11 साल से 152, 10 साल से 240, 09 साल से 400, 8 साल से 660, 7 साल से 953, 6 साल से 1,460, 5 साल से 1,783, 4 साल से 2,509, 3 साल से 2,194, 2 साल से 4,098, 1 साल से 4,541 लम्बित हैं। इंटेंशनली तथ्य छुपाने के लिए यह उत्तर नहीं दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव दिया गया तो 3 दिन में इनको जवाब देना होता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया। यह विधान सभा की अवमानना है, नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए जो इस सर्वोच्च सदन में चर्चा का प्रयास किया गया, वह न्याय से वंचित करने का भी एक षड्यंत्र है। मैं आपसे विनती करूंगा कि इसमें अवमानना की कार्यवाही आप फरमायें जिससे इस सर्वोच्च सदन को राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी 7 रोज पहले 14.03.2023 को माननीय सदस्य के द्वारा यही सवाल उठाया गया था। सात ही दिन पहले और तब भी उत्तर यही दिया गया था कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं और जो हाई कोर्ट

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आंकड़े बताता है, उसमें अंतर है। अंतर है तो उसको हमने भेज दिया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट का जवाब आयेगा, तभी तो जाकर कुछ हो पायेगा। जवाब कौन देगा? हाई कोर्ट देगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, असेम्बली में हाई कोर्ट जवाब देगा, यह उत्तर नहीं हो सकता। असेम्बली सुप्रीम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रसी में। हम जब बजट पास करते हैं उसमें बजट बाद में पास होता है, बजट उसमें जाता है, बजट जाने के बाद में यदि हम डिस्कस नहीं करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं।

मैं इसको बहुत गंभीरता से मानता हूं कि जब यहां से लिख दिया गया था कि इसका जवाब आये, तो विभाग का काम था कि इसका जवाब लेकर 131 में यहां डिस्कस किया जाये। यदि 131 में लगने के बाद जवाब नहीं आता है तो अन्य विभाग के खिलाफ जो कार्यवाही होती है, वह इनके खिलाफ भी कार्यवाही होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को गंभीरता से लें और इसके डोमेन में यदि यह आता है विशेषाधिकार हनन के अंतर्गत तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज एवरी डिपार्टमेंट कि असेम्बली को लाइटली नहीं लिया जाये। चाहे उसके क्वेश्चन हों, चाहे उसके और कुछ हों।

जिस तरह की पैंडेंसी नजर आती है, वह विधान सभा के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया रखता है और लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था कम होगी। इसलिए मैं इसको गंभीरता से लेता हूं और मैं इसकी गंभीरता को देखते हुए अपना आर्डर रिजर्व करता हूं। मैं इसकी पूरी चर्चा करके, किस तरह से विधिक रूप में इसके बारे में गंभीरता से चर्चा की जा सके, उसके बाद में इस पर निर्णय करूंगा।

निश्चित तौर पर आप संसदीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री का उत्तरदायित्व असेम्बली के प्रति है। असेम्बली में क्वेश्चन जब 131 का लगा दिया तो 131 का जवाब असेम्बली के अंदर आना चाहिए। यह असेम्बली की प्रेक्टिस रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको गंभीरता से लें और गंभीरता से लेने के बाद, जैसा मैंने कहा कि यदि इसमें विशेषाधिकार हनन का स्कोप बनता है तो निश्चित तौर पर मैं, उसके संबंध में बाद में अपना निर्णय दूंगा।

माननीय सदस्य, I will not allow it. There is no clarification required. प्लीज बैठें, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं जवाब दे दूं?

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो बात कही गयी, मैं उससे बिलकुल 100 प्रतिशत एग्री करता हूं। निश्चित तौर पर जब कभी भी किसी को यहां से जवाब मांगने के लिए भेजा जाता है तो उसको टाइम के अंदर-अंदर जवाब देना पड़ता है, लेकिन टाइम लिमिट उच्च न्यायालय के लिए प्रेस्क्राइब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, प्लीज, बैठें। आप बैठें प्लीज। उच्च न्यायालय है या कोई भी न्यायालय है, असेम्बली के अंदर अकाउंटेबल लॉ मिनिस्टर है। नियम और कानून में उच्च न्यायालय के लिए कोई एक्सेप्शनल नहीं है। कानून मंत्रालय को कानून के अंतर्गत यदि असेम्बली के अंदर कोई चीज लिस्ट हो गयी है तो समय के अंतर्गत उसका जवाब आना चाहिए। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उच्च न्यायालय ने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि जो केसेज इन्होंने पाइंट आउट किये हैं, वह केसेज ऐसे हैं कि एडमिशन स्टेज के अंदर यदि उसका नहीं होता है और इतने लंबे समय तक पैंडेंसी होती है तो यह एक गंभीर प्रश्न है। जनता के प्रति न्याय नहीं हो पा रहा है।

जब न्याय नहीं हो रहा है तो न्याय की चर्चा कहां होगी? न्याय की चर्चा करने का प्लेटफार्म तो असेम्बली है। असेम्बली में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे कि जो हमने कानून का प्रोविजन बनाया, जिस कानून को लागू करने का जुडिशियरी का काम है, वहां एडमिशन स्टेज पर ही केसेज डिसाइड नहीं होते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर न्याय की प्रणाली के अंदर लोगों का विश्वास उठ जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको गंभीरता से लें और इसके संबंध में, मैं फिर कह रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सर, मैं एक मिनट निवेदन करूं। हम इस बारे में फिर हाई कोर्ट को आज ही लिखते हैं कि इस बात को विधान सभा ने बहुत गंभीरता से लिया है कि आपने समय पर जवाब नहीं दिया। आप इसका कृपया फौरन जवाब दें। मैं फिर लिख सकता हूं, इससे ज्यादा क्या करूं?

श्री अध्यक्ष: आप विधान सभा की भावनाओं से अवगत करायें और विधान सभा के नियम और कानून की पालना के संबंध में उनको दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: आपके उत्तर तक अपना जो निर्णय करना है, मैं उसको रिजर्व रखता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: 131, श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण की प्रेम नगर कालोनी में पार्क की भूमि का विकास कार्य

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की यू आई टी कन्वर्ट प्रेम नगर कालोनी में पार्क की भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रेम नगर कालोनी, जयसमन्द रोड, तीतरड़ी, उदयपुर के पार्क में बाउंड्रीवाल के निर्माण हेतु राशि 7 लाख 82 हजार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 13.03.2023 को निविदा आमंत्रित की जा चुकी है जो दिनांक 31.03.2023 को खोली जाकर के कार्यादेश पश्चात् पार्क में उक्त कार्य करवा दिया जायेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह प्रेम नगर यू आई टी कन्वर्ट कालोनी 35 साल से बसी हुई है। इस पार्क का तो आपने बजट दे दिया, लेकिन वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर एग्रीकल्चर कालोनियों को पानी दे रहे हैं। उन्होंने कन्वर्ट के यू आई टी में जो पैसे जमा कराने थे, वे करा दिये, मगर कितने ही ज्ञापन पी एच ई डी, यू आई टी और कलेक्टर साहब को देने के बाद भी उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी उसकी भी घोषणा कर दें तो आपका बहु त धन्यवाद होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पानी की व्यवस्था करने के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो कहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं उसके लिए जलदाय मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, यह अभी तक...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी भावना को यू डी एच मिनिस्टर कह रहे हैं कि वह जलदाय विभाग को कहेंगे तो आप विश्वास रखो, उसका रास्ता निकलेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित 02 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.11(02) नविवि/डेगाना/2017 दिनांक 16.02.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को डेगाना (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है, एवं
2. अधिसूचना संख्या: प.10 (12) नविवि/3/2010 दिनांक 17.02.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नीमकाथाना (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2042 तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों की उपस्थापना। श्री संयम लोढ़ा।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 130, 144, 146 एवं 155)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2022-23 के निम्नांकित 04 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18 का अनुच्छेद संख्या 3.4, 3.5 एवं 3.7 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 130वां प्रतिवेदन।
2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 2.1 ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 144वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2018-19 का अनुच्छेद संख्या 1.2.4 वित्त, परिवहन, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात, रोजगार, खेलकूद, खनिज, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पर्यटन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 146वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखा परीक्षा) वर्ष 2021 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 155वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री ललित कुमार ओस्तवाल (अनुपस्थित)।

विधायी कार्य। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022, श्री परसादी लाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 18 पर प्रवर समिति के सदस्य के रूप में मैंने और 02 माननीय सदस्यों ने अपनी असहमति व्यक्त की है। हमने असहमति व्यक्त की है स्वास्थ्य का अधिकार के परिभाषित चिकित्सालय में कम से कम 50 शय्यायुक्त मल्टी स्पेशलिटी के हों। स्वास्थ्य का अधिकार में शिकायत निवारण के लिए शिकायतकर्ता को मात्र एक ही वैधानिक विकल्प होगा।

अध्यक्ष महोदय, हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, मैंने आपत्ति क्यों की, उसके कारणों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हम एक वैधानिक अधिकार देने जा रहे हैं राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को। यह सही है कि अधिकार की बात अभी नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया। आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। आर्टिकल 21 जिसमें प्रोटेक्शन आफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही, इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लिव तक की बात कही।

(समय: 13.00 बजे)

मैं समझता हूं कि कारणों और कथनों में आपने जिस आर्टिकल 47 की बात की, हमारे डायरेक्टिव आफ प्रिंसिपल सरकार के शासन का आधार क्या है, उसमें साफ यह लिखा है, मंत्री महोदय, आप ही ने जो आर्टिकल 47 का जिक्र किया है, उसमें लिखा है - “duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health...”

(समय: 13.01 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

यानी मंत्री महोदय, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की वैधानिक और संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय सभापति महोदय, यह हेल्थ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्टेट एन्टिटी विषय भी है। अब मैं निवेदन करूं, सदन का ध्यान आर्टिकल 47, राज्य अपने लोगों पर पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपनी प्राथमिकता मानते हुए करेगा। अब आपने क्या कर्तव्य माना? आप अधिकार देने जा रहे हैं राइट टू हेल्थ, मैं बुनियादी तौर पर इस राइट के विरोध में नहीं हूं, पर ये झुनझुना पकड़ा रहे हैं। हम अधिकार दे रहे है स्वास्थ्य का और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की ओर देखें तो दिल दहल जाता है जब राजस्थान के उच्चस्थ स्वास्थ्य सेवाओं में यह खबर निकलती है कि मेडिकल कालेज में जच्चा के साथ लेटा हुआ शिशु कुत्ते उठाकर ले गए। खबर यह आती है कि जब जोधपुर जैसे मेडिकल कालेज के ब्लड बैंक में कुत्ते सैम्पल के लिए रखे गए ब्लड को उठाकर खून पी गए। जब खबर यह आती है कि आई सी यू के अंदर भर्ती मरीज की, जो कोमा में थी, उसकी पलकों को चूहे कुतर गए। जब खबर यह आती है कि एक दिन के अंदर कोटा के अंदर बड़ी संख्या में शिशु दम तोड़ देते हैं और जब खबर यह आती है कि चिकित्सालय के अंदर लेबर रूम में नहीं, गैलरी के अंदर हमारी बहन-बेटी का प्रसव हो गया।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो प्रस्ताव लेकर आया, यह मल्टीस्पेशलिटी 25 बेडेड हास्पिटल होना चाहिए, मंत्री महोदय, आप जानते हैं, जो आर एम सी है, राजस्थान मेडिकल प्रैक्टिसनर्स कौंसिल, माननीय सभापति महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में 19 हजार से ज्यादा लोग राजस्थान मेडिकल प्रैक्टिसनर्स कौंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर हिप्पोक्रेटिक की शपथ के अनुसार राजस्थान में सेवा दे रहे हैं। आप इन सबको, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप एक्ट के अंदर, मैं आगे आपको बताऊंगा, मैंने कहा था कि जो मेडिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो आपने हास्पिटल की परिभाषा में जिस दायरे के अंदर चिकित्सालयों को लिया है, उसमें आप संशोधन करें। आप माने नहीं। आज हालत क्या है? माननीय सभापति महोदय, जो हास्पिटल है उस हास्पिटल में, माननीय श्रीमान्, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो विराजे हैं प्रशासनिक पदों पर, चिकित्सालय में आज गांव-गांव में एक डाक्टर बैठा है। उस डाक्टर के पास कोई इन्डोर फैसिलिटी नहीं है, सिंगल स्पेशलिटी के डाक्टर के पास अगर कोई ट्रोमा केस है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और वह कह दे कि मेरा अधिकार है, राइट टू हेल्थ, इलाज का अधिकार लेकर आया हूं, तो वह क्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करेगा, अगर वो आई केयर का हास्पिटल हो, ऑप्थोमॉलोजी का स्पेशलिस्ट हो? आंखों के डाक्टर के पास यदि दिल की बीमारी का डाक्टर चला जाए। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि डेजिग्नेटेड हास्पिटल की डेफिनेशन में आप सरकारी चिकित्सालय को लो, मंत्रीजी, ट्रस्ट हास्पिटल को लो, आप मेडिकल कालेज को लो, आप प्राइवेट मेडिकल कालेज को लो, 50 बेडेड मल्टीपल स्पेशलिटी को लो और जिन चिकित्सालयों को आपने रियायती जमीन दी है, उनको लो, पर जिन्होंने कामर्शियल रेट पर जमीन खरीदी, जिसके पास सुविधा पूरी नहीं हो, उसको इस दायरे में क्यों ला रहे हो?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हालत क्या है। आज राजस्थान में मंत्री महोदय, मैं आपके प्रगति प्रतिवेदन में देख रहा था, 2265 पी एच सी हैं आपके, 760 सी एच सी है, 215 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रवर समिति के सदस्य सम्बन्धित विधेयक पर बहस के समय भाग नहीं ले सकते

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। राजेन्द्र राठौड़ साहब इस प्रवर समिति के मैम्बर थे। प्रवर समिति के मेम्बर के बाबत मैं आपको 19 दिसम्बर, 1998 की एक रूलिंग बताता हूं। नियम 33, जिसमें है, राजस्व मंत्रीजी ने प्रस्ताव किया था कि विधेयक प्रवर समिति को भेजा जावे। इस प्रस्ताव पर शिवनाथ सिंहजी ने, जिनका नाम भी उस प्रस्तावित प्रवर समिति में था, बोलना चाहा। इस पर श्री मदन सिंहजी के द्वारा आपत्ति किये जाने पर उपाध्यक्ष ने यह रूलिंग दी। "...No member who is a member of the Select Committee will participate in the debate. If he at all wants to participate in the debate, he is free to withdraw himself from the Committee." आपको कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य सातवीं या आठवीं बार विधान सभा में यहां पर पधारे हैं, तो जो नियमों के नियम हैं, अगर उनकी भी आपको जानकारी नहीं है तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हम छोटे लोगों को किस प्रकार से बताएंगे।

श्री सभापति: एक मिनट, प्लीज। (व्यवधान) प्लीज। एक मिनट प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा डिसेंट नोट था। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब विथड्रा करने वाली स्थिति तो रही नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): "...No member who is a member of the Select Committee will participate in the debate."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको सलाह देने वाले लोग बोदे हो गए, महाराज। इस सलेक्ट कमेटी में मेरा नोट आफ डिसेंट है, पेज नम्बर 17 पर।

श्री सभापति: माननीय उप नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) इसमें जिसका डिसेंट नोट है, जिसका डिसेंट नोट है उसको बोलने की इजाजत दी जा सकती है और वो बोल सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): थैंक यू, सभापति महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किसी प्रोविजन पर डिसेंट नहीं था इनका। एक्ट-प्रोविजन पर कोई डिसेंट नहीं था। जो प्रोविजन एक्ट में है ही नहीं, जो रूल्स में तय होना है, उस पर इन्होंने डिसेंट दिया है। इसलिए ये बोलने के पात्र नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, बोलने के पात्र नहीं हैं। बताइए, कौनसे एक्ट-प्रोविजन पर आपका डिसेंट था? आपने 50 बेड पर एतराज किया और वो एक्ट में है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप विराजो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बताइए। (व्यवधान) आप बताइए। आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

व्यवस्था

प्रवर समिति के सदस्य सम्बन्धित विधेयक पर बहस के समय अपने असहमति पत्र (note of dissent) के बिन्दुओं तक विचार प्रकट कर सकते हैं

श्री सभापति: दो बिन्दुओं पर इन्होंने असहमति अपनी दी थी,

(श्री सभापति)

स्वास्थ्य का अधिकार और परिभाषित चिकित्सालय कम से कम 60 शय्या युक्त मल्टीस्पेशलिटी के हों; नम्बर टू, स्वास्थ्य के अधिकार में शिकायत निवारण के लिए शिकायतकर्ता को मात्र कोई एक ही वैधानिक विकल्प उपलब्ध हो। यह जो डिसेंट नोट है इस पर बोल सकते हैं। ओनली डिसेंट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप जैसा विद्वान इस आसन पर विराजमान है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): दो बिन्दुओं के अलावा नहीं बोल सकते। ये तो ओपन डिबेट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय ने व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इन दो बिन्दुओं पर बोल सकते हैं, हम एग्री करते हैं लेकिन ओपन डिबेट में नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपने स्थान पर जाइए, आसन अपनी व्यवस्था दे रहा है। (व्यवधान) मेरी बात सुनिए। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अपनी-अपनी सीट पर जाइए। (व्यवधान)

माननीय उप नेता प्रतिपक्ष, आपसे निवेदन है कि आप उन्हीं दो बिन्दुओं पर बोलेंगे, बियोंड नहीं बोलेंगे। थैंक यू। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अब आप जैसा विद्वान... (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये काहे पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ये मंत्रीजी क्यों खड़े हो जाते हैं बार-बार? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो बोला है वो सारा डिलीट किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। (व्यवधान) बात हो गई, आप अपनी सीट पर जाइए। बोल रहे हैं। आप बैठिए प्लीज। (व्यवधान) आप दो बिन्दुओं पर बोलिए। (व्यवधान) हां, हां, दो पर ही बोलेंगे, दो पर ही बोलेंगे।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, पहले इन्होंने बोला वो डिलीट किया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अब ये देखो +++। (व्यवधान) ये +++ ...(व्यवधान) इन +++ को रोको, सभापति महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने व्यवस्था दे दी?

श्री सभापति: दे दी। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन्होंने जो बोला है, अगर वो दो बिन्दुओं से हटकर बोला है तो उसको डिलीट करवाइए। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो ये बोल रहे हैं या जो इन्होंने बोला है, इनके पूरे वर्जन को पढ़कर इसकी लाइट में जो आसन ने व्यवस्था दी है, उससे डिसाइड कर दिया जायेगा। जो इसके बियोंड होगा, उसे डिलीट कर दिया जायेगा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप जैसा विद्वान सभापति आसन पर हो तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। सभापति महोदय, मैं आपकी विद्वत्ता से बहुत पहले से परिचित हूं। मैं शेखावाटी का रहने वाला हूं, जहां से आप आते हैं।

सभापति महोदय, मैंने जो डिसेंट नोट दिया और मैंने जो कहा, आप स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आएं, पर नखहीन, दन्तहीन न लेकर आएं। आप सुपर-स्पेशलिटी के 50 बेडेड से नीचे मत लेकर आएं। यह डिसेंट नोट मैंने इसलिए दिया, मंत्री महोदय, जो मैंने कहा, आपकी पी एच सी, सी एच सी, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स और मेडिकल कालेज और अभी डब्ल्यू एच ओ ने मापदण्ड बना रखे हैं कि इनमें सही तरह से स्टाफ पैटर्न क्या होना चाहिये, ताकि आदमी को स्वास्थ्य का लाभ मिले।

इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, आपको मालूम है, इस हेल्थ सिस्टम ने स्टेट्स में कितने डाक्टर, कितने पैरामेडिकल होने चाहिये, आप देख लें, उस स्टेटस पर आपकी कितनी पी एच सीज आती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज अपने हेल्थ सिस्टम को, जब हम अपने सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे तो हम किनके भरोसे, उन स्टेकहोल्डर्स के भरोसे, जिन पर अभी-अभी पांच मिनट पहले वाटर कैनन से, जिन चिकित्सकों को धरती का भगवान कहते हैं, उन्हें आपने भगाया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बोलने का सब्जेक्ट नहीं है आपका। फिर आप गलत बोल रहे हैं। जितना आसन ने अलाउ किया है, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे आप। ये वॉटर कैनंस, डाक्टरों पर बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन की उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं सीधा हूं।

श्री सभापति: माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष, देखिये, समय का भी अभाव है। आपसे पुन: निवेदन है कि आप खाली उन दो बिन्दुओं पर ही बोलें, जिन पर आपकी असहमति है। उनके बाहर न बोलें। उन्हीं बिन्दुओं पर बोलें, जिन पर आपकी कन्सेंट नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, जो राइट टू हेल्थ ला रहा है। हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ आये, पर राइट टू हेल्थ, मैं सीधा-सादा आदमी हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरी पहली आपत्ति है, मतलब मैंने अपने मुंह से स्वयं को सीधा-सादा कहा तो इधर के सब लोग मान गये, आपको तकलीफ हो रही है, आप क्यों नहीं मानते? क्या मैं सीधा-सादा नहीं हूं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमें आपके इस बयान पर आपत्ति है। आप ट्विस्ट करके बात को कहते हैं, आप सीधे-सादे नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं बात को सीमित करूंगा। मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ये एस डी जी के गोल तय हुए थे, 2020 तक हमें जिन गोल्स पर पहुंचना चाहिये था, उसकी पूरी सूची मेरे पास है, हम कहां पहुंचे हैं? हमारी स्वास्थ्य सेवाएं खुद की अच्छी नहीं हैं। हम दूसरे स्टेकहोल्डर्स के दम पर अगर यह स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे और अभी आप यह स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं, सबसे पहले आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसका अधिकार दिया? जांच का अधिकार दिया। जांच का अधिकार भी 2013 से दिया। अब आप बता दें, पी एच सी में 66 जांचें हो रही हैं? सी एच सी में 101 जांचें हो रही हैं? सब-डिस्ट्रिक्ट में 133 जांचें हो रही हैं?

आपकी इस निःशुल्क दवा योजना में 1,451 दवाइयां मिल रही हैं? रोजाना अखबारों में छपता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी योजना, जिसके आधार पर ये बिल लेकर आ रहे हैं, आपने इस योजना के माध्यम से, एक तरफ तो आप चिरंजीवी योजना के अन्दर उसका प्रीमियम जमा कराते हैं, सरकारी चिकित्सालय में इलाज के नाम पर वापस उन इंश्योरेंस कम्पनीज का पैसा वसूल करते हैं। आपने नो लोस, नो प्रोफिट का एक ऐसा मॉड्यूल बना दिया कि आज राजस्थान का आदमी चक्करघिन्नी है। आपके ट्रोमा सेंटर्स, सबसे पहले कहां जाएगा राइट टू हैल्थ लेने वाला? ट्रोमा सेन्टर में जायेगा। 80 ट्रोमा सेन्टर्स हैं।

मंत्री महोदय, मेरी चुनौती है, एक ट्रोमा सेंटर में आज एक्सीडेंट में चला जाये, एक ट्रोमा सेंटर में इलाज नहीं हो सकता। इसलिए मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह आप लेकर आये, निश्चित तौर पर लेकर आये, पर जो मैंने असहमति दी है, आपकी धारा 2(f) है -"health care establishment" means the whole or any art of a public or private institution, facility, building or place, whether for profit or not, that is operated to provide inpatient and/or outpatient health care, controlled by the Government [or privately owned:]," मतलब आप सब चीजें लेकर आ रहे हैं और सेक्शन 2(g) में "health care provider" means a medical doctor, nurse, other paramedical professional or other appropriately trained and qualified person with..." मतलब आप इन सबको लेकर आ रहे हैं इसमें। अब आप कहेंगे, हम रूल्स बनाएंगे। रूल्स बनाएंगे आप। आप मूल एक्ट में इस बात को क्यों नहीं इन्सर्ट करके लेकर आते कि हम राइट टू हेल्थ देंगे।

हमारे सभी मेडिकल कालेजेज, हास्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में मिलेगा। हम प्राइवेट मेडिकल कालेजेज के हास्पिटल्स में देंगे। हम उन हास्पिटल्स में देंगे, जिनके स्टेकहोल्डर्स को कान्फिडेंस में लेकर जो 50 बेडेड से ज्यादा होंगे, मैं समझता हूं, यह मल्टी स्पेशलिटी अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप यह कर नहीं पाएंगे और इसलिए मेरा निवेदन है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

"designated health care centers" means health care centres or establishment officially marked and chosen for special purpose and role including....", मैं चाहता हूं, मेरा संशोधन है, Government hospitals or public trust hospitals, private medical hospitals, hospitals running on public-private partnership model with government and, hospitals on government allotted land on subsidized rates." तब तो समझ में आता है।

मैं समझता हूं कि आप इन डाक्टर्स का, मेरा दूसरा एतराज, मैंने कहा, आप इसमें सिंगल विंडो सिस्टम करें, अगर कोई कम्प्लेंट आती है, मल्टीपल जगह पर अगर एक साथ कम्प्लेंट जायेगी, आज मेडिकल काउंसिल में डाक्टर की कम्प्लेंट हो सकती है, कंज्यूमर कोर्ट में हो सकती है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में हो सकती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में हो सकती है। एक साथ पचास-पचास जगह पर डाक्टर की कम्प्लेंट हो जायेगी, मैं समझता हूं, आज आपकी हालत क्या है, चिरंजीवी योजना में 60 परसेंट क्लेम प्राइवेट हास्पिटल्स के हैं।

मैं आपको कह रहा हूं, चौबे जी छब्बे जी नहीं बनेंगे, दुबे जी रह जाएंगे। ये प्राइवेट डाक्टर्स अब आपके साथ चलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं निश्चित तौर पर आज यह जो आपकी चिरंजीवी योजना है, इसकी हालत भी आप देख लें। प्राइवेट डाक्टर्स, जिनकी जमीन है, भवन है, इक्विपमेंट्स हैं, उसके बराबर, चिरंजीवी में दोनों का पैकेज बराबर है सरकारी का और प्राइवेट का।

इन सारे हालात में मैं फिर कहना चाहता हूं यह जो बिल आप लेकर आये हैं, इस बिल में राजनीतिक हेतु आपका हो सकता है, पर इस बिल से आप जनता का भला करने वाले नहीं हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये देखिये, क्या इश्यू उठा रहे हैं। आप ये बोल क्या रहे हैं?

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसलिए मेरा निवेदन है, आप इनके चक्कर में मत आएं, मंत्री जी। ये महानुभाव हैं न +++, ये आपको चक्करघिन्नी कर देंगे और आप ऐसा राइट टू हेल्थ लेकर आएंगे... (व्यवधान)

श्री सभापति: +++ शब्द डिलीट करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजस्थान की जनता जहां आप कहेंगे, वहां आपका विरोध करेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, +++ अनपार्लियामेंटरी है।

श्री सभापति: डिलीट कर दिया। +++ शब्द डिलीट करिये। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह +++ शब्द असंसदीय है, पर पहले जो कहा था, वह ठीक है। +++ जो पहले कहा था, वह ठीक है? (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): +++ को डिलीट करने पर आप लोग ऐतराज कर रहे हैं तो कृपया +++ का अर्थ भी समझा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++

श्री सभापति: यह +++ के रेफरेंस में जो-जो बात कही गयी है, वह भी डिलीट कर दीजिये।

सूचना

सूरतगढ़ को जिला न बनाये जाने पर स्थानीय आक्रोश

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरे यहां सूरतगढ़ में एस डी एम कोर्ट और तहसील का लोगों ने घेराव कर रखा है। सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाने के आक्रोश में लोग एस डी एम कोर्ट और तहसील का घेराव कर बैठे हैं और मैं भी धरने पर बैठता हूं।

धरना

(श्री रामप्रताप कासनियां द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति: प्लीज आप अपनी सीट पर जाइये। यहां बैठने से कोई मतलब नहीं। आप अपनी सीट पर जाइये। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। प्लीज।

(माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर श्री रामप्रताप कासनियां द्वारा धरना समाप्त)

श्री कालीचरण जी सराफ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह समझता था कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े ज्ञानी हैं और नियमों की बड़ी जानकारी रखते हैं पर श्रीमान् जी को यह पता नहीं है कि प्रवर समिति के सदस्य यदि किसी बात पर असहमति व्यक्त करते हैं तो उस असहमति पर उसको बोलने का अधिकार है। आपने जो 1998 का उपाध्यक्ष महोदय का पढ़ा, उसमें यह लिखा है कि प्रवर समिति का सदस्य....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं बोलेगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं बोलेगा, परन्तु यह नहीं पढ़ा कि असहमति होगी तो नहीं बोलेगा, यह नहीं पढ़ा आपने।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें नहीं है तो आप अपने ज्ञान को अपने पास रखिये और सभापति जी ने जो व्यवस्था दी, वह निश्चित रूप से सही व्यवस्था दी है। मैं तो समझता था कि आप तो बड़े ज्ञानी हो पर मामला गड़बड़ है।

श्री सभापति: बोलिये प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं अपने आपको सीमित रखूंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जिन दो बातों पर असहमति व्यक्त की, पहली स्वास्थ्य का अधिकार के परिभाषित चिकित्सालय कम से कम 50 शैयायुक्त मल्टी स्पेशलिटी के हों और दूसरी हमने की कि स्वास्थ्य के अधिकार में शिकायत निवारण के लिए शिकायतकर्ता को कोई भी एक वैधानिक विकल्प भी उपलब्ध हो। इन दोनों बातों को लेकर पूरे प्रदेश के डाक्टर्स ने कल स्टेच्यू सर्किल पर प्रदर्शन किया। इन्हीं दोनों पर वहां से वे अपनी बात कहने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी के पास आना चाहते थे, पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिये। (व्यवधान) आप सुनिये, बीच में डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत

(श्री कालीचरण सराफ)

बनो। मैं तो समझता हूं कि आप बड़े विद्वान हो, आप बीच-बीच में डिस्टर्ब मत करिये, प्लीज बैठ जाइये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह फिर लॉ एण्ड आर्डर की बात कर रहे हो आप।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये असहमति वाले बिन्दु हैं क्या? ये असहमति वाले बिन्दु हैं क्या? आप असहमति वाले बिन्दुओं पर बोलिये।

श्री सभापति: बोलिये प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): असहमति जिन पर हमने व्यक्त की, उन्हीं दो बातों को लेकर डाक्टर्स ने कल प्रदर्शन किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। इसलिए मेरा यह अधिकार है कि मैं उस पर बोल सकता हूं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ऐसा नहीं है, असहमति वाले पर बोलिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): प्लीज, यू डोंट डिक्टेट मी। आप डिक्टेट नहीं कर सकते। बैठ जाइये आप।

श्री सभापति: बोलिये।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमारा आग्रह है, व्यवस्था है। आसन की व्यवस्था है माननीय सदस्य कि आप सिर्फ असहमति वाले बिन्दुओं पर ही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं असहमति पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्योंकि दो पाइंट जिन पर हमने असहमति व्यक्त की, उन्हीं दो बातों को लेकर कल पूरे प्रदेश के डाक्टर्स ने हड़ताल की, प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। मंत्री ने उनसे मिलने से मना कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से यह कहा गया है कि शिकायत निवारण की शुरुआत की जा रही है। अब आप यह बताइये कि कंजूमर कोर्ट में शिकायत करे तो आप डाक्टर के खिलाफ एक्शन लेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन में कोई शिकायत करेगा तो उस

(श्री कालीचरण सराफ)

पर आप एक्शन लेंगे, मेडिकल काउंसिल में कोई शिकायत करेगा तो आप एक्शन लेंगे और अब आपने एक मामला और जोड़ दिया। तो डाक्टर अपनी प्रैक्टिस करेगा या इन शिकायतों का निस्तारण करवाता रहेगा? इसलिए हमने असहमति व्यक्त की और हमने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। यदि आप एक्ट में यह बात जोड़ते हैं तो फिर बाकी जितनी संस्थाओं में जहां शिकायत कर सकते हैं, उनको आप हटाइये और केवल एक सिंगल विंडो सिस्टम रखिये।

दूसरा, अब आपने तो कह दिया कि सभी हास्पिटल में इमरजेंसी का इलाज होगा। इमरजेंसी में क्या-क्या चीज होगी यह तो आपने शामिल कर लिया, पर मुझे यह बताइये कि कोई आई का हास्पिटल है और वहां पर कार्डियक अरेस्ट का मरीज पहुंच गया तो उसका इलाज वे कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए हमने मांग की कि जो मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल हैं और कम से कम 50 बेड्स के हास्पिटल हैं, उनको इसमें शामिल करो। यदि उनको हम शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से यह बिल आपका फुलप्रूफ होगा। अब आप अपने जवाब में एक चीज बता देना कि आपकी जो यह परिभाषा है उसमें तो आई हास्पिटल भी आ गया, कोई श्वांस का हास्पिटल है तो वह भी आ गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आंच हास्पिटल है, वह 30 बेड का हास्पिटल है और वहां पर केवल श्वांस, फेफड़ों से सम्बन्धित बीमारियों का ही इलाज होता है और वहां यदि हार्ट अटैक का मरीज पहुंच गया तो वह कैसे इलाज करेगा? आप जवाब में बताइये। इसलिए हमने असहमति व्यक्त की है।

तीसरी बात, जो डेजिग्नेटेड हास्पिटल्स की बात डाक्टर्स ने की है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि बिलकुल दो ही हमारी बातें हैं और इन पर असहमति व्यक्त की है। इन्हीं दो बातों को लेकर कल डाक्टर्स ने प्रदर्शन किया और उन पर जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उसकी जांच करवायी जाए और जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, महिला डाक्टर्स के साथ जो अभद्र व्यवहार किया, उनके कपड़े फाड़े गये, उनको लहूलुहान किया गया, उसकी भी जांच करवायी जाए। जो पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जांच की जाए। मंत्री महोदय, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप उनको बुलाकर, बैठकर उनसे बात करो जिनसे आप इलाज कराना चाहते हो। कोरोना में अपनी जिन्दगी को दांव पर लगाकर जिन डाक्टर्स ने काम

(श्री कालीचरण सराफ)

किया, आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, उनसे आप मिलना नहीं चाहते हो। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती इसलिए मैं मेरी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि उनको बुलाकर उनसे बात करें और उनका समाधान करें।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार संशोधन पर बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, मेरा भी था।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): असहमति अनिता भदेल जी की भी थी।

श्री सभापति: उनके बाद बुलाना है क्या इनको या पहले बुलाना है? प्लीज, बोलिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने असहमति तो दी है।

श्री सभापति: आपने जो लिस्ट दी है उसमें तो अनिता जी का नाम दिया नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिल में है मेरा।

श्री सभापति: बोलिये आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आयी और प्रवर समिति में इसे प्रस्तुत किया। दो विषयों को लेकर प्रवर समिति में तीन माननीय सदस्यों ने असहमति व्यक्त की है। जिसमें स्वास्थ्य के अधिकार में परिभाषित चिकित्सालय कम से कम 50 शैयायुक्त मल्टी स्पेशलिटी के हों। मैं इसी बिन्दु पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगी।

जैसा मालवीय नगर और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो आपने परिभाषित किया है कि 10 बेडेड हास्पिटल हों तो उसको भी हम शामिल करेंगे। 10 बेडेड हास्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं और ऐसे छोटे-छोटे हास्पिटल जिनका उल्लेख पी एच सी और सी एच सी का है, चूंकि वहां डाक्टर नहीं हैं और सिर्फ ए एन एम से ही काम चल रहा है तो ऐसी स्थिति में

(श्रीमती अनिता भदेल)

यदि हमारी सरकारी पी एच सी और सी एच सी देख ले जो 50-50 बेडेड हैं, वहां पर भी यह सुविधा नहीं है तो ऐसे प्राइवेट हास्पिटल जो दस-दस बेडेड होंगे वे गुणवत्तापूर्ण इलाज कैसे देंगे? चूंकि हमें गुणवत्तापूर्ण इलाज देना है कि उपचार गुणवत्तापूर्ण हो तो इससे फार्मेलिटी होगी, माननीय मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, एक उल्लेख और करना चाहूंगी कि जो चिरंजीवी के पैकेज हैं उन पैकेज में बहुत सारी शिकायतें ये आ रही हैं कि जो हार्ट से सम्बन्धित पैकेज आपने दिया है उसमें स्टेंट जो आप डाल रहे हैं वह इतना गुणवत्ताहीन है कि उसके लगने के बाद में डैथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल नहीं होंगे तो सही नहीं होगा, इसलिए मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल को रखना बहुत जरूरी है। यदि हम इलाज दें और उसकी कोई गुणवत्ता नहीं हो, आदमी की डैथ हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है और जो परिजन है वह उल्टा सरकार को ही कोसने वाला है। इसलिए एक तो निवेदन यह है।

दूसरा, जो आपने कहा कि तीन से अधिक, कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत लेकर जा सकता है जैसा आपने उल्लेख किया, ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकता है, मेडिकल काउंसिल में शिकायत लेकर जा सकता है और चौथा जो आपने इस बिल में डाला है वहां शिकायत लेकर जा सकता है। ऐसी स्थिति में डाक्टर्स इलाज करेंगे या शिकायतों का निवारण ही करते रहेंगे? तो शिकायत करने वाले को तो शिकायत करने के लिए दस बहाने मिल जाएंगे, लेकिन डाक्टर्स, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी हैं, वे अपनी प्रैक्टिस ठीक प्रकार से नहीं कर पायेंगे, इसलिए उनके हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है कि यह स्वास्थ्य का अधिकार बिल क्यों लेकर आ रहे हैं। ये लेकर आये, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी स्तर पर हमारे जितने हास्पिटल्स हैं, वे कितना स्वास्थ्य के अधिकार को फुलफिल कर रहे हैं? हमें सबसे पहले अपनी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए और उसके बाद में निजी हास्पिटल्स की ओर जाना चाहिए।

निजी हास्पिटल पानी और बिजली का बिल कामर्शियल दे रहे हैं और आपको गुणवत्तापूर्ण इलाज दे रहे हैं, क्योंकि सरकारी हास्पिटल्स में गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आदमी प्राइवेट हास्पिटल में जाता है, वे गुणवत्तापूर्ण इलाज दे रहे हैं। हमें उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमें उनको और प्रेरित करना चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि उन हास्पिटल्स की, उन डाक्टर्स की चिन्ता करते हुए, क्योंकि हमें काम उनसे ही लेना है। हमारे लोगों को वे ही सेवाएं देने वाले हैं। यदि उनको ही नाराज करके हम यह करेंगे तो फिर हम सफल नहीं हो पायेंगे। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई तो उसके साथ कई ख्याल आते हैं कि जिन डाक्टर्स के लिए यह बिल लेकर आये हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए और उसमें डाक्टर मैन सेन्टर हैं। क्या कारण है कि राजस्थान के डाक्टर्स, जो मेडिकल कालेजेज हैं, राजस्थान से उनका सबसे ज्यादा पलायन, जितने डाक्टर्स निकले, वह विदेश और राजस्थान से बाहर जा रहे हैं। सरकार यह भी आंकड़ा लेकर आती कि क्या कारण रहा कि हमारे यहां के डाक्टर्स, जो सबसे ज्यादा मेहनती हैं, भारत के डाक्टर्स को पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो, हमारे राजस्थान से जितने भी लड़के निकलते हैं, 15 से 20 परसेंट जो most talented of them, those who study 6 years in MBBS and 3 years in PG, लाइफ के 15 साल बेस्ट देते हैं, क्या उनको हम नियमों में बांधकर, उन लोगों का पलायन करके हम राजस्थान की सेवाओं के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? हमारे बेस्ट लोग बाहर जा रहे हैं, हम क्यों अन्याय कर रहे हैं? हम उनके लिए इस तरह के नियम लगातार लाते रहे हैं, जिससे उन लोगों को लगता है कि भारत में, राजस्थान में काम करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं। जब सरकार इस तरह से बंधन लेकर आती है और हम देखते हैं कि कल उन डाक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ तो पूरे विश्व में भारत के डाक्टर्स देख रहे हैं, उनको बड़ा शर्मसार होना पड़ा कि राजस्थान के जयपुर में डाक्टर्स पर पुलिस ने किस तरह बर्बरतापूर्ण बल उपयोग किया। राजस्थान के मुख्य मंत्री, जो यह बिल लेकर आये हैं, वे खुद जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, हम चाहते है मुख्य मंत्री, may God bless him with a long life. जब वे सरकारी हास्पिटल एस एम एस में जाते हैं तो खुद के इलाज के लिए एसएमएस नहीं जाते हैं, बाहर प्राइवेट क्लीनिक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर से जांचें कराते हैं, पूरा राजस्थान शर्मसार रहा है कि हमारे राजस्थान में क्या स्वास्थ्य सेवा है। राजस्थान के मुखिया को खुद के इलाज के लिए प्राइवेट क्लिनिक में बाहर जाकर इलाज कराना पड़ा। जब

(श्री सुमित गोदारा)

मुखिया को एस एम एस हास्पिटल में व्हीलचेयर पर लेकर जाया जाता है तो वह व्हीलचेयर भी टूटी हुई होती है और अगले दिन सुपरिंटेंडेंट को हटाया जाता है। हम कौन-सा राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रहे हैं? जब राजस्थान के एस एम एस में, जहां पूरी सरकार बैठी है, उसकी नाक के नीचे यह हाल है तो हम क्या उम्मीद करेंगे, लूणकरणसर, नापासर के उन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुधार की?

आप इस बिल में लेकर आये हैं, पेज 28 पैरा 2 में कि, "accidental emergency" means any event which results in the risk of death or injury." माननीय सभापति जी, एक्सीडेंट में इंजरी होती है तो प्राथमिक उपचार के लिए सबसे ज्यादा एम्बुलेंस की जरूरत होती है, पर एम्बुलेंसों का क्या हाल है? हम सबने विधायक कोष से एम्बुलेंस दी है, पर मेरे लूणकरणसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, अनेक जगह उनके टायर पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं। क्या मुख्य मंत्री, सरकार यह जवाब देगी कि आप राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रहे हैं, हमने जो 15-15, 20-20 लाख की एम्बुलेंसें दी हैं, वे किसलिए दी हैं? मरीजों की सेवा के लिए दी हैं या जंग खाने के लिए दी हैं? सिर्फ राजनीतिक द्वेषता से मुख्य मंत्री और इनकी सरकार उन एम्बुलेंसों को नहीं लगाना चाहती है कि कहीं भाजपा के विधायकों का प्रचार या यह नहीं लगे कि ये सरकार के प्रति जागरूक हैं।

आप यह बिल ले आते हो, आप यह बिल लेकर आये, to provide free diagnostics emergency, इसमें पेज 33 पैरा 3, जब मैं कह रहा हूं कि जब मुख्य मंत्री खुद ही बाहर इलाज करा रहे थे तो हम क्या सेवा दे रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, किनसे उम्मीद करें? किस सरकार से उम्मीद करें? जिन डाक्टर्स ने कोरोना में जान लगाकर, कितने ही डाक्टर्स इलाज करते हुए शहीद हुए हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, एक मात्र नेता होंगे राजस्थान के मुख्य मंत्री, जो बीस महीने कोरोना में अपने सी एम रेजिडेंस से बाहर नहीं निकले, वे राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, जो उस कोरोना के दौरान बाहर नहीं निकले। डाक्टर्स ने जी-जान लगाई, कितने डाक्टरों की डैथ हुई है? हमने बीकानेर में देखा है कितने टैलेंटेड डाक्टर्स, यंग डाक्टर्स, तीस-तीस साल के डाक्टर्स, जिनकी लोगों की सेवा करते हुए डैथ हो गई।

(श्री सुमित गोदारा)

राजस्थान के सत्ताधारी दल के राजनेता और चिकित्सा मंत्री, आज साढ़े चार साल हो गये, हमने कभी देखा ही नहीं कि कभी जिलों में जाकर, मेडिकल कालेज, बीकानेर जाकर मीटिंग ली हो, यहां पर बैठ जाते हैं। इनसे पहले वाले चिकित्सा मंत्री भी ऐसे ही बैठे रहे और अभी के चिकित्सा मंत्री भी यहीं बैठे रहे। जयपुर सेक्रेटेरिएट में पेड़ों के नीचे ठण्डी हवा लेना मंत्री जी को अच्छा लगता है, कभी रेगिस्तान में जाकर देखें कि लोग कितने पीड़ित होते हैं।

यह बिल लाना तो बहुत आसान है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम डाक्टर्स का पलायन रोक पायेंगे? इस बिल से कहीं यह तो नहीं कर रहे कि युवाओं का, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो डाक्टर्स बनना चाह रहे हैं, क्या इन चीजों से डिसओरिएंटेड नहीं होंगे? यह फील्ड में जाकर आप पता कीजिए। हकीकत यह है कि जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, हमारे साथी कई लोग विदेश गये हैं। अभी बच्चों से पूछते हैं, यहां रहकर क्या करेंगे? यहां तो डाक्टर्स को कोई सुविधा ही नहीं है, कोई भी हल्ला कर लेता है। आज जैसे धरने पर जा रहे हैं तो उनको पीट दिया जाता है। डाक्टर्स की कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री किसी की नहीं सुन रहे हैं। वीरांगनाएं जा रही हैं तो उनकी नहीं सुन रहे हैं, डाक्टर्स जा रहे हैं तो उनको नहीं सुन रहे है तो फिर यह राइट टू हेल्थ बिल किसके लिए लेकर आ रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट हास्पिटल्स को प्रताड़ित करने के लिए? आप अपना सरकारी तंत्र तो सही कीजिए।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे वहां लूणकरणसर, नापासर, महाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां डाक्टर्स ही नहीं हैं। आप कौन-सी इमरजेंसी की बात कर रहे हो? मेडिकल कालेज बीकानेर है, एक्सीडेंटल में ट्रोमा सेन्टर्स होते हैं, दो न्यूरो सर्जन पूरे सम्भाग में कितने लोगों को देखेंगे? हाल क्या है? नाम के ट्रोमा सेन्टर, आप बात कर रहे हैं। ट्रोमा की फैसिलिटीज कहीं है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे है कि, what traumas are all about? बिना न्यूरो सर्जन के ट्रोमा सेन्टर कहां सक्सेस होंगे? आप डाक्टर्स की और सीट्स बढ़ाओ और डाक्टर्स की बढ़ाओ, पर सबसे पहले यह करें कि हमारे राजस्थान में डाक्टर्स रहें तो सही।

माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार इस तरह बिल लेकर आ रही है, डाक्टर्स रहेंगे नहीं तो कहां से आप चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायेंगे? राजस्थान में इतना बढ़िया तंत्र विकसित हो रहा है, पर जब भी आपकी

(श्री सुमित गोदारा)

सरकार आती है, कहीं न कहीं लोगों को विचार आता है कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी कहीं न कहीं डाक्टरों के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी जोधपुर में लाठीचार्ज करवाया था और इस कार्यकाल में उन्होंने डाक्टर्स पर लाठीचार्ज करवाया है। मुख्य मंत्री जी और यह सरकार कहीं न कहीं कुण्ठा से ग्रस्त है, तभी वह डाक्टर्स के खिलाफ हमेशा रहती है।

माननीय सभापति जी, इसमें पृष्ठ संख्या 47, बिन्दु 12 में 'Bar of Jurisdiction' का विषय है, "No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit in respect of District Health Authority or the State Health Authority." यह क्या विषय लेकर आये हैं? क्या कोई डाक्टर कहीं जा नहीं सकता है? उसके साथ आपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथोरिटी में किसको डाला है? कलेक्टर्स, सी ई ओ, ये अधिकारी मीटिंगों में जाते ही नहीं हैं। मैं बीकानेर जिले का बता रहा हूं, हमारी प्रभारी मंत्री वहां पर आये, कलेक्टर मीटिंग में फोन पर बात कर रहा है, उन्होंने कह दिया तो सारे अधिकारी इकट्ठे हो गये कि कैसे बोल दिया। इन अधिकारियों के पास समय ही नहीं है। आप उन्हें मीटिंग में ला रहे हैं। किसी अधिकारी के 'whim and fancy' जंच जायेगी कि नहीं, साहब, मुझे तो इस प्राइवेट हास्पिटल का करना है, कुछ भी जाकर लिख देगा और उसके खिलाफ हो जायेगा और वह चक्कर काटता रहेगा। डाक्टर इतनी मेहनत से पढ़ता है, इतना संघर्ष करके पढ़ता है, क्या हम उनको प्रोत्साहन देंगे या रोकेंगे?

माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और इस बिल के सम्बन्ध में रखना चाहूंगा कि आप डाक्टर्स और हास्पिटल के खिलाफ उचित सुरक्षा और बढ़ती हिंसा की रोकथाम का कोई प्रावधान, इसमें लेकर आते तो उचित लगता। आज कई जगह हमने देखा है कि कहीं न कहीं किसी की मृत्यु होने पर अस्पताल के बाहर मुआवजे के नाम पर प्रदर्शन कर काफी राजनीतिकरण हो रहा है, जिससे डाक्टर्स भी काफी भयभीत रहते हैं। आप सिर्फ ये बड़े इंस्टीट्यूशंस मत देखिये, जयपुर में बैठकर आपकी सरकार और मंत्री सिर्फ बड़े हास्पिटल्स ही देखती है, उनके पास कितने परसेंटेज of population of patients go for them. पूरा राजस्थान, जहां टाउंस हैं, वहां डाक्टर्स छोटे क्लिनिक्स, छोटे नर्सिंग होम लेकर बैठे हैं, उनका क्या हाल है? क्या वे वहां पर जाना पसन्द करेंगे? आप इस तरह का बिल लेकर आओ, इससे वे बिलकुल भयभीत रहेंगे कि हम जाकर क्या करेंगे। हम मरीज की सेवा

(श्री सुमित गोदारा)

करें, 24 घन्टे सेवा देना बहुत मुश्किल काम है। आप यह देखिये हममें से भी विधायकगण कई बार रात को फोन नहीं उठा पाते हैं, पर डाक्टर्स सारे समय अपना फोन उठाते हैं, चालू रखते हैं। यह कितना बड़ा विषय है, डाक्टर सेवा कर रहा है।

राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म आगे बढ़ रहा है, यह विधेयक उस मेडिकल टूरिज्म को, जो बाहर से, विदेशों से लोग आ रहे हैं, वे कहीं आना बन्द नहीं करें, इसका भी आप ध्यान रखें।

माननीय सभापति जी, इस बिल से राजस्थान राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में गिरावट और गायब होने का लोंग लास्टिंग प्रभाव रहेगा। डाक्टर-रोगी सम्बन्ध और इसके सामंजस्य का गहरा प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञ डाक्टर्स का अन्य राज्यों व विदेशों में पलायन की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देगा और अंततः आम जनता को नुकसान होगा।

माननीय सभापति जी, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। राजस्थान में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? यहां पर वी.सी. 10-10, 15-15 साल तक एक आदमी ही रहता है। वी.सी. कौन बनता है? जो मुखिया का चहेता होता है तो कहां से स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार होगा? जिसके अंडर में मेडिकल कालेजेज होते हैं, वे सिर्फ मुख्य मंत्री के हाजिरी लगाते हैं कि मुख्य मंत्री खुश रहें तो मेरा अपने आप चलता रहेगा। हमने वी.सीज. को कहीं नहीं देखा मेडिकल कालेज की शिक्षाओं में सुधार करते, व्यवस्थाओं में सुधार करते। हम इस सरकार में क्या देख रहे हैं? चाहे हमारी सरकार में भी यह गलती रही हो, चाहे आपकी सरकार में। आपको व्यवस्थाएं सुधारनी हैं, तो राजस्थान में हेल्थ यूनिवर्सिटी का वी.सी. ऐसा होना चाहिये जो बिलकुल ट्रांसपेरेंट हो जिसका लगना चाहिये, whose integrity should be above everything. He should not be a political man at the pleasure of the Chief Minister. He should be one; who should be a doctor and, who should really work in public services not as a politician और माननीय सभापति जी, मेरा यह निवेदन है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, सरकार ने राजस्थान के अवाम को स्वास्थ्य की गारंटी देकर एक बेहतरीन कदम उठाया है। इस बिल का वही डाक्टर विरोध कर रहे हैं जो कोरोना जैसी महामारी में अपने निजी हॉस्पिटलों के ताले लगा कर भाग गये थे, जबकि तमाम सरकारी सुविधाएं निजी चिकित्सा संस्थाओं को सरकार से चाहिये। चाहे बहुत कम कीमत पर जमीन देनी हो या दूसरी सुविधा हो, लेकिन लाभ निजी हास्पिटल ही लेना चाहते हैं।

सभापति महोदय, इस एक्ट में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि निजी हो, सरकारी हो, कोई भी डाक्टर या चिकित्सा संस्थान किसी भी कीमत पर किसी भी पीड़ित को उपचार के लिए मना नहीं कर सके। सरकार ने निजी चिकित्सा संस्थाओं को मरीज पर होने वाले खर्च को वहन करने का भी वादा किया है, इसके बावजूद अगर कोई निजी अस्पताल इसका विरोध करते हों तो यह कतई गलत है। मैं इस कानून का समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि निजी हास्पिटलों में जैसे दुकानदारी बन गयी है, मैं डाक्टर्स के खिलाफ नहीं हूं, फिर भी आज जो सड़कों पर उतरे हैं डाक्टर, आज उन्होंने निजी हास्पिटलों को व्यवसाय बना लिया है। कितनी कमाई हो, कितनी जेबें काटी जाएं, निजी हास्पिटल हम जाते हैं तो डाक्टर मरीज की जेब की तरफ देखता है कि इसकी जेब कितनी भारी है। जैसे कसाई बकरा खरीदता है तो उसकी पीछे की पीठ देखता है कि कितना वज़न है, तो उस हिसाब से निजी हास्पिटलों में गरीब की जेब को देखते हैं जेब को देख कर इलाज करते हैं। आज सडकों पर जो डाक्टर उतरे हैं, वे एक व्यवसाय के रूप में इस राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं।

मैं निश्चित रूप से इसका विरोध कर रहा हूं जो हड़ताल पर डाक्टर उतरे हुए हैं। एक इन्होंने प्रचलन बना रखा है अगर निजी हास्पिटल में कोई भर्ती हो जाता है गरीब आदमी तो उसमें ये मनमर्जी से जो निजी मेडिकल स्टोर बना रखे हैं, उसको दवाई वहां से ही खरीदनी पड़ेगी। ऐसा भी कानून बनायें कि मरीज चाहे कहीं भी इलाज कराये, निजी में कराये, कहीं भी कराये, वह अपने स्तर पर अगर सरकारी दवाई ले, प्राइवेट दुकान से दवाई खरीदे, तो उसको यह छूट होनी चाहिये। अगर वह बाध्य करता है तो ऐसा कानून बनाया जाये जिससे निजी हास्पिटल चलाने वालों पर कार्यवाही भी हो।

सभापति महोदय, यह जो अभी माननीय सभी सदस्य कह रहे हैं कि डाक्टर्स पर लाठीचार्ज हुआ, ऐसा हुआ, निश्चित रूप से कानून तोड़ने वालों पर

(श्री गिरधारीलाल)

लाठीचार्ज होंगे। आये दिन किसानों पर ही लाठीचार्ज होते हैं, मजदूरों पर होते हैं, गरीबों पर होते हैं तो ऐसे डाक्टर्स पर भी लाठीचार्ज हो गया। अगर कोई कानून तोड़ेगा, कितना ही बड़ा आदमी हो, कानून तोड़ेगा तो सरकार कानून से काम करेगी। मैं इस राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, आज इस बिल पर दुबारा चर्चा हो रही है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद में राइट टू हेल्थ बिल पर आज सदन बैठ कर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि यह बिल राइट टू हेल्थ है या राइट टू ट्रीटमेंट है? यदि राइट टू हेल्थ है तो राइट टू हेल्थ में तो बहुत सारे पैरामीटर हैं मंत्री महोदय। यह स्वास्थ्य का अधिकार दे रहा है या केवल चिकित्सा के अधिकार का बिल है? इस बिल के एक भी उपबंध में कहीं भी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं है। यह बिल केवल और केवल चिकित्सा और चिकित्सकों को बाध्य करने का ही बिल है। मैं यह मानता हूं कि यह बिल ही गलत लेकर आये हैं। यह बिल केवल और केवल राइट टू ट्रीटमेंट बिल है, इसमें हेल्थ के कम्पोनेंट आपने एड ही नहीं किये हैं। आप यदि संविधान के उद्देश्यों को देखोगे और यदि राइट टू ट्रीटमेंट है तो आलरेडी आपका भामाशाह में कवर्ड था, फिर चिरंजीवी में कवर्ड है, अभी आयुष्मान में कवर्ड है, आर जी एच एस में कवर्ड है, पर उनके क्या हालात हैं? वह मैंने पहले भी बताया था।

सभापति महोदय, नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार का जो काम है, उसमें स्वास्थ्य का अधिकार, यह शब्द जो मैं कह रहा हूं, सभापति महोदय, यह स्वास्थ्य का अधिकार केवल ट्रीटमेंट का नहीं है। सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का आलरेडी अधिकार दिया हुआ है। जब आलरेडी जीवन जीने का अधिकार है तो आप नया क्या दे रहे हो और जीवन जीने के अधिकार में आप यह देखो कि उसमें कितने कम्पोनेंट हैं। आप यदि स्वास्थ्य के अधिकार की बात करोगे तो स्वास्थ्य के अधिकार की बात में, सभापति महोदय, आप बताओ स्वास्थ्य में केवल चिकित्सा और डाक्टर ही आते हैं क्या? बीमारियों की अग्रिम रोकथाम भी स्वास्थ्य में आती है, पर्यावरण

(श्री अशोक लाहोटी)

संरक्षण भी स्वास्थ्य में आता है, प्रदूषण नियंत्रण भी आता है, शुद्ध हवा का अधिकार भी स्वास्थ्य में आयेगा, शुद्ध खाने का अधिकार भी स्वास्थ्य में आयेगा तो फिर ये सब बातें कहां गयीं? और इन सब बीमारियों की रोकथाम जब तक नहीं होगी, तब तक स्वास्थ्य होगा कैसे? आप तो केवल और केवल यह कह रहे हो कि प्राइवेट हास्पिटल को बांध दो, उस पर ताला लगा दो, उसको ठोक दो, उसको पीट दो, डाक्टर्स पर लाठीचार्ज कर दो। इससे स्वास्थ्य का अधिकार दोगे आप जनता को?

सभापति महोदय, चार साल से सरकार सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जैसे खिलौने का झुन्झुना पकड़ाते हैं ऐसे बिल लाकर झुन्झुना पकड़ाती है। जनता सब समझती है। 2013 में भी झुन्झुना पकड़ाया, आप 21 आये। अभी भी मैं बार-बार कह रहा हूं यह झुन्झुना पकड़ाना बन्द करो, अधिकार दे रहो हो तो पूरा दो वरना बिलकुल मत दो। आप अधिकार के उपबंध तो देखो, अधिकार किनसे ले रहे हो आप?

सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 38 में, आपने यह जो दिया है जिम्मेदारी से श्रमिकों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 39 खण्ड (ई) में लिखा हुआ है। 38 में सामाजिक सुरक्षा का लिखा हुआ है। 42 में शिशु और मातृ स्वास्थ्य का लिखा हुआ है। 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, श्रमिकों का, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था का लिखा है। 48 में लिखा है शराब के सेवन पर प्रतिबन्ध के बारे में। आप क्यों विचार नहीं करते? जब इतना ही आप स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हो और जिस शराब को पीने से स्वास्थ्य खराब होता हो, उस पर आप रोक लगाने का बिल सदन में लाओ। आप स्वास्थ्य खराब करना चाहते हो या स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो या ट्रीटमेंट करना चाहते हो? क्लियर तो करो। पहले सरकार तो क्लियर हो इस विषय में।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि नशे की रोकथाम का अधिकार, कुपोषण ये सब कहां गये? राइट टू लिव जो जीवन जीने का अधिकार, आप शिक्षा का अधिकार का बिल लेकर आये। आज आर टी ई की हालत क्या है? कोई स्कूल एडमिशन देता है क्या? जब शिक्षा की चर्चा होगी उस दिन मैं भी बताऊंगा। उस पर भी मनन कर लेना। अधिकार देना शब्द लिखना आसान है और, सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात कि आपके पल्ले क्या है? यह तो बताये सरकार। डाक्टर आप बनाते हो क्या? आपके चार-पांच मेडिकल कालेज चल रहे हैं अभी, बाकी खाली घोषणाएं ही हो रही हैं, मेडिकल

(श्री अशोक लाहोटी)

कालेज बने नहीं हैं। बीस-बीस साल लगते हैं और उनके मां-बाप मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपये फीस देते हैं। डाक्टर आप बनाते हो, हास्पिटल आप बनाते हो, करोड़ों रुपयों के हास्पिटल आप खुलवाते हो, उनके इक्विपमेंट्स आप दिलवाते हो, उनको इन्वेस्टमेंट आप करते हो? तो फिर आप अधिकार केवल और केवल इस बात के लिए कि हमने बिल बना दिया और आप इलाज कर दो तो फिर यह जो बिल बनेंगे, सभापति महोदय, मैं आज कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि राइट टू फूड का बिल क्यों नहीं आयेगा और फिर आप होटलों को भी कह दो कि जीवन जीने का अधिकार है तो सारे होटल और रेस्टोरेंट जो भी आयेगा उसको खाना खिलायेगा। है न अधिकार, यह क्यों नहीं बिल लेकर आ रहे हो आप? क्या आप हर होटल को यह कहोगे कि खाना खिलाओगे? आप वो ही बिल दे सकते हो जो आपके पास है। आप यह कहो कि पी एच सी में करेंगे, गवर्नमेंट हास्पिटल में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में करेंगे, लेकिन उनके हालात क्या हैं? वहां बच्चे मर जाते हैं सैकड़ों की, हजारों की तादाद में। माननीय उप नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा कि खून की थैलियां ले जाते हैं, बच्चों को चूहे कुतर जाते हैं, आंख चूहे खा जाते हैं। जब राजधानी के और देश के ये हालात हों शिक्षा के, चिकित्सा के, और वहां आप राइट टू हेल्थ की बात, झुन्झुना पकड़ा रहे हो केवल जनता को।

सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मैं मंत्री जी, पूरे आपके विभाग को मैं इस सदन में चैलेन्ज कर रहा हूं कि आप तो यह बता दो कि राजस्थान में जो सामान्य चिकित्सा का अधिकार है वह भी आप पूरा कर रहे हो क्या गवर्नमेंट हास्पिटल में? जिस तरीके से आप डाक्टर्स को ट्रीट कर रहे हो, यह ध्यान रखना, आप तो डंडे से मार रहे हो बाद में सूई लगवाने उनके पास ही जाना है वह सूई पक गयी न तो देश दुनिया में भागते घूमोगे। सभापति महोदय, इसलिये मैं आपको कह रहा हूं कि यह अधिकार देने की जो बात कर रहे हैं इसमें आपने कौन से अधिकार जोड़े हैं? आज कोई किसी भी हास्पिटल में चले जाओ हालात क्या हैं? आज किस जगह पर इलाज हो रहा है? मैं आपको कह रहा हूं कि आप चिकित्सा का अधिकार देना चाह रहे हो तो आप चिरंजीवी को ठीक कर दो। आज राजस्थान का एक भी बड़ा हास्पिटल चिरंजीवी में इलाज नहीं कर रहा है और न ही करेगा। आप कह रहे हो कि 50 बैडेड हास्पिटल के बिना आप इलाज कराओगे। कोई भी जायेगा और कहेगा कि मेरा पेट दुख रहा है और इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी को डिफाइन तो करो कि

(श्री अशोक लाहोटी)

किस इमरजेंसी में उसको ट्रीटमेंट करना है, वरना मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर हास्पिटल में एक पुलिस थाना खोलना पड़ेगा। राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड़ जायेगी। खेतडी से आने वाले माननीय सदस्य, जो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं डाक्टर हैं, ये इस पर अगर ईमानदारी से बात कहेंगे तो आपकी सत्ता पक्ष की नीचे से जमीन निकल जायेगी। आप किन डाक्टरों की बात कर रहे हो? उन डाक्टरों को आपने दिया क्या है? आपको जो देना है, वह गवर्नमेंट हास्पिटल से दो। आप उन पर ताले लगाने के काम कर रहे हो। धारा 19 में उनको भी स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने का अधिकार है, उस अधिकार को भी आप छीन रहे हो। आपने यदि किसी हास्पिटल को जगह दी हो, आप उसको बाउंड करो। आपने किसी हास्पिटल को पी पी पी मॉडल पर दिया हो, आप उसको बाउंड करो। आपने किसी हास्पिटल में मेडिकल कालेज दिया हो, आप उसको बाउंड करो। जिसने आपसे कुछ लिया ही नहीं, आप कह रहे हो कि यह करो, फिर थोड़े दिन बाद कहोगे कि इन होटलों को बंद करो। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से पेट्रोल पम्प राजस्थान के बोर्डर पर लग रहे हैं, इसी प्रकार से सारी हास्पिटल राजस्थान के बोर्डर पर खुल जायेंगी। यह सब हास्पिटल बंद कर के वहां चले जायेंगे। आप तो इलाज की बात कर रहे हो, जो मेडिकल टूरिज्म की बात मुख्य मंत्री जी ने की, जिस निरोगी राजस्थान की बात मुख्य मंत्री जी ने की, वह सब धरी की धरी रह जायेगी। आपके पास 6 महीने ही हैं, कोई डाक्टर डर नहीं रहे हैं आपसे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आये हुए हैं उनको भी आप देख लेना। मैं आज सदन में आपको कह रहा हूं कि आप इसे लागू कर दो, वरना यह सुप्रीम कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट जाकर स्टे लेकर आ जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, सरकार बनी, 5-7 विधायक आपके ज्यादा आ गये, एक प्रतिशत वोट ज्यादा मिल गया तो कोई आपको एक-दो किलो बुद्धि ज्यादा थोड़े ही दे दी? आप बिना चर्चा किये, जबरदस्ती का बिल थोपना चाहते हो, तो फिर तो यह अमेंडमेंट ही कर दो कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमने जो सोचा वह पास समझा जाये, फिर चर्चा क्यों करवा रहे हो? एक भी माननीय सदस्य ने किसी भी बिल पर कोई सुझाव दिया हो और सरकार ने उसको माना हो तो बता दो। फिर यहां चर्चा क्यों करवाई जाती है?

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, राज्य सरकार का बजट क्या है? जेब आपकी खाली पड़ी है, हास्पिटल के इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं,

(श्री अशोक लाहोटी)

डाक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं, आर जी एच एस में, चिरंजीवी में इलाज नहीं है और आप कह रहे हो राइट टू हेल्थ देंगे। देओगे कहां से? यह तो बताओ। आपके पास बजट क्या है? वह बताओ। सरकार मौत से जुड़ा गंभीर विषय नहीं मान रही, आज कितनी मौतें बढ़ जायेंगी? यह प्राइवेट हास्पिटल इलाज करने से मना करेंगे, डेली झगड़े होंगे। आज चिरंजीवी में कोई इलाज करवाने जाता है तो उसको भी वह कहते हैं पहले ओ टी पी जनरेट होगा, रात भर तक ओ टी पी जनरेट नहीं होता। यह मैं जयपुर राजधानी का कह रहा हूं, रात भर ओ टी पी जनरेट नहीं होता। आपने क्या कार्यवाही की? प्राइवेट डाक्टर्स के लिए आप कह रहे हो कि हम कार्यवाही करेंगे। आप जिम्मेदारी से बताओ, जो चूहे मरीजों के कान कुतर गये, कौनसे डाक्टर पर कार्यवाही की? एस एम एस हास्पिटल में गबन हुए, आग लग गई, कौनसे डाक्टर पर कार्यवाही की? कोटा में हजारों बच्चे मर गये, कौनसे डाक्टर पर कार्यवाही की? यहां पर बच्चों को कुत्ते कुतर गये, कौनसे डाक्टर पर कार्यवाही की? क्या आज तक एक भी जांच में किसी सरकारी डाक्टर पर कार्यवाही हुई? अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री जी वाली व्हील चेयर का पहिया टूटा हुआ है, उस पर हुई? आज से पहले आपने किसी पर कार्यवाही की है क्या?

सभापति महोदय, डाक्टर्स, वकील, ये ऐसे प्रोफेशन हैं जिन पर कभी लाठीचार्ज नहीं होता था। ये संवेदनशील प्रोफेशन हैं। किसी मांग के लिए अगर वे धरने पर आये हों, आप पांच आदमियों को इकट्ठा कर के देख लो, हम राजनीतिक लोग जब रैली करते हैं तो हजार आदमी लाने के लिए भी दो बसें लगानी पड़ती हैं, पांच-सात कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी पड़ती है, भोजन के पैकेट रखने पड़ते हैं, तब इकट्ठे होते हैं। आज हजारों की तादाद में जो डाक्टर इकट्ठे हुए हैं, बिना दर्द के कोई इकट्ठा नहीं होता। उनको गंभीरता से हम सुनेंगे नहीं और उनसे कह रहे हैं कि हम आपके पेट पर लात मारेंगे, हम आपसे जबरदस्ती इलाज करवायेंगे, हम आपसे फ्री में इलाज करवायेंगे। आपसे कचरा उठ नहीं रहा, झाड़ू लग नहीं रही, स्वास्थ्य संबंधी उपबंध आपसे किये नहीं जा रहे, हवा साफ दे नहीं पा रहे हो, प्रदूषण मुक्त कर नहीं पा रहे हो। सभापति महोदय, राजस्थान के 19 जिलों में आज भी फ्लोराइड का पानी चल रहा है। शुद्ध पानी आप नहीं दे पा रहे हो, शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हो और आप कह रहे हैं कि हम यह करेंगे।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इन्होंने कहा शिकायत निवारण, डाक्टर्स आलरेडी 54 तरह के लाइसेंस के अंतर्गत काम करते हैं। आपने चारों तरफ से उनको जकड़ रखा है। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में भी सात चक्रव्यूह थे, ये डाक्टर्स 54 लाइसेंस लेकर काम करते हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हो कि एक नई अथॉरिटी बना देंगे। उनका गला दबा दो, उनको कह दो तू डाक्टर बन कर राजस्थान में आ गया तो तुझे फांसी देंगे, आप यह विज्ञापन दे दो। आप क्या कर रहे हो, यह समझ में ही नहीं आ रहा। आप सरकारी हास्पिटलों को मजबूत करो, अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, अपनी लैब्स को मजबूत करो। आर जी एच एस में आज आपने इंजेक्टेबल्स बंद कर दिये, वह आपसे दिये नहीं जा रहे। आप कह रहे हो कि पहले एडमिट होना पड़ेगा, तब इंजेक्टेबल्स देंगे। आपने एम आर आई में क्या किया? 2,900 रुपये की एम आर आई कर दी। सभापति महोदय, 2,900 रुपये में एम आर आई कर दी, बाहर 6,000 में हो रही है। एम आर आई में पांच फिल्में आती हैं, जहां भी चिरंजीवी में इलाज कर रहे हो, वहां तीन फिल्में दे रहे हैं और वह भी कागज में प्रिंट आउट दे रहे हैं। आप काहे का इलाज करोगे? जब इस तरह का इलाज आप राजस्थान की जनता का करना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो कि जनता बेवकूफ है? ये चुनाव का झुनझुना इस सदन के बाहर भी नहीं निकाल पाओगे। ये जो कल 19 जिले बनाये, रेवड़ियां बांटी, आज राजस्थान का हर गांव कह रहा है हम भी जिला बन जाते, हमको तो जिला नहीं बनाया। 5-7 सात जिलों की जरूरत थी, हम भी समझ रहे थे, 5-7 जिलों की घोषणा करते। 19 जिले बनाकर जो झुनझुना पकड़ाया है, चिरंजीवी का जो झुनझुना पकड़ाया, आर जी एच एस का झुनझुना पकड़ाया और अब यह राइट टू हेल्थ का पकड़ा रहे हो, पहले आर टी ई का पकड़ाया। सभापति महोदय, मेरा दावा है कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे करवा लो, चलो हम तो विपक्ष में हैं, आपको हमारी बात उचित भी नहीं लगती और आप मानोगे भी नहीं। आपके विधायकों से सर्वे करवा लो, जिन लोगों को आप फायदा देने की बात कर रहे हो, वे पानी का घूंट पी-पी कर आपकी सरकार को गालियां बक रहे हैं। यदि इतनी गालियां नहीं बक रहे हैं तो इतनी घोषणाएं क्यों कर रहे हो? यदि इतने कान्फिडेंट हो तो फिर इतनी फर्जी घोषणाएं क्यों कर रहे हो? हर दिन एक नई फर्जी घोषणा, जमीन नहीं है, बजट नहीं है, आधार नहीं है और केवल और केवल घोषणा।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप डाक्टर्स की शिकायत का एक सेंटर कर दो, सारे उपबंध खतम कर दो, आप एक सेंटर कर दो कि इस जगह पर शिकायत होगी। जहां शिकायत हुई, वहां अंडर टेबल डील होती है, शिकायत कोई फ्री में बंद हो जाती है क्या? आपके सी एम एच ओ क्या कर रहे हैं? एक भी सी एम एच ओ भ्रष्ट नहीं है तो बता दो, आप इनकी जांच करवा लो। आपने मंत्री बनते ही क्यों सारे बदले? आपने खुद ने कहा कि ये सब चोर हैं और फिर सबको बदला। आप इनको चोर मानते हो और इन्हीं से आप काम करवाना चाहते हो। जब आप इधर आ जाओगे, वह आना तय ही है आपका, तब विपक्ष में आकर कहोगे कि यह राइट टू हेल्थ हम लाये थे और हमने इसमें ठीक से किया होता तो ऐसे हो जाता। इसलिए आज आपके पास समय है, इसको रोको, इसको ठीक करो और इस बिल का नाम बदलो। इसको राइट टू ट्रीटमेंट करो, यह राइट टू हेल्थ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर सदन में चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार भी इंसान को मिलना चाहिये, भारत के हर नागरिक को मिलना चाहिये, राजस्थान सरकार उसको देने का प्रयास कर रही है, उसके लिए तो मैं अभिनंदन करता हूं।

इससे पहले भी हमने कुछ स्कीमें दी हैं, एक आर जी एच एस स्कीम दी। इसमें सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और पेंशनर्स को भी कवर किया। उनके दु:ख-दर्द की हालत शायद सरकार तक पहुंच नहीं रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे शहर में, मेरी कालोनी में श्री राज जीवन जी खिड़ोदा रहते हैं। सप्लाई में एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर थे, रिटायर्ड हो गये। उनकी पत्नी राम प्यारी जी को हार्ट की तकलीफ हुई, एंजियोग्राफी करवानी थी, जोधपुर के श्रीराम हास्पिटल में भर्ती हुए और आर जी एच एस का कार्ड अपलोड नहीं हुआ, इसके कारण से उनको आखिर में जाकर एक पेंशनर को कैश पैसा देकर इलाज करवाना पड़ा, एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। यह आपके आर जी एच एस की हकीकत है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रतिदिन हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही आपकी चिरंजीवी योजना का हाल है। चिरंजीवी योजना की एक सबसे बड़ी कमी तो यह है, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जो नई स्कीम लाने

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जा रहे हो, उससे पहले अपन पुरानी स्कीम की हालत देख लें। भामाशाह योजना में भी इलाज होता है, मैंने देखा है भामाशाह कार्ड हास्पिटल में पहुंचते ही, चाहे वह प्राइवेट हास्पिटल है तो भी और सरकारी है तो भी, जैसे ही भामाशाह कार्ड वह आगे करता था, उसके बाद उस मरीज को एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ता था, जब तक वह वहां से घर नहीं आ जाये। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी चिरंजीवी योजना में क्या हालत है? आपरेशन में चिरंजीवी योजना से पैसा मिलेगा। आपरेशन की स्टेज आने तक जितना पैसा लगना है, वह सारा पैसा मरीज को अपनी जेब से भुगतना है। आपरेशन होने के बाद डिस्चार्ज हो गया और घर चला गया। घर जाने के बाद उसको यदि दुबारा फोलो-अप के लिए जाना है तो फिर उसका पैसा लगना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव दईवा है। दईवा के पदमाराम चौधरी को तकलीफ हुई। हार्ट से खून पैरों में पहुंचना बन्द हुआ, उसकी नस का आपरेशन होना था। ये मेडिप्लस, जोधपुर में गये थे। आपरेशन से पहले 35 हजार रुपये लग गये। फिर आपरेशन हुआ। आपरेशन का खर्चा चिरंजीवी से मिल गया, लेकिन उसके बाद जब फोलो-अप के लिए गये तो फिर पैसा लगा। मैं नाम लेकर एक स्पेसिफिक केस दे रहा हूं। ऐसे और कई सारे केस हैं। चेतन माली, मेरे जालौर का रहने वाला, किडनी ट्रांसप्लांट। युवा अवस्था में किडनी खराब हो गयी, उसकी मां किडनी देने को तैयार। यहां फोर्टिस में भर्ती हुए। आपरेशन की डेट तय हो गयी। चिरंजीवी योजना में कार्ड अपलोड तो हो गया, लेकिन अप्रूवल नहीं आया। मंत्री जी से मुझे निवेदन करना पड़ा और मंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद भी अप्रूवल दूसरे दिन आया। तब तक हास्पिटल ने उनके ऑपररेशन की डेट पोस्टपोन कर दी। एक दिन पहले आया होता तो आपरेशन हो जाता। फिर तीन चार दिन बाद आपरेशन हुआ। यह आपकी चिरंजीवी योजना की हकीकत है।

(समय: 14.00 बजे)

आपकी आर जी एच एस योजना। आर जी एस एच योजना को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने एक लिमिट दे रखी है और यदि उस लिमिट से ज्यादा दवा पेंशनर को चाहिए तो उसको लिमिट बढ़ाने के लिए फिर से चक्कर काटने पड़ते हैं। पहले पुरानी पेंशन की स्कीम में, ओ पी एस की आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, पुराने पेंशनर्स के इलाज की स्थिति में यह होता था कि यदि पर्ची में लिखी हुई दवा मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है तो वहां से

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

NAC ले, NAC लेकर आप मार्केट से खरीद लें और फिर उसका रिएम्बर्समेंट ले लें। वह सुविधा आपने समाप्त कर दी। वहां से जितनी उपलब्ध हैं, बाकी के लिए अपनी जेब से भुगतो। यदि आपात स्थिति में पेंशनर भर्ती होता है तो उसकी जो जांच वगैरह होनी है, उस सब में सारा पैसा रोककर देना पड़ रहा है, पेंशनर्स को भी जबकि पहले रिएम्बर्समेंट होता था, वह भी अब नहीं हो रहा है। कार्ड अपलोड नहीं होता, तब तक जेब से पैसा लगता रहता है। इसका कंट्रोल पहले कलेक्टर के पास होता था। अब प्रावधायी निधि विभाग बनाया है। कलेक्टर और ट्रेजरी के बीच का सम्बन्ध रहता था। कलेक्टर छोटी-छोटी समस्याओं को खुद मॉनिटरिंग करते थे और निपटा लेते थे। अब प्रावधायी निधि विभाग तक जाना पड़ता है, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, शिकायतकर्ता को कोई रिलीफ नहीं मिलती। ऐसे ही आपात स्थिति में यदि पेंशनर को बाहर इलाज करवाना पड़ जाये, यदि कोई आदमी अहमदाबाद गया, बीमार पड़ गया, भर्ती हो गया, इलाज करवाया। पहले रिएम्बर्समेंट एस एम एस की रेट के आधार पर होता था, अब नहीं हो रहा है।

आपकी नयी स्कीमों का हश्र अब तक यह है कि जनता बार-बार भुगत रही है, जगह-जगह भुगत रही है। पेंशनर्स भुगत रहे हैं, आम आदमी तो भुगत ही रहा है। इन सब के बावजूद आप एक और नयी व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपकी जो घोषणाएं थीं, उनकी क्या हालत हो गयी है? मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना की बात हमने कई बार की है। आपने जांचों की संख्या बढ़ा दी। पी एच सी में बढ़ा दी, सी एच सी में बढ़ा दी, उप जिला, जिला अस्पताल, सब जगह पर आपने बढ़ा दी। बढ़ाकर घोषणा कर ली, तालियां बजवा लीं, टेबल कुटवा ली, लेकिन क्या जांचें हो रही हैं? कौन चैक कर रहा है? पी एच सी और सी एच सी में या तो जांच की मशीन नहीं है, मशीन है तो चालू नहीं है, चालू है तो टेक्निशियन नहीं है। अक्सर यह हालत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांडोला पी एच सी है। वहां डाक्टरों की अधिकांश पोस्ट खाली हैं और टेक्निकल स्टाफ की भी खाली हैं। उसके बाद भी आपने घोषणा करके तालियां बजवा लीं। ऐसे ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर बनायेंगे, उसका क्या हुआ? उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक हजार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, अभी तीन सौ भी नहीं खुले। ऐसी और भी, बेड की, डायलिसिस की, पता नहीं आपने क्या-क्या ढेर सारी घोषणाएं की हैं। सी एच ओ की भर्ती की जा रही है, नहीं हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक नहीं

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

खुल रहे हैं। वही हालत इसकी भी होने वाली है। आप जनता को राइट टू हेल्थ देना चाह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के भरोसे देना चाह रहे हैं। आपका सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं दे पायेगा, यह आप भी जानते हैं। वह रैफर करेगा। आखिर में सारा दारोमदार प्राइवेट पर जाना है। प्राइवेट को आप रीएम्बर्स करेंगे, आप यह वचन तो दे रहे हैं? लेकिन रिएम्बर्समेंट कब होगा? राइट टू एजुकेशन में रिएम्बर्समेंट कब हो रहा है? दो-तीन साल बाद। राइट टू एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ा है, आपके राज में उसका रिएम्बर्समेंट तीसरे साल में जाकर हो रहा है। इसमें भी वही हालत होगी।

आप अपनी ड्यूटीज करने में कमजोर पड़ रहे हैं और अगले से आप इतनी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि जरा-सी चूक हुई तो उसको फांसी पर लटकाने जैसी व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मेरी पार्टी ने भी आपसे निवेदन किया है, प्रवर समिति में हमारे मैम्बर्स ने भी आपसे निवेदन किया है और हम यहां भी निवेदन कर रहे हैं कि इसको थोड़ा-सा और ठीक कीजिये, बिल को ठीक करिये और जिनसे आपको काम लेना है, उनको विश्वास में लीजिये। उनका भरोसा जीतिये। काम तो आखिर उनको करना है। इस बिल का स्वागत करना तो छोड़िये, वे आज इस बिल से आतंकित हैं। उस आतंक के साये से उनको मुक्त कीजिये, उनको कन्वींस कीजिये। उनका माइंड्स क्लियर कीजिये, उनके डाउट्स क्लियर कीजिये और उसके बाद इसको पास करवायेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यह मेरा सरकार से निवेदन है। मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। पक्ष-विपक्ष के सभी साथियों ने इस बिल को लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किये। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। प्रवर समिति की छह बैठकों के बाद भी आज प्रदेश की स्थिति यह है कि हजारों की तादाद में डाक्टर पिछले दो दिन से विरोध कर रहे हैं और सरकार ने जो डाक्टरों पर बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की है, मैं इसकी सदन में घोर निन्दा करता हूं, क्योंकि किसी को सिर्फ कुचलना और दबाना है। यदि प्रवर समिति की छह बैठकों के बाद भी हम कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल पाये हैं जिससे कि हम कहीं न कहीं, इसका नाम बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम,

(श्री नारायण बेनीवाल)

जैसे कि अभी हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक ने बहुत अच्छी बात कही कि स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, यह सिर्फ ट्रीटमेंट के अधिकार की बात ही हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के अधिकार में कई चीजें जुड़ी हुई हैं। हर व्यक्ति के कई मौलिक अधिकार हैं। माननीय सभापति महोदय, जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम है, हो सकता है कि इसके पीछे आपकी अच्छी मंशा हो, लेकिन जिस मंशा के साथ हम यहां पर काम करवाना चाहते हैं, एक तरफ तो हम लोगों ने डाक्टर को भगवान का दर्जा दे दिया, चाहे पक्ष-विपक्ष के लोगों ने हमारे स्वार्थ के लिए दे दिया, लेकिन आज वे सड़कों पर आन्दोलन कर रहे हैं और जिस तरह से दो दिनों से कार्यवाही हो रही है, आज भी हम डाक्टरों से मिलने गये, उनको चारों तरफ से ऐसे बन्धक बना रखा था, जैसे कि आतंकवादी घुस गये हों। महिला डाक्टरों पर वाटर-गन की बौछारें, इस तरह से आप बर्बतापूर्वक कार्यवाही करके, फिर तो यह अधिनियम यहां लाकर चर्चा की जरूरत नहीं थी, आप कहते कि सत्ता पक्ष के व्यक्ति जो करेंगे, वह फाइनल है।

माननीय मंत्री जी, आप जब सहकारिता मंत्री थे, चूंकि मैं सहकारिता से जुड़ा हुआ हूं, तब आप बड़े संवेदनशील थे। शायद हो सकता है कि यह विभाग ही ऐसा हो। हमारे केकड़ी से आने वाले विधायक निरोगी राजस्थान का सपना लेकर आये, उनके सपने को आपने चूर-चूर कर दिया। यह कहीं न कहीं विभाग के अन्दर हो सकता है कि ऐसा हो। आपकी जो आभा है, वह कहीं न कहीं कमजोर हुई है। मंत्री जी, इस बात को भी आप सोचें। आज सबसे बड़ी बात यह होती, आप आर जी एच एस की बात करें, सी जी एच एस की बात करें, आपकी मॉनिटरिंग कहां पर है? आज स्थिति यह है कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर हैं, उनका आर जी एच एस और सी जी एच एस का भुगतान हो सकता है कि समय पर हो, लेकिन जो सहकारी संस्थाएं इस प्रदेश की रीढ़ हैं, उनको समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। आधी से ज्यादा सहकारी संस्थाएं घाटे में जा रही हैं। मंत्री जी, मैं आपको वही बात कहूंगा जो सत्य है। इस भुगतान के अन्दर भी बड़ी हेराफेरी बड़े लोग कर रहे हैं। शायद यह आपके ध्यान में नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि आप भी बड़े-बड़े प्रशासनिक पदों पर रहे हैं, इसके अन्दर जो चिरंजीवी योजना है, यह सही है कि सब विधायकों ने कहा कि राजस्थान में 80 से ज्यादा ट्रोमा सेंटर हैं। इस बार हमारे इलाके में भी आपने ट्रोमा सेंटर की सौगात दी है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी दे देता हूं। लेकिन पिछले दो साल से जो पी एच सी और सी एच सी दी हैं, मुझे तो ताज्जुब तब होता है, जब 2013 के अन्दर तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री

(श्री नारायण बेनीवाल)
अशोक जी गहलोत ने हमारे पांचला सिद्धा के अन्दर सी एच सी की घोषणा की। उसके बावजूद भी आज तक एक ही डाक्टर है। वह पी एच सी का पी एच सी ही पड़ा है। कागजों में वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन गया। यही हालत अधिकतर विधायकों के हैं। मुझे बड़ी खुशी तब होती, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, जब माननीय हमारे गुलाब चंद जी कटारिया गृह मंत्री हुआ करते थे, बिलकुल संभाग स्तर पर भी मीटिंग होती थी जन-प्रतिनिधियों की, जिला स्तर पर भी जन-प्रतिनिधियों की मीटिंग्स होती थीं। लेकिन मेरे हिसाब से आपने इसमें ज्यादा रुचि दिखाई नहीं। कभी हम लोगों से भी आप गेट-टूगेदर करते, हो सकता है हम अच्छे सुझाव आपको देते। आज ये स्थिति क्यों आई? डाक्टर्स की और सरकार की भिड़ने की स्थिति क्यों आई? आपके सत्ता पक्ष के विधायक भी, हो सकता है वह खुलकर नहीं बोल पाएं, क्योंकि उनके ऊपर कहीं न कहीं व्हिप की बात है।

यदि हम इसमें नैतिक बात करें तो, माननीय मंत्री जी, कहीं न कहीं विधेयक ठीक नहीं है। आज जिस व्यक्ति को भगवान का दर्जा है, उस व्यक्ति को सड़कों पर संघर्ष करना पड़े, लाठी-गोली खानी पड़े। हम उनसे जबरदस्ती इलाज नहीं करवा सकते। मैं तो आपके माध्यम से यही मांग मंत्री जी से करना चाहूंगा कि यदि हम ईमानदारी से राजस्थान के लोगों को अधिकार देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चिरंजीवी योजना पर उचित मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। ओ टी पी जनरेशन की बात कई माननीय विधायकों ने कही। क्या स्थिति है, आप जान सकते हैं। आज आर जी एच एस, सी जी एच एस की मॉनिटरिंग का भी बहुत बड़ा अभाव है। सी एच सी, पी एच सी और सब-सेंटर्स की यदि हम बात करें, हम अधिकार देने जा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को कि स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम हम ला रहे हैं, सरकारी जो विभाग हैं हमारे, सरकारी जो सब-सेंटर्स, पी एच सी, सी एच सी हैं, सबसे पहले आप उन पर लागू कीजिए।

आज हालात क्या है? सरकारी हास्पिटल के अंदर डाक्टर नहीं है, कहीं ए एन एम नहीं है, कहीं जी एन एम नहीं है, हमारे लैब की स्थितियां ठीक नहीं हैं। टेक्निकल लोग नहीं हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। सबसे पहले इसको चुस्त-दुरुस्त करके फिर हम आगे बढ़ते, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार के अब बहुत कम दिन बचे हैं तो आप लोगों को कोई न कोई ऐसा झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं कि जिससे रिपीटेशन हो।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय मंत्री जी, यह कदम आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि दबी जुबान से प्रत्येक व्यक्ति इस बिल के खिलाफ है। अभी हमारे डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने यह कहा कि डाक्टर जो है, वह आने वाले मरीज की जेब देखता है। स्वार्थ की दुनिया है, कौन नहीं देखता? आप लोग भी देखते हैं। हमें पता है, आप लोग दोनों विधायक हमारे साथ हमेशा वेल में खड़े मिलते हैं, सरकार के फैसले के खिलाफ। आज क्या हालात हो रखे हैं? हमें ईमानदारी से यह चीज बोलनी है कि हम इस मामले के अंदर आम व्यक्ति को लाभ कैसे दे पाएं। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम हम ला रहे हैं तो इसके अंदर हमारी मंशा क्या है? आम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले? चाहे हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, चाहे राइट टू इन्फार्मेशन की बात करें, आज दोनों के क्या हालात हैं, इस प्रदेश के अंदर? यह किसी से से छिपा हुआ नहीं है। माफिया पनप गये।

सभापति महोदय, एक बॉयो वेस्ट के निस्तारण की बात, माननीय मंत्री जी, आज संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे हैं। पैसा लेकर बॉयो वेस्ट की दो चार कंपनियों को आपने पूरे राजस्थान का ठेका दे दिया। कहीं भी बॉयो वेस्ट निस्तारण की बात राजस्थान में नहीं हो रही है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर आप जन-प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करें।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, जो पेज 19 पर खण्ड 9 में जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन की बात हमने की है। इसके अंदर कलेक्टर होंगे, आर ए एस, आई ए एस होंगे, चिकित्सा से जुड़े लोग होंगे। लेकिन कहीं न कहीं जन-प्रतिनिधि, हो सकता है कि सारे जन-प्रतिनिधि इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन कोई तो ऐसा जन-प्रतिनिधि जिले में होगा, जो इस व्यवस्था के बारे में जानता है। दो व्यक्तियों को आप नामित करेंगे। आपने फूड डिपार्टमेंट के अंदर नामित किये लोगों को आबंटन के लिए। क्या स्थिति है? आपको सब पता है। सब विधायक जानते हैं, उनके हालात क्या हैं? मैं तो आपसे इतना निवेदन करूंगा कि यदि हम ईमानदारी से, सब लोग मिलकर, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, यह हमारी मूल भावना है तो हम लोग मिलकर कोई न कोई ठोस उपाय बताएं जिससे कोई न कोई अच्छा मक्खन निकलकर आए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

(श्री नारायण बेनीवाल)

यह निवेदन करूंगा कि यह जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम है, इसके अंदर आप जल्दबाजी नहीं करें। डाक्टर्स के साथ बैठकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकालें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस अधिनियम को आप 6 महीने के लिए पुन: परिचालित करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, यह जो विधेयक है, इसका मैं डेफिनेटली बहुत स्वागत करती हूं कि आपने यह सोचा कि राइट टू हेल्थ हमारे को राजस्थान में लाना चाहिए। पोस्ट कोविड में पूरे राजस्थान ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने हेल्थ को लेकर एक अलग ही टाइप का सिनेरियो देखा। जब मैं यहां पर खड़ी होकर यह बात कह रही हूं तो इस बात को मानिए कि शायद मैं भी उन लोगों में से हूं जिसने कोविड में एक बहुत बड़ा लोस देखा है। इसलिए हेल्थ बहुत जरूरी होती है। अगर राइट टू हेल्थ हम ला रहे हैं, इसका अपना ही एक महत्व है। जब इस बिल को हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर कहीं न कहीं यह कन्फ्यूजन हुआ कि हेल्थ को हम मानते क्या हैं।

जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ एक्सीडेंटल हेल्थ है? क्या सिर्फ डिलीवरी के लिए बिल लाया जा रहा है या फिर हेल्थ की सही मायने में हम बात कर रहे हैं? वेलनेस की तो इस बिल में कहीं बात ही नहीं हुई। मेंटल हेल्थ की हमने कहीं बात नहीं रखी। आजकल ऐसी कितनी प्रोब्लम्स हैं, जो आ रही हैं, लेकिन उस बारे में कहीं भी इस बिल में चर्चा नहीं हुई। इस बिल में नहीं रखा गया।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपना पहला सुझाव यह देना चाहूंगी मंत्री महोदय को कि इसको राइट टू हेल्थ की जगह राइट टू एक्सीडेंटल इमरजेंसी ट्रीटमेंट बिल का नाम दें तो कहीं न कहीं जो डाक्टर्स बाहर सारे धरने पर बैठे हुए हैं, वे भी इस बात से सहमत होंगे। हेल्थ एक बहुत बड़ा वर्ड है। जब हम यह बात कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल हम लेकर आ रहे हैं और उसमें हम सुविधाएं देना चाह रहे हैं, चिरंजीवी में आलरेडी आप लोगों ने बहुत प्रचार-प्रसार किया कि हम क्या-क्या सुविधाएं पेशेंट्स को देंगे। इस राइट टू हेल्थ में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आलरेडी आपने चिरंजीवी के नाम से

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

या जन आरोग्य योजना के नाम से नहीं दिया। 108 में एम्बुलेंस की बात भी आपने कही कि हम पेशेंट को किस तरीके से निःशुल्क पहुंचाएंगे अस्पताल में। ऐसा क्या नया इस राइट टू हेल्थ बिल में ला रहे हैं? यह समझने में बहुत कन्फ्यूजन है। डेफिनेटली हम जैसे नये विधायकों के लिए तो यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है।

सभापति महोदय, जब चिरंजीवी में आलरेडी आपने यह बात कही कि हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में कभी-भी कोई पेशेंट जाए और उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चिरंजीवी की भी अपनी अलग प्रोब्लम्स हैं। लेकिन हमने जो इस योजना का प्रचार-प्रसार किया, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे पास चिरंजीवी योजना है, मेरे पास चिरंजीवी कार्ड है। मैं जैसे ही प्राइवेट हास्पिटल में जाऊंगा प्राथमिकता से मुझे इलाज मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। ग्राउण्ड रियलिटी यह नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। कोई भी विधायक, किसी भी दल से आये, वह यह मानता है कि इसका उपयोग हर व्यक्ति को जो डिमांड करता है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। जब कोई पेशेंट चिरंजीवी के लिए जाता है तो सबसे पहले तो ओ टी पी जनरेट नहीं होता। मेरे स्वयं के पास इतने लोगों के फोन आते हैं, हर विधायक के पास आते होंगे, हर जन-प्रतिनिधि के पास आते होंगे कि मैडम, आप फोन कर दें तो हमारा चिरंजीवी कार्ड एक्सेप्ट हो जायेगा। आप लोग फोन कर दें तो हमारा ट्रीटमेंट जल्दी हो जायेगा, आप जयपुर फोन कर दें तो कम से कम हमारा ओ टी पी जनरेट हो जायेगा, स्टेंट लग जायेगा क्योंकि यह इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आता है।

इमरजेंसी वर्ड, इस राइट टू हेल्थ बिल में लिखा है कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए इनको बाध्य करेंगे। इमरजेंसी वर्ड को डिफाइन ही ढंग से नहीं किया गया है। क्या है इमरजेंसी? सांगानेर से आये हुए विधायक ने बोला कि पेट में दर्द होगा तो क्या वह इमरजेंसी है? मैं उस बात को कोट करते हुए यह पूछना चाहूंगी कि दांत में अगर किसी के दर्द होता है, वह दर्द इतना भयानक और खतरनाक होता है कि उसके बाद कोई खाना भी नहीं खा सके। क्या वह भी इमरजेंसी है? अगर वह इमरजेंसी है तो क्या उसका मेंशन है इस राइट टू हेल्थ में? क्या डेंटिस्ट को इसके अंदर लिया है?

सभापति महोदय, इतना वेग राइट टू हेल्थ लाना और उसके बारे में

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

कि हमें यह लाने की सख्त जरूरत है, क्यों? क्यों नहीं हम बैठकर सुविचार कर रहे हैं? क्यों पोजिटिव चर्चा नहीं कर रहे हैं कि राइट टू हेल्थ में क्या-क्या आना चाहिए और क्या-क्या नहीं आना चाहिए? इमरजेंसी वर्ड को इतना वेगली डिफाइन किया है इस पूरे राइट टू हेल्थ बिल में कि समझना बहुत मुश्किल है।

पेशेंट-डाक्टर कानफ्लिक्ट के बारे में बात नहीं की गई। आज जब राइट टू हेल्थ आता है, डाक्टर्स आलरेडी अभी धरना दे रहे हैं। इतना बड़ा कॉनफ्लिक्ट हो गया है। पेशेंट जाएंगे, 15-15, 20-20 लोग लेकर जाएंगे। अगर जबरदस्ती डाक्टर्स को पाबंद करेंगे, मैं यहां यह नहीं बोल रही कि पेशेंट्स गलत है, मैं आपको यह कहना चाह रही हूं कि ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। यह प्रेक्टिकल और लोजिकल परिस्थितियां हैं। ऊपर से पढ़ने-लिखने में अच्छा लगता है कि हम इनको इन्वाल्व कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउण्ड लेवल पर ये परिस्थितयां आएंगी, तो हम कैसे उनका निराकरण करेंगे, कैसे साल्व करेंगे, उस बारे में इसमें कहीं चर्चा ही नहीं है।

सभापति महोदय, राइट टू हेल्थ हम लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी क्रांतिकारी इसमें नहीं आ रहा है कि राइट टू हेल्थ में यह नया है, बहुत अच्छा है, शानदार है और हम लोगों की हेल्प करेंगे। सिर्फ और सिर्फ घोषणा करना और उसका प्रचार करना। इतना प्रचार हो जाता है कि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को समझाने में हम जैसे जन-प्रतिनिधियों के लिए बहुत तकलीफ होती है कि नहीं, आप जो सोच रहे हो वह नहीं आ रहा। चिरंजीवी में आप लोग जो सोच रहे हो, वह नहीं आ रहा है। हम डाक्टर्स नहीं पहुंचा सकते, डाक्टर्स नहीं हैं तो हम आपको कहां से पी एच सी, सी एच सी में दें। वे लोग तो हमारे पास सीधे आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास यह चिरंजीवी कार्ड है, यह सॉल्व होना चाहिए। हम कैसे उन लोगों को यह बताएं कि डाक्टर्स ही नहीं हैं? इसलिए प्राइवेट हास्पिटल पर हम इतना भार कर रहे हैं। उसके बाद भी बिना सोचे-समझे बिल लाएंगे तो हमें कितनी तकलीफ होगी।

सभापति महोदय, इस विधेयक में धारा तीन में लिखा है कि स्वास्थ्य का अधिकार राज्य के प्रत्येक निवासी को दिया जाएगा। "‟Resident” means an ordinary resident of the State of Rajasthan”, तो क्या हम यह कहना चाह रहे हैं कि 20-20, 25-25 साल से जो लोग यहां राजस्थान में रह रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग कहीं से आकर यहां छोटा बिजनस कर रहे हैं, हम उनको कोई भी मूलभूत सुविधा, राइट टू

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

हेल्थ, जो कांस्टीट्यूशनल राइट है, वह उन लोगों को नहीं देना चाह रहे हैं? सभापति महोदय, कन्फ्यूजन होता है जब हम इसमें लिख रहे हैं आर्डिनरी रेजीडेंट, परिभाषा में किसको लाना चाह रहे हैं, यह समझ से परे हैं।

एक और बात इसमें लिखी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, मुझे दस मिनट मिले हैं, मैं उतना बोलूंगी। आप मुझे हमेशा टोकते हैं, लेकिन चार पाइंट्स मुझे करने हैं। मैं कंक्लूड करूंगी, विद इन टाइम कंक्लूड करूंगी। जब हम आर्डिनरी रेजीडेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें उन लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्यों यह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? मंत्री महोदय से मैं इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, मेडिकल फैसिलिटी को हम प्राइवेट डाक्टर्स पर डालना चाह रहे हैं तो क्या सरकार ने यह मान लिया है कि है कि हम कैपेबल नहीं हैं कि हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटी जनता तक पहुंचा सकें? राजसमंद में आर. के. हास्पिटल, जिला चिकित्सालय है, वहां हम उसको बोलते हैं कि यह रेफरल हास्पिटल है। डाक्टर्स नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या यह मान रहे हैं कि हम डाक्टर्स प्रोवाइड नहीं करा सकते, सुविधा प्रोवाइड नहीं करा सकते? जांच ढंग से प्रोवाइड करा सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसलिए हमें प्राइवेट हास्पिटल्स में लाना पड़ेगा। सबको प्राइवेटाइजेशन में जाना पड़ेगा। जो जांच होती है, गवर्नमेंट हास्पिटल में बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, पी एच सी हो, सी एच सी हो, जिला चिकित्सालय हो, मैं इस पवित्र सदन में पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहती हूं कि आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं डाक्टर्स नहीं हैं। जो डाक्टर्स ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आज धरने पर बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय, सेनेटाइजेशन, स्वच्छ पानी, यह सब भी हेल्थ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इन विषयों पर इसमें कोई चर्चा नहीं की गई। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हम कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में कहीं चर्चा नहीं है तो राइट टू हेल्थ हम कैसे करेंगे?

सभापति महोदय, नया कानून आता है तो वह सरकार का आकार बढ़ाता है। सुशासन का एक नया अर्थ देने वाले महान भारतीय चिंतक चाणक्य ने कहा था कि सरकार का आकार जितना छोटा होगा, भ्रष्टाचार उतना कम

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

होगा। इसके अन्दर सोशल आडिट के बारे में लिखा है। हम सोशल आडिट अगर इन डाक्टर्स के ऊपर लाएंगे, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि आप इंस्पेक्टर राज को खतम करें, दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि प्राइवेट हास्पिटल्स में इंस्पेक्टर्स आ जाएंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगी। फिक्स एक मिनट।

श्री सभापति: अब समाप्त करिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लास्ट, कंक्लूड कर रही हूं। मेरा यह कहना है कि सोशल आडिट अगर इन डाक्टर्स पर करेंगे तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। सभापति महोदय, पाइंट्स तो बहुत बोलने थे। मंत्री महोदय, आपको एक सुझाव जरूर देना चाहूंगी। हमने कोविड में देखा था कि डाक्टर्स ने ऑनलाइन बहुत हेल्प की थी। हम जानते हैं कि डाक्टर्स कम हैं। अगर आप ऑनलाइन कुछ कंसल्टेशन इसमें डालें कि हम ऑनलाइन उनसे सुझाव ले सकें तो गांव में बैठे व्यक्ति को भी इसका लाभ प्राप्त होगा।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, लास्ट में एक बात कहकर अपनी बात अंत करूंगी।

श्री सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री फूल सिंह जी मीणा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मंत्री महोदय, उस तम को नहीं तोड़ना चाहिए जिस पर आपकी इमारत खड़ी होती है। पहले जमीन पक्की कर लो तो इस बिल के साथ वापस आओ, क्योंकि डाक्टर्स सड़क की बजाय हास्पिटल में होगा, तभी जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद। सभापति महोदय, इस बिल को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, इस बात में मैं सहमत हूं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आज राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 संशोधन बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज सरकार द्वारा संशोधन के लिए बिल लाया

(श्री फूल सिंह मीणा)

गया है। मैं तो छोटी-सी बात कहूंगा। चिरंजीवी योजना में 10 लाख की जगह 25 लाख कर दिए, बहुत अच्छी बात है, मगर गरीब को, मरीज को, इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वह प्राइवेट हास्पिटल में जाता है कि 25 लाख तक फ्री इलाज है, मगर वहां जाने के बाद कहते हैं कि ओ टी पी नहीं आती है तब तक भर्ती नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके अंदर कोई प्रावधान करो। मेरे उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में टोटल ट्राइबल एरिया आता है। वहां का कोई मरीज जाता है, उसको धक्के खाने पड़ते हैं तो कोई सुविधा करो। चिरंजीवी योजना का वहां कोई स्टाफ बैठे और उस गरीब को इसका रास्ता बताए कि इस रास्ते जाओ, वहां आपका फायदा होगा, जल्दी भर्ती हो जाएगा।

(समय: 14.27 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है, एम्बुलेंस द्वारा उसे हास्पिटल में ले तो आते हैं मगर उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। घर वालों को मैसेज जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, हास्पिटल में भर्ती है, तो घर वाले कैसी स्थिति में वहां जाते हैं? उसको चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिलता। रात को 12 बजे वह कहीं से भी पैसे लाता है, यह सोचकर ऑनलाइन पैसे जमा कराता है कि चिरंजीवी योजना में मिल जाएगा। जब चिरंजीवी योजना का दूसरे दिन भी ऑनलाइन नहीं होता है तो उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है, औरत का जेवर बेचना पड़ता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि ऐसे दुर्घटनाग्रस्त मरीज को तो तुरन्त प्रभाव से चिरंजीवी योजना से जोड़ा जाए। इलाज में उसको कोई भी परेशानी नहीं आए। कोरोना ऐसी बीमारी आई थी, परिवार के सदस्य भी उसको टच नहीं करते थे, डाक्टर्स की कमी थी, फिर भी डाक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज किया।

सभापति महोदय, उदयपुर ज़िले में क्षेत्रफल बड़ा है। एक सी एम एच ओ लगा हुआ था, एक सी एम एच ओ और लगाया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि वहां रिटायर्ड डाक्टर को सी एम एच ओ में लगाया? क्या डाक्टर्स की कमी थी? वह एक डाक्टर इधर लगता तो कहीं न कहीं दूसरे बेरोजगार को जगह मिलती। रिटायर्ड सी.एम.एच.ओ. को लगाकर आपने डाक्टर्स का अधिकार क्यों छीना? माननीय सभापति महोदय, डाक्टर्स की कमी नहीं थी, उसके बाद में भी ऐसा कर रहे हैं तो सरकार ऐसा नहीं करे।

(श्री फूल सिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्राइवेट हास्पिटल्स को अपन सुविधा देते हैं मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जे.वी.एच. अमेरिकन हास्पिटल बेड़वास में आती है, वास्तव में इनके पास संसाधन पूरे नहीं होते हैं और जब बाहर की कोई टीम आती है जांच के लिए तो हमारे यहां पर प्रताप नगर चौराहा से दिहाड़ी मजदूरों को लाकर, पांच-पांच सौ रुपये देकर कतारों पर लगा देते हैं, उनको भर्ती कर देते हैं। ऐसे हास्पिटल्स के अन्दर ईमानदारी से जांच करायें। उसकी सुविधा पूरी नहीं है और उसको अपन परमिशन दे देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय। मेरे चांडा पंचायत के अन्दर सी.एच.सी. बनी हुई और वह वहां से चालीस किलोमीटर दूर है और लोग प्राइवेट हास्पिटल्स में जाते हैं। मंत्री महोदय को मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे दूरदराज के एरिया में पीएच.सी. को सी.एच.सी. बनाकर उनको सुविधा दें। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा रखता हूं कि वे पांच मिनट में अपनी बात कहेंगे। यह डिमांड नहीं है कि अस्पताल खोल दो, पी.एच.सी. को सी.एच.सी. बना दो, सी.एच.सी. को कालेज बना दो और कालेज को मेडिकल कालेज बना दो, ऐसा नहीं चलेगा। पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे। दो बिल अभी और बाकी पड़े हुए हैं। यह बिल भी पूरा नहीं हुआ। आप जिस तरह से डिमांड्स कर रहे हैं तो डिमांड पर तो अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा पर्टिकुलर इस बिल पर हो रही है और बिल पर कन्फाइन करेंगे प्योरली आप और पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल, 2022 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्रीमती कल्पना देवी)

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूं कि यह हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में हम सबको राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्थ आलरेडी चिन्हित है। इस बिल में इसके अलावा क्या अधिकार दिये जा रहे हैं, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे रूल्स इसमें हैं। मैं सीधे बिल पर बात कर रही हूं तो पेज 32 (za) पर यह आपने transfer or transport of patients की बात की है पर यह क्लियर नहीं है कि जो छोटे बेडेड हास्पिटल्स हैं, एक बेड से लेकर दस बेड तक के हास्पिटल्स, जिनके पास शायद एम्बुलेंस नहीं होगी, उनके ऊपर फिर क्या आप कोई दंड लगाएंगे कि वे अपने पेशेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं? अगर वे दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे तो इनका रिएम्बर्समेंट कैसे होगा? यह इसमें क्लियर नहीं है।

ऐसे ही आपने पेज 35 में भी वापस यह ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन की बात की है पेशेंट को रैफर करने की पर इसमें कोई क्लेरिटी नहीं है। पेज 33 में आपने यह लिखा है, पाइंट 3 पार्ट (b) में, “to avail free OPD services, IPD services” इसमें आपने कोई टाइम लिमिट रिएम्बर्समेंट का नहीं क्लेरिफाई किया है तो इसमें यह भी क्लेरिफाई किया जाना चाहिए कि मैक्सिमम 15 दिन में अगर इन निजी हास्पिटल्स को रिएम्बर्समेंट हो जाता हो तो वह मेरे ख्याल से बहुत खुशी से यह करने को तैयार हैं परंतु मैंने यह देखा है कि कोटा में अभी भी करोड़ों रुपये का जो बकाया है, अभी तक इन निजी हास्पिटल्स को नहीं मिला है, इस वजह से चिरंजीवी में जो दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। यह भी इसका एक कारण है।

ऐसे ही शिड्यूल-A में आपने यह लिखा है- “Designated Health Care Centres” means health care centres establishment officially marked and chosen for special purposes and roles including Government public trust hospitals, private medical college hospitals, hospitals running on public-private partnerships, hospitals running on government allotted land on subsidized rates; and this must be included in the definition, जो कि आपने नहीं किया है।

इसके बाद में कहूंगी कि कहीं भी गवर्नमेंट हास्पिटल्स की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं रखी गयी है। क्यों ये अकाउंटेबल नहीं होंगे और क्यों केवल प्राइवेट हास्पिटल्स ही अकाउंटेबल होंगे? रही बात, आपने यह

(श्रीमती कल्पना देवी)

सुनाई है, शायद पूरे राजस्थान में ही नहीं पर पूरे देश में, मैं जे.के. लोन हास्पिटल की बात करूं, वहां पर बच्चों के साथ क्या हुआ? एम.बी.एस. हास्पिटल में महिला जो आई.सी.यू. में भर्ती थी, उसकी आंख कुतर गयी, चूहों ने कुतर दिया, उसके बारे में बात कहूं। माननीय सभापति महोदय, लेटेस्ट जो बात है जो एम.बी.एस. हास्पिटल में लैब है, जो 24 घंटे चलती है और लोग वहां पर बड़ी संख्या में जाते हैं, वहां पर सीवरेज का पानी भरा हुआ है और लोगों को पत्थर पर से कूद कर जाना पड़ रहा है उस लैब में तो यहां अकाउंटेबिलिटी, अगर यह हाइजीन ही नहीं होगा, कहीं पर भी आपने cleanliness और hygiene की बात नहीं कही, यह राइट्स नहीं मिलेंगे क्या जनता को? क्या हास्पिटल्स में अगर हाइजीन और सेनिटेशन की बात नहीं करेंगे तो इंफेक्शन और काम्प्लिकेशन का जो डर है, उसमें आपने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि, it should be sanitized, hygiene and cleanliness. यह एक प्राइम एग्जाम्प्ल है जो अभी आपको कह रही हूं।

इसके अलावा सरकार द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि यह जो प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल है यह WHO एवं सर्वोच्च अदालत के निर्देशों के अनुरूप है। यदि यह सत्य है तो WHO अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे आदेश को सार्वजनिक किया जाये, जिसमें यह बतायें कि सभी निजी हास्पिटल्स को इमरजेंसी मरीजों को नि:शुल्क इलाज करना चाहिए। यह कहां पर लिखा है WHO में? यह आप जो कोट कर रहे हैं WHO को।

इसके अलावा आपने पाइंट नम्बर-2, पेज 29 में पैरा (g) में स्पेसिफिकली यह लिखा है- 'emergency obstetric care' क्यों? यह क्या महिला विरोधी बिल है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोस्टली जो गायनोकोलोजिस्ट होते हैं, they are females. 99 परसेंट वे हैं, and as a woman शायद, सभी यहां पर जो महिला माननीय सदस्य हैं, हम सब ज्यादा कम्फर्टेबल हैं अगर हम महिला गायनोकोलोजिस्ट के पास जाये। शायद एक परसेंट हो सकता है कि पुरुष गायनोकोलोजिस्ट हो पर ज्यादातर ये महिला गायनोकोलोजिस्ट होती हैं तो इनको अलग से चिन्हित करने का क्या आपका उद्देश्य है? Why are they being mentioned for emergency obstetric care separately under a separate head? यह समझ में नहीं आया। लगता है कि यह जैसे वह काला कानून है, महिला विरोधी है। एक महिला अपने गायनोकोलोजिस्ट के पास जाकर ऐसे प्राइवेट डिटेल शेयर करती

(श्रीमती कल्पना देवी)

है जो वह कम्फर्टेबल नहीं होगी, दूसरे डाक्टर के पास जाकर तो यह रिलेशनशिप वह अपने मोहल्ले में जो क्लिनिक है, उसके पास जायेगी या जो भी हास्पिटल में जायेगी? अगर एक महिला डाक्टरी पढ़कर अपना नर्सिंग होम चलाती है, मैटरनिटी होम चलाती है और अगर आप लोग उनके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो मुझे यह लगता है कि यह जो महिला डाक्टर्स हैं, ये सब हमारा प्रदेश छोड़कर अगल-बगल के प्रदेश में चले जाएंगी।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में कंक्लूड करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): इसके साथ ही अन्त में बस थोड़ा-सा, मदनजी प्लीज, दो मिनट।

ये पलायन अगर करेंगे और दूसरे नर्सिंग होम्स नहीं लाये जायेंगे तो हम सब अच्छे मेडिकल हेल्थ केयर से वंचित रह जायेंगे। हमने कोविड में यह देखा है कि जैसे डाक्टर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं करके काम किया है तो आज ऐसा क्या हो गया? उस टाइम तो हमने उनको भगवान माना है और आज हम उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर रहे हैं।

अन्त में, मैं यह भी पूछना चाहती हूं, यहां पर सभी सदस्य हैं, इनके घर में बहुएं होंगी, बेटियां होंगी तो सब शायद प्राइवेट नर्सिंग होम्स में ही डिलीवरी करवाते हैं? तो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं हम अपने गवर्नमेंट हास्पिटल्स का स्टेंडर्ड इतना हाई कर दें, ताकि प्राइवेट हास्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़े, न प्राइवेट हास्पिटल के पीछे पड़े। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): 000

श्री सभापति: प्लीज, आप सहयोग करें। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यदि यह सरकार वास्तव में स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहती है तो यह स्वागत योग्य है पर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उसकी भी चिंता करें जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो। यदि स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके उपचार की भी पूरी व्यवस्था हो, यह

(श्री मदन दिलावर)

दोनों हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हमारे हास्पिटल्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा है क्या? स्टाफ पैटर्न पूरा है क्या? यदि यह नहीं है और हम यह सोचकर जाते हैं कि यह ट्रोमा हास्पिटल है और वहां पर न्यूरोलॉजी का डाक्टर नहीं है तो इसका दंड किसको मिलेगा? इसमें यह दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए प्रिंसीपल सैक्रेटरी और मंत्री के ऊपर दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए। आप विधेयक ला रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं कि हम आपके स्वास्थ्य की चिन्ता करेंगे तो फिर इसमें दण्डात्मक प्रावधान भी करना चाहिए। दण्डात्मक प्रावधान नहीं है, यह इस बिल की गलती है। डाक्टर्स वहां पर पोस्टेड होने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हैं तो क्या डाक्टर्स के लिए कोई दण्डात्मक प्रावधान है? नहीं है तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य का अधिकार आपको दे रहे हैं? यदि वहां डाक्टर्स भी हैं और जांच की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप केवल झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप प्रचार कर सकें कि देखो, देश भर में राजस्थान एक ही प्रदेश है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है।

माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसलों में कह चुका है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। उसमें स्वत: ही शामिल है यह तो। फिर हम क्या कहना चाहते हैं? क्या हम इसको समझते नहीं हैं क्या? फिर आप झुनझुना क्यों पकड़ा रहे हैं? जनता के स्वास्थ्य की चिन्ता वास्तव में यदि इनको है तो तम्बाकू पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? आप कई लोगों को कैंसर कर रहे हैं, कई लोगों को बीमार कर रहे हैं। प्रदेश के करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। लाखों लोग हर साल मर रहे हैं। ये शराब पर पाबन्दी क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? इससे कितने लोग मर रहे हैं? आप लोग मरने का अधिकार दे रहे हैं? क्या आप मारना चाहते हैं जो आप इस पर पाबन्दी नहीं लगा रहे हैं?

आप स्वास्थ्य की चिन्ता कर रहे हैं और स्वास्थ्य के अधिकार की बात कर रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, प्रदूषण फैलाने वालों पर क्या कार्यवाही हो रही है? हमको प्रदूषित वायु क्यों मिल रही है? इसकी चिन्ता किसने की? किसी ने नहीं की। पालिथीन पर बेन का आदेश कर दिया। धड़ल्ले से बिक रही है। लोग सफाई के नाम पर इकट्ठा करके उसको जला देते हैं।

(श्री मदन दिलावर)

मीथेन गैस निकलती है। जहरीली गैस होती है। वायुमण्डल में जाती है और प्रदेश के हजारों लाखों लोग बीमार हो रहे हैं तथा मर रहे हैं। इस बात की कोई चिन्ता करने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, लगातार कार्बन डाइआक्साइड इस वातावरण में बढ़ती जा रही है क्योंकि उद्योग लगे हुए हैं। चिन्ता कोई नहीं कर रहा है कि प्रदूषण कम करो। सफाई नहीं हो रही है जिससे भी प्रदूषण फैल रहा है। उससे कार्बन डाइआक्साइड जनरेट हो रही है। उसकी चिन्ता कोई नहीं कर रहा है। कार्बन डाइआक्साइड बढ़ रही है। जब कार्बन डाइआक्साइड वायुमण्डल में बढ़ती है तो आक्सीजन की कमी हो जाती है। आक्सीजन की कमी होती है तो फिर कार्बन मोनोआक्साइड बनती है। कार्बन मोनोआक्साइड लोगों के जीवन को ले लेती है। आप कार्बन डाइआक्साइड क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों पैदा कर रहे हो इसको? कौन चिन्ता कर रहा है? इसकी कोई चिन्ता नहीं कर रहा है। आप कह रहे हो कि हम तो स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं। आप स्वास्थ्य का अधिकार नहीं दे रहे हो। धन के लालच में आप लोगों को मारने का षड्यंत्र कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हास्पिटल्स पर शिकंजा कसेंगे। प्राइवेट हास्पिटल्स पर ही क्यों? सरकारी पर क्यों नहीं कसोगे? क्या एलोपैथी ही है क्या? अगर हम आयुर्वेद में जायें तो वहां पंचकर्म क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं वहां इस प्रकार की व्यवस्था है? आयर्वेद में दूसरे इलाज होते हैं, वे क्यों नहीं होंगे? इसकी चिन्ता कोई नहीं है। हमारा स्वास्थ्य योग से भी ठीक होता है तो फिर जगह-जगह योग सेन्टर क्यों नहीं खोल दिये जाएं? इस बात को क्यों नहीं चिन्ता कर रहे हो? कोई चिन्ता करने वाला नहीं है। आयुर्वेद औषधालयों में गांवों में जानवर खड़े रहते हैं, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हास्पिटल्स में मापदण्डों के अनुसार डाक्टर्स भी होना चाहिए, पैरा मेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए, जांच की सुविधा भी होनी चाहिए, वहां जांचकर्ता भी होना चाहिए और वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आदेश जारी किये गये कि सभी सब-सेन्टर में प्रसव होंगे। कितने में होते हैं? वहां ए एन एम प्रशिक्षित नहीं हैं ताकि प्रसव करा सके। मेरे यहां तो सी एच सी में भी नहीं हो रही है। मेरे यहां

(श्री मदन दिलावर)

पर रामगंज मण्डी में ट्रोमा हास्पिटल के नाम से है, 70 बेडेड हास्पिटल है। वहां न तो ट्रोमा का डाक्टर है, न वहां हास्पिटल है।

श्री सभापति: कन्क्लूड करिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जहां 36 डाक्टर होने चाहिए वहां 4-5 डाक्टर हैं। आखिर में आप स्वास्थ्य का अधिकार कैसे देना चाह रहे हैं? कैसे करेंगे? ये झुनझुना पकड़ाना चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को धन की जरूरत है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये सारे प्राइवेट हास्पिटल्स से धन उगाहेंगे और भ्रष्टाचार के शिकंजे में कस करके उनको लूटने का काम करेंगे। इसलिए लोगों को भ्रमित करके, षड्यंत्र करके कि हम स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं, स्वास्थ्य का अधिकार का बिल ला रहे हैं। ये नाटक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह लोगों को मारने वाला बिल होगा।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

आज हम इस विधेयक को पारित करने के लिए यहां चर्चा कर रहे हैं। भगवान के बाद अगर हम दूसरा भगवान मानते हैं और जो परिभाषा हमारे पूर्वजों ने दी डाक्टर्स की, निश्चित तौर पर आज वह डाक्टर पढ़ा-लिखा तबका बाहर लट्ठ खा रहा है। इससे निश्चित तौर पर राजस्थान में मैसेज अच्छा नहीं जायेगा। मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से पूछना है कि आखिर में इतना गैप कैसे बढ़ा? क्या कारण रहा? आज तक हम डाक्टर्स से बैठ कर चर्चा क्यों नहीं कर पाये? कहीं न कहीं आपसी तालमेल से कोई रास्ता निकलता तो आज इस विधेयक को लाने के पीछे हमारा जो रीजन था, वह एक अलग ही बात होगी। यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि अधिकार भी हमने दे रखे हैं, कर्तव्य भी हमारे बने हुए हैं और उन कर्तव्यों का निर्वहन भी समय-समय पर डाक्टर्स करते हैं। यह सब धारा 47 में आलरेडी चिन्हित है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अधिकारों की याद दिला रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं मानती हूं कि आप बिल लेकर आये हो और राजस्थान की जनता का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो। जिस तरह से आपने राइट टू एजुकेशन दिया, सूचना का अधिकार भी आप लेकर आये। आज राइट टू हेल्थ का बिल लाकर राजस्थान की जनता का भला सोच रहे होंगे लेकिन हमें इस बिल की मात्र ऊपरी तह तक नहीं जाकर अन्दर तक झांकना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आप और हम यहां हैं। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, आप सभापति हैं और मैं विधायक हूं। भले ही हमने चिरंजीवी योजना लागू कर दी होगी, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आखिर में क्या कारण रहा कि हमें इस बिल को लाने से पहले उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। आपने चर्चा भी की होगी, लेकिन कुछ बीच में अगर कहीं न कहीं टकराव की स्थिति है तो हमें अच्छे से चर्चा के माध्यम से उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए था।

स्वास्थ्य के अधिकार की धारा 3सी में जो आप बोल रहे हो, निश्चित तौर हमें उस पर विचार करना चाहिए। आपातस्थिति, दुर्घटना, सांप और जानवर के काटने तक ही सीमित है। इसीलिए आपातकालीन प्रसूति उपचार और देखभाल को इससे हटा दिया जाना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, निश्चित तौर पर डाक्टर्स भी इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसी सेवाएं प्रदान करना एकल चिकित्सक या एकल विशेषज्ञ अस्पताल के लिए कतई सम्भव नहीं है, तो हम इसकी तह में जाकर क्यों नहीं देख पा रहे?

माननीय सभापति महोदय, हमने चिरंजीवी योजना लागू की थी। उसका एक छोटा-सा उदाहरण आपको बताना चाहती हूं। दीर्घा में अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को अच्छी तरह समझने वाले डाक्टर्स भी हैं। मैं कहूंगी कि जब आपने चिरंजीवी योजना लागू की, मैं कोटा मेडिकल कालेज की बात बताती हूं, अभी 17 दिन पहले की बात बता रही हूं। आपने बोल दिया कि हम चिरंजीवी योजना में हार्ट अटैक की संभावना वाले को पेसमेकर लगायेंगे। आप देखिए इस चिरंजीवी में लाभ देने की बात तो बोल दी, लेकिन हमने किसी भी मेडिकल कालेज में यह क्यों नहीं तय किया, हम विधेयक में क्यों नहीं लेकर आते कि जब हम इसकी रेट तय करेंगे तो निश्चित तौर पर, जिस रेट पर उस मेडिकल कालेज के इम्प्लांट का टेंडर होता है, उसमें क्यों कमी रहती है? उसमें ऐसे प्रावधान भी हमें करने चाहिए। कोटा मेडिकल

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कालेज की मैं बात बता दूं। कितने मरीजों के फोन आये कि दायरे में हैं, लेकिन रेट्स में डिफरेंस है। अगर कोई मेडिकल कालेज का डाक्टर लगा भी देगा, आदेश भी कर देगा तो वह पैसे कहां से लेकर आयेगा? इस तरह की जो बातें होती हैं उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह भी कहूंगी, आपने इसमें 10 बेड का कहा है। 50 बेडेड के ऊपर लाते तो ठीक रहता, लेकिन उससे नीचे की बात करके आप इस विधेयक को लेकर आये हो कि इतने बेड होंगे तो उसमें भी यह लागू होगा, मुझे लगता है कि आप और हम सब, इस सदन में बैठने वाला प्रत्येक सदस्य गांव से अच्छी तरह वाकिफ है। हमारी पी एच सी और सी एच सी की स्थितियां हम देखेंगे, क्या हाल है? इस विधेयक में गांव की पी एच सी और सी एच सी पर जो एम्बुलेंस है, चाहे 108 हो, चाहे 104 हो, चाहे हमारे द्वारा दी गयी एम्बुलेंस हो, वहां से अगर वह जिला हैड क्वार्टर पर लेकर नहीं आती है या प्राइवेट हास्पिटल तक नहीं लाती है तो उसके प्रति सज़ा का क्या प्रावधान रखेंगे?

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जो नामित स्वास्थ्य केन्द्र की हम बात कर रहे हैं, इसका अर्थ स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र या प्रतिष्ठान से है, जिसे उद्देश्य और भूमिका के लिए अधिकारिक रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें आलरेडी कौन-कौनसे हास्पिटल शामिल हैं, वह हमें मालूम है। चाहे हमारे सरकारी हों, चाहे सार्वजनिक हों, चाहे ट्रस्ट के अस्पताल हों, चाहे निजी मेडिकल कालेज हों, सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो हमारे मॉडल हास्पिटल चल रहे हैं, वे इसमें हो सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): यहां तक हम सीमित करेंगे, क्योंकि हम ट्रस्टों को लाखों-करोड़ों की जमीन देते हैं। आज प्राइवेट हास्पिटल ने तो लाखों-करोड़ों में जमीनें खरीदकर अपने हास्पिटल बनाये हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। अब आप विराजिए। श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राइट टू हेल्थ पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पहले भी सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आयी थी। उसमें बहुत सी कमियां और खामियां थीं और बहुत बड़े स्टेकहोल्डर्स के साथ बहुत बड़े अन्तर्विरोध थे। उसको देखते हुए माननीय अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी कि प्रवर समिति में जाये। अब प्रवर समिति की बैठकों के बाद में भी कई महत्वपूर्ण इश्यूज पर सहमति नहीं बन पायी। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने और दो अन्य सदस्यों ने अपने एतराज जताये। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी अब दुबारा राइट टू हेल्थ लेकर आये हैं और संविधान में राइट टू हेल्थ का प्रावधान बहुत अर्से से बाबा साहब अम्बेडकर कर गये थे। राइट टू हेल्थ में बहुत बड़ा कैनवास आता है। इस बिल में आप जो लाये हैं, वह तो सही मायने में एक ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रीटमेंट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राइट टू हेल्थ में तो बहुत बातें आ जाती हैं। शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाद्य पदार्थ आते हैं। इन सारी बातों को व्यापक अर्थ में लें तो सही मायने में राइट टू हेल्थ कहा जाता। जो नशे की चीजें हैं, तम्बाकू पर बैन, शराब पर बैन, इन सारी चीजों को भी राइट टू हेल्थ में लेकर आ जाते तो व्यापक कैनवास में राइट टू हेल्थ कहा जाता, माना जाता।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी जो बिल लेकर आये हैं, इस बिल पर चर्चा करते हुए खण्ड-2 में इमरजेंसी की परिभाषा में कहा गया है, लेकिन उसको तोड़-मरोड़कर लिस्ट आफ इमरजेंसी का कहीं भी व्यापक रूप में प्रावधान नहीं किया गया है। खण्ड-2 के (ग) में डेजिग्नेटर हेल्थ केयर सेंटर को भी कहीं पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है और 2 के (छ) में Emergency obstetric care की भी कोई लिस्ट नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। कोई एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है और खण्ड 3 के (घ) में नि:शुल्क परिवहन तो लिख दिया, लेकिन पुनर्भरण का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। सरकारी एवं 108 एम्बुलेंस भी प्राइवेट चिकित्सालय में कहीं काम आयेगी या उनको उपलब्ध करवायी जायेगी, उनका रिएम्बर्समेंट किया जायेगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। खण्ड-4 डाक्टर के खिलाफ असत्य शिकायतों में जो भी प्राधिकरण, जिला स्तर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, असत्य सिद्ध हो जाने के बाद भी इस प्रकार की असत्य शिकायतों के लिए

(श्री बिहारीलाल)

किसी प्रकार की पेनल्टीज का भी कोई प्रावधान नहीं है, ताकि असत्य शिकायतों को बढ़ावा न मिले।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सरकार चिरंजीवी के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का इलाज फ्री करने की बात करती है और RGHS के माध्यम से प्राइवेट हास्पिटल में भी यह इलाज कर्मचारियों के लिए फ्री है। जब हम सरकारी अस्पतालों में चिरंजीवी के माध्यम से, RGHS के माध्यम से नि:शुल्क इलाज की बात करते हैं तो सारी व्यवस्थाओं को ही दुरुस्त किया जाये। जैसी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। उन व्यवस्थाओं में, उन योजनाओं में जो खामियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाये तो आटोमैटिक ही इस बिल को लाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

इस बिल को व्यापक पृष्ठभूमि में देखें तो यह बिल तो डाक्टरों के बीच और सरकार के बीच में एक लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा कर देगा। इस प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का, अपनी चिंता व्यक्त करने का अधिकार है। किसी डण्डे के जोर पर बिल उन पर लागू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिये। जिन दो बड़ी बातों पर असहमति व्यक्त की गयी माननीय सदस्यों द्वारा, स्वास्थ्य के अधिकार की परिभाषा में चिकित्सालय कम से कम 50 बेड वाले मल्टीस्पेशलिटी के हों, उसको माननीय मंत्रीजी, निश्चित रूप से माना जाना चाहिये था, क्योंकि 50 के ऊपर वाले हास्पिटल्स में यह लागू होता तो यह ज्यादा व्यापक होता। स्वास्थ्य के अधिकार में शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता एक ही उपलब्ध हो, यह भी बात कही गयी थी माननीय तीन सदस्यों द्वारा, इसको भी माना जाना चाहिये था, क्योंकि शिकायतकर्ता को तो अलग-अलग प्लेटफार्म पर कई जगह शिकायत कर सकता है, लेकिन इस बिल में इस प्राधिकरणों के निर्णय हास्पिटल और डाक्टर लीगल, विधिक सलाह या लीगल प्रोसीडिंग में नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकते। यह बहुत बड़ा असमंजस है और इसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मिनट में मेरे नोखा की बात कहना चाहता हूं। 2021-22 के बजट में नोखा को डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल मिला। कोरोना काल का वह समय था। अब महाराजा गंगासिंहजी द्वारा बहुत सुन्दर नोखा शहर बसाया गया, लेकिन बाद में नगरपालिका में जो भी लोग रहे, सरकारी जमीन एक इंच भी नहीं बची, जहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाया जा सके। हमने बीकानेर रोड पर एक प्रस्ताव भेजा 24 बीघा का, वह

(श्री बिहारीलाल)

करणीमाता के ओरण के नाम से था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उसके बाद ओरण को डीम्ड फोरेस्ट मान लिया गया। वहां बन नहीं सकता था। उसके बाद बीकानेर रोड पर कोई भी सरकारी जमीन नहीं थी और उसके बाद रायसर रोड पर गोचर की भूमि अलाट की गयी। बीकानेर रोड पर एक दानदाता अब तैयार है 10 बीघा की कीमती करोड़ों रुपये की जमीन देने के लिए और बीकानेर में हमारा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बने तो यह शहर और कालेज से मात्र 4 किलोमीटर दूर है और वह शहर और बाईपास के बीच में स्थित है। यह भूमि पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि नोखा शहर से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। बाईपास भी निकलता है।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में ही मेरी बात पूरी हो जायेगी। पांचू रोड से आने वाले दर्जनों गांवों से भी सीधा बाई पास से डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल तक पहुंचा जा सकता है। रियादेसर से सीधे वहां पहुंच सकते हैं। दासेसर और नोखा गांव के मरीज भी सीधे बिना नोखा शहर में जाये सीधे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल तक पहुंच सकते हैं। सोबाना, भादला, सरूण्डा से रोडा रोड तक भी नोखा शहर में न जाकर बाईपास से सीधा बीकानेर रोड पर पहुंच सकते हैं। केडली-सिलोटा-श्रीबालाजी तक के लोग बाई पास से बिना नोखा शहर में जाये बीकानेर रोड डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल तक पहुंच सकते हैं। जेसरासर कागड़ा मुकराम रोडा से नोखा आने वाले पचासों गांव प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज से सीधे बीकानेर रोड पर उतरेंगे। उनके लिए भी बीकानेर रोड पर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल होगा तो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मास्टर प्लान में नोखा सुजानगढ़ रोड से बीकानेर रोड को जोड़ने वाला बाईपास प्रस्तावित है, वह भी बीकानेर रोड डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के पास ही निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नोखा का रेफरल हास्पिटल, पी.बी.एम. अस्पताल है, तो बीकानेर रोड संभाग मुख्यालय बीकानेर, तो नोखा से उसी बीकानेर रोड पर अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल होगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बीकानेर रोड पर नोखा नवली गेट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ज्यादा दूरी नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, जो प्रस्तावित है

(श्री बिहारीलाल)

वह गोचर भूमि है, उसमें मात्र दो ही गांव हैं, पूरा 99 प्रतिशत नोखा बीकानेर रोड पर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल होगा तो उपयुक्त है। वहां मात्र दो ही गांव हैं, इसलिये माननीय मंत्रीजी, इस बात की फाइल उनके पास है, निर्णय करके तुरंत नोखा को जो डेढ़ साल से पैसा पड़ा है, अस्पताल बनना ही शुरू नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा अधिकार नोखा को मिल जाये डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल मिल जाये नोखा को, मेरी इस बात पर संज्ञान लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): ....(व्यवधान) सरकार जब तक हमारे यहां के लिए कोई वक्तव्य नहीं देती, तब तक मैं धरने पर बैठता हूं।

धरना

(श्री रामप्रताप कासनियां द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 सरकार लेकर आयी है। जिस प्रकार पिछले समय में कोविड काल निकला है दो साल का, तीन साल का, उसमें जिस प्रकार से डाक्टर्स ने काम किया है, नर्सिंग कर्मचारियों ने काम किया है, प्राइवेट हास्पिटल्स ने काम किया है, उसका नतीजा यह निकला है। सरकार अच्छा काम करने का धन्यवाद उन डाक्टर्स को दे रही है, उन हास्पिटल्स को दे रही है। आज जिस प्रकार की मारपीट डाक्टर्स के साथ हो रही है, पूरे राजस्थान में डाक्टर्स हड़ताल पर हैं। डाक्टर्स के साथ पुलिस ने बहुत ज्यादा मारपीट की। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि जब ये सहकारिता मंत्री थे, तब मैं को-आपरेटिव अध्यक्ष था। मंत्रीजी का, मैं सोच सकता हूं कि सिर के ऊपर से पानी निकल गया और सी.एम. साहब मान नहीं रहे हैं।

(समय: 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इसमें कम से कम 50 बेड का प्रावधान रखें। मंत्री महोदय, हास्पिटल कम से कम 50 बेड का हो, उसी के लिए यह लागू हो। जिस प्रकार राजस्थान में सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है। कहीं नर्सिंग कर्मचारी नहीं हैं, कहीं GNM, ANM नहीं हैं। बहुत से CHC और PHC खाली हैं। मेरे जिला हैडक्वार्टर चित्तौड़गढ़ में कम से कम 60 से 70

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

प्रतिशत पद खाली हैं। उनको एक बार भरें। आदमी मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाता है। आप चिरंजीवी की बात करते हैं। काफी बढ़-चढ़कर इसकी बातें कीं। बजट में भी आप लोगों ने काफी घोषणाएं कीं। मंत्री महोदय, आज चिरंजीवी की स्थिति यह है कि किसी भी हास्पिटल में जाते हैं तो चिरंजीवी के तहत उस हास्पिटल में उससे ढंग से बात नहीं करते हैं। उससे बात करने से कतराते हैं। जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो कहीं न कहीं छोटा-मोटा इलाज करने की कोशिश करते हैं। उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है? उसके बारे में आप एक बार बैठें। एक बार आप चर्चा करें कि उन हॉस्पिटलों में इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है। आम आदमी दुःखी है। आप लोगों ने उसके लिए भी फ्री, उसके लिए भी फ्री, और इलाज हो नहीं पा रहा है। मंत्री महोदय, आप उसके बारे में भी सोचें, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है।

जिस प्रकार से हास्पिटलों में, कोटा में नवजात शिशुओं की मौतें हुई हैं, कुत्ते ब्लड उठाकर ले जा रहे हैं। जिस प्रकार की स्थिति बिगड़ी है, उस पर भी आप कहीं न कहीं कंट्रोल करें। कैसे न कैसे उन हास्पिटलों को पाबंद करें, उनकी सिक्योरिटी बढ़ायें। इस प्रकार से आप सोचें।

जिस प्रकार से राजस्थान में 108 एम्बुलेंस हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। बहुत ही स्थिति खराब है। मेरे वहां चित्तौड़गढ़ जिले में भी 108 के नाम से जो एम्बुलेंस थी, काफी पुरानी है। उसको वापस नई लगवायें। कैसे क्या करें, उसके बारे में भी सोचें। जो एम्बुलेंस हमने एम एल ए फंड से दी हैं या सरकार ने जो भेजी हैं, उनमें ड्राइवर या प्रोपर-वे में स्टाफ नहीं है। उसके बारे में भी एक बार मंत्री महोदय सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। उन एम्बुलेंसों को कंटीन्यू चलायें।

जो पी एच सी आपने नई खोली हैं, उन पर भी आप स्टाफ लगायें। वहां प्रोपर-वे में इलाज होगा तो 100 परसेंट इस बिल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी तो आप लोगों से विनती है कि आपने ट्रोमा फैसिलिटी की घोषणा कर दी, लेकिन वहां स्टाफ नहीं है। जिस प्रकार की फैसिलिटी होनी चाहिए, वह फैसिलिटी नहीं है। उसके बारे में भी चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, आप शराब नीति लायें, गुटखे की नीति लायें। इनको राजस्थान में बंद करें। ऐसी छोटी-मोटी जो बीमारियां हो रही हैं, वे बीमारियां नहीं होंगी। जिस प्रकार से गुजरात में शराब बंद है, इस प्रकार से आप राजस्थान में भी शराबबंदी करें, तम्बाकू बंद करें, गुटखा बंद करें। इनको बंद करने की पूरी कोशिश करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

जिस प्रकार से मेडिकल कालेजों में इलाज होता है। जिस प्रकार से आप राजस्थान में आप राइट टू हेल्थ वाला कर रहे हो, वह वहां लागू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े-बड़े हास्पिटलों में लागू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे हास्पिटलों के लिए आप कहीं न कहीं जरूर सोचें। जिस प्रकार से डाक्टरों की पूरे राजस्थान में मांग है, वे बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोचकर जरूर करें।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, एक मिनट। आप मोदी जी को भी धन्यवाद दो कि मोदी जी वैक्सीन लाए और यह कहीं न कहीं कंट्रोल हो पाया। बीमारी कंट्रोल हो पाई तो आपको बिल लाने का मौका भी मिला। मोदी जी को एक बात के लिए और धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में मेडिकल कालेज खोले हैं। चित्तौड़गढ़ में भी मोदी जी ने मेडिकल कालेज खोला है। 60 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार का है। कभी भी आप लोगों ने यह धन्यवाद नहीं दिया कि मोदी जी आपको धन्यवाद कि आपने हर जिला हैड क्वार्टर पर मेडिकल कालेज दिया है।

सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ में भी आप लोगों ने मेडिकल कालेज दिया और वह मेडिकल कालेज चालू होने को आया है। उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सभापति महोदय, आप इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के अंदर आज राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, राइट टू हेल्थ पर चर्चा हो रही है, उसके लिए यह बिल जो लेकर आये हैं, उस पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी विधान सभा में पिछले सत्र में 22 सितम्बर, 2022 को पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक पर माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा 23 सितम्बर, 2022 को प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। 17 जनवरी, 2023 को प्रवर समिति का गठन हुआ, 15 सदस्य शामिल किये गये। कुल 6 बैठकें हुईं।

(श्री अविनाश)

इस प्रकार संविधान में जिस प्रकार से स्वास्थ्य का अधिकार हम सबको दिया गया, उसके बारे में बताया गया कि हमारा संविधान स्वास्थ्य के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के भीतर राज्यों से समस्त संभव प्रयास करने की प्रत्याशा करता है। लोक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए शक्तियों को सम्मिलित करते हुए उपलब्धता, पहुंच, ग्राह्यता, साम्य और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत विधिक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार और उसमें साम्य के संरक्षण और उसकी पूर्ति करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तृत परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का उपबंध करना और राजस्थान राज्य के समस्त निवासियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की मांग करने, उस तक पहुंच और उसे प्राप्त करने में स्वयं की ओर से व्यय में उत्तरोतर कमी करने के साथ स्वास्थ्य परिचर्या तक नि:शुल्क पहुंच और उसमें समानता का उपबन्ध करना भी है। यह हमारा संविधान हम सबको स्वास्थ्य के अधिकार के प्रति हमारी जवाबदेही को तय करता है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है। मैं समझता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है, वह लोकतन्त्र के आधार पर चलता है। उसमें हमारा प्रदेश राजस्थान भी है। लोकतन्त्र का मतलब यह होता है कि जनता का शासन, जनता के लिए। अगर यह जनता का शासन, जनता के लिए होता, राइट टू हेल्थ बिल अगर हमारी जनता के लिए होता है और काम करने वाले चिकित्सकों के लिए होता तो आज राजस्थान के समस्त चिकित्सक स्ट्राइक पर नहीं होते और इस बिल का विरोध नहीं करते। क्या इस विभाग में काम करने वाले चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ इस राजस्थान प्रदेश की जनता की श्रेणी में नहीं आते? अगर ये आते हैं तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ किस परिस्थिति में किया जा रहा है?

माननीय सभापति महोदय, लोकतान्त्रिक तरीके से अपनी वाजिब मांगों को पूरा करने के लिए इस देश के संविधान ने हम सबको यह अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों को पाने के लिए शान्ति के साथ में लोकतान्त्रिक तरीके के साथ प्रशासन तक अपनी बात रखें। इसी शान्तिपूर्ण

(श्री अविनाश)

व्यवस्था के अन्दर अपनी बात रखें और जो प्रशासन जबरदस्ती लापरवाही के साथ लाठी के बल पर अगर उस आन्दोलन को कुचलने का प्रयास करता है तो मुझे लगता है कि लोकतन्त्र की हत्या के समान है। माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कहूंगा कि कल और आज में जिस प्रकार से चिकित्सकों के साथ में लाठीचार्ज हुआ है, वाटर केनन का इस्तेमाल हुआ, यह स्वर्गीय इन्दिरा गांधी जी के तानाशाही शासन की याद दिलाता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं। क्यों 1975 से लेकर 1977 में आपातकाल लगा। किस प्रकार से देश के अन्दर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार हुआ? यह लोकतन्त्र के अन्दर ठीक स्थिति नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कहूंगा कि सरकार के गठन के बाद विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने अपने-अपने तरीके से आन्दोलन किये। चाहे वह विद्यार्थी मित्र का आन्दोलन हो, चाहे वीरांगनाओं को सम्मान दिलाने का आन्दोलन हो, चाहे अधिवक्ता आन्दोलन हो, चाहे सरपंचों या ग्रामीण जन-प्रतिनिधियों का आन्दोलन हो या इस प्रकार का यह चिकित्सकों का आन्दोलन हो। सरकार चाहे केन्द्र की हो, चाहे राज्य की हो, विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति की जवाबदेही किसकी होती है? यह उस विभाग के अन्दर काम करने वाले सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारी तक की होती है।

माननीय सभापति महोदय, जब चिकित्सकों के चिकित्सा विभाग की हम लोग बात करें, चिकित्सकों की वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो इस विचार करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में लोकतन्त्र में जायज नहीं हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना कहने-सुनने में बहुत अच्छी है। पूरे राजस्थान में आपने लागू की। पिछले कई महीनों से, महीना-डेढ़ महीना ज्यादा हो गया, पूरे राजस्थान में प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर चिरंजीवी योजना बन्द है। कोई छोटे से छोटा व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में जाता है, उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उसके कारण उसको मजबूरी में प्राइवेट हास्पिटल जाना पड़ता है। जब वह जाता है तो चिरंजीवी हास्पिटल में इलाज करवाने के लिए अगर बोलता है तो हास्पिटल प्रशासन उसको मना कर देता है कि हमारे चिरंजीवी योजना अभी सस्पेंड है और यह लम्बे समय से चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आप जब बीमार होते हैं तो आपके लिए तो सरकारी

(श्री अविनाश)

विभाग का कोई बड़ा डाक्टर इलाज करने के लिए आ जायेगा, लेकिन उस जैतारण के सुदूर ग्रामीण में बैठे हुए व्यक्ति से पूछते हैं..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट में खतम करूंगा। उस सुदूर ग्रामीण, ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति से पूछें कि उसका इलाज कौन करेगा? अगर वहां सरकारी हास्पिटल में चिकित्सक नहीं होंगे, नर्सिंग स्टाफ नहीं होंगे तो उसका इलाज कौन करेगा? आज उन चिकित्सकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जवाबदेही किसकी है?

माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ बातें हुई थीं। चाहे सिरोही के अस्पताल में मासूम बच्चों को कुत्ते नोंचकर ले जाने की बात हो। यह राइट टू हेल्थ अधिकार की परिभाषा की व्याख्या करता है। कहीं चूहे मासूम बच्चों को कुतर जाते हैं, कहीं जे के लोन अस्पताल में नवजात शिशु की मौत का मामला हो। और तो और, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रसव के लिए अगर हास्पिटल में जाना पड़े और वहां चिकित्सक नहीं हो, उसके कारण प्रसव भी बाहर हो जाये, बाहर गैलेरी में हो जाये, महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण। क्या आपका यह राइट टू हेल्थ बिल है?

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी अंतिम बात कहूंगा। सी एच सी, पी एच सी पर एक चिकित्सक की नियुक्ति आप करते हैं और उसके सहयोग के लिए उसके साथ में छह नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है, लेकिन आप पूरे राजस्थान की सी एच सी और पी एच सी पर एक नजर डालकर विश्लेषण कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि एक चिकित्सक लगा, उसके साथ में छह नर्सिंग स्टाफ लगे हुए हैं या नहीं? अगर छह नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ होगा तो आपका राइट टू हेल्थ बिल जो लेकर आ रहे हैं, उसकी सार्थकता होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को खतम करूंगा कि विशेषज्ञ चिकित्सक आप सी एच सी और पी एच सी के अंदर लगाएं तब जाकर तो जनता के हित में यह बिल लाया जा रहा है। हम मानते हैं कि जनता के हित में होना चाहिए, लेकिन मैं मांग करता हूं कि चिकित्सकों की मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनकी मांगों को पूर्ण किया जाना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मैंने जो इसको छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया था, इसको छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन था उस पर चर्चा शुरू हुई। माननीय हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सुझाव दिया था जब बिल पर बहस हुई। यानी यह पास होने की स्थिति में भी आ गया था, माननीय उप नेता महोदय ने, सबने निवेदन किया कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। आप सबकी बात मानकर इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा। सलेक्ट कमेटी में आप सबकी सलाह, बराबर छह मीटिंगें सलेक्ट कमेटी की हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, सबके सुझाव, एक भी ऐसी बात नहीं थी जिसमें कहीं किसी सदस्य ने कोई असहमति दी हो। तत्कालीन माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि सारे डाक्टर्स को बुलाकर उनकी बात सुनें। हमने सब डाक्टर्स को बुलाकर उनकी बात सुनी। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद उन्होंने जो सुझाव दिए, वे शत प्रतिशत हमने माने हैं सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन में। अलग से आई एम ए के प्रतिनिधियों से, डाक्टर्स से भी बात हुई। सारे सुझाव, आप सभापति महोदय, देखें कि पहले क्या स्वरूप था इस बिल का और अभी जो सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन के बाद का स्वरूप है, पूरा ही बदल गया। पूरा का पूरा स्वरूप बदल गया। एक भी माननीय सदस्य की ऐसी बात नहीं जो हमने नहीं मानी हो सलेक्ट कमेटी में, आप एक भी बात बता दें। (व्यवधान) आपने यह जरूर कहा था, हास्पिटल ही हो, हमने कहा कि 50 बेड का होना चाहिए। हमने कहा कि यह रूल्स में ला देंगे, हम ला देंगे। आप मान गए। फिर असहमति दे दी। एक भी बात ऐसी नहीं जो माननीय सदस्यों की हमने नहीं मानी, सब माननीय सदस्य यहां बैठे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह प्रदेश के हित में है और आपके सुझाव के अनुसार सारे बदल दिए हैं। आपका ऐसा कौनसा सुझाव है जो हमने सलेक्ट कमेटी में नहीं माना, जो इस प्रतिवेदन में नहीं दिया? एक भी सुझाव बता दें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने जिन पर असहमति व्यक्त की थी, वह सुझाव आपके सामने हैं।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बता रहे हैं न, आपकी असहमति बोल गई न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसको गोल-गोल मत घुमाओ।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): असहमति बोल गई न, अब मेरी बात सुन लो। मैं वही बात कहूंगा जो आपके हमारे बीच में तय

(श्री परसादी लाल)

हुई, मैं वही कहूंगा। सलेक्ट कमेटी के बीच तय हुई वही कहा। चिकित्सकों से भी हम मिले। अभी कालीचरणजी ने कहा, आप चिकित्सकों से मिले ही नहीं, आपने कहा, कल हम चिकित्सकों से मिले, वो आये मिलने, समय दिया, उन्होंने कहा हमारी तो एक ही शर्त है कि बिल को वापस लिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह कहां तक न्याय संगत है? हम बिल को ही वापस ले लें? चिकित्सकों की यह मांग तो हाउस का अपमान हो गया। आपका सलेक्ट कमेटी में भेजना, नहीं भेजना, चिकित्सकों की मांग पर वापस ले लेते बिल को? यह न्यायसंगत बात नहीं थी, इसलिए हम उनसे मिले। आपको गलत कहा किसी ने कि हम उनसे मिले नहीं। हम उनसे मिले, उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि इस बिल को वापस लीजिए। बिल को वापस लेना तो लोकतंत्र थोड़े है? फिर तो इस विधान सभा का कोई औचित्य ही नहीं। (व्यवधान) मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, रामप्रतापजी कासनियां, आप अपनी सीट पर विराजें। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपका विरोध मान लिया, आपका विरोध मान लिया, सरकार के संज्ञान में आ गया कि आप धरने पर बैठे थे। प्लीज अपने स्थान पर विराजें। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको इस तरह से जिद नहीं करनी चाहिए। प्लीज, आप अपनी सीट पर पधारें। जरूरी हो तो इनको डाक्टर को दिखा लें, बी.पी. वगैरह दिखा लें इनका। माननीय सदस्य, आप डाक्टर को दिखवा कर बी.पी. वगैरह चैक करवा लो।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मूल बिल में पहले इमरजेंसी पर सबका विरोध था। मूल बिल में आपने कहा उस प्रकार से हमने इमरजेंसी में उसको डाल दिया। सही है कि नहीं है? आपने कहा है वैसा किया है इमरजेंसी को। उसके बाद कहा कि इसमें आपातकालीन उपचार के लिए, डाक्टर्स से भी बात हुई, जो आपने कहा, वही डाक्टर्स की बात थी। केवल सर्प काटने का, जानवर काटने का, एक्सीडेंट की, तीन ही इमरजेंसी रखी, सारी बात आपकी मानी। इमरजेंसी के पुनर्भरण की बात आई कि इमरजेंसी में इलाज का कौन पुनर्भरण करेगा? माननीय सभापति महोदय, अगर वो इलाज कराने वाला नहीं करेगा तो सरकार उसका पुनर्भरण करेगी। यह सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन में डाला है। कौनसी चीज है जो आपकी हमने नहीं मानी? विशेषज्ञों का पहले सबने एतराज किया, सलेक्ट कमेटी के मैम्बरों ने भी और हमने जो डाक्टर्स को बुलाया उन्होंने भी कि इसमें प्रधान,

(श्री परसादी लाल)

प्रमुख वगैरह नहीं रहने चाहिए, इसमें डाक्टर रहने चाहिए, सारी बात मानी अपन ने उनकी, सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन में। प्रमुख, प्रधान सबको हमने बाहर रख दिया, कमेटियों में नहीं रखकर, स्टेट अथोरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथोरिटी थी, उसको भी हमने अलग करके कह दिया कि इसमें डाक्टर ही रहेंगे। आई एम ए जो इनका इंडियन मेडिकल एसोएिशन है, उसके भी दो डाक्टर उसमें रख दिए। डाक्टर कौनसी बात नहीं मानेंगे? आज आंदोलन कर रहे हैं डाक्टर, ये अपने चिकित्सक धर्म को भूल गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, माननीय सभापति महोदय, भगवान राम के भी इमरजेंसी आई थी। वो भी एक तरह से इमरजेंसी थी, जब लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, तब डाक्टर कहां से लाए थे? जो दुश्मन था रावण, उसके वैद्य को लाकर उनका इलाज किया। यह होता है चिकित्सक धर्म। यह होता है चिकित्सक धर्म। इनकी सारी बातें मानने के बाद भी आज इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, यह उचित नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे, दिलावरजी भी कह रहे थे, चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि चिरंजीवी योजना लागू कर दी, इससे इलाज नहीं करते। इलाज करने के लिए ही तो राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं। किसी का चिरंजीवी कार्ड हो उसको 'ना' नहीं कहें, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और क्यों ला रहे हैं बिल? उनकी अंतरात्मा तो सबकी बोलती है। उन्होंने कहा कि डाक्टर नहीं हैं, यह सरकार का काम है।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी में मुख्य मंत्रीजी ने तो यहां तक कह दिया कि किसी का चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो उस कलेक्टर की ड्यूटी है कि उसका कार्ड भी बनवाएगा और उसका इलाज भी करवाएगा। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी का विजन है। अगर नहीं भी है तो कार्ड भी बनवाएगा और उसका इलाज भी करवाएगा। सरकार इस संकल्प के साथ चल रही है। कोई हो, सरकारी हो, हमने कहा कि इसमें प्राइवेट भी हो, सरकारी हो, हमने आपको पहले भी आश्वस्त किया था नेता महोदय, कि इसमें हमारे सरकारी हास्पिटल सारे रहेंगे। हमने आपसे कहा था कि इसमें जो भी हमारी चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं वे सारे अस्पताल रहेंगे। एक हजार हास्पिटल है तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? चिरंजीवी योजना का तो एक साल से फायदा ले रहे हैं। उनके सारे

(श्री परसादी लाल)

हास्पिटल चालू हो गए, इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारे पास शिकायतें आती हैं, आपके पास भी आती होंगी। चिरंजीवी कार्ड होने के बाद भी वे इलाज नहीं करते हैं, वे कहते हैं कि एडवांस पैसा जमा कराओ, यह कहां का न्याय है? जोधपुर की घटना है, माननीय सदस्य, दिव्या मदेरणा धरने पर बैठीं, उन डाक्टरों को सस्पेंड किया, ऐसी शिकायतें नहीं आएं। चिरंजीवी कार्ड वाले का इलाज करना ही करना होगा। यह सरकार का विजन है, हमारे मुख्य मंत्री का विजन है। फिर कार्ड किस बात का? कार्ड नहीं है तो भी कलक्टर इलाज करवाएगा, इसलिए बिल ला रहे हैं। इसमें कहां बुराई है? क्या आप नहीं चाहते कि कोई बीमार हो, उसका इलाज नहीं हो? इमरजेंसी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी भगवान राम पर ऐसी आई थी, रात भर अगर संजीवनी बूटी नहीं आती, अगर वो वैद्य नहीं आते तो लक्ष्मण के प्राण पखेरू उड़ जाते। ऐसी ही लोगों के यदि इमरजेंसी आती है, उस समय डाक्टर इलाज करे तो कौनसी बुराई है? आप कहां पक्ष ले रहे हैं उनका? हमको सबको सोचना चाहिए कि हमारा कोई भी भाई एक्सीडेंट हो गया, वहां नजदीकी हास्पिटल है, वह कह दे कि इलाज नहीं करेंगे, वो यदि सौ किलोमीटर दूर जाता है, उसकी इससे डैथ हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? हमको ये चीजें सोचनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर सोचनी चाहिए जनता के लिए। हम सबको जनता ने भेजा है यहां। अपने आप नहीं आ गए हैं हम? इसलिए हमने जो भी बात आपने कही, वो सब चीजें मानी हैं।

हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी और अलग से बनाई है। वह इन चीजों को भी देखेगी, ट्रीटमेंट को भी देखेगी, स्वच्छता को भी देखेगी, पानी को भी देखेगी, सारी चीजों को देखेगी कि लोग बीमार नहीं हों। दो कमेटियां बना दीं हमने। इसलिए आपकी कौनसी ऐसी बात है जो नहीं मानी? स्टेट हेल्थ अथोरिटी फोर लॉजिस्टिक गवर्नेंस, हमने दो कमेटी बना दीं, अगर किसी की शिकायत है, आपके सारे प्रोविजन सलेक्ट कमेटी के प्रतिवेदन में रखे हैं। नेता महोदय, हमने तो ऐसा किया नहीं, आपने जो कहा वही किया है। सबकी राय से जो कहा है वही किया हमने। कोई भी ऐसी बात नहीं रखी इसमें जो आपत्तिजनक हो। यह सही बात है, आपने कहा था कि इसको रूल्स में डाल दो, रूल्स बनेंगे तो आपकी बात का ध्यान रखेंगे। कौन मना करता है इससे? हम सब मिलकर राजस्थान के हित में क्या हो सकता है, किस तरह हम राजस्थान के लोगों को राइट टू हेल्थ दे सकते हैं और यह सही बात है कि

(श्री परसादी लाल)

उसका अधिकार है। मैंने पहले भी कहा था कि कई जगह चिरंजीवी कार्ड होने के बाद भी उससे पैसा मांगते हैं कि एडवांस जमा कराओ। कौन चाहता है? कार्ड है फिर पैसा किस बात का? जो चिरंजीवी में एम्पेनल्ड हास्पिटल है वह किस बात का पैसा मांगता है? मेरे पास बहुत शिकायतें आती हैं और हमने ऐसे हास्पिटल से पैसे भी वापस कराये। जो बड़े-बड़े हास्पिटल हैं, जिनका नाम नहीं लेना चाहता और वही लोग यह आन्दोलन करा रहे हैं इसलिए आप उनकी गिरफ्त में मत आओ, आप हमारे जैसे जनता के साथ रहो।

जो भी हम कह रहे हैं, मुझे पता है कि बड़े-बड़े हास्पिटल हैं, करोड़ों के हास्पिटल हैं जिनको सरकार ने रियायती दर पर जमीन दी है। आपकी सरकार हो चाहे हमारी हो, आपने भी दी है, हमने भी दी है और वे हमारी जनता के साथ इस तरह चीटिंग करें, एडवांस पैसा जमा करायें चिरंजीवी कार्ड होते हुए? मुख्य मंत्री जी का विजन है कि कार्ड नहीं होगा तो कलेक्टर उसका कार्ड भी बनायेगा और इलाज भी करायेगा तथा इसी उद्देश्य से हम बिल ला रहे हैं। जिस तरह की बात आप चाहते हैं, जिस तरह की करते हैं, डाक्टर करे और मैं तो यह कहता हूं कि उनको अपना चिकित्सकीय धर्म निभाना होता है। पहला धर्म होता है किसी का भी इलाज करना।

सभापति महोदय, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि प्राइवेट हास्पिटल इलाज करते रहते हैं, डैड हो जाते हैं पर बिल जमा कराये तब डैड बॉडी देंगे। क्या यह न्यायसंगत है? आप इसको न्यायसंगत मानते हैं? प्राइवेट हास्पिटल इस तरह का कृत्य भी करते हैं। उनके खिलाफ भी हमको इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। उसका इलाज हो गया, डैथ हो गयी, 30-40 लाख रुपये का बिल बन गया तो कहां से देगा गरीब आदमी? उसकी डैड बॉडी रोक लेते हैं। उसके लिए कोई नहीं कहता। हमको जनता का पक्ष लेना चाहिए, हम सबको यहां जनता ने भेजा है। इसलिए जो भी चीज हम कहेंगे, मेरे किसी तरह की लाग-लपेट नहीं है पर मुझे ध्यान है। जोधपुर की घटना का ध्यान है, जयपुर में दस हास्पिटल बता दूं जो इस तरह की चीटिंग लोगों के साथ करते हैं। हम उन पर भी कार्यवाही करेंगे इस बिल के पास होने के बाद। रूल्स में हम कहीं भी नहीं करेंगे, हमारे सारे हास्पिटल रखेंगे, चिरंजीवी वाले रखेंगे और जिनको हमने रियायती जमीन दी है, जिनको कम कीमत पर जमीन दी है, उनको भी इसमें जोड़ेंगे आवश्यकता पर, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, इलाज करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को डराने की डाक्टर कोशिश नहीं करें कि हम आन्दोलन कर देंगे। करिये आन्दोलन, कौन मना करता है? कौन मना करता

(श्री परसादी लाल)

है? यह बिल आप सबकी सहमति से सलेक्ट कमेटी को भेजा था, आप सबकी सहमति से सलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट बनायी है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह बिल सर्वसम्मति से पास हो, यह प्रदेश की जनता के हित में है।

आपने जो भी बातें कहीं, राठौड़ साहब ने सुझाव दिये। नेता महोदय, आपको तो हमने पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि रूल्स बनाते समय निश्चित रूप, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आपकी बात का ध्यान रखेंगे, आपके सुझाव का ध्यान रखेंगे। अभी रूल्स थोड़े ही बने हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप कह ही दो न। आप एक्ट में क्यों नहीं लाते, एक्ट में डिफाइन ही कर दो न आप। सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम कर दो।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जब मैं आपको कह रहा हूं, रूल्स में आपको आश्वस्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री सक्षम हैं अपना रिप्लाई देने के लिए। आप बीच में इंटरवीन न करें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी कालीचरण जी ने कहा था कि स्पेशियलिटी होनी चाहिए तो जब हम रूल्स में डालेंगे तो आपकी बात का भी हम ध्यान रखेंगे। आप सही कह रहे थे और 'EYE' का हास्पिटल है तथा वहां पर दूसरा जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा। रूल्स में आपकी बातों को भी शामिल करेंगे। हमारी सरकार की कोई बदनीयती नहीं है, हमारे नेता की कोई बदनीयती नहीं है।

आपने कहा था या किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री जी कोरोना में कहीं गये ही नहीं। मुख्य मंत्री जी ने किस नेता से बात नहीं की? किस विधायक से बात नहीं की? किससे सुझाव नहीं लिए? उनको दो बार कोविड हो गया। आपको पता है उनके प्राण कैसे बचे हैं? दो बार 500 बार वी.सी. से मीटिंग ली है। सबसे, कोई माननीय सदस्य कह दो कि मेरे से बात नहीं की। मुख्य मंत्री जी के इतना काम करने के बाद ही राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया है और वही उनको तकलीफ है, गरीब का इलाज भी होना चाहिए। हमारा इलाज तो हो जाएगा, गरीब का इलाज कौन करेगा? इसलिए इन चीजों को हमको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हम यहां किसके लिए आये हैं और किसके लिए क्या काम कर सकते हैं, वह हमको करना चाहिए। माननीय सदस्य सुमित गोदारा जी ने कहा था, वह कहना ठीक नहीं है। मुख्य

(श्री परसादी लाल)

मंत्री जी ने 500 बार वी सी ली है, कोविड होने के बाद भी उन्होंने वी सी ली है और दो बार कोविड होने के बाद आपको पता है किस तरह उनके प्राण बचे हैं? हम सबको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान को बचा लिया और उन्होंने कह दिया कि किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा चाहे मुझे पूरा बजट डायवर्ट करना पड़े, चाहे कितनी भी महंगी दवाई आये, कोविड में सबको फ्री इलाज किया था। कह दो अगर किसी का एक पैसा खर्च हुआ हो तो? एक पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ। चाहे इंजेक्शन 40 का आये, चाहे 20 का आये और रेमडेसिविर इंजेक्शन यहां नहीं मिले तो स्पेशल प्लेन भेजकर बाम्बे और अहमदाबाद से मंगवाये। इतना उनके मन में दर्द था। इसी दर्द को मिटाने के लिए, जनता के दर्द को मिटाने के लिए यह राइट टू हेल्थ बिल हम ला रहे हैं जिससे जनता को, गरीब से गरीब आदमी को भी अपना इलाज कराने का अधिकार मिले।

अशोक लाहोटी जी तो पता नहीं क्या-क्या कह जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि डिमांड पर बोल रहे हैं या बिल पर बोल रहे हैं, उनको तो खुद को ही पता नहीं है। इसलिए जो भी उन्होंने कहा और जो ऐसे बोलते हैं वे तो पता नहीं कहीं से सीखकर आते हैं। इसलिए जो भी आपके सुझाव थे, हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चिरंजीवी योजना, कोई सोचता था कि किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाएगा? किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी, लिवर का हो जाएगा, हार्ट का हो जाएगा? अभी कोई कह रहे थे कि वे स्टेंट लगाते हैं वह ठीक नहीं है। यह काम हमारा नहीं है, डाक्टर के देखने का है। एक भी आदमी की डैथ हो गयी हो स्टेंट बदलने के बाद, तो उसकी मैं गारंटी लेता हूं और पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं।

प्राइवेट हास्पिटल जो भी हैं, मुख्य मंत्री जी के इस चिरंजीवी प्रोजेक्ट के बाद वे सब अस्पताल चालू हो गये, नहीं तो उनके कोविड में ताले लग गये थे। एक माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि उनके ताले लग गये, शायद गिरधारीलाल जी कह रहे थे। इसलिए, माननीय सदस्य, हम जनता के लिए आये हैं, जनता के लिए कानून बना रहे हैं, जनता को अधिकार दे रहे हैं तो कौनसी बात आपत्तिजनक है जो हम इसमें करने जा रहे हैं? एक भी बात हो तो बतायें।

मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी आपने सुझाव दिये, डाक्टर्स ने जो हमको सुझाव दिये, डाक्टर्स ने जो कहा, वह हमने बिल में किया है। उन्होंने जुडिशियरी से अलग करने के लिए कहा तो वह हमने अलग कर दिया। उन्होंने

(श्री परसादी लाल)

जन-प्रतिनिधियों को अलग करने के लिए कहा तो उनको हमने अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि डाक्टर्स के इसमें दो प्रतिनिधि रहने चाहिए तो वह भी हमने शामिल कर दिया तो फिर कौनसी बात रह गयी? इसलिए सभापति महोदय, मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि यह जनता के हित में है, मॉडल स्टेट राजस्थान बन रहा है। 25 लाख रुपये का इलाज कहीं भी पूरे देश में फ्री नहीं है। 7 परसेंट बजट हमारा मेडिकल और हेल्थ पर जा रहा है, 90 परसेंट फैमिली चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई हैं, एक करोड़ 38 लाख परिवार जो एन एफ एस ए में हैं, जो गरीब हैं उनका सरकार 2500 करोड़ का बीमा खुद करा रही है और एक पैसा भी उनको नहीं देना पड़ता है। सरकार अपने खर्च से उनका बीमा करा रही है। है कोई ऐसा स्टेट देश में? आप बता दें कोई हो तो। यह राजस्थान का विजन है, हमारे मुख्य मंत्री जी का विजन है और जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कोविड देखा है। इसलिए, सभापति महोदय, हम यही निवेदन करते हैं कि जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन आया है उसको सर्वसम्मति से पूरा हाउस प्रदेश की जनता के लिए एकमत होकर स्वीकार करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनका बेसिक तौर पर, मुख्य तौर पर इस बिल का जो हमारा विरोध था वह यही था कि इसमें मल्टी स्पेशियलिटी फिफ्टी बेडेड डालें और वॉलेंटरेली जो प्राइवेट हास्पिटल हैं उनको हम लें। आज स्टेकहोल्डर पर तो लाठीचार्ज कर रहे हैं। अभी वहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि पांच लोग आत्मदाह करेंगे। यह किस प्रकार का वातावरण है? जिनको काम में लेना चाहते हैं उनको हम विश्वास में नहीं ले पाये। हम बेसिकली इस बिल के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि यह बिल आये पर इस प्रकार यदि बिल आयेगा, हमारे खुद के इन्फ्रास्ट्रक्चर आज हैं नहीं, हमारे खुद के हास्पिटल में फैकल्टी नहीं है और हम निजी चिकित्सालयों पर यह बात लादें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप फिफ्टी बेडेड मल्टी सुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल वाली बात और यह जो बात हमने कही कि इनका वन विंडो रिड्रसल सिस्टम हो, यह बात आप सदन में खड़े होकर कहो और नहीं कहो तो फिर हम जाते हैं, आप अपना पास करा लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये आप। विराजिये। प्लीज, विराजिये आप। (व्यवधान) प्लीज, सहयोग करें, विराजिये आप। अंकित नहीं होगा। विराजिये आप। एक मिनट विराजिये आप। आसन पैरों पर है। माननीय मंत्री महोदय। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप नेता महोदय को कमेटी में भी आश्वस्त कर चुका कि हम 50 बेड का हास्पिटल डाल देंगे, रूल्स में डालेंगे, यह आप विश्वास रखिये और हाउस में कही हुई बात कभी खराब नहीं होती। उसको हम डाल देंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 20, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20 स्वीकार किये जाये?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 20 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, आपको बधाई देते हैं। बधाई देने में भी आपको आपत्ति है? हर चीज में आपत्ति है। कम से कम सदन में तो सही बोला करें।

सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, ताकि सदन के समस्त लोग इस बात को समझ जायें कि यहां पर गलत बोलना अच्छा नहीं होता है, शोभा नहीं देता है।

आपने मेरे लिए यह कहा कि आप मेरे +++ हो, आपने मेरे लिए कहा। मैंने आपसे पूछा कि +++ का अर्थ क्या होता है तो आपने कहा कि गुरु हो आप, लेकिन +++ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप बात सुनें। मैं डिक्शनरी देख कर आया हूं, डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि गुरु तो गुरु रहेगा और +++ के बाबत मैं आपसे दो बातें और कहना चाहता हूं। कोटा में रिवर फ्रंट बन रहा है, जिसमें एक घंटा बनाया जा रहा है। जो 35 फीट तो ऊंचा है 25 फीट नीचा है। जब वह घंटा बजेगा तो उसकी आवाज 8 मील तक जायेगी। +++ का मतलब यह है कि मेरी आवाज को आपको सुनना पड़ेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): गुरु के बारे में तो यही कहा गया है कि "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरु: साक्षात् परं ब्रह्म तस्मैं श्री गुरुवै नम:।"

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, ये इसीलिए कह रहे हैं कि आपका वह घंटा चूरू तक सुनाई दे, इसलिए +++ कह रहे हैं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि मैं +++ हूं तो इनका नाम अगर मैं शान्ती +++ कह दूं तो किसी को एतराज तो नहीं है?

श्री सभापति: नहीं-नहीं, किसी को एतराज नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पर गुरु आगे लगाना पड़ेगा।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। आप बीच में कहां कूद गये। ये बातें आपके समझ के बाहर हैं। ये बच्चों की बात नहीं है, यह बड़ों की बात है, आप कहां बीच में कूद गये?

विधेयक पर विचार

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अपनी बात प्रारम्भ करूं, इससे पहले मैं बड़े खेद के साथ एक बात सदन को बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज सुबह डाक के अन्दर सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आये हैं, जो मैं लेकर आया हूं, इसमें तारीख 20 मार्च लिखी है और अमेंडमेंट है क्लॉज 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 में। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि जब मैंने 18 मार्च को इन्हीं मंत्री महोदय द्वारा, सदन चल रहा हो, सदन की प्रोपर्टी बन गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 15 मार्च को पुर:स्थापित कर दिया गया और 16 मार्च को कार्य सलाहकार समिति ने इसको आज के दिन पारण करने हेतु नियत कर दिया। मंत्री महोदय, आपने सदन के बाहर यह नोटिस आफ अमेंडमेंट बिल नम्बर 13/2023 राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, इसी के क्लॉज 3 में, क्लॉज 9 में, क्लॉज 11 में इन्होंने सदन के बाहर, राजस्थान की विधान सभा में मंत्री महोदय आपके साथ में मैं भी कई बार आया हूं, यह सदन नियमों से चलता है, यह सदन परम्पराओं से चलता है।

सभापति महोदय, आप तो खुद साक्षी रहे हैं। मैं सदन में अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को भी लेकर आया हूं। मैं मंत्री महोदय के इस कृत्य के लिए चाहता हूं कि मंत्री महोदय खेद प्रकट करें। यह राजस्थान विधान सभा कलंकित हुई है। विधान सभा के चलते हुए मंत्री महोदय ने आज हम विचार कर रहे हैं, सरकार की तरफ से अमेंडमेंट मूव करने का अधिकार इनको है, पर इसी को ये 18.03.2023 को, इन्हीं के हस्ताक्षर से अगर सदन के बाहर यह अमेंडमेंट जारी हो, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। यह संसदीय परम्पराओं का हनन है, यह नियमों का हनन है, यह अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हनन है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर सदन में इसी तरह हमारी परम्पराओं का, नियमों का और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का ह्रास होगा तो हम इस सदन की परम्पराओं को कहां लेकर जायेंगे?

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, सदन में विचार करें इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, राजस्थान अधिवक्ता सरंक्षण विधेयक पर, इससे पहले आप माफी मांगो। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है, यह गलती आपसे हुई है। यह अमेंडमेंट 18 तारीख का है, मैंने इसके अन्दर संरक्षण चाहा था। मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी मिला था और मैंने उनको भी कहा था कि ये राजस्थान की परम्परा में इस प्रकार की बात नहीं हुई। इसलिए मंत्री महोदय यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आप इस पर स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो फिर आगे बात ठीक नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हो कि सदन के अन्दर ढंग से बात चले तो आपने यह कृत्य क्यों किया? आपसे यह भूल हुई या आपने जान-बूझकर किया या एडवोकेट के शिष्टमण्डल से मिलते हुए, आपने वाहवाही लूटने के लिए आप वही कोटा वाला घंटा बन गये और इतने जोर से बजे कि राजस्थान के एडवोकेट के हाथ में, ये अमेंडमेंट, जिस पर आज सदन चर्चा कर रहा है, मेरे +++ साहब आपने यह काम कैसे कर दिया? मुझे इस बात की बड़ी वेदना है। सभापति महोदय, आप इसको टाल नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, आप चाहे इस व्यवस्था को बाद में दे दें। हम अपनी बात कहें, पर आपका संरक्षण निश्चित तौर पर चाहूंगा।

सभापति महोदय, अगर इसी प्रकार की गलती, यहां पूर्व राष्ट्रपति भैरोंसिंह जी शेखावत विराज रहे होते और इस प्रकार की गलती होती तो आज की तारीख में मंत्री महोदय का यहां पर त्याग पत्र होता। यह छोटी गलती नहीं है। यह सर्वोच्च सदन है, उससे बड़ा अपमानित सदन कभी नहीं हो सकता। इस पर आप विचार करें। मंत्री महोदय, मुझे यह बताओ। जवाब दे रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अधिवक्ताओं के साथ में बातचीत करना आपको गैर वाजिब लग रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अमेंडमेंट करोगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको गैर वाजिब लग रहा है? अमेंडमेंट डिपार्टमेंट करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं-नहीं वाजिब है। यह कागज कहां से आया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिसको बिल बनाने का अधिकार है, उसको अमेंडमेंट करने का अधिकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कागज शान्ती धारीवाल का। सभापति महोदय, चलो रिकार्ड पर सारी बात आये। मैं चाहता हूं कि इस बात पर अध्यक्ष जी निर्णय करें। इन्होंने क्या कहा, उनसे वार्ता करने का अधिकार इनको है, पर अमेंडमेंट करने का अधिकार सदन को है। सदन की प्रॉपर्टी है। सदन के अन्दर, जब यह विधेयक विचारार्थ आ गया तो आज तक यह कभी नहीं हुआ। सभापति महोदय, ये कितनी ही कुटर-फुटर कर लें, इनको जवाब देना ही पड़ेगा।

श्री सभापति: अभी रिप्लाई देंगे तब जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं संरक्षण चाहूंगा। सभापति महोदय, आप इसमें व्यवस्था देने की बात नहीं कहेंगे तो मेरे दल के साथ मैं यहां धरने पर बैठूंगा। यह छोटी बात नहीं है। आप व्यवस्था फरमायें। मतलब इस तरह नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ नहीं हो, मैं कभी आसन पर दबाव नहीं डालता, पर मैं यहां तक हाथ जोड़कर कह रहा हूं, गुहार कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं इस पर व्यवस्था फरमा दें।

श्री सभापति: इस पर व्यवस्था पेंडिंग है, आप तो अपनी बात कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): व्यवस्था पेंडिंग है?

श्री सभापति: हां, पेंडिंग है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप पर जितना मैं विश्वास करता हूं और आपकी भीष्म प्रतिज्ञाओं को मैं जानता हूं। आप वह शख्सियत हो जिन्होंने सीकर में पुल बनाने की मांग को लेकर दो साल तक अन्न ग्रहण नहीं किया, सिर्फ आप पानी और फल पर रहे इसलिये मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें।

सबसे पहले विचारणीय सवाल यह है सभापति महोदय, कि आज समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग अधिवक्ता वर्ग, यह क्या आ पड़ी उसको कि वह सरकार से अतिरिक्त संरक्षण मांगने के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की बात को लेकर आये? समाज का नेतृत्व करने वाला वह वर्ग, जिस वर्ग के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिकांश लोग आज इस सदन में बैठे हैं, आज जितने लोग सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनमें सत्तर प्रतिशत लोग वे होंगे, ये हमारे रसद मंत्री जी से लेकर मेरे तक जिन्होंने कभी न कभी कानून पढ़ा होगा।

सभापति महोदय, एक महीना और दो दिन है, आज राजस्थान का अधिवक्ता सड़क पर है और मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा कि यह जन घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं आपने करायीं, आपने इतना जोर से घंटा बजाया कि राजस्थान के लोग उस जन घोषणा पत्र की घोषणाओं को आज भी ढूंढ रहे हैं। आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 36 में पैरा 19 में यह कहा कि हम अधिवक्ता, ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये बच्चों की तरह जीभ निकाल कर मेरी तरफ हंस रहे हैं। अब देखो। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जन घोषणा पत्र पृष्ठ 36, पैरा 29 में उन्होंने वादा किया है राज्य के अधिवक्ताओं से कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आयेंगे। 2019-20 के बजट पैरा 126 में फिर यह वादा दोहराया और इन्हीं मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 25 नवम्बर, 2019 को मंत्रिमण्डलीय उप समिति इसलिये बनी कि राजस्थान में अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक ये लेकर आयेंगे और आपके सामने बार काउन्सिल आफ राजस्थान ने प्रस्ताव भी दिया, ड्राफ्ट बिल भी रहा। मंत्री महोदय और सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी और सभापति महोदय, इसका कारण भी बना जब 01 अगस्त, 2022 को घड़साना के अन्दर बार काउन्सिल के चेयरमैन विजय सिंह झोरड़ जिन्होंने नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी, पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। रात भर बर्बर पिटाई उनकी की। दूसरे दिन उन्होंने आत्मदाह कर लिया। राज्य भर का अधिवक्ता नाराज हुआ और 02 जुलाई, 2020 को आप ही के जिले खण्डेला में आपकी जानकारी में हंसराज वालिया ने एस डी एम को शिकायत की कि मेरे से पैसे मांगता है। सी आई ने बुलाया और पिटाई की, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। यह आग क्यों भड़की है? यह चिंगारी क्यों भड़की? सभापति महोदय, तब भड़की जब राजस्थान की सरपरस्ती करने वाले हमारे मुख्य मंत्री जी के खुद के विधान सभा क्षेत्र में जुगराज चौहान से, इस एडवोकेट की सरेराह हत्या होती है और उसके बाद राजस्थान का वकील हड़ताल पर उतरता है। 20 फरवरी से, एक महीना एक दिन राजस्थान के सत्तर हजार वकील हड़ताल पर हैं। आठ सौ न्यायालय ठप पड़े हैं। इन न्यायालयों में प्रति दिन 22 हजार प्रकरणों में सुनवाई होती है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पक्षकार हैरान भी हैं, परेशान भी हैं इसलिये सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा और सभापति महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने इस अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 की 13 धाराओं को बड़ी गौर से पढ़ा। अमेंडमेंट भी कर दिये कइयों में इन्होंने और मैं प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को अगर देखूं तो सभापति महोदय, मैंने इतना इल-ड्राफ्टेड कोई कानून नहीं देखा होगा जितना यह है और कुल मिलाकर मैं यह कहूं इस पूरे एक्ट का जो निचोड़ अगर मैं कहूं, इसका नाम बदलना चाहिये मंत्री महोदय, यह राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, यह राजस्थान एडवोकेट एट्रोसिटी एक्ट के रूप में आयेगा।

मैं आपका ध्यान आपके उद्देश्यों और कारणों के कथन की ओर दिलाना चाहता हूं। 'राज्य में प्रतिदिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा और फर्जी मुकदमों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विधि और व्यवस्था की स्थिति ह्रास हो रही है, न्याय देने में विलम्ब हो रहा है। अधिवक्ता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया है कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध हो रही हिंसा, फर्जी मामलों को रोकने के लिए एक प्रभावी अधिनियम बनाया जाये।' और इसलिये आप यह अधिनियम लेकर आये हैं। मैं समझता हूं कि कितने महान उद्देश्य हैं और जब मैं इस बिल में इनकी धाराओं में जाता हूं। मैं आपका ध्यान, आपने सेक्शन 2 के अन्दर मुवक्किल की उस परिभाषा को आपने डिलीट कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी, मन में यह पीड़ा जरूर है कि आप सदन को बताते कि आज जो सरकारी अमेंडमेंट लाये उस सेक्शन 2 में जिसमें मुवक्किल और गैर मुवक्किल दोनों की परिभाषा को आपने बदला है, क्लाइंट की, वह सदन को बताते तो समझ में आता पर अब करें क्या सभापति महोदय, जब सैयां भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। बिलकुल मंत्री महोदय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और मंत्री महोदय ने आलाकमान को भी कह दिया कि आओ सामने, इसलिये कि उनसे क्या डरें।

श्री सभापति: और आपके गुरु भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): और मेरे गुरु को मैं कहना चाहता हूं, गुरुदेव, यह जो मूल रूप से धारा 3 है इसमें अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, गम्भीर चोट, आपराधिक कार्यों के लिए धमकाना जैसे अपराध कारित होने पर न्यायालय परिसर में, आपने इस न्यायालय परिसर को डिलीट कर दिया। मैं इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर अब इसको पढ़ा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाये सेक्शन 3 में हमला और गम्भीर चोट, इनका तो प्रावधान है आपराधिक बल का भी प्रावधान है, पर आज आप भी थोड़ा बहुत कानून के जानकार हैं और ये रसद मंत्री जी तो अच्छी तरह जानते हैं, आज तक बता दो आप मंत्री जी जो भी मुकदमा दर्ज हुआ वह मुकदमा पहले कहासुनी से हुआ, अपने धक्का-मुक्की से हुआ, धारा 323 में हुआ और सेक्शन 319 में, जिसमें धारा 323 में प्रावधान है सज़ा का, आपने उसको इस परिधि से बाहर निकाल दिया और जिस तरह जब कभी भी मामला होता है किसी के विरुद्ध में भी तो सबसे पहले धारा 341 रोंगफुल कन्फाइनमेंट, आपने इसको भी बाहर निकाल दिया इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं तो इसमें सेक्शन 323, 324, 325, 326, 326ए, 327, 328, 329, 331, 352, 506 जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षति कारित करने वाले अपराध हैं इनको आप निश्चित तौर पर इसके अन्दर शामिल करें। यह संशोधन भी आवश्यक है कि अधिवक्ता के विरुद्ध आई पी सी में वर्णित अपराध कारित होने पर किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक क्षति से अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 की तरह संरक्षित किया जाये। यदि ऐसी क्षति अपराध बतौर अधिवक्ता अपनी ड्यूटी कार्य करने से रोकने के लिए या प्रतिपक्ष के अधिवक्ता पक्षकार द्वारा किसी अन्य थर्ड पार्टी द्वारा कारित करायी जाती है तो धारा 120 बी के तहत इसको षड्यंत्र भी माना जाये। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आप करना चाहते हो, अब आपने सेक्शन 3 के परन्तुक में ड्यूटी आफ डिस्चार्ज, अब ड्यूटी आफ डिस्चार्ज क्या है सभापति महोदय? एक वकील है, सड़क पर जा रहा है और अचानक उसको किसी मुवक्किल ने कहा, रुको, मेरे को यह राय दे दो और उसके बाद उन्होंने उसके चांटा लगा दिया तो वह तो अपनी ड्यूटी सड़क पर भी पूरी कर रहा है। इसको आपको डिफाइन करना चाहिये।

एक धारा 4 में अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण का अधिकार तो आपने बना दिया पर अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण का अधिकार कब मिलेगा, जब पुलिस उचित समझे। यह शब्द उसमें डाल दिया। अब पुलिस उचित क्यों समझेगी सभापति महोदय? यह जो आपने इसके अन्दर police may लिखा है मंत्री महोदय, police shall शब्द का इस्तेमाल करो आप। पुलिस को अधिवक्ता की शिकायत पर उसको संरक्षण देना होगा। उस अधिवक्ता को पुलिस की मर्सी पर मत छोड़ो। इसमें आपने सुरक्षा की बात की है, इसमें अधिवक्ता को सुरक्षा निःशुल्क दी जाये, यह मेरा सुझाव है कि यह शब्द भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप डालो। यह जो the police may की जगह the police shall आप डालो।

आपने धारा 5 में इसके अन्दर पेनल्टी और धारा 5(2) के अन्दर धारा 5(1) में धारा 3 में वर्णित अपराध, हमला आपराधिक बल कारित होते हैं तो 2 वर्ष के कारावास और 25 हजार का जुर्माना और धारा 5(2) में अगर गम्भीर क्षति कारित करता है तो सात वर्ष का कारावास और 50 हजार का जुर्माना और अगर कोई अधिवक्ता के विरुद्ध धमकी देता है पैरवी न करना, चुप रहना, समय पर मुकदमे से विदड्रा कर ले तो 2 वर्ष का कारावास और 10 हजार का जुर्माना। यह सज़ा और जुर्माना, यह जुर्माने की राशि थोड़ी बढ़ाओ, क्योंकि जुर्माने की राशि को प्रतिकार के रूप में वकील को देने का प्रावधान आपने किया तो जुर्माने की राशि बढ़ाओ।

एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, पर सेक्शन 6 इसका, आपने सारे अपराधों को काग्नीजेबल बनाया है, संज्ञेय बनाया है और आपको मालूम है कि इसमें पुलिस बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति गिरफ्तार कर लेती है, पर इसके साथ मेरा एक सुझाव और है, आपने काग्नीजेबल तो कर दिया पर इसके साथ नॉन बेलेबल भी करो आप। अगर अधिवक्ता कोई सुरक्षा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें काग्नीजेबल विद नॉन बेलेबल आप करें। सेक्शन 7 में अपराधों को कंपाउंड करना, अधिवक्ता के विरुद्ध किये गये अपराध को कंपाउंड किये जाने का इस धारा में प्रावधान है। इस धारा में कहा, “every offence punishable under this Act…” इसमें मेरा सुझाव है कि “every offence committed against advocates under this Act” यह करने की आवश्यकता है। सेक्शन 8 में मैंने पहले कहा कि अधिवक्ता पर अपराध कारित होने से जो नुकसान होता है, उसका कम्पन्सेशन देने की बात है।

सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे 5-7 मिनट और चाहिये। सेक्शन 11 को री-नम्बर्ड करके आपने सदन को धता बताकर जो संशोधन किया, उसमें धारा 10 कर दिया, यह ‘Punishment for misuse of provisions contained in this Act’ यह वकीलों के खिलाफ है। इसमें अगर कोई वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के उपबंधों से उसका दुरुपयोग करता है, फर्जी मुकदमा बनाता है, असत्य शिकायत करता है, फंसाता है, तो पहले तो उसमें महाराज ने, गुरुजी ने तीन वर्ष की सज़ा का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रावधान कर दिया था और बाद में अमेंडमेंट करके उसे दो साल का कर दिया है। गुरु जी, 182 आई पी सी आप जानते हो। अगर 182 किसी के विरुद्ध चलती है तो वह नॉन काग्निजेबल है। 182 में तो 6 महीने की सज़ा और 10 हजार का जुर्माना है और वकील ने अगर कोई ऐसा गुनाह कर दिया तो दो साल की सज़ा। अगर आई पी सी के सेक्शन 211 में मिथ्या आरोप लगाता है तो उसमें भी दो साल की ही सज़ा का प्रावधान है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह दो वर्ष की बात आपने लिखी है, इसको भी आप आई पी सी के 182 के बराबर करो। अधिवक्ता अपना काम करता है, प्रोफेशनल काम है, उसका व्यावसायिक दुराचरण है, तो उसके लिए बार काउंसिल में पहले से नियम बने हुए हैं। अब आप पुलिस में मामला क्यों दे रहे हैं? पुलिस उसका गलत उपयोग करेगी। इसलिए धारा 11 में आवश्यक संशोधन करके वकीलों को पुलिस की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही से बचाया जाना आवश्यक है। जिस तरह डाक्टरों का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में डाक्टरों की कमेटी पहले जांच करेगी तो वकीलों का क्यों न करे?

अंत में, मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, मुझे एक बहुत बड़ी आशंका है। आशंका इसलिए है कि इस राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में आपने सीआरपीसी और आईपीसी के कई शिड्यूलों को बदला है। सीआरपीसी का शिड्यूल फर्स्ट को आप पढ़ें। इसमें लिखा है कि आईपीसी के अतिरिक्त अन्य विधियों के लिए नियम दिये गये हैं। शिड्यूल फर्स्ट के अनुसार अन्य एक्ट के लिए अपराध यदि तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो नॉन काग्नीजेबल है। अब आपने क्या किया, जो नॉन काग्नीजेबल तीन वर्ष से कम है, उसको सेक्शन 6 में काग्नीजेबल बना दिया और इसके साथ ही आपने इसकी सज़ा को बढ़ा दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सीआरपीसी के प्रावधानों के साथ आप उसको बदलेंगे, सीआरपीसी सेंट्रल एक्ट है, आर्टिकल 251 (1) के अनुसार इसमें आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आपको राष्ट्रपति के पास इसको भेजना पड़ेगा।

अंत में, मैं मेरी बात समाप्त करूं, यह ड्राफ्ट किसने किया है? सभापति महोदय, मैं तो हैरान हूं, परेशान हूं। अभी मैं देख रहा था, ए जी साहब का एक केस में 20 हजार रुपये, वेतन इनका 01 लाख 25 हजार रुपये, यह इन्होंने अभी रिवाइज किया है, सलाह देने के 5 हजार रुपये। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राजस्थान के ए जी का एक महीने का बिल अगर 75 लाख से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1 करोड़ से कम हो, तो आप जो कहें, आप मंगा लो, वरना मैं मंगा कर दिखा दूंगा। एक-एक महीने का एक-एक करोड़ का बिल और इस प्रकार इलड्राफ्ट करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दंतहीन है, यह नखहीन है, यह आभासी संरक्षण है, इसमें वही संरक्षण है जो आई पी सी में किसी व्यक्ति को पहले से है। इसलिए इससे एडवोकेट के विरुद्ध कारित करने वाले अपराध में कमी नहीं आयेगी। मेरा सुझाव है एडवोकेट के विरुद्ध कोई भी अपराध कारित हो, डीवाईएसपी से कम की रैंक का आदमी उसकी जांच नहीं करे। इसलिए मैं चाहूंगा, वकीलों की हड़ताल समाप्त करने के लिए आप उनसे क्षमा मांगते हुए कि विलम्ब हो गया, आप हड़ताल समाप्त कराएं और उनसे राय करके एक सशक्त कानून लेकर आएं, ताकि फिर कोई जुगराज चौहान इन बदमाशों की बलि वेदी पर नहीं चढ़े, फिर कोई हंसराज बावलिया अपने को जलाकर समाप्त नहीं करे, फिर कोई विजय सिंह आत्म हत्या के लिए मजबूर नहीं हो। सभापति महोदय, मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और वह भी वकीलों का। राठौड़ साहब ने बहुत अच्छी तरह से दलील देकर इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया। सभापति महोदय, 1961 के एडवोकेट एक्ट में सारे प्रोविजन हैं कि एडवोकेट को किस तरीके से प्रोटेक्शन देना है, किस तरह से वह वकालत करेगा, किस तरीके से कोर्ट का प्रोसीजर फोलो करेगा और किस तरीके से पब्लिक में उसका व्यवहार होगा। बड़े विस्तार से उसमें दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से देश के हालात बदले हैं, उन हालातों को देखते हुए यह जरूरी था और इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी।

सभापति महोदय, बार काउंसिल आफ इंडिया की 9 जुलाई, 2021 को एक बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि बार काउंसिल आफ इंडिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आये। उसकी मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ नोर्म्स तय हुए, कुछ नियम-कायदे तय हुए। उसके बावजूद भी वह कानून भारत सरकार पास नहीं कर पाई, पार्लियामेंट में अभी भी वह कानून पेंडिंग है, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। वह कानून भी शायद सलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है।

सभापति महोदय, क्यूबा की एक convention थी 27 अगस्त से 7

(श्री जगदीश चन्द्र)

सितम्बर तक हवाना में, जिसमें एडवोकेट्स के बारे में कहा गया था, "this is the consensus of the Resolution of the 8th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, August 27-September 7, 1990, to which India was a participant, where it has adopted the "Basic Principles on the Role of Lawyers. Clauses 16 to 18 of the declaration deals with "Guarantees for the functioning of lawyers which are as follows:" इसमें क्लॉज 16 और 17 का हवाला दिया गया है। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, Hon'ble Apex Court-O.P. Sharma V/s High Court of Punjab & Haryana, 2011:- Advocates are the Officers of the Courts and they were the essential part of the judicial system and with them the judicial system will work with full potential uphold the justice and right to citizens. यह जब-जब भी डिस्कशन हुआ तो वकील को समाज का मुख्य मुखौटा माना गया। जिस तरीके से उनको अपनी प्रेक्टिस करने के दौरान दिक्कतें आ रही हैं, सरकार ने इस बात को महसूस किया और इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी। यहां विधि मंत्री जी बैठे हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो दो आब्जेक्शन थे, सेक्शन 3 और सेक्शन 9 में। सेक्शन 3 में आलरेडी इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। राठौड़ साहब कह रहे थे कि 'duty of discharge'। राठौड़ साहब, यह शब्द है 'discharge of duty' इसमें थोड़ा फर्क है। वह आलरेडी अमेंडमेंट कर दिया जो अपन चाह रहे थे। सेक्शन 9 को तो इन्होंने बिलकुल ही खतम कर दिया और सेक्शन 3 में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है, जो जरूरी था। कुछ दो-तीन सुझाव मैं इसमें देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश के संविधान को बचाने में, संविधान का प्रोटेक्शन करने में, सोसाइटीज को दिशा-निर्देश देने में एडवोकेट्स का महत्वपूर्ण रोल रहा है। सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि समय-समय पर एडवोकेट्स की जो बेसिक नीड्स हैं, सरकार उसका ध्यान रखे। सभापति महोदय, आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देश में फैल गया है। जोधपुर का आपने हवाला दिया, आपने चौमूं साइड का हवाला दिया, निश्चित तौर पर चिंता की बात है, इस तरह की अगर कोई चर्चा होती है तो उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिये।

(श्री जगदीश चन्द्र)

सभापति महोदय, एडवोकेट कल्याण कोष की भी हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। जो नये वकील होते हैं, निश्चित तौर पर इस प्रोफेशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। कोई जमाना था जब बहुत प्रेस्टीजियस यह धंधा था और बड़े-बड़े लोग इसमें आते थे, लेकिन आज जिस तरह से एजुकेशन का विस्तार हुआ है जगह-जगह लीगल प्रैक्टिस के लोग बढ़ रहे हैं। पांच साल का एलएलबी का कोर्स हमने स्टार्ट किया, नये बच्चों की रुचि हुई है और जगह-जगह लॉ कालेज हमने खोले हैं, उससे लोगों में इस प्रोफेशन के प्रति रुचि भी बढ़ी है और नये बच्चे भी आये हैं, लेकिन जो समाज का वातावरण बन गया है, जिस तरीके से जगह-जगह वकीलों पर अटैक हो रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन आप सुरक्षा की दृष्टि से दे ही रहे हैं, इसके साथ-साथ सरकार को मेरा एक सुझाव है कि आप उनकी इकोनोमिक सिचुएशन का भी ध्यान रखें। जिस तरह से डाक्टर पी जी करने के लिए जाते हैं तो सरकार उनको कोई न कोई बेसिक देती है, इसी तरह

(समय: 16.00 बजे)

से वकीलों का भी सरकार ध्यान रखे। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि भारत के जो एडवोकेट हैं, आज भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनका अपना नाम है। इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में ये लोग जाते हैं, वहां पर अपनी वकालत का रुतबा दिखाते हैं। आज जिस तरह से पूरे देश का जो लीगल वातावरण है, वह समय-समय पर जब सरकार का संवैधानिक संकट पैदा होता है, कभी स्टेट्स में आपस में झगड़े होते हैं तो एडवोकेट जज की भूमिका भी निभाते हैं। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार के जो लीडिंग एडवोकेट हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मौका मिलता है, हाई कोर्ट का जज बनने का मौका मिलता है। सरकार की तरफ से इस प्रोफेशन में जो कर सकते थे, सरकार ने कोशिश की है।

मैं सरकार के मुखिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एडवोकेट्स की प्राथमिकता को देखते हुए सरकार ने बिल लेकर आने का फैसला किया है और उसमें एडवोकेट्स के जो सारे सुझाव थे, उनकी जो शंका थी, हमने इस बिल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, जो बेसिक दो-तीन अमेंडमेंट्स थे, वे आलरेडी, उसमें कर दिये गये हैं। इसलिए जनमत जाने का जो प्रस्ताव मैंने दिया था, मैं उसको वापस लेता हूं और आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसमें जो दो-तीन अमेंडमेंट्स हैं, खासकर सेक्शन 5 का जो इसमें हवाला दिया

(श्री जगदीश चन्द्र)

है, उसमें भी मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इसमें थोड़ा-सा दुबारा से विचार करे। सेक्शन 5 में भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ सेक्शन 6 है Offence to be cognizable इस पर आलरेडी राठौड़ साहब ने चर्चा की। मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि सेक्शन 6 का सीआरपीसी के तहत हम जो ट्रायल करते हैं, 1973 का जो सेंट्रल एक्ट है, उसमें हमारी पावर तो नहीं है, हमारी जुरिस्डिक्शन तो नहीं है। माननीय विधि मंत्री जी आ गये हैं, उस पर थोड़ा विचार करें। उसमें एक-दो संशोधन की जरूरत मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं खुद लॉ बैकग्राउंड का आदमी हूं। मैं समझता हूं कि इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से बार काउंसिल आफ इंडिया के जो कुछ सजेशंस आये हैं, मैं माननीय विधि मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि ये बार काउंसिल आफ इंडिया का एक ड्राफ्ट है, इसको भी जरा दिखवा लें। इसमें काफी चीजें जो हमारे बिल में फायदेमंद हो सकती हैं, उसमें राजस्थान के वकीलों का फायदा होगा, क्योंकि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, निश्चित तौर पर सरकार की मंशा साफ है। सरकार इसको पेश भी करना चाह रही है। सरकार की मंशा है इंडिपेंडेटली लोगों को जस्टिस दिलाये, सरकार की मदद करे। आम आदमी का कोर्ट कचहरी पर विश्वास पैदा हो। सरकार इस पर करे। सभापति महोदय, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सरकार इस पर थोड़ा गौर करे।

दो-तीन बातें हैं। एक तो जो बार काउंसिल आफ इंडिया है - Nature of Offence and Jurisdiction of Courts, इसमें क्लॉज-1 और क्लॉज-3, जिसको हम इसमें डाल सकते हैं। इसमें क्लॉज-2 में लिखा है, "any case registered under Section 3 shall be investigated by a police officer not below the rank of Superintendent of Police" मेरा माननीय धारीवाल जी से आग्रह है कि इसको थोड़ा दिखवायें। काफी ऐसी चीजें जो कि हमारे ड्राफ्ट में नहीं हैं, हम इसको शामिल कर सकते हैं और वकीलों का और ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह जो बिल है, वह राजस्थान के वकीलों को सम्बल प्रदान करेगा।

इसके साथ-साथ मेरा धारीवाल जी से आग्रह रहेगा कि जो एडवोकेट कल्याण कोष राशि थी, जिसे हमने हाउस में पिछले साल डिस्कस की थी, उस पर भी विचार करके उसको भी लागू करें, ताकि एडवोकेट्स को फायदा होगा। इसलिए मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। मैं इसी आशा के साथ कि मेरे जो सजेशन हैं धारीवाल जी उन पर गौर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, जिन उद्देश्यों के लिए बिल लाया गया है, राज्य में दिन-प्रतिदिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा और विधिक वृत्तिकों के विरुद्ध मिथ्या विवक्षाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विधि और व्यवस्था की स्थिति का ह्रास और न्याय परिदान प्रणाली में विलम्ब होता है। निश्चित तौर पर अधिवक्ता, जो कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो हमारे न्यायालय में मुवक्किल की पैरवी करता है। आजादी के आन्दोलन से लेकर आज तक का इतिहास देखें तो अधिवक्ताओं ने हर क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया है। इस वर्ग के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सभ्य समाज में यह निन्दनीय है। निश्चित रूप से बार काउंसिल की लम्बे समय से यह मांग थी और सरकार भी इस बिल को लेकर आयी, लेकिन, माननीय सभापति जी, राज्य सरकार द्वारा बार काउंसिल को वर्ष 2021 में भेजा गया था। बार काउंसिल ने अनुमोदित करके सरकार को वापस भेज दिया। 9 मार्च को माननीय धारीवाल जी के साथ संघर्ष समिति की बैठक हुई। उनमें आश्वासन के बाद 15 तारीख को बिल पेश हुआ। 15 तारीख को बिल पेश होने के बाद, जब सदन में बिल पेश हो गया, सदन में चर्चा का समय तय हो गया, दिन तय हो गया, उसके बाद सदन के बाहर इसी बिल में अनेक संशोधन का एक पत्र आना।

सभापति महोदय, हम सदन में पहली बार आये हैं तो हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ जी, इतने वरिष्ठ सभासद हैं, उनसे हमें हर अवसर पर सीखने का मौका मिलता है। हम उनको गुरु मानते हैं और शान्ती धारीवाल को +++ मानते हैं तो हमारे गुरु और उनके भी गुरु से इस तरह की गलती हो जाये तो यह बड़ी चिन्ताजनक बात है। सदन की प्रोपर्टी, जो बिल बन गया है, उसमें संशोधन इस सदन में होता है, सदन में चर्चा के बाद होगा। होता तो बहुत अच्छा रहता है। इस पर उप नेता, प्रतिपक्ष की मांग पर, सभापति जी, आपने जो अपनी व्यवस्था रिजर्व रखी है, बिल पारित होने से पहले निश्चित रूप से आप व्यवस्था देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें जो दो नम्बर 'ख' और 'ग' है, उनको हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छी बात है। तीन में न्यायालय परिसर को हटाकर इसकी व्यापकता प्रदान की, जैसा कि वकील मांग कर रहे थे। उसके लिए भी आपका धन्यवाद। 4 में 'पुलिस यदि उचित

(श्री बिहारीलाल)

समझे' इस शब्द को भी हटाना चाहिए, यह कतई भी इसमें उचित नहीं है। पुलिस उचित समझे या नहीं समझे, इस बात को हटाना चाहिए। आप जब जवाब देंगे तो निश्चित रूप से आप इसे हटाने का प्रावधान करेंगे। 6 में संज्ञेय के साथ गैर जमानती शब्द जोड़ा जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। 9 को आपने पूरा डिलीट कर दिया, निश्चित रूप से करना चाहिए।

सभापति जी, इन सारी बातों के साथ मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि अधिवक्ताओं का जो हमारा सभ्य समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, जो हमारा हर मौके पर नेतृत्व करता है, उनको अपने कर्तव्य निर्वहन में पूरा संबल मिले, ताकत मिले, भरोसा मिले और निर्भीक होकर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, इसके लिए इस बिल में और प्रावधान किये जाने चाहिए। इसको और मजबूत और ताकतवर बनाया जाये।

इस बात को कहते हुए मैं एक निवेदन मंत्री जी से यह करना चाहूंगा कि, माननीय मंत्री, हमारा हाई कोर्ट जोधपुर है, बीकानेर में आजादी से पहले हाई कोर्ट हुआ करता था और आजादी के बाद 10 वर्षों तक बीकानेर में हाई कोर्ट था। बाद में जोधपुर गया। हमारे बीकानेर के पूरे संभाग में लगातार 120 दिन तक हड़ताल चली। 2017 में, तब के मंत्री जी को, वीरप्पा मोइली जी ने भी विधि मंत्री और प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक भी सर्किट बेंच हाई कोर्ट की खोली जायेगी तो बीकानेर संभाग को पहली प्रायोरिटी पर रखा जायेगा। थोड़े दिन पहले केन्द्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू उदयपुर आये थे। उदयपुर में भी हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की मांग लम्बे समय से चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि केन्द्र की सरकार 7 हजार करोड़ रुपये विधि स्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा रही है। राजस्थान की सरकार उदयपुर में हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने का प्रस्ताव भेजे तो हमारी निश्चित रूप से सरकार से यह मांग है कि बीकानेर, जिसका हिन्दूमलकोट है, वह जोधपुर से 500 किलोमीटर दूर पड़ता है। जोधपुर हाई कोर्ट के पेंडिंग केसों की सबसे ज्यादा संख्या भी बीकानेर संभाग के जिलों की है। इसलिए उदयपुर के साथ-साथ बीकानेर में भी हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच खुले, इसका प्रस्ताव भी आप केन्द्र सरकार को भेजें, यह हमारे बीकानेर की मांग है। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना। श्री बलवान पूनियां।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आप और सारा सदन जानता है कि एडवोकेट्स का व्यवसाय ठीक है। एडवोकेट्स की जो पापुलैरिटी है, वह ठीक है और एडवोकेट्स ने देश को आजाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय सभापति महोदय, एडवोकेट्स की यह स्थिति हो रही है कि अदालतों में केस कम हैं और वकील ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो जीवनयापन का चाहिए, जो दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आया है, लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने इस बहु प्रचारित बिल के लिए चुनाव के समय में अपने जन घोषणा-पत्र में इसकी घोषणा की थी। सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने को आया है। उसके पूरा होते-होते भी अधिवक्ताओं को मजबूरन एक माह तक लड़ाई लड़नी पड़ी। कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार करना पड़ा और उस बहिष्कार को करने के बाद में सरकार को जगाना पड़ा। अधिवक्ताओं के आंदोलन के बाद यह बिल आता है, मैं समझता हूं कि कमिटमेंट के प्रति सरकार का कोई न कोई दुराग्रह है, कि साढ़े चार साल तक इस बिल को लिए बैठे रहे वरना यह बिल, हमारा पहला सत्र था, उसमें ही आना चाहिए था।

सभापति महोदय, अधिवक्ताओं के बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ, तैयार होते समय भी सरकार के मन में कोई खोट थी। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, वह खोटा ड्राफ्ट तैयार किया गया। उस ड्राफ्ट में उलटे अधिवक्ताओं को ही नुकसान हो रहा था। प्रोटेक्शन की बजाय अधिवक्ताओं के खिलाफ ज्यादा हो रहा था वह बिल। अधिवक्ताओं ने फिर आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद, सरकार ने विधान सभा में बिल पेश होने के बाद, जैसा कि उप नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने कहा, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि विधान सभा की गरिमा को गिराने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। बिल पेश होने के बाद उसका अमेंडमेंट सचिवालय में बैठकर निकाला, जबकि यह विधान सभा में अमेंडमेंट निकाल सकते थे। वह इसलिए नहीं निकाला, यदि आज सुझाव देने के बाद, आपके +++ यदि उसका अमेंडमेंट करते तो वह कहीं छोटे नजर आते। वह विपक्ष की बात मानते हुए नजर आते, इसलिए उन्होंने उस अमेंडमेंट को यहां से बाहर जाकर, सचिवालय में बैठकर निकाला। चलो कोई बात नहीं, आपने निकाला।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, मैंने शुरू से अधिवक्ताओं के संरक्षण की, अधिवक्ताओं की लड़ाई हमेशा लड़ी है। अधिवक्ता हमेशा इस सरकार में, आम जन को बचाने का काम करते हैं। अधिवक्ता समाज को संरक्षण देने का काम करते हैं, अधिवक्ता बाहुबलियों से संरक्षण का काम करते हैं। उसके लिए अधिवक्ता अपना जीवन, उनके संरक्षण के लिए, कोर्ट में पैरवी करने के लिए, आम व्यक्ति के लिए दांव पर लगाते हैं। मैं मांग करता हूं कि अधिवक्ताओं के इस बिल में जो प्रावधान/धाराएं हैं, वे सारी धाराएं गैर ज़मानती हों, गैर ज़मानती उसमें यह प्रावधान होना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं का ठीक से संरक्षण हो सके। यही बात सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, यही बात बाकी सबने कही है।

सभापति महोदय, यह बिल बहु प्रतीक्षित बिल था। मैं उम्मीद कर रहा था कि अधिवक्ताओं के लिए शायद इस बिल में कुछ अच्छी चीजें जुड़कर आएंगी। आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हर व्यक्ति कह रहा है कि हमको अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन के साथ-साथ उनकी आजीविका और उपार्जन के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसमें अधिवक्ताओं के परिवार व सम्पत्ति की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। अधिवक्ता पैरवी करता है तो उसके परिवार की सुरक्षा की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, वह भी इस प्रोटेक्शन बिल में कहीं ना कहीं होना चाहिए था। उनके बीवी-बच्चों पर भी कोई हमला कर सकता है, उनको भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में भी इस बिल में कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए था।

सभापति महोदय, अधिवक्ताओं में सबसे ज्यादा संघर्ष रहता है, वह नये अधिवक्ताओं का रहता है। मैं सरकार से मांग करता हूं, जब बेरोजगारों को साढ़े तीन हजार रुपये महीना भत्ता देने की सरकार ने घोषणा की है तो जो अधिवक्ता हैं, सरकार उनको पांच साल तक दस हजार रुपये स्टाईपेंड के लिए दे। आफिस और कम्प्यूटर एस्टेब्लिशमेंट के लिए दो लाख रुपये नि:शुल्क, बिना ब्याज के, इंस्टालमेंट में देने के लिए सरकार प्रावधान करे। यह कोई ज्यादा बड़ा बजट नहीं है, यह बहुत छोटा बजट है, लेकिन उसका बहुत बड़ा मेसेज होगा कि राजस्थान में नये अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए इस बिल में आपने यह प्रावधान भी किया है। बिल अगर लेट हुआ है तो थोड़ा

(श्री अशोक लाहोटी)

पेनल्टी के साथ भी आना चाहिए। सरकार ने लेट किया है तो सरकार पर पेनल्टी आनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहूंगा कि आजादी के समय से ही देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता जीवन समर्पण करते आ रहे हैं। सरकार कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। कल्याणकारी कार्यों की जिम्मेदारी के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, चिरंजीवी, ईडब्ल्यूए की घोषणा की, मैं सरकार से मांग करता हूं कि अधिवक्ताओं को आर जी एच एस का लाभ मिले, नि:शुल्क मिले। चिरंजीवी योजना में अधिवक्ताओं को नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ मिले। यह सरकार कर सकती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फण्ड नहीं चाहिए। जब बिल लेट आया है तो उसमें ये दोनों-तीनों प्रावधान करने चाहिए।

सभापति महोदय, धारा-चार में अधिवक्ताओं को पुलिस संरक्षण देने के लिए जो शब्द लिखा है, उचित समझें तो, सभापति महोदय, आप सब समझते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में कन्फ्रंटेशन पुलिस और अधिवक्ताओं का होता है। जयपुर में आपने देखा कि किस प्रकार के कन्फ्रंटेशन हुए, कितनी बड़ी आगजनी हुई, कितनी बार बैरिकेड टूटे, इसलिए पुलिस के ऊपर मत डालो, यह कहीं न कहीं झगड़ा पैदा करवाएंगे। इसलिए इस शब्द को ही हटा दें।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जब हम प्रोटेक्शन की बात ही कर रहे हैं तो फुल प्रोटेक्शन करें। सभापति महोदय, इसके साथ केवल इतना-सा कहूंगा कि अधिवक्ताओं के लिए फण्ड बनाना चाहिए, जिससे मकान के लिए लोन, बच्चों की शादी के लिए लोन, बिना ब्याज के लोन मिलना चाहिए।

सबसे बड़ी, आखिरी बात, आज हर जगह पर कोर्ट है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जिसने कोर्ट नहीं देखा हो। आज कोर्ट की क्या हालत है? हम अधिवक्ताओं के संरक्षण की तो बात कर रहे हैं पर कोर्ट में वकीलों के बैठने के लिए जगह नहीं है। वे धूप व बारिश में, खुले में बैठे रहते हैं, पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं, दीवार की छाया के नीचे बैठते हैं। सरकार इस पर भी विचार करे। हम वहां उनके लिए चैम्बर्स बनाने का, मल्टीस्टोरी कोर्ट काम्प्लेक्स बनाने का काम नहीं करेंगे तो बहुत विकट हालात हैं। वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ गंदगी है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है।

(श्री अशोक लाहोटी)
टॉयलेट में अगर कोई गलती से चला गया तो बेहोश हो जाएगा, इस तरह के हालात वहां हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के साथ-साथ सुविधाओं को भी जोड़ना चाहिए, ताकि कोर्ट परिसर सुरक्षित व सुसज्जित हो।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री संयम लोढ़ा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): वहां पर कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर भी सरकार ध्यान दे। इन प्रावधानों को जोड़ते हुए, यह बहु प्रतीक्षित बिल है, उसमें विशेष रूप से स्टाईपेंड, परिवार की सुरक्षा, ब्याज मुक्त लोन, चिकित्सा सुविधा की इसमें जरूर सुविधा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अशोक लाहोटी द्वारा अभी अपने उद्बोधन में उच्चारित +++ शब्द को मैं विलोपित करता हूं। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यह शब्द माननीय संसदीय कार्य मंत्री और उप नेता महोदय के बीच का शब्द था। पूरे सदन को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह हर बार अपने वक्तव्य में इस तरह का शब्द काम में लें। लें तो आप विलोपित करें इसको।

श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने वह शब्द विलोपित किया। मैंने आपसे आग्रह भी यही किया था कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया गया है। आपसे पहले आसन पर जो विराजमान थे, उनसे मैंने ही निवेदन किया था। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि लगातार इस असंसदीय शब्द पर इस सदन में चर्चा हुई। यह जानते हुए कि लोक भाषा में नैतिक रूप से पतन हुए व्यक्ति को +++ कहा जाता है। इस सदन में सरकार के माननीय मंत्री के लिए ऐसा शब्द..

श्री सभापति: इस शब्द को मैंने विलोपित कर दिया, आप उसको दुबारा प्रयोग नहीं करें। मैंने इस शब्द को विलोपित कर दिया। इस पर अब चर्चा नहीं होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आप भी आनंद ले रहे थे उसमें। आप भी अपनी चाशनी ड़ाल रहे थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने इस शब्द को विलोपित कर दिया। अब इस पर चर्चा नहीं करें। मेहरबानी करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह डिग्री है। इस डिग्री को, आप विलोपित शब्द यहां से कर दो पर डिग्री हमारे गुरु के साथ रहेगी तो रहेगी, आप रोक नहीं पाओगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष के उप नेता ने 18 तारीख के कागज को दिखा कर एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया, इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। यह तो इनकी कारीगरी है। विभाग की नोटशीट से इन्होंने कोई कागज निकाल लिया और उस कागज को लेकर सदन के अन्दर सनसनी फैलाने की कोशिश की।

माननीय सभापति महोदय, जब यह विधेयक चर्चा में आया, उससे पूर्व ही यह संशोधन सदन में प्रस्तुत किये जा चुके थे। मैं निवेदन करूंगा कि वकीलों पर हमले, धमकी, हस्तक्षेप, प्रताड़ना हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत में सज़ा करवाने वाले एक वकील को इस तरह टार्गेट किया गया कि अदालत परिसर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली की अदालत में वकील पर हमला हुआ। राजस्थान में परिस्थिति यहां तक पहुंच गई कि जोधपुर में एक वकील को हमले में जान गंवानी पड़ी। सारे वकील समुदाय ही नहीं, उस घटना से पूरे राजस्थान के जन-जन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। यह एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो पहले आ जाना चाहिए था। खाली यहां नहीं, भारत की संसद में आना चाहिए था। राजस्थान के वकील यदि हड़ताल नहीं करते तो आज सदन में शायद यह एक्ट पेश भी नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र लम्बा-चौड़ा व्याख्यान दे रहे थे। उनसे पूछना चाहूंगा कि जब 2021 में बार काउंसिल आफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर भारत के विधि मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार पूरे देश के वकीलों को संरक्षण क्यों नहीं देना चाहती? बार काउंसिल आफ इंडिया के द्वारा जो कानून प्रस्तुत किया गया है, आज तक वह कानून की शक्ल क्यों नहीं ले पाया?

माननीय सभापति महोदय, वकीलों के वकालत के पैसे के सम्मान के लिए कोई यह आज का प्रयास नहीं है, पिछले 123 साल से पूरी दुनिया भर की संस्थाएं इसके बारे में चिंतन करती रही हैं। मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि United Nations Congress की 27 अगस्त से 07 सितम्बर तक जो

(श्री संयम लोढ़ा)

कांफ्रेंस हुई, उसमें क्या प्रस्ताव लिया गया? "Basic Principles on the Role of Lawyers - Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics."

माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज का स्वभाव कुछ इस तरीके का है चूंकि, वकील कानून जानते हैं तो उनका अपना एक अलग कान्फिडेंस होता है, तो जब भी अवसर आता है, खास तौर पर पुलिस के लोग इस तरह का बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं जैसे वकील कुछ नहीं है। मैं खुद आपको मेरे होम टाउन का एक किस्सा बताऊंगा। हमारे वहां एक वकील साहब के लड़के का कोई लड़की से अफेयर था। उस लड़के की कोई शिकायत हुई तो पुलिस ने क्या किया? वकील साहब को आधी रात को जाकर उठाकर ले आयी और कपड़े उतारकर चड्डी पहनाकर उसको जो कैदी के लिए जगह होती है, वहां ले जाकर खड़ा कर दिया और बार-बार वे यह कहते रहे कि मैं वह फलां हूं, मैं वह फलां हूं। माननीय सभापति महोदय, सारे वकील आक्रोशित हुए। उस पुलिस के ए.एस.आई. को सस्पेंड करना पड़ा तो यह वर्दी का जो दम है न, इसका इस तरीके से आये दिन निरंकुश तरीके से पुलिस उपयोग करती आयी है, इसलिए यह कानून लाया जाना बहुत आवश्यक था।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा आपको कि ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं। आपको याद होगा, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आठवें दशक में पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल तक नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होते थे और आज जैसा संवैधानिक संशोधन लाकर यह नगरपालिकाओं के चुनाव को आवश्यक संवैधानिक रूप से किया गया है, वह नहीं था। कौन लड़ा तब उसके लिए? वकील ही थे जो जनहित याचिका लेकर हाई कोर्ट में गये और उस जनहित याचिका पर उन्होंने हमको आदेश लाकर दिया। Cinematograph Act बहुत पुराना बना हुआ है लेकिन क्या हो रहा था? किस तरीके की फिल्में प्रदर्शित की जा रही थीं? उस कानून

(श्री संयम लोढ़ा)

का किस रूप में उल्लंघन हो रहा था, कानून विद्यमान था, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। वे वकील ही थे जिन्होंने उसको भी चैलेंज किया और उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां गांवों के अन्दर दूषित पानी की भयंकर समस्या है, फ्लोराइड है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसा पानी है कि पीने पर मुंह से कुल्ला करना पड़े। उन सारे गांवों का अध्ययन करके पूरे राजस्थान में लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इस मुद्दे को लेकर कौन हाई कोर्ट में जनहित याचिका लेकर गया? वकील गया।

माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में आपने और हमने यह देखा था कि गर्ल चाइल्ड रेप के मामले में कोई एकरूप प्रावधान नहीं था। मुख्य मंत्री की मर्जी हुई तो किसी नाबालिग लड़की को पांच लाख दे दिये, किसी को चार लाख दे दिये, किसी को कुछ नहीं दिया। सैकड़ों लड़कियां बिना सहायता के रह गयीं, तब भी उस गर्ल चाइल्ड रेप के मामले में सभी लड़कियों के साथ सरकार समान रूप से व्यवहार करे, सरकार के ध्यान में लाने के बाद भी सरकार ने निर्णय नहीं किये, तब भी जनहित याचिका के माध्यम से उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर कौन गया? वकील गया।

आजादी से पहले, इस देश को आजाद कराने में वकीलों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि सर्वाधिक इम्पोर्टेंट भूमिका रही है और अब इस स्वाधीन भारत में भी, आपको यह याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस की जवाबदेही के मामले में सुनवाई की। सारी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंटर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिये कि पुलिस जवाबदेही समिति बनाइये, पुलिस एक्ट बनाइये, तो क्या हुआ? आज भी क्या राजस्थान के अन्दर पुलिस जवाबदेही समिति काम कर रही है राज्य स्तर पर? क्या जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समिति बनी है? उन मुद्दों को लेकर भी हाई कोर्ट में कौन गया? वकील गये।

माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे जन-जीवन को सही रूप से न्याय के नजदीक लाने की दिशा में सबसे प्रभावी भूमिका वकील समुदाय निभा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधि मंत्रीजी को कि जो कानून आपने पेश किया था, उसके अन्दर कुछ जो आशंकाएं हमारे वकील समुदाय में थीं, आपने उसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर दिये।

खण्ड-2 जिसमें पक्षकार और विरोधी पक्षकार की परिभाषा को लेकर,

(श्री संयम लोढ़ा)

उनके उल्लेख को लेकर आपत्ति थी, आपने उनको हटा दिया। वकील पर कहां पर हमला हो, आपने उसका क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया था। आपने पहले जो विधेयक पेश किया, सिर्फ न्यायालय परिसर तक ही उसको सीमित रखा जबकि अनगिनत घटनाएं न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों के साथ हुईं। आपने उसको विलोपित कर दिया, उसके लिए भी धन्यवाद।

इसी तरीके से आपने जो सेक्शन 9 का प्रोविजन किया था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा वकील समुदाय में रोष था, उसको भी आपने विलोपित कर दिया और सेक्शन 11 में भी जो आपने कारावास का प्रावधान पहले दो साल रखा था, उसको तीन साल कर दिया। इन सब बातों के लिए तो आपको धन्यवाद लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो वकील समुदाय की और अपेक्षाएं हैं, सेक्शन 4 में आपने पुलिस पर छोड़ दिया है कि वकील को प्रोटेक्शन कहां मिले। वकील प्रोटेक्शन का हकदार कहां हो, यह पुलिस तय करे। मैंने आपको पहले भी यह निवेदन किया है कि पुलिस का किस तरह का व्यवहार वकीलों के मामले में रहता आया है और अनगिनत बार हमने राजस्थान में यह देखा है कि पुलिस की मामूली किस्म की या गम्भीर किस्म की लापरवाहियों के कारण राजस्थान के अनेक इलाकों में हमें वकीलों के ये आंदोलन झेलने पड़े हैं, इसलिए मेहरबानी करके इसको पुलिस की मर्सी पर आप नहीं छोड़ें। अपराध आपने काग्निजेबल रखा है, लेकिन आपने इसको नॉन बेलेबल नहीं रखा है, इसलिए मैं आपको यह विनती करूंगा कि कोई जल्दी नहीं है, आप इसको प्रवर समिति को सौंप दो और जो-जो प्रावधान शेष रह गये हैं, उन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए लाओ।

आपने नाम तो रखा है इसका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और सिर्फ इसको सीमित कर दिया है अपराध, धमकी, वहां के दायरे तक। किसी वकील को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ, जब आप यह प्रोटेक्शन एक्ट ला ही रहे हो तो कम से कम यह भी लाओ कि अगर किसी वकील को प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हुआ तो उसको सहायता देंगे, सहायता का प्रावधान करेंगे और इसके अलावा किसी वकील को जरूरत पड़ जाये तो आप जब ला ही रहे हो तो लोन का भी प्रावधान रखो कि किसी वकील को जरूरत पड़े तो हम कोष खड़ा करेंगे, कोष का निर्माण करेंगे, जिसके लिए आप पी.एस.यू. बनाएंगे, जिसके जरिए वकील को उसकी जरूरत पर सहायता भी प्रदान कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह

(श्री संयम लोढ़ा)

निवेदन करूंगा कि इन प्रावधानों को वे सम्मिलित करें और हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों से यह कहूंगा कि ये सिर्फ राजस्थान में ही प्रलाप नहीं करें, राजस्थान से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताकर भेजे हैं, देश की जनता ने 300 से ज्यादा का आपको बहुमत दिया है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के प्रति भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जो भारत सरकार के पास विधेयक लम्बित है और भारत सरकार के तो विधि मंत्री पता नहीं क्या-क्या बयान करते हैं। रिटायर्ड जज राष्ट्र विरोधी गैंग के सदस्य हैं, इस तरीके के अतिरंजित, अप्रत्याशित और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देश के विधि मंत्री की तरफ से आ रहे हैं, जो और ज्यादा दु:खद है।

मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि इस तरह का नहीं, इससे बेहतर कानून सेंटर एक्ट लाया जाना चाहिए। आप यह स्टेट एक्ट लाये हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पूरारामजी।

सूचना

भीनमाल को जिला नहीं बनाने से स्थानीय रोष

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, जिस दिन 17 तारीख को जिलों की घोषणा हुई उसमें हमारे भीनमाल को वंचित रखा गया। भीनमाल परम्परा से, आज भी भीनमाल महाकवि माघ की नगरी के नाम से जाना जाता है। भीनमाल की जनता के अन्दर बहुत बड़ा रोष है। भीनमाल के अन्दर जैन समाज का पूरे विश्व का बहुत बड़ा मन्दिर है, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है।

श्री सभापति: आपका पाइंट आफ इन्फोर्मेशन क्या है?

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): हमारी मांग है कि पूरी जनता-जनार्दन रोड पर खड़ी है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री कालीचरण सराफ। विराजिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग कर रहा हूं कि भीनमाल को जिला बनाया जाये। यदि भीनमाल को जिला नहीं बनाया तो फिर हमको सांचौर में मत भेजो मेहरबानी करके। वहां बीच में सारे स्मैक वाले लोग हैं। यदि हमारे लोग भीनमाल में मोटर साइकिल लेकर गये तो उनको मोटरसाइकिल वापस नहीं मिलेगी।

श्री सभापति: विराजें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): लोगों को आर.सी. लेकर आना पड़ेगा। यदि कोई जनहानि हुई या सरकारी..

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं बोलने दिया आपको। विराजिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): 000

श्री सभापति: माननीय राजेन्द्रजी, माननीय उप नेता महोदय। मुझे मार्शल बुलाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं। माननीय सदस्य, विराजिए आप।

बहिर्गमन

(माननीय सदस्य श्री पूराराम चौधरी द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

पधारिए आप।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लायेंगे। साढ़े चार साल निकल गये पर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल नहीं ला पाये।

घड़साना में वकील के साथ घटना हुई। उसको आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। हंसराज वालिया को आत्मदाह करना पड़ा। जोधपुर जो मुख्य मंत्रीजी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां जुगराज चौहान की सरेराह हत्या कर दी गयी। पूरे प्रदेश के 70 हजार से अधिक वकीलों को हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 800 न्यायालयों में काम ठप रहा, तब मजबूर होकर सरकार को यह बिल लाना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, अब जब ये आनन-फानन में बिल लाये तो बिल को देख कर ऐसा लगता है कि यह एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल नहीं है,

(श्री कालीचरण सराफ)

यह एडवोकेट एट्रोसिटीज बिल है। वकीलों को बिल की प्रतियां जलाने के लिए मजबूर होना पडा। फिर विधि मंत्रीजी ने वकीलों को बुलाया। उनके प्रतिनिधि मण्डल से बात हुई और कुछ संशोधन इन्होंने स्वीकार किये। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, परन्तु कई वकील साथी मेरे से मिले हैं और उन्होंने कुछ और संशोधन के सुझाव दिये हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने पहले यह कहा था कि कोई अपराध यदि न्यायालय परिसर में वकील के खिलाफ घटित होगा तो उसको ही आप अपराध मानेंगे और न्यायालय के बाहर यदि कोई अपराध घटित होगा तो उसको नहीं मानेंगे। उसको तो आपने अमेंड कर दिया और अब कहीं पर भी वकील के खिलाफ अपराध घटित होता है तो उसको आपने अपराध की श्रेणी में ला दिया।

इसके बाद भी उनका यह कहना है कि उपरोक्त प्रावधान में जो परन्तुक जोड़ा गया है वह विधेयक की मंशा, उद्देश्य के खिलाफ है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास सदैव से ही भारतीय दण्ड संहिता के अनुरूप अपराध होता है। इस बिल का उद्देश्य अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रावधान में किया गया संशोधन भी अधिवक्ताओं को त्वरित सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य के विपरीत होगा। उपरोक्त प्रावधानों के प्रभाव में यदि किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले उसे अनुसंधान अधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह किसी प्रकरण विशेष में उसके द्वारा की गयी पैरवी के कारण यह अपराध घटित हुआ है, यह घटना घटी है। यदि अधिवक्ता उपरोक्त रूप से अनुसंधानकर्ता अधिकारी को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है तो उसे इस विधेयक का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कतिपय परिस्थितियों में अधिवक्ता के विशेष रूप से घायल हो जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर यह स्पष्ट नहीं कर पायेगा कि किसी प्रकरण में पैरवी करने के कारण उसके साथ यह घटना घटी है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में आपको यह भी जोड़ना चाहिए कि अधिवक्ता के साथ-साथ उसके पारिवारिक सदस्यों और कार्यालय के...

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या हो गया?

श्री सभापति: विराजिए। नाम पुकार लिया मैंने।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अभी तो एक मिनट ही नहीं हुआ, साहब।

श्री सभापति: आप चार मिनट बोल लिए। चार मिनट का समय दिया हुआ है आपकी पार्टी के द्वारा। विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट और दे दीजिए प्लीज।

श्री सभापति: प्लीज विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 सरकार लेकर आयी, इस बात के लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। वकील साथियों के संरक्षण के लिए यह जो कानून लेकर आये हैं इसमें धारा 4 में अधिवक्ता का पुलिस संरक्षण के लिए हकदार होना, इसकी व्याख्या ढंग से करने की मांग करता हूं कि इसको मजबूत किया जाये और पुलिस की इच्छा पर वकील साथियों को नहीं छोड़ा जाये।

उसके बाद माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ाजी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जिस तरीके से नाम लिया गया है कि 'राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, सरकार उनकी आर्थिक स्थिति पर भी संरक्षण प्रदान करे। सरकार कोई कोष का गठन करे और वकीलों को मदद करे। जब तक उसकी नयी-नयी प्रैक्टिस होती है, पांच साल तक उसकी कोई आमदनी नहीं होती। ज्योंही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाये, वकील साथी को लोन देना चाहिए। अगर वह किताब लाये तो किताबों में कंसेशन हो। लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए कंसेशन हो। हर कोर्ट में छोटी-छोटी लाइब्रेरी वकील साथी खुद स्थापित करते हैं तो सरकार लाखों रुपये बजट का प्रावधान करे, ताकि वकील को नयी किताबें खरीदना नहीं पड़े।

सरकार की मंशा तो साफ है। पहली बार वकीलों के संरक्षण के लिए ऐसा कानून लेकर आयी है। इसको और विस्तृत करने की जरूरत है और पहले जो शंकाएं थीं वह आप अमेंड करके लेकर आ गये हैं। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वकीलों के अधिकारों का हम संरक्षण करेंगे।

श्री सभापति: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही है। वकील समुदाय द्वारा आमजन की पैरोकारी की जाती है और उसके

(श्री पुखराज)

अन्दर सभी तरह के मुकदमे अपने मुवक्किल के लिए लड़ते हैं। चाहे फौजदारी प्रकरण हों, चाहे राजस्व प्रकरण हों, चाहे सरकारी कर्मचारी के प्रकरण हों, उन मुकदमों के अन्दर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वकीलों को धमकियां मिलती हैं, उनको वार्निंग मिलती है। प्रदेश के अन्दर काफी दिनों से वकीलों के अन्दर भय का माहौल पैदा हो गया है।

प्रदेश के अन्दर पिछले साल, डेढ़ साल से चाहे खण्डेला के वकील साहब ने एस डी एम कोर्ट के सामने पेट्रोल डाल कर आत्महत्या की हो, चाहे घड़साना के अन्दर पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या की हो, चाहे जोधपुर के जुगराज चौहान को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया हो, यह उसी वातावरण का परिणाम है जो वकीलों के समुदाय में प्रदेश के अन्दर बना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और आमजन की पैरोकारी करने वाले वकील समुदाय के सुरक्षा के लिए इस विधेयक को पारित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, सदन के अन्दर आज राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पर विचार हो रहा है। वास्तव में यह विधेयक अधिवक्ता के लिए पूर्णत: संरक्षण नहीं दे रहा है। नाम में तो कहा गया है, लेकिन इसमें जो प्रावधान किये गये हैं, वे वकील को पूरा संरक्षण नहीं देते हैं। जिस प्रकार का अधिवक्ता का काम है, जिस प्रकार मुवक्किल की कोर्ट में वकालत करता है, उसका काम न्याय दिलाना होता है, लेकिन जब उस पर दबाव आता है, आक्रमण तक होते हैं, यहां तक कि कोई वकील सुसाइड तक कर लेता है। ऐसे समय में आवश्यक है कि उसको पूर्णत: संरक्षण दिया जाये। अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक है कि वह निर्भीकता और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करें, इसके लिए उसको संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन आपने जिस प्रकार का यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उसमें कुछ शब्दों का तो उपयोग किया गया है लेकिन उन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। अत: उसमें यदि एक जोड़ा जाये कि जो शब्द परिभाषित नहीं हैं, उन्हें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (जो 1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 25) है और भारतीय दण्ड संहिता 1860 (जो 1860 का केन्द्र अधिनियम संख्या 45 में समनुदेशित किया गया है) उसको यदि पढ़ा जाये तो मैं समझता हूं उससे दिक्कतें कम आयेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अंदर

(श्री वासुदेव देवनानी)

मुवक्किल की कुछ परिभाषाएं हैं, अधिवक्ता का क्या अर्थ है, उसको पूरी तरह परिभाषित किया जाये, पक्षकार को परिभाषित किया जाये। पक्षकार के बारे में जो अभिप्रेत है, जिसका किसी न्यायालय या किसी अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिवेदित किया जाये, जिसमें विधिक सलाह हेतु सम्पर्कित विधिक दस्तावेज व सूचना पत्र तैयार कराने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित किया जाये। केवल जो वकालत करे, उसके साथ नहीं, लेकिन बाकी जो विधिक सलाह हेतु सम्पर्कित कर रहा है, उसको भी उसमें संरक्षण मिलना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही (ग) में जो आपने विरोधी पक्षकार लिखा है, वह भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा अन्य व्यक्ति के मामले का किसी न्यायालय या किसी अधिकरण के समक्ष प्रतिवेदित किया जाये। जिसमें विपक्षी, जिसको सूचना पत्र दिया गया, या जिसके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गयी, वह भी सम्मिलित किया जाये और सम्पत्ति से किसी अधिवक्ता के स्वामित्वाधीन या कब्जे में की गयी सम्पत्ति जंगम या स्थावर, या उपस्कर या मशीनरी अधिवक्ता कार्य से सम्बन्धित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो बातें और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो प्रतिकर के विषय में लिया गया है, कोई न्यायालय निर्णय पारित करते समय जब जुर्माने का दण्डादेश या अन्य कोई दण्डादेश, जिसका कोई भाग जुर्माना हो, अधिरोपित करता है, तब न्यायालय वसूल की गयी जुर्माने की रकम अधिवक्ता को प्रतिकर के रूप में संदत्त किये जाने का आदेश कर सके, इस तरह का इसमें प्रावधान हो। साथ ही इसके अंदर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जो 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 है) की धारा 154 या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिवक्ता के विरुद्ध उसके वृत्तिक कर्तव्यों के दौरान किये गये किसी कार्य के लिए पक्षकार या विरोधी पक्षकार से किसी संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट यदि प्राप्त होती है तो उसको ऐसे पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, द्वारा कोई जांच, अधिकतम सात दिवस के भीतर-भीतर की जाये, करने के पश्चात् ही दर्ज की जा सके। इस प्रकार के कुछ इसमें प्रोविजन यदि कर जायेंगे तब अधिवक्ता को पूर्णतया संरक्षण प्राप्त होगा, नहीं तो विधेयक अधूरा रहेगा। आज वकील की क्या दशा हो रही है, वह आपके सामने है। आपके और हमारे यहां भी वकालत करते हैं, लेकिन इस प्रकार यदि उसको अधूरा करेंगे तो उसको संरक्षण नहीं मिलेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एक बात कहकर अपनी बात को पूरी करता हूं कि वकीलों को लोन देने का इसमें प्रोविजन हो ताकि व्यक्ति अपनी सारी व्यवस्था कर सके। साथ ही जो नये वकील हैं, जिनकी अभी कोई वकालत चल नहीं रही है, उनके लिए भी कोई इस तरह का प्रोविजन हो ताकि अपनी वकालत में काम कर सकें। नहीं तो पुराने इतने सारे वकील हैं, नये वकीलों का नम्बर ही नहीं आता। नये वकीलों का भी इसमें प्रोविजन देकर उनको कुछ मानदेय मिले, कुछ उसके लिए व्यवस्था हो।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। यह बिल रखने के बाद में जो संशोधन हुए हैं उनकी व्यवस्था तो आप देने वाले हैं, पर मैं तीन-चार विषयों पर अपनी बात कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ मुद्दे की बात कहना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जो सेक्शन 4 है, दूसरी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगी। सेक्शन 4 में मंत्री महोदय ने बिल में यह कहा है कि अधिवक्ताओं के द्वारा उनके विरुद्ध किये गये इस अधिनियम की धारा 3 में वर्णित किसी अपराध के संबंध में की गयी किसी रिपोर्ट पर पुलिस यदि उचित समझे, तो मेरा सुझाव है, माननीय मंत्री महोदय, 'यदि उचित समझे' शब्द को यहां से हटाना चाहिये, क्योंकि पुलिस तो कभी भी उचित नहीं समझने वाली है और इस प्रोविजन के रखने से एडवोकेट्स को कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिये 'यदि उचित समझे' इस शब्द को इस धारा से हटाया जाये और इसी प्रकार जो सेक्शन 5 है, उस सेक्शन 5 में आपने लिखा है 'जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी'। किसी भांति के कारावास में सेक्शन 5 की धारा 1, 'जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी' मेरा सुझाव है इस 2 वर्ष की अवधि को आप 3 वर्ष करें। इसी प्रकार से आपने सेक्शन 5 को तीन टुकड़ों में बांटा है, सेक्शन 5 की उप-धारा 1, 2 और 3, मेरा सुझाव है कि इसकी 4 उप-धाराएं होनी चाहिये और चौथी उप-धारा को मैं निवेदन करना चाहूंगी 'कारावास जिसकी अवधि न्यूनतम दो वर्ष से सात वर्ष की हो सके' वह इसमें जोड़ी जानी चाहिये, ताकि न्यूनतम से लेकर सात वर्ष तक की अवधि को इसमें जोड़ा जा सके।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक शब्द का बार-बार इसमें उल्लेख होता आया है 'मुवक्किल'। 'मुवक्किल' शब्द का बार-बार उल्लेख आया है। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो बिल बनाने का काम करते हैं, जो सरकारी कानून के तहत काम करते हैं, उनको बहुत बड़ी धनराशि मिलती है। यह हिन्दी का वर्जन है। इंग्लिश में तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हिन्दी वर्जन में 'मुवक्किल' के स्थान पर आपको पक्षकार लिखना चाहिये, क्योंकि इसकी एग्जेक्ट हिन्दी पक्षकार है, न कि मुवक्किल है। इसलिये इन छोटी-छोटी चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष, यह तो आपने खैर हटा दिया इसको, और चेंज कर दिया इसको, लेकिन इसमें लास्ट में जो सेक्शन 11 है, जिसको आपने चेंज करके 10 कर दिया। उसमें मैं संशोधन करना चाहूंगी। उस संशोधन को मैंने जिस प्रकार से लिखा है, उसको पढ़ती हूं 'जो कोई भी अधिवक्ता होते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों का दुरुपयोग करता है या उसमें विद्वेषतापूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या शिकायत करता है तो यह गंभीर मिस-कंडैक्ट आफ रूल माना जाना चाहिये, जिस पर बार-काउंसिल में शिकायत कर सकता है। एक बार बार-काउंसिल इसमें नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही तीन चीजें और बोलना चाहूंगी। यह तो आपने इसमें संशोधन किया, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन जो मैंने आपको सुझाव दिये हैं, उन पर भी आप गौर फरमायें। निवेदन करना चाहूंगी कि जो नये वकील आते हैं, क्योंकि हम प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रहे हैं, यह एट्रोसिटी बिल हो जायेगा, प्रोटक्शन बिल नहीं रहेगा यदि इसी स्वरूप में हमने इसको पारित किया तो। जो नये वकील होते हैं, वे बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं अपनी प्रैक्टिस को स्थापित करने के लिए, बुक्स के लिए, जगह के लिए। जितने कोर्ट परिसर हैं, आप देखिये उनकी स्थिति क्या है? वहां पर जगह नहीं मिलती है। नये वकीलों के रजिस्ट्रेशन के साथ में उनके लिए किसी तरह से फण्ड बनाया जाये, उनके लिए वेलफेयर का फण्ड बनाया जाये और वह वेलफेयर फण्ड उनके लिए उपयोगी हो। किसी प्रकार से यदि वे एक्सीडेंट में और किसी कारण से यदि दुर्घटनाग्रस्त होकर प्रैक्टिस के लायक नहीं रहते हैं तो उनको सहायता दी जानी चाहिये। अब हम बाकी की सारी चीजों की सहायता की बात करते हैं, लेकिन यह जो विशेष वर्ग आता है,

(श्रीमती अनिता भदेल)

जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, उस बुद्धिजीवी वर्ग के लिए हम कुछ नहीं करते। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर सदन में चर्चा हो रही है। वकील समुदाय समाज का एक सम्माननीय वर्ग है और इसका सब सम्मान करते हैं। यह समाज को दिशा देता है। ये सामान्य व्यक्ति से लेकर खूंखार आंतकवादियों तक की पैरवी करते हैं। खूंखार आंतकवादियों के पक्ष में भी करते हैं और विरोध में भी करते हैं। कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ ये अपनी बात कहते हैं, उसके कारण से नाराज हो जाते हैं और जब मौका मिलता है तो कई बार वकीलों के साथ अनहोनी हो जाती है। इसलिए प्रोटेक्शन बिल लाने की वकील लगातार मांग कर रहे थे। अब यह जो प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, तो यह पहला ड्राफ्ट था, उसमें सेक्शन 9 में यह कहा गया था कि वकीलों की FIR दर्ज करने से पहले बार-काउंसिल आफ राजस्थान को सूचित करेंगे, फिर हटा दिया गया, पर मुझे जानकारी मिली कि शायद वह शामिल कर दिया गया है। यदि शामिल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसको कर लेना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यदि वकील कोई असत्य शिकायत करता है या असत्य पाया जाता है, सही शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस अपनी जांच में उसे सही नहीं मानती है तो उसको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। जबकि जो केन्द्रीय कानून है, उसमें असत्य शिकायत पर दण्ड 6 माह का है। मैं समझता हूं यह वकीलों के साथ ज्यादती होगी। इसको 6 माह ही करें तो अच्छा होगा। धारा 4 में भी अधिवक्ताओं के लिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जो शिकायत करते हैं, मांग करते हैं सुरक्षा की, तब पुलिस पर छोड़ा गया है कि 'उचित समझें तो', मैं समझता हूं ठीक नहीं है। यदि वह सुरक्षा की मांग करते हैं तो उनको पूरी सुरक्षा और संरक्षण देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोटेक्शन बिल में मौन है इस बात के लिए, कि यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, वकील कहता है उसके साथ ज्यादती हो रही है, कोई उसको पीड़ित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है और पुलिस यदि FIR दर्ज नहीं कर रही है तो उस मामले में मौन है कि पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिये। पुलिस के खिलाफ भी कोई न कोई कार्यवाही होने का प्रावधान

(श्री मदन दिलावर)

होना चाहिए जो उसको सुरक्षा नहीं दे रहा है, एफ आई आर दर्ज नहीं कर रहा है या मुलजिमों को नहीं पकड़ रहे हैं, तो पुलिस पर भी कोई न कोई दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है, कोई भी समुदाय हो उसके सभी 100 प्रतिशत लोग सही नहीं होते हैं। अधिकांश लोगों को सही माना जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं वो सब समुदाय में मिल सकते हैं और वकील समुदाय में भी ऐसे लोग होंगे जो वकालत करने तो आ गये होंगे, लेकिन रेगुलर वकालत नहीं कर रहे होंगे अदालत में, परंतु इधर-उधर के कामों में लगे होंगे। उनसे कैसे बचा जा सकता है? यह प्रोटेक्शन बिल उनको प्रोटेक्शन देगा क्या? मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। कोई न कोई क्राइटेरिया तय करना चाहिए, ताकि ऐसे जो लोग हैं, जो इसको टूल बना सकते हैं और अनावश्यक रूप से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, उनके लिए यह ढाल बन सकता है, इसलिए कोई न कोई बेरिकेड्स लगाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को यह प्रोटेक्शन बिल राहत न दे, मेरा इतना निवेदन है। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाए?

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाकर सात बजे तक किया गया।

श्री धर्मनारायण जोशी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 सरकार लेकर आई है। माननीय सभापति

(श्री धर्मनारायण जोशी)

महोदय, आपके जन घोषणा पत्र में यह पहले ही था, साढ़े चार साल इसको आने में लग गए, वो भी जोधपुर के उस वकील भाई ने जब बलिदान दिया, उसके कारण सरकार मजबूर होकर यह विधेयक लाई है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय धारीवालजी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो धाराएं इन्होंने जोड़ी थीं पहले दिन जो विधेयक आया था, वो धाराएं हटाकर इसका दायरा बढ़ाया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। उसमें आपने इसको केवल अपराध के दायरे तक सीमित कर दिया है, वकीलों के कल्याण के लिए आज न्यायालय में जाइए, साइकिल स्टैंड नहीं है, कैबिन नहीं है, वकीलों के बैठने की जगह नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है जिला स्तर पर भी वकीलों के लिए कल्याण कोष, स्टेट लेवल पर भी उनके लिए कल्याण कोष होंगे, मकान की कोई व्यवस्था, दो लाख रुपये के ऋण, नये वकीलों को भत्ता देने की व्यवस्था, यह सरकार को करनी चाहिए। मुझे एक अधिकारी ने बताया कि दस साल पहले बिल बन गया था और हूबहू वापस आ गया बिल, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, यूं तो अनेक बातें इसकी चलती रहेंगी, आप इसका दायरा बढ़ाएं क्योंकि हमारे देश के वकीलों ने अनेक सरकारों को मजबूर कर दिया, सरकारें मजबूर होने के कारण जनता के हित में अनेक ऐसे फैसले हुए जो उन्होंने करवाए।

माननीय सभापति महोदय, फिर एक निवेदन है कि हमारा उदयपुर डिवीजन आदिवासी डिवीजन है, 60 लाख आदिवासी वहां पर निवास करते हैं और अनेक आदिवासी इस डिवीजन में जेल में इसलिए बंद हैं कि हाई कोर्ट में उनकी कोई एप्लीकेशन लगाने वाला नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अभी उड़ीसा में वर्चुअल कोर्ट चल रही है, ऐसी ही कैम्प कोर्ट की आदिवासी भाइयों के लिए उदयपुर में भी स्थापना की जाए। आप देखिए कि आपका जो आधार है, जिले कैसे विभाजित करेंगे, आपके यू.पी. में दो बेंच है, लखनऊ बेंच में 82 जिले हैं, इलाहाबाद बेंच में केवल 9 जिले हैं। ऐसे ही 1971 में झारखंड में इस आधार पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हुई कि वहां पर आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी यहां पर नहीं आ सकता है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार सर्वसम्मत एक प्रस्ताव लाकर केन्द्र सरकार को भेजे कि वहां पर अलग से हाई कोर्ट बेंच नहीं तो वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था करे। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी बातों को शामिल करके वकीलों के हित में इसको जनता के बीच में भेजकर, वकीलों से सलाह लेकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 16.54 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा हमारे सबसे प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता वर्ग के लिए जो वर्षों पहले ड्राफ्ट तैयार हो गया था, उसको अधिवक्ता हित में आज सरकार के द्वारा सदन के समक्ष लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बिल को पढ़ा, इसमें लिखा है, 'राज्य में दिन-प्रतिदिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा और विधिक वृत्तिकों के विरुद्ध मिथ्या विवक्षाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विधि और व्यवस्था की स्थिति का ह्रास और न्याय परिदान प्रणाली में विलम्ब होता है।' इसमें लिखा है कि हिंसा और विधिक वृत्तिकों के विरुद्ध, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार से वर्तमान कांग्रेस सरकार के गठन के बाद में अपराध में जिस प्रकार की वृद्धि हुई है, उसके कारण ही तो यह घटना हुई है। यदि कोर्ट में वकीलों की हत्या नहीं होती, यह अपराध नहीं होता तो इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार को विकास के मामले में जहां नम्बर वन होना था, विकास के मामले में आगे होना था, अपराध के मामले में इतना आगे बढ़ गया है कि सरकार को अधिवक्ताओं की मांग पर उनके संरक्षण के लिए यह राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 लाना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, जो मूल बिल हमें दिया गया था, उसके बाद जब अधिवक्ताओं का दबाव बढ़ा, बार काउंसिल का दबाव बढ़ा, तो उन्होंने इस बिल में तीन मुख्य रूप से क्लॉज चेंज किये हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। क्लॉज 3, क्लॉज 9 और क्लॉज 11, इसमें क्लॉज 3 कहता है, "Prohibition of assault, grievous hurt, criminal force and criminal intimidation; advocate shall be an offence." उसके बाद क्लॉज 9 में आपने उसको डिलीट कर दिया। In Clause 11 of The Rajasthan Advocates Protection Bill, 2023 (Bill No. 13 of 2023) for the existing 'three years' in the expression, 'two years' be substituted. यह उसके बाद

(श्री अविनाश)

जब बिल सदन में रखा गया, उसके बाद में जब बार काउंसिल का दबाव पड़ा उसके बाद में कुछ संशोधन करके वापस हम सबको दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी एक वकील हूं मैंने भी प्रैक्टिस की है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद में जब मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैं जीता और यहां सदन में आया, तो वकील समुदाय का जो प्रारम्भिक समय होता है, उसके बारे में मैं भी वाकिफ हूं। हमारा संविधान यह कहता है, हमारा लोकतंत्र यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में और पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रहे। यह पूरे भारत देश में प्रत्येक उस ग्रामीण क्षेत्र में बैठे उस व्यक्ति के लिए है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसको ज्ञान की जानकारी नहीं है तो वह न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसलिए जब दो पक्षों के बीच में विवाद होता है तो अधिवक्ता वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हम सबको पैरवी करने के लिए कोर्ट के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। इसको बहुत बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। उनके संरक्षण का अधिकार भी मैं मानता हूं कि उनको मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय से लेकर समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में हड़ताल चल रही है। यह बार काउंसिल के आह्वान पर वर्क सस्पेंशन चल रहा है। इस प्रकार का वातावरण मैंने पहली बार देखा कि राजस्थान में न्यायिक कार्यों का वकील समुदाय के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। यह स्थिति दुबारा नहीं बने, अधिवक्ताओं के हित में फैसला हो तो जो आप बिल लेकर आए हो उसको और सशक्त कैसे बनाया जाए, अधिवक्ता हितैषी कैसे बनाया जाए, इस पर जोर देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने जब बिल रखा तो मेरी कुछ अधिवक्ताओं से बात हुई, बार काउंसिल के सीनियर लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि यह जो राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 आप लेकर आये हैं, उसके बारे में पहले तो आपने कहा कि 'न्यायालय परिसर' शब्द है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। आपने कर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें सब लोग बता रहे हैं कि धारा 4 में 'पुलिस अगर उचित समझे', ये शब्द हटने चाहिए, उसको हटाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। धारा 6 में 'संज्ञेय' शब्द के साथ में 'गैर जमानती' शब्द जुड़ना चाहिए।

(श्री अविनाश)

और तो और, धारा 9 जिसको आपने डिलीट कर दिया, 'कर्तव्य निर्वहन के दौरान' शब्द को और विस्तृत करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जब तीन क्लॉज आपने इसमें और अमेंड किये, तो इसमें 'डिस्चार्ज आफ ड्यूटी' केवल कोर्ट में ही होती है और कोर्ट से घर जाते समय या छुट्टी के दिन एडवोकेट किसी ड्यूटी में नहीं होता इसलिए लागू नहीं होगा। अर्थात् 365 दिन में से लगभग 175 दिन ही न्यायालय खुलता है, उन वकील समुदाय को तभी प्रोटेक्शन मिलेगा जब वो न्यायालय के अंदर रहेंगे। आपने इसमें संशोधन किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आपने इसको बेलेबल बनाया, मैं समझता हूं कि इसको नोन-बेलेबल बनाने की आवश्यकता है, जहां 182 आई पी सी में किसी भी व्यक्ति को असत्य परिवाद पर 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है और इसमें सेक्शन 11 में वकील समुदाय के लिए 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है, इसको भी कम करने की आवश्यकता है। प्रतिकर राशि भी 20 हजार, 50 हजार है, इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं है, इससे भी वकील समुदाय का कुछ भला होने वाला नहीं है।

(समय: 17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना-सा निवेदन करूंगा कि यह जो आप बिल लेकर आये हैं, वकील समुदाय की भावनाओं को अगर आप समझें तो मैं समझता हूं कि यह एक्ट बिल्कुल वैसा है जैसा फाइव स्टार होटल में बुलाकर उसको इन्दिरा रसोई का खाना खिला दिया जाए, यह इस प्रकार का बिल है। वाकई में यह वकील समुदाय का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं और, मंत्री महोदय, यह आपको भी सुनने को मिलेगा। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा कि जिस एक्ट को पारित कराने के लिए वकील समुदाय महीने भर से ज्यादा समय से हड़ताल पर है।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): इस बिल के विरोध में भी आगे एक महीने-डेढ़ महीने तक वे हड़ताल करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात मैं यह कहूंगा कि यह जो बिल लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि जूनियर एडवोकेट जितने भी हैं जो अपने एनरोलमेंट से लेकर दो-तीन साल तक प्रैक्टिस करते हैं, उनको अधिवक्ता कल्याण परिषद के माध्यम से आठ-दस हजार रुपये के करीब का

(श्री अविनाश)

मासिक भत्ता दिया जाए। उसके साथ में जो बार के चैम्बर बने हुए हैं, उनके संसाधनों को विकसित किया जाए, अधिवक्ता पक्षकार पक्ष के लिए वाद कक्ष बनाये जाएं, चैम्बर का निर्माण किया जाए। पीने का पानी, स्वच्छ टॉयलेट, सी सी टी वी कैमरे और स्टेशनरी आदि उपलब्ध करवाये जाएंगे तो मैं समझता हूं कि अधिवक्ताओं के हित के लिए यह जो कानून आप लोग लेकर आये हो, उसमें कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है। आप फाइव स्टार होटल में बुलायें तो उनको फाइव स्टार होटल से कम का खाना नहीं खिलायें, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: थैंक यू। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सभी के लिए समय की कमी और काम की अधिकता को देखते हुए चार-चार मिनट का समय निर्धारित है तो चार मिनट का मतलब चार मिनट है, इसलिए कृपया कोआपरेट करें। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय। जो राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 सरकार के द्वारा लाया गया है इस बिल में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही कई ऐसे विषय हैं जो इस विधेयक में अछूते रह गये हैं तो उन विषयों को भी इस विधेयक में शामिल करने की आवश्यकता है।

विधेयक में अधिवक्ता को पुलिस संरक्षण दिये जाने के प्रावधान अस्पष्ट हैं। ऐसा पुलिस संरक्षण नि:शुल्क होगा तथा ऐसा पुलिस संरक्षण आवेदन प्राप्त होते ही तुरन्त उपलब्ध करवा दिया जाएगा, यह इस बिल में स्पष्ट वर्णित नहीं है तो इस बिल में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित है कि अधिवक्ता एस एच ओ एवं अधीक्षक के बीच एक फुटबाल की तरह रह जाएगा और जहां आवेदन करेगा वह अधीक्षक के पास भेज देगा और अधीक्षक एस एच ओ के पास भेज देगा, इसलिए इसको स्पष्ट किया जाए।

अधिवक्ता को उसके कर्तव्य निर्वहन में कई बार बाहर जाना पड़ता है, कहीं कमिश्नर नियुक्त करने के बाद या विधि सलाहकार नियुक्त करने के बाद उसको बाहर भेजा जाता है और वहां पर उनको अपराधियों से धमकी मिलती है या उनके साथ लड़ाई-झगड़े की नौबत आती है तो ऐसे प्रकरणों को भी अपराध की श्रेणी में लाकर इसमें लिया जाए।

इस अधिनियम के तहत जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है, वह

(श्री संदीप शर्मा)

इसमें नहीं होना चाहिए और इसे नॉन-बेलेबल बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रकरण में यदि अधिवक्ताओं को, उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को, उसके माता-पिता को भी धमकी मिलती है तो उसको भी इस अधिनियम में अपराध मानना चाहिए। इस अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होने पर अधिवक्ता के आवेदन पर उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उसके कार्यालय से ही उसकी सुनवाई पर विचार हो सके, यह प्रावधान भी इस अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए।

जो बात मेरे सभी साथी विधायकों ने कही है कि जो नये अधिवक्ता हैं वे अपनी प्रैक्टिस जमाने के लिए जूझ रहे हैं तो ऐसे अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक है कि दस हजार रुपये तक का स्टाईपेंड उनको दें, ताकि उनके जमने तक स्टाईपेंड से उनकी आर्थिक रूप से मदद हो सके। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रामप्रताप जी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अधिवक्ता वाला तो मेरी समझ से बाहर है। मेरे तो सूरतगढ़ को जिला बना दो, अन्यथा इस्तीफा ले लो।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती चन्द्रकान्ता जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

आजादी के आन्दोलन से लेकर आज तक हम देखते आये हैं कि वकीलों की बहुत अहम भूमिका रहती है चाहे सामाजिक सुधार की बात हो, चाहे कुरीतियों को मिटाने की बात हो। समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए जिस तरह से इनका ग्रुप काम करता है वह निश्चित तौर पर हमने देखा है और हम सबको भी इनकी आवश्यकता होती है। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगी कि धारा 3 में आपने न्यायालय परिसर शब्द को विलोपित किया, जिसकी वकीलों ने इस विधेयक को लाने के बाद मांग की थी। इसको विलोपित किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

धारा 6 में, 'अपराध का संज्ञेय होना' में अपराध संज्ञेय के बाद जो आपने अजमानतीय शब्द समाहित किया, उसमें जमानतीय के स्थान पर अजमानतीय कर दिया। धारा 9 भी लेकर आये थे, अजमानतीय शब्द समाहित

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

किया जाए। धारा 9 को पूरी को ही विलोपित किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस विषय पर पहले से ही जो हमारा एडवोकेट एक्ट है, बार काउंसिल विधि बनी हुई है और अधिवक्ताओं के अभियोजन के सम्बन्ध में भी इसमें पूरा डिटेल में आलरेडी नियम बना हुआ है तो मुझे लगता है कि इस धारा 9 को लाने की हमें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ सुधार आपने किया है और आपको भी पता है कि हम कोटा से आते हैं, कोटा में भी आपके वकील लगातार हड़ताल पर हैं। कुल मिलाकर इनकी पैरवी अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर अधिवक्ताओं के साथ अन्याय होगा। हमने लगातार राजस्थान की धरती पर देखा है कि अगर हमारे पड़ोस में झगड़ा हो जाए, हम किसी को सपोर्ट कर दें तो घर वाले भी हमें टोर्चर करते हैं कि तू बीच में क्यों कूद रहा है, लेकिन इन वकीलों ने पूरे देश में, प्रदेश में कितने ही जघन्य अपराध हुए हों, लेकिन अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, बोलने के लिए अपनी अहम भूमिका ये निभाते आये हैं।

मैं इतना कहूंगी कि आपने इसमें नाममात्र का संशोधन किया है। धारा 4 में भी आपने कहा है कि 'पुलिस उचित समझे तो', निश्चित तौर पर हम पुलिस के ऊपर छोड़ें कि पुलिस उचित समझे तो, इसमें भी हमें कई सुधार की आवश्यकता है और हमें संशोधन करना चाहिए।

साथ ही साथ, आपने जो डिस्चार्ज आफ ड्यूटी के लिए, केवल कोर्ट में ही होती है और कोर्ट टाइम में ही कोर्ट से घर जाते समय या छुट्टी के दिन भी एडवोकेट किसी ड्यूटी में नहीं होता, इसलिए यह लागू होगा ही नहीं। इसमें आपने कुछ सुधार तो पहले से किया है लेकिन मैं कहूंगी कि 365 दिन में से लगभग 175 दिन न्यायालय खुलता है और मुझे लगता है कि इस विधेयक की इन धाराओं में परिवर्तन नहीं करेंगे तो वकीलों को कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वकीलों के पक्ष में अपराध को आपने नॉन-बेलेबल बनाया है। साथ ही, जहां 182 आई पी सी में किसी भी व्यक्ति को असत्य परिवाद पर 6 महीने की सज़ा का प्रावधान आपने किया, इसमें सेक्शन 11 में जो वकील के लिए दो साल की सज़ा का प्रावधान है, मैं कहूंगी कि इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्रतिकर राशि जो आपने 20 और 50 हजार की है उसमें आपने कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की। मैं तो यही कहूंगी कि अगर हम चाहते हैं कि वकीलों का भला हो तो एक-एक बात को हमें बड़े गौर से, ध्यान से पढ़ते हुए कहीं न कहीं और भी संशोधन करने की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आवश्यकता हो तो आप करिये, लेकिन कहीं हमारी जरा सी भूल से वकीलों का नुकसान न हो, क्योंकि वकील हमारी पैरवी करते हैं। अगर पुलिस के 100 लड्ड खा लें और जरा सा धक्का भी कोई मार दे तो निश्चित तौर पर उसे कितनी बड़ी सज़ा मिलती है, पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान में, जोधपुर में भी देखा कि वकील की हत्या हुई, और जगह भी आत्महत्याएं की हैं जो हमने देखा है तो निश्चित तौर पर मैं यह मांग करती हूं कि ये जो मुवक्किल और विरोधी मुवक्किल शब्द हैं इनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस विधेयक को जल्दबाजी में न लाकर छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, यह मैं मांग करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की आवश्यकता को अनुभव करती हूं और इस विधेयक के समर्थन में हूं। केवल कुछ पाइंट्स हैं जिनमें मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहती हूं कि सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि हम इन पाइंट्स को इसमें एड करें।

सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और काफी टाइम से लायर्स इस बिल के लिए डिमांड कर रहे थे और फाइनली राज्य सरकार ने उनकी बात सुनते हुए और उन लोगों को साथ में रखते हुए उनकी भावनाओं को समझते हुए यह बिल लायी है। मैं यह जानना चाहूंगी कि जब बार काउंसिल आफ इण्डिया आलरेडी एक आदर्श अधिवक्ता संरक्षण विधेयक लायी है तो अगर हम उसको एज इट इज ही यहां पर लेकर आते तथा प्रस्तुत करते तो वाकई में सभी लायर्स के लिए, सब जनों के लिए बहुत हेल्पफुल होता क्योंकि उसके अन्दर बहुत सारे पाइंट्स ऐसे हैं, जो इस बिल में कवर नहीं हो रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, पाइंट 4 में यह लिखा हुआ है कि, "On any report made to the police by an advocate in respect to any offence mentioned in section 3 of the Act committed against him,

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

the police may, if deems fit, provide him protection for such period and in such manner as prescribed in the rules."

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि 'if deems fit' का वर्ड आप हटाकर, इसका यहां से हटायेंगे तो यह बहुत ही आवश्यक वर्ड है, क्योंकि दिखने में तो यह छोटा-सा है, पर पुलिस को अगर हम इतना अधिकार दे देंगे कि वह अपने हिसाब से करे तो कहीं न कहीं हम जिस वजह से इस बिल को लाना चाह रहे हैं कि लॉयर्स को प्रोटेक्शन मिले, वह ढंग से नहीं हो पायेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, पाइंट 6 में नॉन-बेलेबल वर्ड का यूज होना बहुत जरूरी है, काग्निजेबल तो लिखा है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर यह नॉन-बेलेबल आफेंस होता है तो हम एडवोकेट्स को सही-वे में प्रोटेक्शन कर पायेंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपनी एक बात, सुझाव यहां पर रखना चाहूंगी कि लम्बे समय से चिकित्सा एवं सह चिकित्साकर्मी संरक्षण कानून की मांग कर रहे हैं, वैसे ही अधिवक्ता भी संरक्षण कानून की मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम चिकित्सक, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्चर जैसे सारे व्यवसायों को एक साथ बकैट में डालकर प्रोफेशनल प्रोटेक्शन बिल लेकर आएं जिससे तो हम इन सब जनों को एक साथ प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उनके अधिकारों को हम संरक्षण दे सकते हैं।

इसमें यह भी लिखा है कि 10 हजार रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल है, इसमें भी हमें चैंज करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गलत है। सीआरपीसी एक्ट के अकोर्डिंग, जो 6 महीने का प्रावधान दिया है, हमें उसी को अपना आधार बनाकर बात आगे रखनी चाहिए।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अन्त में, मैं यही बात कहना चाहती हूं कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं लेकिन मेरे सुझावों के अनुसार इस बिल में थोड़ा-सा चैंज करेंगे तो ये वाकई में लॉयर्स को प्रोटेक्शन दे पायेगा।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह जी (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय। राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 के ऊपर मुझे अमेंडमेंट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वकीलों से सरकार की कोई दुश्मनी थोड़े ही है। मैं भी एक वकील हूं, यदि आपकी मंशा इन वकीलों को संरक्षण देने की है, यदि इनको प्रोटेक्शन देने की है तो इनको सही मायनों में पूरा प्रोटेक्शन दीजिये।

ये गुंडे, बदमाशों के खिलाफ भी पैरवी करते हैं। ये प्रत्येक मैटर के ऊपर निर्भीक होकर वकालत कर सकें, आपकी मंशा भी यही है और हम लोगों की मंशा भी यही है, लेकिन आपने जो प्रोटेक्शन दिया है और उसके बाद में जैसा कि उप नेता, प्रतिपक्ष ने भी कहा कि सदन के बाहर, जब सदन के अन्दर बिल विचारार्थ है और उस बिल के ऊपर डेलीगेशन मिला, अधिकारियों ने आपको जो कहा, उसके ऊपर आपने कहा कि यह अधिकारी अमेंडमेंट करते हैं तो यह पत्र है, जो आपके हस्ताक्षर से अमेंडमेंट आपने किया है और अमेंडमेंट क्लॉज 3, क्लॉज 9 और क्लॉज 2 में किया है।

मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने वकीलों की बात को इतना तो सुना, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिवक्ताओं को वास्तविक संरक्षण न देकर यह आभासी संरक्षण देने का सरकार काम कर रही है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ खाली वकीलों को आप गुंडे, बदमाशों से प्रोटेक्शन दे रहे हैं या उनके लिए संरक्षण का पूरा इंतजाम कर रहे हैं? यह आनन-फानन में, यह दस साल पहले से ही डिस्कशन में चल रहा है, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर सरकार इतना गम्भीर चिन्तन और मनन नहीं कर पाई है कि अभी इसको पूरी तरह से लाकर दे सके। अब आपने इसकी धारा 2(1) के 'ख' और 'ग' में जो मुवक्किल और विरोधी मुवक्किल बोला है, इसका अर्थ सुस्पष्ट किया जाना चाहिए, इस बिल के अन्दर। इसमें इनके परिवार के सदस्य, यदि षड्यंत्र में शामिल हों या अन्य किसी व्यक्ति को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में अधिवक्ता की ड्यूटी आफ डिस्चार्ज को परिभाषित नहीं किया गया है। ये सारे वे ही पाइंट्स हैं, जो इस बिल के अन्दर खामियां हैं। जिन अपराधों को दण्डनीय बनाया गया है, धारा 3 और 5 में वे पूर्व में भी

(श्री अभिनेश महर्षि)

भारतीय दण्ड संहिता के संविधान में दण्डनीय थे। ऐसी स्थिति के अन्दर आपने धारा 3 और 5 में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम मात्र एक आभासी संरक्षण देने का काम कर रहा है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिवक्ता द्वारा असत्य कार्यवाही करने पर जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें आपने 3 वर्ष पहले लिखा था, उसको आपने अमेंडमेंट करके 2 वर्ष तो लिखा है, लेकिन इसमें 182 के दण्ड के प्रावधान के लिए सिर्फ 6 माह की सज़ा का प्रावधान है और आपने वकीलों के लिए इसको बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रतिकर की राशि है, यह भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में ये जो बिन्दु छूट गये हैं, इन बिन्दुओं पर एक बार पुनर्विचार कर लें। मंत्री महोदय, ऐसा कोई ईगो मत रखो कि जो हमने कह दिया, वही तय करके रहेंगे, इन वकीलों की भी सुनें। दुर्दान्त अपराधियों के खिलाफ कोई लड़ेगा नहीं, यदि इसी तरह की सरकार की भावना रह जायेगी।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अधिवक्ता कल्याण के लिए भी इसमें किसी तरह के कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। यह संरक्षण की बात है तो उनके कल्याण की बात भी कुछ इसमें शामिल कर दी जाये।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बस, एक सैकण्ड में मैं मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं।

ऐसी स्थिति में, आप इस पर पुनर्विचार करें और वकीलों के प्रति, जो आपकी भावना है, जो मन के अन्दर वकीलों के प्रति कुण्ठा है, ये तो बदमाश लोग होते हैं, सरकार के द्वारा घोषित और अघोषित रूप से, आपकी इस तरह की भावना जो आ रही है, वह बिलकुल कतई गलत है। इसके अन्दर सुधार करते हुए, इस बिल में जो बचे हुए अमेंडमेंट हैं, उनको लेकर इसमें संशोधन किया जाये। इसको कुछ समय के लिए परिचालित कर दें, 6 महीने के लिए इसको भेज दें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग, आपको बोलना है? आपका नाम है, बोलिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): वकील स्व. श्री जुगराज जी की हत्या के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बाद और फिर एक महीने से ज्यादा की हड़ताल के बाद सरकार को होश आया है, उसके लिए तो सरकार का अभिनन्दन।

जिस मजबूरी में यह लाये हैं, उसको लेकर स्पष्ट हो रहा है। आपने इसमें जो प्रोविजन किया है, उनका भी विरोध हुआ और विरोध के बाद आप वापस ले रहे हैं। मैं भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा। एक तो मुवक्क्लि और वकील का रिश्ता कोर्ट की नजर में जब कायम होता है, जब उसका वकालतनामा कोर्ट में पेश हो जाये, लेकिन हकीकत में वह रिश्ता उस दिन शुरू हो जाता है, उस पल शुरू हो जाता है, जिस पल मुवक्किल वकील के पास जाकर पहली बार सलाह मांगता है कि मेरे साथ यह हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए, वहां से शुरू हो जाता है। इसलिए जो वकालत के पेशे को लेकर एट्रोसिटी यदि होनी है तो वह वहां से भी शुरू हो सकती है, इसलिए उसको भी इसके दायरे में लिया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि यह न्यायालय परिसर को हटाकर उसका दायरा बढ़ा दिया, उसके लिए तो आपका धन्यवाद, लेकिन वकील का आफिस एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मुंशी, जो वकील के साथ हो सकता है, वह मुंशी के साथ भी हो सकता है, वकील के परिवार के साथ भी हो सकता है, वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको आप बिलकुल ही भूल गये हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर जो आप धारा 11 लाये हैं दुरुपयोग वाली जिसे धारा 10 कर दिया है, मेरा निवेदन है कि कौन-सा कानून ऐसा है, जिसका दुरुपयोग नहीं होता है? 323 से लेकर 302 तक, हर धारा का दुरुपयोग होता है। एस सी, एस टी एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है क्या? सरकार आन रिकार्ड मान चुकी है। 50 परसेंट से ज्यादा वे केस फर्जी पाये गये हैं। 498ए का दुरुपयोग नहीं होता क्या? घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग नहीं होता क्या? पॉक्सो का दुरुपयोग नहीं होता है क्या? कौन-सा कानून ऐसा है, जिसका दुरुपयोग नहीं होता है? बाकी सब जगह आपने ऐसी धारा नहीं डाली तो वकीलों ने ही आपका क्या बिगाड़ा था? बाकी सब के लिए आईपीसी 182 सफिशिएंट है, तो इनके लिए क्यों सफिशिएंट नहीं है? यह अनावश्यक एक बोझ आपने इसमें डाला है। जो एक ह्युमिलिएट करने वाला है, वकीलों को यह अहसास कराता है कि आप लोग असत्य करते रहते हो, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको दूर करना चाहिए। इस धारा को हटाना चाहिए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, मैं आखिरी पाइंट निवेदन कर रहा हूं। जब सज़ा की बात कर रहे हैं, सज़ा की बात के लिए जो भाषा आपने प्रयोग की है, जब वकीलों के खिलाफ सज़ा देने की बात है तो भाषा आपकी बहुत आसान सी है। 'तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा।' बहुत स्पष्ट भाषा है, लेकिन जब वकील के प्रति, अपराध करने वाले के प्रति जो भाषा आपने प्रयोग की है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, कारावास तीन-चार तरह के होते हैं क्या? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से जो 25 हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा। यह भाषा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसमें जो आपने शब्द अंग्रेजी में भी प्रयोग किया है ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर डिस्क्रिप्शन जो है, इस शब्द की, मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं थी। यह अनावश्यक इस भाषा को भारी-भरकम विद्वतापूर्ण बनाने के लिए डाला गया शब्द लगता है। जैसा धारा 11 में आपने सरल शब्दों में किया है, वैसा इस धारा 5 में भी सरल शब्दों में किया जा सकता है उसका संशोधन करना चाहिये। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको सच्चे मन से लाइये। यदि वास्तव में आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो यह भारी मन से और दबाव में आकर लाये हैं ऐसा जो लग रहा है वह नहीं लगना चाहिये, सच्चे मन से लाइये। वकील और मुंशी दोनों का भला सोचते हुए लाइये और यह दुरुपयोग वाली धारा बिलकुल हटाते हुए, 182 बिलकुल सफिशिएंट मानते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर सदन में बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी को मैं धारा 3 को विलोपित करने के लिए बहुत-बहुत पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूं और अधिवक्ता बन्धुओं ने इस पंगु सरकार से दबाव बना कर जो बिल पेश किया गया, कितने दिनों से अधिवक्ता हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण प्रार्थियों को न्याय से वंचित रहना पड़ा, इसका कोई जिम्मेदार है तो सरकार है। यह बिल उन्होंने अपनी मर्जी से पेश नहीं किया है। यह तो अधिवक्ता समुदाय कानून के प्रति चिन्तनशील है, इसके लिए अपना हक सरकार से ले रहे हैं। विगत चार वर्षों

(श्रीमती शोभा चौहान)

से राजस्थान में विकास में कुछ हासिल किया है या नहीं, क्राइम के मामले में टॉप कर दिया। हत्या, लूटपाट, चोरी की घटनाएं तो आम हैं। अधिवक्ता बन्धुओं का मर्डर भी आम हो गया। कुछ समय पूर्व बरना गांव में अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी का मर्डर क्या दर्शाता है? बिलाड़ा के अधिवक्ता नारायण सिंह राठौड़ की हत्या, जोधपुर के सुरेश शर्मा का मर्डर और सभापति महोदय, एडवोकेट जुगराज चौहान की खुले आम हत्या की गई। इसको लेकर क्या व्यवस्था होगी राजस्थान में, इसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार? इन अधिवक्ताओं के परिजनों की खबर तक नहीं ली किसी ने। यह शर्म की बात है। अधिवक्ता न्यायालय और प्राप्तकर्ता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है।

सभापति महोदय, जो जनता को न्याय दिलाने का काम करता है उसको आन्दोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी देनी पड़ती है, तब जाकर इस सरकार की आंखें खुली हैं। महोदय जी, यह आइडल रवैया न जाने कितने निर्दोष अधिवक्ताओं को काल का ग्रास बना चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि आपने यह बिल लाकर अधिवक्ताओं के लिए न्याय की व्यवस्था की है वैसे ही जिन अधिवक्ताओं के कर्तव्य निर्वहन के समय पूर्व में हत्या हुई है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मिले। अधिवक्ताओं के बच्चों हेतु नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिये और इनको पुलिस संरक्षण भी मिले और इनके लिए शिक्षा हेतु महाविद्यालय भी खोले जायें। यह बिल जनमत जानने हेतु 6 माह के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, काफी सदस्यों ने अपने-अपने विचार सदन के सामने रखे। महत्वपूर्ण विचार भी थे और इस बात की मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप में से कई सदस्यों ने एक्ट को पूरा पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ते तो मैं यह समझता कि सदन का समय हम इतना बर्बाद नहीं करते। जो चीजें आपने मांगी वो आलरेडी इसमें मौजूद थीं, कई तो और कई इस प्रकार की चीजें थीं जो वकीलों ने तो मांगी नहीं, लेकिन आप मांगने लग गये, जिनको प्रोटेक्शन चाहिये असल में तो बात उनकी होनी चाहिये कि उनको यह चाहिये। वो समझते हैं कि हमें किस बात का प्रोटेक्शन चाहिये।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित बिल के लिए

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सभी अधिवक्ता सहमत हैं। कौन-कौन सहमत हैं? श्री रंजीत जोशी, अध्यक्ष, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जोधपुर; श्री रवि भंसाली, अध्यक्ष, राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर; श्री कमल किशोर शर्मा, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जयपुर; श्री महेन्द्र शांडिल्य, अध्यक्ष, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर; विवेक शर्मा, अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जयपुर इनके साथ बैठक होकर के इस बिल को तैयार किया गया है। विभाग ने जो बिल तैयार किया था उसमें जो कुछ ये अमेंडमेंट चाहते थे वो हूबहू इनके कहने से सब कुछ किया गया है तो मैं यह मान करके चलता हूं कि जिन लोगों को प्रोटेक्शन वाकई चाहिये उनको तो बिल स्वीकार है, लेकिन आपको पता नहीं, क्यों स्वीकार नहीं है।

मैं सबसे पहले राठौड़ साहब पर आता हूं। राठौड़ साहब ने भी कहा और लाहोटी जी ने भी कहा। लाहोटी जी तो, आ गये खैर अब, कि बिल में अमेंडमेंट विधान सभा के बाहर कर दिया तो फिर यह 71 क्या है? नियम 71 क्या है? के अनुसार बिल में संशोधन का नोटिस दिया जा सकता है और इसी प्रावधान के तहत नोटिस दिया गया जो नोटिस आपको सर्कुलेट हो गया होगा। बिलकुल हो गया। हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 20 तारीख का है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसी भी बिल में अमेंडमेंट विधान सभा के बाहर नहीं होता, अमेंडमेंट विधान सभा के अन्दर ही होता है और जो नोटिस, अमेंडमेंट को सर्कुलेट कर दिया, शायद आज की कार्यसूची आपने देखी नहीं होगी। कार्यसूची के साथ में ही उसको भेज दिया गया था। क्लॉज-बाई-क्लॉज डिस्कशन के समय सदन में अमेंडमेंट मैं पेश करूंगा। क्या समझे? तब जाकर के अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट तो अभी पेश करना बाकी है। आपने सुझाव तो बहुत सारे दे दिये, लेकिन एक सदस्य ने भी उसका अमेंडमेंट नहीं दिया है। यह भी कर दो, यह भी कर दो, यह भी होना चाहिये, यह भी होना चाहिये। इसको हटा दो, इसको रख दो। अमेंडमेंट तो पेश करते आपके पास नोटिस आ चुका था। यह भी आप बता दो, आप तो यह बता दो मुझे एक बात। एक बात का जवाब दे दो आदरणीय उप नेता, आप इस बिल के पक्ष में हो या ना पक्ष में या विरोध में हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिलकुल पक्का पक्ष में हैं और आपने जो अभी रूलिंग पढ़ी है, सदन के अन्दर तो किया जा सकता है, पर आपने सदन के बाहर आपके खुद के हस्ताक्षर से 18 मार्च को जो अमेंडमेंट किये गये, वह आपको करने का अधिकार नहीं था। मेरा पहले भी आब्जेक्शन यही था, आज भी यह है और कल भी यह रहेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह नोटिस सिर्फ विधान सभा को नहीं भेजा गया।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं भेजा गया वो नोटिस। वो नोटिस नहीं भेजा, एक बात सुन लो। आपने यह आरोप लगाया कि आपने विधान सभा... (व्यवधान)... मेरी बात सुनो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। प्लीज। माननीय मंत्री महोदय के वर्जन के बीच में कोई नहीं बोले।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने यह आरोप लगाया कि साहब, विधान सभा के बाहर आपने समझौता कर लिया। मैंने जो कुछ बातचीत अधिवक्ताओं से की, वह सिर्फ एक बार की है और वह भी मैं कोटा में था और कोटा से वी सी के जरिये की और जब तक यह बिल पेश नहीं हुआ था यहां पर। बिल उसके बाद में पेश हुआ है। आप मेरी एक मीटिंग बता दो अधिवक्ताओं के साथ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 17 तारीख को बिल पेश हो गया था। यह 18 मार्च को सभापति महोदय, यह बिल जिस दिन लिस्टेड हुआ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय उप नेता जी, प्लीज। माननीय मंत्री जी, आपस में आप बात नहीं करें। आप आसन की तरफ सम्बोधन करें। इस तरह कोई परम्परा नहीं है कि आप आपस में बात करें। मंत्री जी का जवाब चल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इन्होंने गलती की है। राजस्थान के इतिहास को कलंकित करने का काम किया है संसदीय कार्य मंत्री ने।

श्री सभापति: प्लीज, उनको सम्बोधन करके आप बात नहीं करें। प्लीज उनको सम्बोधित नहीं करें, आप आसन की तरफ प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर आप पक्ष में हो, इस बिल के पक्ष में हो न आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो यह जनमत जानने के लिए काहे को लिखा आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह हमारा अधिकार है इसको और ठीक करना चाहते हैं हम।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पक्ष में भी हैं और 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेज दो। अब बताइये आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस बिल में जो सुझाव दिये, हम और ठीक करना चाहते हैं। यह दंतहीन बिल है, यह नखहीन बिल है, इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इस बिल में सुधार करना चाहते हैं हम।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो आदमी पक्ष में नहीं होता वह 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेजता है तो यह दोमुंही बातें करना बन्द कर दो आप। आप तो यह बता दो कि अधिवक्ताओं के साथ जो मेरी एक बैठक हुई है, वह विधान सभा चल रही थी, तब हुई है या उसके पहले हुई है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप मुझे अनुमति दे दें, ये मुझ से पूछ रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज, आज इनको अपना उत्तर देने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, 15 मार्च को...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, दिस इज नोट अलाउड। माननीय मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन है कि आप उनसे नहीं पूछें, आप तो अपनी बात कहें प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं तो आप ही की तरफ देखता हूं, लेकिन देखूं भी कहां तक? इसलिए थोड़ा बहुत उधर भी देख लेता हूं।

श्री सभापति: आप बोलेंगे, फिर वे बोलेंगे, यह अच्छा नहीं लगता।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): थोड़ा बहुत उधर भी देखना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह राजस्थान की विधान सभा है या कोई सब्जी मण्डी है, जहां हमें बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान) यह बिल पुर:स्थापित किया गया, 16 मार्च की कार्य सलाहकार समिति में तय हुआ, 21 मार्च को इस पर चर्चा होनी थी और इन्होंने 18 मार्च को बाहर अमेंडमेंट किया है, जो खोटा अमेंडमेंट है।

श्री सभापति: माननीय उप नेता जी, आप जो यह बात अभी कह रहे हो, जब आप बोल रहे थे, उस वक्त यह सारी बातें आपने बोल दीं, अब यह जवाब दे रहे हैं तो आप इनको सुनिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, आपने कहा कि यह इल्लड्राफ्टेड है और यह कहते-कहते आपने एडवोकेट जनरल पर भी आरोप लगा दिया कि वह इतना कमा रहे हैं, इतना ले रहे हैं, इसका कुछ मतलब ही नहीं था। इल्लड्राफ्टेड है, तो एक तरह से जिस बिल को सारे अधिवक्ताओं ने एक मत से मंजूर किया हो, सहमति दी हो, अगर आप उसको इल्लड्राफ्टेड बताते हैं तो यह अधिवक्ताओं का अपमान है।

जिन धाराओं को आप शामिल कराना चाहते हैं, मेरा तो निवेदन था कि आपके जैसा होशियार आदमी संशोधन न दे, आपने संशोधन क्यों नहीं दिया? वही डबल, अधिवक्ता भी नाराज न हो जाये और सरकार की आलोचना भी यहां पर कर लें।

आप सेक्शन 12 को पढ़ें, सेक्शन 12 में साफ लिखा हुआ है, "the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation to the provisions of any other law for the time being in force." वही बात आपने कही, आपने कहा कि यह है ही नहीं। इसी तरीके से आपने सेक्शन 10 के लिए कहा कि जुर्माने की राशि आपने बांध रखी है। आप सेक्शन 10 को पढ़ें, "In addition to the punishment specified in section 5, the offender, in appropriate cases, shall also be liable to pay damages for loss or damage caused to the property of an advocate, as may be determined by the Court..." कोर्ट तय करेगा, बांधा नहीं है। आपने फिर वही ग़लतबयानी की। इतना तो आप खुद जानते हैं, अभी इस्तीफों के मामले में आप काला कोर्ट पहन कर चले गये थे।

(समय: 17.33 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वकीलों ने कुछ ज्ञान तो आपको दिया ही होगा, जिन्होंने आपको तैयार करके भेजा था। इतना तो समझते आप कि तीन साल या तीन साल से ज्यादा की सज़ा वाला ही नॉन बेलेबल होता है। तीन साल से नीचे वाला नॉन बेलेबल नहीं होता है। वकीलों ने खुद ने माना है कि इस क्लॉज को तीन साल के बजाय आप दो साल करो। खुद ने स्वीकार की है यह बात, हमने नहीं कहा, हमने तो तीन साल का प्रोविजन रखा था। तीन साल का मतलब यह है कि वह नॉन बेलेबल होगा, लेकिन उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि इसको तो दो साल का रखो।

इसी तरीके से धर्मनारायण जोशी साहब ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिये। यह नहीं है, वह नहीं है, कोर्ट में साइकिल स्टैंड नहीं है, वगैरह, वगैरह, कई बातें आपने कहीं। यह एक्ट पहले से बने हुए हैं, राजस्थान एडवोकेट वैलफेयर फंड एक्ट, 1987 बना हुआ है। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, यह सब बने हुए हैं। राजस्थान वैलफेयर फंड एक्ट जो पहले से बना हुआ है, उसके तहत चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया अधिवक्ताओं के वैलफेयर फंड के लिए बार काउंसिल को दिया जाता है। राजस्थान पहला स्टेट है जहां इस तरीके का एक्ट भी ला रहे हैं और वैलफेयर फंड के लिए 5 करोड़ रुपया दे भी रहे हैं।

देवनानी जी चले गये, देवनानी जी ने सेक्शन 2 ही नहीं पढ़ा। कहा कि आप एडवोकेट की डेफिनेशन ही लिखना भूल गये। एडवोकेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी हुई है।

अनिता भदेल जी ने कहा, वह भी चली गईं। यह जवाब नहीं सुनते, यहां पर कुछ भी बोल कर भाग लो यहां से, इसीलिए मैं इनकी तारीफ करता हूं कि यह यहां आखिर तक बैठे तो रहते हैं। (व्यवधान) उन्होंने कहा कि मुवक्किल या पक्षकार शब्द हटाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुवक्किल क्यों लिख दिया, पक्षकार लिखना चाहिये था। जबकि ये दोनों शब्द हटाये जा चुके हैं, क्योंकि जिस सेक्शन 9 में यह लिखा हुआ है, उस सेक्शन को ही डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि बगैर तैयारी करके, बगैर होमवर्क करके सीधे यहां आ जाओ और अपना नाम लिखा दो और चार टप्पे की बात करके घर चल दो, यह काम है।

आज सबसे बढ़िया भाषण मदन दिलावर जी का था, मैं उनको

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ढंग का रख कर बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया, निश्चित तौर पर 2019 में हमने सबसे पहले बैठक की। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने का हमने हमारे जन घोषणा पत्र में जनता के साथ वादा किया था। 2019 में हमने एक समिति बनाई, समिति की सबसे पहली बैठक की और उसके बाद कई इन्फार्मल बैठकें होती गईं, लेकिन जिस प्रकार की यह घटना हुई, निश्चित तौर पर हम उससे सचेत हुए। इधर तो हम सचेत हुए उधर से उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है, प्रेशर पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जनता हम जन-प्रतिनिधियों पर दबाव नहीं डालेगी तो किस पर डालेगी? क्या बुरा है, अगर जनता के दबाव में आकर भी हम जन हित में कोई काम करते हैं तो यह सरकार का कर्तव्य है। यह कल्याणकारी सरकार का काम है।

यह देखा ही जा रहा था कि राज्य में दिन-प्रतिदिन वकीलों के साथ घटनाएं घट रही हैं। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति भी बिगड़ रही है। लोगों को न्याय के मामले में भी विलम्ब हो रहा है, क्योंकि वकील हड़ताल पर हैं। ऐसी स्थिति में वकीलों के हित की रक्षा के लिए और वकीलों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। इसलिए यह विधेयक सदन के विचारार्थ लाया गया है। इन अपराधों की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि अधिवक्ता को कम्पन्सेशन के रूप में दिलाने के आदेश दिये गये हैं। पुलिस संरक्षण प्रदान करने के उपबंध किये गये हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि आपसी सहमति से अगर न्यायालय की अनुमति हो जाये तो राजीनामा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता की सम्पत्ति को हानि, नुकसान, क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किये गये हैं, उसके अंतर्गत अपराध के फलस्वरूप चिकित्सा व्ययों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

वैसे तो चिरंजीवी है ही, लेकिन वह व्यय भी इसमें शामिल किया गया है। क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जायेगा। आप इसकी वसूली देखिये। वसूली भी, जैसे भू-राजस्व की वसूली पी डी एक्ट के तहत होती है, उस प्रकार से वसूली होगी। यह नहीं कि एक बार फैसला लेने के बाद छोड़ दिया तो वह इन्तजार ही करता रहे कि मुझे राशि कब मिलेगी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

किसी भी अधिवक्ता के द्वारा इस एक्ट के प्रावधानों के दुरुपयोग में दो साल की सज़ा। हमने तो तीन रखी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। वकीलों ने स्वीकार किया कि इसको दो साल कर दो। इस प्रावधान के तहत भी, इस एक्ट के तहत भी प्रवृत्तियों में अन्य एक्ट के प्रावधानों के अतिरिक्त है। आपके जितने भी एक्ट बने हुए हैं, उन एक्टों, राठौड़ साहब, आपने कई सेक्शन गिनकर बताये हैं कि यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए। ये सब आई.पी.सी. के सेक्शन हैं। ये सब आई.पी.सी. के सेक्शन लागू रहेंगे, इस एक्ट के बाद भी। जब कभी आई.पी.सी. के सेक्शन का उल्लंघन होता है तो निश्चित तौर पर ये उस वक्त लागू रहेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2, प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 के खण्ड 2 के विद्यमान उप- खण्ड (ख) और (ग) को हटाया जाये।

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 के विद्यमान उप खण्ड (घ) को 'उपखण्ड (ख)' के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3, प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक सं. 13) के विद्‌यमान खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

'हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास का प्रतिषेध:- किसी अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास अपराध होगा:

परन्तु ऐसा कोई हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास, अधिवक्ता के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में हो'

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 8 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 8 स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक सं. 13) का विद्‌यमान खण्ड 9 को हटाया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 9 को विलोपित किये जाने का संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 को विलोपित किये जाने का संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 को विलोपित किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 को विलोपित किया गया।

खण्ड 10

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक सं. 13) के विद्यमान खण्ड 10 को 'खण्ड 9' के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये।

साहब, नम्बर ही बदलने हैं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 10 को पुनर्संख्यांकित किये जाने का संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री। खण्ड 11

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 11 (i) राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक सं. 13) के खण्ड 11 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'तीन वर्ष' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'दो वर्ष' प्रतिस्थापित की जाये।

(ii) राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक सं. 13) के विद्यमान खण्ड 11 को 'खण्ड 10' के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 11 पुनर्संख्यांकित किये जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक सं. 13) के विद्यमान खण्ड 12 को 'खण्ड 11' के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 12 पुनर्संख्यांकित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक सं. 13) के विद्यमान खण्ड 13 को 'खण्ड 12' के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड 13 पुनर्संख्यांकित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

विधेयक पर विचार

जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 पर मुझे कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहनी है। मैं सैद्धान्तिक तौर पर इस आदिवासी विश्वविद्यालय की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्थापना के विरुद्ध में भी नहीं हूं। सभापति महोदय, इसलिए विरुद्ध में नहीं हूं, क्योंकि मैं भगवान और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं। विष्णु के 10वें अवतार मीन भगवान के नाम से यह राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार ने एक नया इतिहास भी रच दिया है। अब दुबारा विश्वविद्यालय आयेगा तो जय भवानी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आ सकता है। जय हनुमान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आ सकता है। जय भोलेनाथ और अल्लाह हूं अकबर विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि आदिवासी विश्वविद्यालय, यह प्रस्ताव तो आना ही था। यह सरकार पहले तो सरकारी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं, बजट में घोषणा करती है। बजट की घोषणा के बाद सरकार जोधपुर में जाकर फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करती है। फिनटेक यूनिवर्सिटी का बिल उसके बाद लाती है। सरकारी क्षेत्र में था, चलो हो गया। सभापति महोदय, जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का मूलतः मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी 8 अगस्त, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने किया। चूंकि यह विश्वविद्यालय संसदीय कार्य मंत्री के विधान सभा क्षेत्र में है, इनकी सरपरस्ती में आ रहा है, इसलिए कानून-कायदा जेब में रखकर चलना यह तो इनकी आदत है, इसलिए यह तो होना ही है। ब्रूट मैजोरिटी है इसलिए पारित भी होना है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, आपने एक नई बात भी की है। ठीक बात है। 2004 की रजिस्टर्ड एक सोसाइटी, सोसाइटी भी ऑल इंडिया श्री मीना सोशल एजुकेशन सोसाइटी, कोटा 2004 की रजिस्टर्ड सोसाइटी। अब अगर इस प्रकार कोई सोसाइटी विश्वविद्यालय स्थापना की बात करती है तो मैं उनके हौसले को दाद देता हूं। सभापति महोदय, मैं दो बातों के लिए कहना चाहूंगा। मैं उसमें मेरी बात भी रखना चाहूंगा। यह भगवान जय मीनेश के नाम से विश्वविद्यालय आ रहा है। भगवान को हम सब मानते हैं, फिर दुबारा किसी भगवान का आए तो किसी को एतराज होने की बात ही नहीं है।

सभापति जी, इसके साथ ही, एक नया सर्कुलर मेरे हाथ में है। 27 जून, 2022 का, ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का है। ग्रुप-6 गाइड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाइन 2022 /1414/1/696, आपने इस निजी विश्वविद्यालय में दस लाख रुपये तक विधायक विकास कोष से राशि देने का प्रावधान किया। धन्यवाद, अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है पर इस विश्वविद्यालय में, विधायक विकास कोष में आप सुविधा दे रहे हैं दस लाख रुपये देने की, सभापति जी, कल को मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसी सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति द्वारा बनाए जाने वाले किसी छात्रावास में, किसी सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्य के लिए, किसी समाज विशेष के किसी भवन के लिए, अगर मैं यह चाहूं, क्योंकि आपने नई शुरुआत की है। मैं मूलत: उस शुरुआत के विरोध में नहीं हूं, पर समानता की बात तो निश्चित तौर पर सरकार को करनी चाहिए। आपने नया फ्लडगेट खोला तो निश्चित तौर पर जब यह प्रभावशाली सर्कुलर, संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रभाव से निकला। खैर, विश्वविद्यालय बन रहा है। अगर कोई विधायक देना चाहे, मेरे साथी विधायकों ने भी दिया है, पर मैं सिर्फ यही रेखांकित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनो। सभापति महोदय, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आपके अलावा हमारा कौन है? हम तो आपके संरक्षण में ही जिन्दा हैं, वरना जिस प्रकार का जवाब, जिस प्रकार कानून कायदे, संसदीय परम्पराओं को उड़ाया जा रहा है, हम तो यहां टिकते ही नहीं। यहां खड़े हैं तो आपके संरक्षण में खड़े हैं। इसलिए आप ही मुलाहिजा फरमाएं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य, हम लोगों के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। हम भी तो आपको सुन रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हो माननीय सदस्य?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं उस बात को नहीं छेड़ना चाहता। मेरे मित्र हैं, हमने जवानी के कई बसंत साथ बिताए हैं। आप क्यों मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो कि आपका अस्तित्व, यह आभासी सरकार है, आभासी सरकार। इसके द्वारा पारित किए गए...

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अस्तित्व आपका भी है और हमारा भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी सरकार कल्पना में है। आपकी सरकार ने अपना वजूद उस दिन खो दिया था, जिस दिन 92 लोगों ने सरकार से त्यागपत्र अध्यक्ष जी को दिया। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य, वह आपने कोर्ट में केस कर दिया। ... (व्यवधान) ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, अन्दर से मिले हुए हैं, गुमराह करते हैं। ये एक हैं दोनों।

श्री सभापति: मुझे भी देखते हुए चालीस साल हो गए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, सर्कुलर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री महोदय आपने निकाला, उसमें धन्यवाद देना चाहूंगा। पंचायती राज मंत्री जी, यह विधेयक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में इस परिपत्र के अनुसरण में आप हम लोगों को भी, पूरे सदन को अनुमति दें कि हम अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अपना पैसा दे सकें। हम देना चाहते हैं। इसको आइसोलेशन मत रखना।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उप नेता जी, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? आपको जानकारी नहीं है तो धारीवाल जी से पूछ लो। जैन संस्थान, कोटा में विधायकों ने पैसा दिया है, एम पी ने पैसा दिया है। यह पहली बार हो रहा है क्या? यह क्या बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अब यह दो जने एक साथ खड़े होते ही मैं घबरा जाता हूं। आपने मेरे शरीर को काँपते हुए देखा होगा।

श्री सभापति: यहां तक कम्पन हो रहा है। आसन तक मैं कम्पन महसूस कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, किसी सामाजिक संस्थान के द्वारा खोले जाने वाले निजी विश्वविद्यालय के अन्दर जो सर्कुलर निकला है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरी नजर में यह पहली बार है। मैं सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं कि यह सुविधा इसी समरूप हम आपके सामने...

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उप नेता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ट्राइबल, एस सी, एस टी के लोगों के खिलाफ है, इसलिए बात कर रहे हैं। बाकी तो और कोई बात नहीं। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: आप विराजिए। आप विराजिए। मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ... (व्यवधान) ... किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। आप कहां बीच में कूद गए? ... (व्यवधान) ... माननीय सदस्य, यह इनके आपस का मामला है। आप कहां बीच में कूद रहे हो? विराजिए, विराजिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय उप नेता सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिए। आप बीच में कहां कूद रहे हो? आपकी जरूरत ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं तो ऐसा तना हूं जिससे यह मेरे साथी बेल की तरह मुझसे लिपटे रहते हैं। मेरा अस्तित्व इनके साथ जुड़ा हुआ है। यह वह विधायक दल है जो आँख के इशारे से चलता है और आँख के इशारे से काम करता है। हमारी एकता वह नहीं है कि हम कभी त्यागपत्र लेकर जाएं कि यह सरकार ठीक नहीं कर रही, फिर विधान सभा अध्यक्ष जी को दे दें और फिर वापस ले लें। कतई मुझे उस पर चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। सभापति महोदय, मैं इस पर लम्बी-चौड़ी बात नहीं कह रहा हूं। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा, आज सदन अगर समय पर छूट जाता है तो आप सबको भी अपने-अपने घर जाना है ... (व्यवधान) ... प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कभी यह महानुभाव खड़े होते हैं, कभी यह महानुभाव खड़े होते हैं। सभापति महोदय, क्या हो रहा है? हमें कौन संरक्षण देगा? इन गुरुओं के सामने, इन +++ के सामने, सभापति महोदय, हम इतने से लोगों को कौन संरक्षण देगा? सभापति महोदय, हम घबराने वाले नहीं हैं। जनता से जीतकर आए हैं। 56 इंच का सीना हमारा, नरेन्द्र मोदी जी हमारे नेता है। हम घबराने वाले नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जब कभी राठौड़ साहब यह कहते हैं आपकी तरफ देखकर कि आप ही तो हो हमारे, आपका संरक्षण हमेशा से मिला है, हमेशा से आपने ही हमें हर मुसीबत में बचाया है। मेरा आपसे निवेदन है, आप खुद भी मन में जानते हो कि जब भी आपने इनको संरक्षण दिया, आपने चोट खाई है।

श्री सभापति: यह संरक्षण इसलिए मांगा जा रहा है कि आज अपन सब मिलकर मत व्यक्त कर ही दें सदन की तरफ से कि इनको मनोनीत किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह चोट शब्द...

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमारी तरफ से सहमति है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: सबकी सहमति है, आप तो अपनी तरफ से हाथ उठवाओ। जो पक्ष में हो, हां करा दूं? बोलो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं रामस्वरूप मीणा नहीं हूं, मैं राजेन्द्र राठौड़ हूं। मुझ पर कृपा करो।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य, रामस्वरूप मीणा को बाद में मंत्री बनाया गया था। आप इस बात को भूल रहे हैं। रामस्वरूप मीणा को बाद में मंत्री बनाया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया था, आप भी प्रस्ताव पारित करवा लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूँगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर एतराज मुझे सिर्फ इतना सा है कि इस विश्वविद्यालय का मुख्य मंत्री जी ने शिलान्यास 8 अगस्त को कर दिया, जिसके अन्दर संसदीय कार्य मंत्री भी थे। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री भी थे। इसका आज बिल लेकर आया जा रहा है।

सभापति महोदय, अब तक राजस्थान में यह 53वां निजी विश्वविद्यालय है। हम देश के उन राज्यों में शामिल हो गए जहां हमारे 81 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता और इन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, इन विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षण व्यवस्थाएं, जिस प्रकार की फैकल्टी होनी चाहिए, उसके बारे में आत्म अवलोकन करने का समय आएगा। आज तो मैं कहूंगा दो बात, आभासी लोगों के सामने क्या आभास दिलाऊं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय: 18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को समाप्त करूं, इससे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय, जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में सेक्शन 37 में यह Accreditation of the University, NAAC से अक्रेडिटैशन करने की बात कही है। यह सेक्शन मैंने हर निजी विश्वविद्यालय के, जब अभी बिल आया तो उसमें मंत्री महोदय, यह NAAC से अक्रेडिटैशन का मैंने एक क्लॉज हमेशा देखा है। आप उत्तर दे तो यह बतायें कि राजस्थान के अन्दर जो आज की तारीख में यह 80-81वां विश्वविद्यालय है तो कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं? माननीय सभापति महोदय, यह जो NAAC है यह ग्रेडेशन करता है शैक्षिक व्यवस्था से लेकर, आधारभूत संरचनाओं से लेकर, मानव संसाधनों से लेकर, शोध से लेकर, अनुसंधान से लेकर, आज मैं इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं कह रहा हूं, आज विश्वविद्यालय अनुसंधान का केन्द्र नहीं रहे, आज विश्वविद्यालय स्टेट्स का केन्द्र बन गये तो NAAC से कितने विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन हुआ? आप यह बतायें।

मंत्री महोदय, सेक्शन 39, मंत्रीजी, आप मेरी बात सुनें। सेक्शन 39-एनुअल रिपोर्ट, सेक्शन 39(2) में यह जो एनुअल रिपोर्ट है पूरे कार्यकलाप की, यह विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी पड़ती है। विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है सरकार को और सरकार सदन में लेकर आती है। आप उत्तर दें तो मेरे को बता दें कि यह जो राजस्थान का 53वां निजी विश्वविद्यालय होगा, हम सदन में बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय, सरकारी विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट नहीं आती है, प्रतिवेदन नहीं आते हैं तो इनका क्या आयेंगे? कम से कम आप इतना बंदोबस्त तो करो। जब तक राजस्थान में हम कॉमन यूनिवर्सिटी का एक एक्ट लेकर नहीं आयेंगे, तब तक इसी तरह विश्वविद्यालय का अलग-अलग बिल ला कर यह सदन का समय जाया होगा पर वार्षिक प्रतिवेदन जो सरकार के पास आये, वह तो कम से कम इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिए।

सेक्शन 40 में- Annual accounts and audit. ऑडिटेड अकाउंट, अकाउंट्स ऑडिट करने की बात है। आप उत्तर दें तो मुझे यह बतायें कि एक विश्वविद्यालय का, निजी विश्वविद्यालय के ऑडिटेड अकाउंट सदन में, क्या सरकार के पास कभी आये हैं? सदन में तो नहीं रखे पर सरकार के पास कभी आये हैं तो मुझे बतायें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेक्शन 41 में- Powers of the state Government to inspect the University, एक मेरे को इंस्पेक्शन का इसमें नोट बता दो। इतने विश्वविद्यालय हैं, मैं आज इस विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। एक निजी विश्वविद्यालय के अन्दर सेक्शन 41 के अनुसार सरकार ने इंस्पेक्शन करवाया हो और इंस्पेक्शन की कोई रिपोर्ट आयी हो तो मुझे बतायें। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय आप स्थापित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब भगवान का नाम आता है तो जो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, राम मन्दिर बनाने को अपना गौरव समझते हैं, वे लोग विरोध कर ही नहीं सकते। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा पर यह जिस प्रकार लाया गया है, उसमें मुझे एतराज दो ही बातों का है कि एक तो पहले इसका शिलान्यास कर दिया और अब लेकर आये हैं और एक मंत्रीजी, मैं धन्यवाद दूंगा कि इसी सर्कुलर के आधार पर अभी 31 मार्च को पैसा आयेगा तो मैं मेरे प्रस्ताव दूंगा, इसी तरह की सामाजिक संस्था होगी तो कृपया मुझे भी अनुमति दे दें और मेरे साथ सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात की है, उनके भी प्रस्ताव आयेंगे तो हमारे प्रस्तावों को अनुमति दे देना पैसा देने के लिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, भगवान मीनेश के आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं कि यह बहुत अच्छा काम है परन्तु सरकार से मेरे दो-तीन निवेदन हैं। निवेदन यह है कि इस सरकार ने पिछली बार जनजाति विश्वविद्यालय खोला। वह जनजाति विश्वविद्यालय दो साल तक वी.सी. और एक पिओन, उदयपुर विश्वविद्यालय के एक कमरे में बंद रहे। वह जनजाति के लिए जो विश्वविद्यालय था, दो साल तक केवल वी.सी. और पिओन वहां थे, गाड़ी थी उनके पास और कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद सरकार बदली, भाजपा सरकार आयी तो उस जनजाति विश्वविद्यालय को बांसवाड़ा में शिफ्ट किया तो आज बांसवाड़ा में एक लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा यह निवेदन है कि

(श्री धर्मनारायण जोशी)

विश्वविद्यालय खोला और जनजाति हमारे क्षेत्र की लगभग 93 लाख, वैसे तो इस राजस्थान में लाखों जनजाति आदिवासी भाई निवास करते हैं तो उनके लिए यह एक पवित्र काम किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: अशोक लाहोटी (अनुपस्थित), श्री फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इसको पास करो।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मीनेश भगवान के नाम पर जो बिल मंत्रीजी लेकर आये हैं, हम उसका समर्थन करते हैं और बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): समर्थन तो आपको भी करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह कहना है कि यह विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का आदिवासी विश्वविद्यालय होगा। इसमें आदिवासियों को उच्च शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मैं यह चाहता हूं कि आदिवासियों की शिक्षा का यह देश-विदेश का महत्वपूर्ण केन्द्र बने, इसलिए सरकार से मेरी यह अपील है, मंत्रीजी, सरकार का भी इसमें सहयोग होना चाहिए और हमारे पंचायती राज मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, अभी हमारे माननीय विधायक ने जो कहा कि जनजाति विश्वविद्यालय का जो पैसा दे रहे हैं उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन इन्होंने कहीं बैरवा समाज के लिए पैसा दिया और वह आपने उनको अलाउ नहीं किया। माननीय राठौड़ साहब भी कह रहे हैं तो सभी समाजों के लिए पैसे देने के लिए आप सरकार का आदेश निकालें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित), श्री बाबुलाल (झाडोल) (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 के संशोधन पर मुझे बोलने की अनुमति दी।

माननीय सभापति महोदय, हम इस विश्वविद्यालय के खोलने के विरोध में कतई नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो अन्य विश्वविद्यालय समय-समय पर खुले हैं और जो जल्दबाजी में विश्वविद्यालय खोले गये, उनके आर्थिक प्रबंधन और बाकी सारी चीजों की बिना व्यवस्था किये खोल दिये गये। हालांकि इसका तो शिलान्यास पहले ही कर दिया, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि अब तक इसके बारे में सारी व्यवस्थाएं कर दी गयी होंगी और अगर नहीं की है तो इस विश्वविद्यालय के लिए सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में इसको शुरू किया जाये। इसका हश्र वैसा नहीं हो जाये जैसा बाकी विश्वविद्यालयों का, अभी जोशीजी जैसा कह रहे थे, वैसा नहीं हो जाये, नम्बर एक बात।

दूसरी बात, यह है कि सीकर में एक विश्वविद्यालय खुला था। राजेन्द्र राठौड़ साहब दूरबीन लेकर गये थे, उसकी जमीन का भी कहीं अता-पता नहीं था तो यह इसके ऊपर इस तरह की बात नहीं हो।

तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उप नेता, प्रतिपक्ष ने यह बात उठाई कि हम सामाजिक संगठन या जो सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं उन सामाजिक संस्थाओं में, यह एकरूपता लानी चाहिए। यदि एक सामाजिक संस्था के लिए आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं सर्कुलर निकालकर तो आप सबके लिए एक समानता के साथ में एक नियम बना दीजिए कि ऐसी संस्थाओं में यह-यह जो फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा या इन मापदंडों को पूरा करेगा, उसमें विधायकों का और सांसदों का कोष लग जायेगा तो हम एकरूपता इसमें करें। इसमें कैटेगरीवाइज सब्जेक्ट-टू-सब्जेक्ट अलग-अलग नहीं करें। इसके अन्दर एकरूपता के साथ में आप एक सर्कुलर निकालिए कि हम इन सामाजिक संस्थाओं में यह मापदंड जो पूरा करेगा उनको विधायक कोटे से लगाने की अनुमति दे दी जायेगी। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और इसके अन्दर पूरी सुविधाओं के साथ में यह विश्वविद्यालय चालू किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष (अनुपस्थित), श्रीमती दीप्ति किरण

(श्री सभापति)

माहेश्वरी (अनुपस्थित), श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल आया है, ऑल इंडिया श्री मीना सोशल एंड एजुकेशन सोसायटी, कोटा जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। मेरा इस सोसायटी को पूरा समर्थन है, यह मैं साफ करना चाहता हूं, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, यह रजिस्टर्ड हुई है और इसी नाम की सोसायटी जो रजिस्टर्ड हुई है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह साफ है, स्पेशली द राइट्स आफ शिड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको सेफ करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, इनको सर्विसेज देने के लिए, इनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए यह है।

माननीय सभापति महोदय, ये बिल जो लाये हैं, आप अनुच्छेद 32 को पढ़िए। विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अर्ज करना चाहता हूं कि आप मालूम कर लीजिए, एक जाति विशेष ने, आदिवासी समुदाय ने करोड़ों रुपया दिया है और उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। निजी तरीके से चलाने का जो हो रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं इसलिए खिलाफ हूं कि आप इसके अनुच्छेद को देख लीजिएगा। जो प्रोविजन्स इसमें दिये गये हैं, इसमें एडमिशन का ही नहीं है, दूसरे तरीके से भी है। इसका अकाउन्ट्स का भी तीन महीने में होना चाहिए। मैंने पूछा था कि फण्ड कितना इकट्ठा हुआ और कितना खर्च हुआ। मैंने मंत्रीजी से पूछा, इन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया है। उप नियम भी नहीं आये हैं। यह जो रिसर्च सोसायटी है इसमें 52 आदमियों के नाम हैं और दस्तखत मात्र 123 आदमियों के हैं। यह आफिशियल डाक्यूमेंट है। इसमें मैं नहीं जाना चाहता।

माननीय सभापति महोदय, कोटा और बारां जिलों में जिस तरह से आदिवासियों के साथ बेईमानी हो रही है, आज की तारीख में मीणा जनजाति को, भील जनजाति को मात्र 6 परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है तो उसके अपलिफ्टमेंट की बात करनी चाहिए थी, वह नहीं किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा में आदिवासी मीणा बालिका छात्रावास है। उसमें सभी जातियों की बच्चियों के लिए प्रवेश है। लोगों ने चन्दा देकर इसलिए संस्था बनायी थी कि अपनी बच्चियों को हम फ्री में पढ़ायेंगे, उसका किराया नहीं लगेगा। आज पूरा किराया लग रहा है। मेरा आपसे निवेदन

(श्री रामनारायण मीना)

है कि इसको परिचालित किया जाये या इसको अमेंड किया जाये कि जिस समाज ने पैसा दिया है, उसका अधिकार है। एक-एक पाई जिन्होंने दी है, उसका अधिकार है। जनरल बॉडी की मीटिंग बुला कर वापस इसको अमेंड किया जाये और सरकार वैसा का वैसा ही अमेंड करे, क्योंकि यह एक तरह से उस जाति के साथ फ्रॉड हो जायेगा जिसने करोड़ों रुपये दिये हैं।

मैं विशेष बोलना चाहता था, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरा आपसे और सरकार से अर्ज करना है कि जिस समाज ने पैसा दिया है, उसको फायदा मिलना चाहिए। हिसाब नहीं दे, कोई बात नहीं। लगभग 500 डायरियों का भी हिसाब नहीं है। पूरे भारत में 500 डायरियां दी गयी हैं और साफ लिखा है कि हम डायरियां इकट्ठी नहीं कर पाये हैं, समय लगेगा। ढंग से उसका अकाउन्ट्स नहीं दिया जा रहा है। अकाउन्ट्स लिया जाये और जिस समाज ने पैसा दिया है, स्पेशली आदिवासी मीणा समाज ने जय मीनेश के नाम से दिया है, उसका उसी ढंग से रिजर्वेशन रखा जाये। यही मेरा आपसे अनुरोध करना है। इसके लिए मैं सरकार से पुन: निवेदन करूंगा कि सरकार इसको अमेंड करे और सही ढंग से लाये। जिन्होंने अपने लिए संस्था बनायी है, क्योंकि यह कह कर पैसा इकट्ठा किया गया है कि हम आदिवासी मीणा को करेंगे। पूरे देश में, मुम्बई में सभी जगह संस्थाएं हैं। आज एम एल एज ने पैसा दिया है। हमारी जनरल बॉडी में क्या स्थिति होगी? क्या एम एल एज को सदस्य माना जायेगा? जनरल बॉडी का गठन ही नहीं है। गठन किया जाना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन करके उसी को अमेंड करके यह बिल लाना चाहिए, यही मुझे अर्ज करना है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो प्रोविजंस किये गये हैं उनको अमेंड किया जाना चाहिए।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए मैंने भी विधायक कोष से दस लाख रुपये दिये हैं और हम सबने ध्वनिमत से यह प्रस्ताव पारित किया कि श्री राजेन्द्र राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाये। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन यदि वह विश्वविद्यालय का कोई प्रस्ताव लेकर आयेंगे तो मैं इनके विश्वविद्यालय को भी दस लाख रुपये विधायक कोटे से दूंगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय राजनीतिक कुचक्र का शिकार पहले भी हुआ है। उसकी यात्रा दस साल लम्बी हो गयी और मैं चिंतित हूं कि आगे फिर किसी कुचक्र में यह नहीं फंस जाये इसलिए मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हमने इसी सदन में जो तीन निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव पारित किये थे-ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर; व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, करौली का क्या हश्र हुआ है? वह आज सदन में अपने उत्तर में बताना।

(समय: 18.15 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा से विधेयक पारित होने के बाद उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया गया जबकि रूल्स आफ बिजनस के बिन्दु 50 में यह साफ उल्लेख है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए तभी लौटाया जा सकता है जब उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और विधि विभाग के प्रमुख सचिव से परामर्श कर लिया गया हो, लेकिन दोनों से ही बिना परामर्श किये राज्य सरकार को लौटा दिया गया। अब सरकार की ओर से प्रमुख सचिव बार-बार पत्र लिख रहे हैं इन तीनों विधेयकों के बारे में। 02 दिसम्बर, 2022 को पत्र लिखा, 28 दिसम्बर, 2022 को पत्र लिखा, 08 मार्च, 2022 को पत्र लिखा, 17 मार्च, 2022 को पत्र लिखा और 20 मार्च, 2022 को पत्र लिखा, लेकिन न तो कुलाधिपति के यहां से मूल पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं और न ही इनके पत्रों का किसी तरह का उत्तर प्राप्त हुआ। कलेक्टर से राज्य सरकार ने जानकारी मंगा ली। सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी की सारी भूमि का प्रावधान, संस्थान; का निर्माण, भूमि का संपरिवर्तन; ड्यून्स यूनिवर्सिटी, जोधपुर की भूमि का स्वामित्व, भूमि का संपरिवर्तन, एकल पट्टा, इंस्टीट्यूट और कालेज का संचालन, व्यास विद्यापीठ की भूमि का उपयोग में आना और भवन निर्माण, सारी मान्यताओं का पूरा होने के बाद भी वे कौनसे कारण हैं कि इस विधान सभा में पारित किये जाने के बाद भी तीनों विश्वविद्यालयों के विधेयक स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि इसी तरह का हश्र जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के साथ नहीं होगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा। अभी प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे कि जय मीनेश अवतार है और जहां भगवान का नाम आ

(श्री संयम लोढ़ा)

गया वहां तो मैं सहमत हो जाता हूं तो फिर बताओ कि जब अशोक गहलोत ने 2013 में इसके लिए भूमि आबंटित की थी और एल ओ आई जारी किया था, आपने सरकार में आने के बाद उस भूमि का आबंटन निरस्त किसलिए कर दिया? धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने श्री शान्ती धारीवाल की अध्यक्षता में केबिनेट सब कमेटी बनायी और क्या टिप्पणी की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको।

'अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति कोटा को "जय मीनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) की स्थापना हेतु माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा कोटा में 23 सितम्बर, 2013 को आयोजित एक भव्य समारोह में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी LOI दिनांक 30.08.2013 को समिति के अध्यक्ष एवं वर्तमान में माननीय विधायक, बस्सी को दी गई थी। उक्त समारोह में श्री शान्ती धारीवाल स्वयं उपस्थित थे।

समिति को जय मीनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु LOI उप कुलपति कोटा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंषा पर जारी की गई थी, जिसमें समिति ने अनुभवी अधिकारियों जो कि उच्च शिक्षा एवं प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए है तथा आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया था, जो कि DPR में भी स्पष्ट है।

कांग्रेस सरकार बदलने के साथ पूर्व सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से पूर्व में जारी LOI दिनांक 30.08.2013 को वापस ले लिया गया जो कि उचित नहीं था, क्योंकि आपके विभाग द्वारा जारी LOI दिनांक 30.08.2013 समिति द्वारा प्रस्तुत DPR का व्यापक अध्ययन एवं उप कुलपति की अध्यक्षता में गठित अनुशंषात्मक रिपोर्ट के आधार पर ही जारी की गयी थी।

चूंकि अब मंत्रिमण्डलीय सचिवालय के नवीन आदेशों में इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित समिति का अस्तित्व नहीं है, अब LOI को बहाल करने हेतु आपका विभाग सक्षम है। अतः अब LOI दिनांक 30.08.2013 को वापस बहाल करने हेतु अभिशंषा की जाती है। इस विषय पर प्राप्त आपके विभाग की पत्रावली भी लौटायी जा रही है। शान्ती धारीवाल, मंत्री।' (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) फिर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री, श्री भँवर सिंह जी भाटी ने लिखा कि माननीय नगरीय विकास मंत्री ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please be relevant.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसी यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूं। उन्होंने अभिशंषा की, इसको स्वीकार किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इनके बारे में सदन में पन्द्रहवीं विधान सभा में अनेक बार चर्चा हुई। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने इस सदन में घोषणा की थी कि आप रेगुलेशन आफ आथोरिटी का गठन करेंगे। अब इस सरकार का समय पूरा हो रहा है, आपने अभी तक रेगुलेशन आथोरिटी का गठन क्यों नहीं किया? आपने कुछ कदम उठाये हैं। इस तरह की यूनिवर्सिटीज के मामले में, निजी यूनिवर्सिटीज के मामले में आपने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है और अब आप किसी भी निजी यूनिवर्सिटी को सीधे मान्यता नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर से पहले आप रिपोर्ट मंगा रहे हैं, जोकि एक अच्छा कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा जैसाकि अभी पूर्व वक्ता ने भी जिक्र किया, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन में इस यूनिवर्सिटी को आदिवासी समुदाय के उत्थान और उसके हित के लिए समर्पित बताया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर आपने कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप जब आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी ला रहे हैं तो आदिवासी बच्चों को उसमें प्राथमिकता प्रदान करें। इसमें अधिक अवसर प्रदान करें जिससे इस विश्वविद्यालय को खोलने के पीछे जो सबका मकसद है, समाज का मकसद है, इस सदन के सारे सदस्यों का मकसद है, उसकी प्राप्ति हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कम बोलने का मौका दिया, इसलिये धन्यवाद। श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज इस सदन में जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 आया है। इस पर सभी सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की है। हर वर्ग को इस देश में अपने समाज के उद्धार के लिए, शिक्षा में क्रान्ति लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इन्हीं प्रयासों के क्रम में यह एक प्रयास हुआ है जो स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ बिन्दु ऐसे हैं, जिन पर हम चाहेंगे कि संशोधन हो। जैसे इसकी शुरुआत को अगर देखा जाये, एक सोसायटी बनी, ऑल इंडिया श्री मीणा सोशल एण्ड एजुकेशन सोसायटी, कोटा 2004 के अन्दर और इसका

(श्री राजकुमार रोत)

कोटा में रजिस्ट्रेशन संख्या 129 कोटा, दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 है। इसी सोसायटी द्वारा आगे एजुकेशन में क्रान्ति लाने के लिए यह बिल के रूप में आज हमारे बीच में आया है। इसके नामकरण को लेकर पहले चर्चा में आया था कि आदिवासी समाज विश्वविद्यालय लाया जाये, फिर बता रहे हैं कि 2013 के आस-पास जमीन मीनेश के नाम से अलॉटमेंट हुई। कई बार इसके बारे में कई तरह के सुझाव आये, कई तरह की बातें होती हैं। हमारे विपक्ष के उप नेता ने भी बताया कि मीनेश एक धार्मिक शब्द है और आदिवासी समुदाय को यदि देखा जाये तो न आस्तिक है, न नास्तिक है, वह वास्तविकता पर यकीन करता है। यह मीनेश जो शब्द है, इसके बारे में कल से हमने स्टडी की, 1940 के आस-पास एक जैन मुनि मगन साहब ने एक किताब लिखी और इस किताब में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। उसमें बताया गया है कि मीणा समुदाय की मत्स्य से उत्पत्ति हुई और इसी आधार पर मीणा समुदाय इसे भगवान के रूप में मानता है, लेकिन 2000 में एक गजट नोटिफिकेशन, राजस्थान के अन्दर कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी एक बहुत बड़ा समुदाय है और उस समुदाय में छोटे-छोटे समूह हैं, द गजट नोटिफिकेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली 29.10.1956 को एक सूची जारी हुई, उस सूची के तहत लगभग 12 से 16 ऐसे समूह- भील समूह, भील मीणा, डामोर और गरासिया, इस तरह से टोटल 12 समूह राजस्थान के अन्दर हैं। यह विश्वविद्यालय जो खुल रहा है, इन सारे समूहों को इस विश्वविद्यालय में कैसे प्राथमिकता दी जायेगी, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे रहेगी।

साथ ही हमारे दो-तीन बिन्दुओं पर, यह पाठ्यक्रम की जो सूची दे रखी है। हम आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से खोल रहे हैं तो देश के अन्दर जितने आदिवासी समूह हैं, उन सभी समूहों का जो कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है, उनके संवैधानिक हक एवं अधिकार हैं, इन सबके बारे में एक अलग से पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, अलग से एक पीएच.डी. का विषय भी होना चाहिए। साथ ही, इसके पेज नम्बर, 7 पर संगठन में कार्यरत विनिर्दिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को नियुक्ति देने का अधिकार, उस कमेटी को दे रखा है। हम चाहेंगे कि देश के अन्दर जो दूसरे समूह हैं, उन समूहों में भी जो बेस्ट ज्ञान रखते हैं ट्राइबल को लेकर, ऐसे लोगों को यह अवसर दें।

साथ ही, अन्य अध्ययन केन्द्र खोलने का भी प्रावधान कर रखा है तो

(श्री राजकुमार रोत)

हम चाहेंगे कि आने वाले समय में शिक्षा में क्रान्ति लाने के लिए हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी इसका एक केन्द्र खोला जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें रिजर्वेशन की बात आये, क्योंकि आज आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से राजस्थान में पहली बार यह विश्वविद्यालय खोला जा रहा है और पूरे आदिवासी समुदाय में एक खुशी की लहर है, लेकिन बाद में जाकर ऐसा नहीं हो कि आदिवासी विश्वविद्यालय का सिर्फ नाम ही रह जाये और आदिवासी समुदाय के लोगों को, बच्चों को वहां प्रतिनिधित्व नहीं मिले, प्रवेश नहीं मिले तो उसके लिए एक आरक्षण व्यवस्था सुनियोजित की जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, एक मिनट। इसमें मैं विशेष कहना चाहूंगा ये जो भील हैं गरासिया हैं, संथाल हैं, हमारे यहां गौंड भी हैं, गमेती भी हैं, राठवी भी है, इन सारे समूहों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले और शिड्यूल्ड एरिया के लिए अलग से सीटें रिजर्व करने का प्रावधान करें। इन दो-तीन चीजों को इसमें संशोधन करें। साथ ही, मीनेश, जो एक धार्मिक शब्द है, हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो इसे आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से ही रखा जाये। यह मीनेश एक धार्मिक चीज को दर्शाता है। इस नाम में संशोधन किया जाये और रिजर्वेशन पॉलिसी इसके अन्दर लागू की जाये। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 पर सदन में चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों ने बड़े ही उत्साह से इस चर्चा में भाग लिया। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा प्रयास रहेगा कि यथासंभव दिये गये सुझावों को पूरा करने की दिशा में कार्य करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्तमान में 28 राजकीय विश्वविद्यालय और 52 निजी विश्वविद्यालय हैं। 8 विश्वविद्यालय व संस्थाएं एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय आई.आई.एम. उदयपुर, ट्रिपल आई.टी. कोटा एवं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जोधपुर में संचालित हैं। देश के सर्वाधिक तीन महिला विश्वविद्यालय भी राजस्थान में हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से प्रदेश गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर चर्चा हुई उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान, कोटा के प्रस्ताव पर वर्ष 2013 में हमारी सरकार ने कोटा में निजी क्षेत्र में जय मीनेश विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी किया था। विगत सरकार ने अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव नहीं होने के आधार पर इस संस्था को जारी आशय पत्र को विदड्रा कर लिया था। हमारी सरकार ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा आदिवासी समाज की इच्छाओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आशय पत्र को बहाल किया व विश्वविद्यालय स्थापना का प्रस्ताव लाये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) की स्थापना का उद्देश्य आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि यह निजी विश्वविद्यालय सामाजिक जन सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालय स्थापना में MLA लैड फण्ड से वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, आदरणीय ओम बिरला जी ने भी इसमें MP लैड से 25 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। संस्था को ढाई हजार से अधिक लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भी इस निजी विश्वविद्यालय हेतु संस्था को परिपत्र दिनांक 27.06.2022 द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निर्देशन 2018 में शिथिलन देते हुए योजना अवधि में 10 लाख रुपये की सीमा से अधिक के कार्य स्वीकृत करने पर विभिन्न शर्तों के तहत सहमति दी है। इसके तहत प्रदेश के 79 विधायकों ने भी एम एल ए कोटे से 10-10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं तथा लगभग 40 विधायकों ने आगामी वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ-साथ नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति, छतरपुरा, कोटा को ग्राम रानपुर (कोटा) में 30 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया था जो डी एल सी दर की 30 प्रतिशत राशि 32 लाख 60 हजार 250 रुपये में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय में

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

आदिवासी छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य को बेहतर बनाने के साथ-साथ समस्त छात्र-छात्राओं को बिना किसी भेदभाव के अध्यापन एवं अनुसंधान कार्य करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय कोटा में बालिका छात्रावास का संचालन कर रहे हैं। जयपुर में आदिवासी समाज बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया है, संस्था को सामाजिक तथा शिक्षा के विकास के क्षेत्र में कार्य करने ...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सम-अप कर लो, पढ़ने का कोई अंत नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा उप नेता प्रतिपक्ष को कि इन्होंने जो बात रखी है सरकार ने रेगुलेटरी अथोरिटी विश्वविद्यालयों के लिए बनाई है, प्राइवेट और सरकारी कालेजों के लिए भी हमने रखा है, 1800 के लगभग प्राइवेट कालेज हैं, जिनको रोज हम कवर नहीं कर पाते तो इसका सॉफ्टवेयर भी तैयार हो रहा है और हमने अक्टूबर, 22 के बाद कोई नया महाविद्यालय भी अभी नहीं खोला और न एन ओ सी दी है। एक बार ये कंट्रोल हो जाए और भारत सरकार का जो नैक लागू हो रहा है यू जी सी का, उसको भी अपग्रेड करके हम साथ-साथ ला रहे हैं और आने वाले टाइम में उच्च शिक्षा के अंदर राजस्थान पूरे देश में अग्रणी होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी मीना, आपने खण्डश: संशोधन दिए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि संशोधन को इस स्टेज पर विदड्रा करके, थर्ड स्टेज पर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप सहमत हैं? आपने हर खण्ड में संशोधन दिए हैं। माननीय सदस्य, आप सुनिए मेरी बात को।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): खण्ड 1, खण्ड 2, खण्ड 3, इनको मैं वापस लेता हूं। बाकी 5 में आपकी आज्ञा हो तो मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलना है तो बोलो, मैं नहीं कह रहा हूं। आप खण्डश: बोलना चाहते है वो थर्ड स्टेज पर बोल लें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): खण्ड 5 पर, खण्ड 6 पर बोलना चाहूंगा, 1 से 3 पर नहीं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

खण्डश: विचार

खण्ड 2

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में आप बोलना पसंद करेंगे?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): खण्ड 5 पर।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5

श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं सरकार से कि इसके बाइलॉज साफ हैं आदिवासियों से विकास के लिए बिल भी साफ है, लेकिन बिल में जिस आदिवासी समाज के लिए यह बनाया गया है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वही प्रचारित किया गया है। माननीय मंत्रीजी, आप जांच कर लीजिएगा और उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, मेरिट के आधार पर आप दे रहे हो तो उस समाज को, दूसरा आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज में भी उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता, इसलिए यह जो मेरा अर्ज करना है, आदिवासी मीणा जनजाति के व्यक्ति को प्राथमिकता से यह जो अभिव्यक्ति है, इसके स्थान पर अभिव्यक्ति रखने वाले के पश्चात् तथा अभिव्यक्ति नियुक्ति के पूर्व अभिव्यक्ति के स्थान पर व्यक्तियों के स्थान पर जो अभिव्यक्ति है, आदिवासी मीणा जनजाति के व्यक्ति को प्राथमिकता से प्रस्तावित की जाए, यह मेरा अनुरोध है, इसको स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब देना है आपको?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आदिवासी छात्रों के आरक्षण पर विचार व्यक्त किए हैं। मैं इस सम्बन्ध में सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम बनाए जाएंगे, उनमें आदिवासी छात्र-छात्राओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन जो श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6

श्री रामनारायण मीना।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7

श्री रामनारायण मीना।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8

माननीय मंत्रीजी, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 (विधेयक संख्या 6) के हिन्दी पार्ट के खण्ड 8 के उप खण्ड 1 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'एक करोड़' के स्थान पर अभिव्यक्ति '75 लाख' प्रस्तावित की जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में मंत्री द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 31 तक-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 31 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 31 स्वीकार किए गए।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 32

रामनारायणजी मीना। बोलेंगे?

प्रश्न यह है कि प्रश्न 32 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 32 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 32 स्वीकार किया गया।

खण्ड 33 से 39-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 33 से 39 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 33 से 39 स्वीकार किए गए।

खण्ड 40

श्री रामनारायण मीना।

प्रश्न यह है कि खण्ड 40 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 40 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 40 स्वीकार किया गया।

खण्ड 41 एवं 42 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 41 एवं 42 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 41 एवं 42 स्वीकार किये गये।

खण्ड 43, श्री रामनारायण जी मीना।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 43 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 43 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 43 स्वीकार किया गया।

खण्ड 44, श्री रामनारायण जी मीना।

प्रश्न यह है कि खण्ड 44 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 44 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 44 स्वीकार किया गया।

खण्ड 45 से 47 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 45 से 47 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 45 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गयी।

खण्ड 1, रामनारायण जी मीना।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया जाये?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 संशोधित रूप में पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

माननीय सदस्य, आप सभी राष्ट्र-गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

(तदनन्तर सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2023 को 18.43 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर में जारी हथियारों के लाइसेंस

378. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला धौलपुर में विगत पांच वर्षों में किन-किन कारणों से कितने नवीन हथियारों के लाइसेंस जारी किये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत 05 वर्षों में धौलपुर जिले में आत्म रक्षा हेतु 17 एवं बैंक शाखा सुरक्षा हेतु 01 (कुल 18) आर्म्स लाइसेंस जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

हनुमानगढ़ में नशावृत्ति पर अंकुश लगाने की कार्ययोजना

379. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में जिला हनुमानगढ़ में मेडिकल नशे (चिट्टा, स्मैक, हेरोइन व नशीली गोलियां) में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में पुलिस द्वारा कितने महिला व पुरूषों को पकड़ा गया व उक्त से कितने-कितने नशीले पदार्थ जब्त किये गये तथा पकड़े गये आरोपियों की उम्र क्या थी? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नशावृत्ति को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ जिले में विगत 3 वर्षों में मेडिकल नशे (चिट्टा, स्मैक, हेरोइन व नशीली गोलियां) के संबंध में कुल 411 प्रकरण दर्ज हुए हैं। वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

(2) हनुमानगढ़ जिले में विगत 3 वर्षों में एन डी पी एस एक्ट के तहत 20 महिलाओं व 851 पुरूषों को पकड़ा गया है। उक्त से जब्त किये गये

(गृह मंत्री)

नशीले पदार्थों एवं गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की उम्र का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) नशावृत्ति की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों एवं परिपत्रों के माध्यम से समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रतियां परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 की द्वितीय प्रतीक्षा सूची

380. श्री हरीश चौधरी (बायतू): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 की द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त भर्ती की प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी कर नियुक्ति देने के पश्चात् कितने पद रिक्त रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कनिष्ठ अभियंता, संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड आदि विभागों के लिए एक साथ की गई थी, जिसमें सिविल (डिग्री) के पदों हेतु अभिशंषा 1.2.2022 तथा सिविल (डिप्लोमा) के पदों हेतु अभिशंषा 3.11.2021 एवं शेष पदों हेतु अभिशंषा 3.9.2021 को संबंधित विभागों को भेजी गई थी। इसके पश्चात् जब संबंधित विभागों द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना बोर्ड को प्राप्त हुई, उसे दिनांक 16.5.2022 को पूर्ण कर दिया गया था। इसके पश्चात् किसी भी विभाग द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने वालों की सूचना बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई। अतः द्वितीय प्रतीक्षा सूची नहीं भेजी जा सकती है। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.12.2021 के अनुसार मुख्य चयन सूची जारी होने के 6 माह के भीतर ही प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है। वर्तमान में 6 माह की अवधि पूर्ण हो जाने के कारण द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा सकती है।

(कार्मिक मंत्री)

इसके पश्चात् कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2022 का विज्ञापन दिनांक 17.1.2022 को जारी कर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाकर नियुक्ति दी जा चुकी है। अतः द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी करने हेतु कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2. उक्त भर्ती में प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी कर नियुक्ति देने के पश्चात् संबंधित विभागों में रिक्त रहे पदों की संख्या विभागवार निम्नानुसार हैः-

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग - कोई पद रिक्त नहीं।

2. जल संसाधन विभाग- 5 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त रहे।

3. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड - 2 पद रिक्त रहे।

4.सार्वजनिक निर्माण विभाग- 1 पद (डिग्रीधारी) रिक्त रहा।

रोनीजाथान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही

381. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोनीजाथान ब्लॉक कठूमर जिला अलवर में कार्यरत शारीरिक शिक्षक के विरुद्ध थाना खेरली में चोरी की एफ आई आर दर्ज हुई है तथा उक्त का स्थानान्तरण तिजारा हो गया है? क्या सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?

उत्तर

जी हां। श्री शिवलाल मीणा, शारीरिक शिक्षक, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोनीजाथान तह. कठूमर के विरुद्ध पुलिस थाना खेरली में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर चोरी करना बताया गया है। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

श्री शिवलाल मीणा, शा.शि. का स्थानान्तरण जिशिअ (मु.) माशि अलवर के आदेश क्रमांक-जिशिअ/मुख्या/शा.शि./अलवर/संस्था-I/फा.स्था/2022/8299 दिनांक 27.07.2022 के द्वारा राउमावि पालपुर, तिजारा में किया, जिसकी पालना में संस्था प्रधान द्वारा दिनांक 27.07.2022 को मध्यान्ह पूर्व विद्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया था, लेकिन दिनांक

(शिक्षा मंत्री)

01.09.2022 को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयुपर से अपील संख्या 2888/2022 के द्वारा स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अलवर को भेजा गया। तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अलवर के आदेश क्रमांक जिशिअ/मामु/अल/ विधि/2022/47 दिनांक 14.10.2022 की पालना में पुनः उसी स्थान (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोनीजाथान) पर कार्यग्रहण किया।

वर्तमान में श्री शिवलाल मीणा, शा.शि. दिनांक 31.01.2023 से स्वेच्छा से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। प्रधानाचार्य द्वारा कार्मिक के अनुपस्थित रहने के कारण माह फरवरी, 2023 से वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है एवं अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रोनीजाथान के पत्र क्रमांक 3059 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-86 (1) के तहत कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने के क्रम में नोटिस जारी किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मुण्डावर के राजकीय विद्यालयों में महिला शौचालय

382. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कितने राजकीय विद्यालयों में महिला स्टाफ एवं छात्राओं हेतु पृथक से शौचालय की व्यवस्था है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त के निर्माण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या सरकार पृथक से शौचालय निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्वयं के भवन वाले समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्राओं हेतु पृथक से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। राजकीय विद्यालयों में छात्राओं हेतु निर्मित किये गये शौचालयों का उपयोग महिला स्टाफ द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार महिला स्टाफ को विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध हो रही है।

इस विधान सभा क्षेत्र में बालिका शौचालय की उपलब्धता वाले विद्यालयों की ब्लॉकवार संख्या का विवरण निम्नांकित है:-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	बालिका शौचालय की उपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या
1.	मुण्डावर	177
2.	नीमराणा	34

(2) उक्तानुसार स्वयं के भवन वाले समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्राओं हेतु पृथक से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

जालौर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

383. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालोर के कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त में से कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के कुल 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 11 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है एवं शेष 11 प्रस्ताव जो विचाराधीन हैं, का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 28 के उपबिन्दु iii एवं iv एवं वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के बिन्दु संख्या 11 की पालना में जालौर विधान सभा क्षेत्र के शेष 11 प्रस्तावों का समग्र स्थिति के अनुसार गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कला विषय के शिक्षकों की भर्ती

384. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 याचिका संख्या 4312/2018 की पालना में कला विषय के शिक्षकों के पद सृजित कर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कला विषय के पाठयक्रम को नियमित रूप से कक्षा 3 से 10 तक शामिल करने एवं आवश्यकतानुसार पद सृजन करने के संबंध में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर के तत्ववधान में एक उच्च स्तरीय समिति का दिनांक 13.03.2023 को गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संबंध में नियमानुकूल निर्णय लिया जा सकेगा।

उच्च स्तरीय समिति गठन आदेश की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

डीडवाना में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

385. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य कितने विद्यालय बंद हुए व कितने नवीन विद्यालय खोले गए तथा कितने विद्यालय क्रमोन्नत हुए? ब्लॉकवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षान्तर्गत किसी भी विद्यालय को बन्द नही किया गया, अपितु प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत 37 राप्राविव 08 राउप्रावि, कुल 45 विद्यालयों को तथा माध्यमिक शिक्षान्तर्गत 59 राप्रावि व 21 राउप्रावि कुल 67 विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में समन्वित किया गया था, जिनका ब्लॉकवार विवरण परिशिष्ट-क एवं क1 पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक शिक्षान्तर्गत उक्त समन्वित (मर्ज) 67 विद्यालयों मे से 01 राप्रावि एवं 04 राउप्रावि, कुल 05 विद्यालयों को पुनः संचालित (डी-मर्ज) (02 महात्मा गांधी में रूपान्तरित) किया जा चुका है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

इसी प्रकार उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राउप्रावि से रामावि एवं रामावि से राउमावि में क्रमोन्नत किये गये 20 विद्यालयों का ब्लॉकवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

टोंक नगर परिषद् द्वारा मैसर्स न्यू परफैक्ट नमदा हैण्डीक्राफ्ट उद्योग को जारी नोटिस

386. श्री बाबुलाल (झाडोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद टोंक को वार्ड नम्बर 12 मोहल्ला जाटा पाडा पुरानी टोंक में चल रहे मैसर्स न्यू परफैक्ट नमदा हैण्डीक्राफ्ट के मालिक द्वारा उद्योग लगाने के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त की अनुमति कब दी गई? आवेदन एवं अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद टोंक द्वारा उक्त उद्योग को नोटिस जारी किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? नोटिस एवं नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार को क्षेत्र के लोगों द्वारा उक्त उद्योग को बन्द करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। नगर परिषद द्वारा नोटिस क्रमांक 9532 दिनांक 30.08.2023, 12323 दिनांक 19.10.2022 एवं नोटिस क्रमांक 13338 दिनांक 11.11.2022 जारी किए गए थे। संबंधित फर्म द्वारा संतोषप्रद जवाब

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एवं उद्योग का अवैध संचालन पाए जाने पर नगर परिषद् टोंक द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, टोंक को अवैध संचालित फर्म का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु पत्रांक 16434 दिनांक 09.01.2023 व 19619 दिनांक 14.03.2023 जारी किया गया था। प्राप्त जवाब एवं प्रेषित पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। मौहल्लेवासियान जाटा-पाडा, टोंक द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। साथ ही क्षेत्रीय राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टोंक द्वारा प्रेषित पत्रांक 1645-46 दिनांक 01.09.2022 मय मौका रिपोर्ट दिनांक 31.08.2022 अवैध संचालित इकाई के संबंध में नगर परिषद टोंक में प्राप्त होने पर परिषद द्वारा मै. न्यू परफेक्ट नमदा हैण्डीक्राफ्ट उद्योग जाटा पाडा, टोंक को अवैध संचालित उद्योग बंद किए जाने एवं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस क्रमांक 9532 दिनांक 30.08.2023, 12323 दिनांक 19.10.2022 जारी किया गया था। संबंधित फर्म द्वारा संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एवं उद्योग का अवैध संचालन पाए जाने पर नगर परिषद् टोंक द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग टोंक को अवैध संचालित फर्म का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु पत्रांक 16434 दिनांक 09.01.2023 व 19619 दिनांक 14.03.2023 जारी किया गया था। दिनांक 16.03.2023 को सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, टोंक के पत्र क्रमांक 5661 दिनांक 16.03.23 को फर्म को 15 दिवस का समय देते हुए अनुमति प्राप्त करने हेतु एवं अवधि पश्चात् विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु निर्देशित किया गया है। बाद मियाद परिषद द्वारा फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर नगर विकास न्यास की अम्बावगढ़ योजना में आबंटित भूखण्ड

387. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार स्थित अम्बावगढ़ योजना का अनुमोदन किया गया है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में किस-किस को कितने-कितने वर्गमीटर के भूखण्ड का आवंटन किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(2) क्या भू-पट्टी आवंटन से पूर्व तत्समय आपत्तियां मांगी गई थी? यदि हां, तो आपत्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर विकास न्यास को उक्त भू-पट्टी आवंटन से कितनी धनराशि कब-कब प्राप्त हुई व उक्त धनराशि प्रन्यास के किस मद में जमा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के क्षेत्राधिकार में अम्बावगढ़ नाम से योजना थी, जिसे जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.04.2004 की पालना में नगर निगम, उदयपुर को हस्तान्तरित की गयी। वर्तमान में विगत 5 वर्षों में नगर निगम, उदयपुर द्वारा कोई भूखण्ड आवंटन नहीं किये गये हैं। अम्बावगढ़ योजना के समीप अम्बावगढ़ कुराबड़ हाउस के उप-विभाजन प्लान में भू-पट्टी आवंटन की गई।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त योजना के नगर निगम, उदयपुर को दिनांक 01.04.2004 को हस्तानान्तरण होने के पश्चात् उक्त भू-पट्टी आवंटन से दिनांक 12.09.2006 को रुपये 11,00,000/- (ग्यारह लाख) प्राप्त हुए, जो सेल स्ट्रिप आफ लैण्ड मद में जमा हुए हैं।

धौलाई (जयपुर) स्थित विधान सभा नगर में अवैध पशु डेयरियों का संचालन

388. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा नगर धौलाई, मानसरोवर, जयपुर नगर निगम की सीमा के अधीन है?

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र में ब्लाक बी, सी, डी, ई, एवं होटल जिन्दगी के सामने कितनी अवैध पशु डेयरियों का संचालन किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त को हटाकर अन्यत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्ष 2021 व 2022 में विधान सभा नगर धौलाई में अवैध रूप

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

से संचालित की जा रही डेयरियों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अवैध पशु डेयरियों के संचालकों द्वारा सड़क एवं खाली भूखण्डों पर गन्दगी के ढेर लगा रखे हैं? यदि हां, तो क्या उक्त का निस्तारण अवैध डेयरी संचालकों द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा नगर धौलाई मानसरोवर जयपुर नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की सीमा में वार्ड नं. 74 में आता है।

(2) नगर निगम (ग्रेटर), जयपुर के अनुसार उक्त ब्लॉक बी.सी.डी.ई. एवं होटल जिन्दगी के क्षेत्र के आस-पास वार्ड नं. 74 में सर्वे के अनुसार कुल सात पशु डेयरियां संचालित हैं। उक्त सभी अवैध डेयरियों को हटाने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अनुसार ग्राम धौलाई स्थित विधान सभा नगर बी.सी.डी.ई. ब्लॉक आवासीय कालोनी में चार स्थानों पर अवैध डेयरी का संचालन किया जा रहा था, जिनमें चार अवैध डेयरी संचालनकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक 27.02.2023 को धारा 32 जेडीए एक्ट के चार नोटिस जारी किये गये हैं, जिनमें अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) वर्ष 2021-22 में विधान सभा नगर धौलाई में संचालित की जा रही पशु डेयरियों के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर माननीय राज. उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 446/2015 सुओमोटो में दिए गए आदेशों की पालना में उक्त अवैध पशु डेयरी हटाने के लिए पशु डेयरी संचालक को 10 दिवस में हटाने का नोटिस जारी किया गया, नोटिस की मियाद समाप्त होने के पश्चात् उक्त अवैध पशु डेयरी संचालक के बिजली/पानी कनेक्शन विच्छेद करने हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पत्र जारी किए गए हैं। नोटिस एवं पत्रों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। पशु डेयरी संचालकों द्वारा स्वयं के निजी भूखण्डों में गन्दगी/गोबर के ढेर लगा रखे हैं जिनका डेयरी संचालकों द्वारा स्वयं के स्तर पर निस्तारण किया जाता है। वर्तमान में सड़क पर गन्दगी/गोबर के ढेर नहीं

(स्वायत्त शासन मंत्री)

है। यदि सड़क पर गन्दगी फैलाई जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कैरिंग चार्ज वसूली या अभियोजन की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

(विवरण एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

किशनपोल में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य

389. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्मार्ट सिटी के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र की गलियों एवं बाजारों में करवाये गये कार्यों से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यों को सही प्रकार से करवा आमजन को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में करवाये गये एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत किशनपोल विधान सभा क्षेत्र की गलियों एवं बाजारों में करवाये गये कार्यों से आमजन को मुसीबतों का सामना करने बाबत किसी भी प्रकार की जानकारी अभी तक जयपुर स्मार्ट सिटी को प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन ट्रीटमेंट प्लांट में हुई अनियमितता की जांच

390. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन पाली के समस्त ट्रीटमेंट प्लांटों की कन्सर्ट टू एस्टेब्लिश एवं कन्सर्ट टू ऑपरेट किस आधार पर नाम परिवर्तन कर सी ई टी पी फाउण्डेशन, पाली के नाम कर दी गई? यदि हां, तो नाम परिवर्तन के आधार

(श्री गजराज खटाणा)

एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों एवं अनुबंध की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सी.ई.टी.पी. फाउन्डेशन, पाली प्लांट संख्या-6 जिस भूखण्ड पर स्थापित है, उसका आवंटन व रूपान्तरण किया जा चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो इसके लिए कन्सर्ट टू एस्टेब्लिश किस आधार पर जारी की गई व उक्त के लिए कौन जिम्मेदार है? कन्सर्ट टू एस्टेब्लिश की प्रति एवं सी.ई.टी.पी. फाउण्डेशन के भूखण्डों के दस्तावेजों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत दो वर्षों में उक्त के किन-किन प्लांटों के पानी के सैम्पल मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए गये तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो उक्त के लिए कौन जिम्मेदार है? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन पाली के द्वारा संचालित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों (प्लांट संख्या II व VI) को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा कंसेंट टू एस्टेब्लिश एवं कंसेंट टू ऑपरेट सी.ई.टी.पी. फाउण्डेशन के नाम पर जारी की गई है। आवेदनकर्ता द्वारा नाम परिवर्तन हेतु निम्न दस्तावेज राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल को प्रस्तुत किये गये जिनके आधार पर सम्मति सी.ई.टी.पी. फाउण्डेशन, पाली के नाम पर जारी की गयी है:-

1. मेमोरेण्डम आफ एसोशिएशन।
2. आम सभा की बैठक दिनांक 21.06.2017 का कार्यवाही विवरण।
3. किरायानामा।

उक्त दस्तावेजों की प्रति परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है।

(2) सी.ई.टी.पी. फाउण्डेशन, पाली का प्लांट संख्या-6 जिस भूखण्ड पर संचालित है, वर्ष 1993 से यह भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रदूषण जल शोधन संयंत्र हेतु आरक्षित थी। उक्त भूमि को जिला कलेक्टर, पाली के आदेश क्रमांक एफ 12(3)( )राज/22/ 6571 दिनांक 04.11.2022 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के नियम 11 (ख) (5) के अनुसरण में ग्राम पुनायता के खसरा नम्बर 303/1 रकबा 78-18 बीघा अर्थात् 12.7719

(पर्यावरण मंत्री)

हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि को आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु पाली टैक्सटाइल कॉमन एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए सब-लीज पर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। भू-अभिलेखों की प्रति, पट्टा, सब-लीज एग्रीमेंट एवं जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है।

सी.ई.टी.पी. प्लांट संख्या-6 की स्थापना हेतु प्रथम बार कंसेंट टू एस्टेब्लिश राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 19.02.2010 को जारी की गयी, जिसके संचालन की स्थिति नहीं होने के कारण पुनःकंसेंट टू एस्टेब्लिश राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 13.02.2015 को जारी की गयी।

सी.ई.टी.पी. प्लांट संख्या-6 हेतु जारी कंसेंट टू एस्टेब्लिश दिनांक 19.02.2010 व 13.02.2015 की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में सी.ई.टी.पी. फाउण्डेशन पाली द्वारा संचालित प्लांट संख्या-6 (12 एम.एल.डी.) पर ही उच्छिष्ट का पूर्ण उपचार किया जा रहा है। प्लांट संख्या-2 व 4 केवल प्राथमिक उपचार हेतु उपयोग किये जा रहे हैं, जिनसे संपूर्ण उच्छिष्ट को प्लांट संख्या-6 पर ही उपचार हेतु भेजा जाता है। विगत 2 वर्षों में प्लांट संख्या-6 के आउटलेट से उपचारित उच्छिष्ट के कुल 34 नमूनों के विश्लेषण परिणाम निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नही पाये गये। विश्लेषण परिणामों की तुलनात्मक रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ठ 4 पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सतत प्रयासों के कारण जनवरी 2020 में सी.ई.टी.पी. संख्या-6 के ''जीरो लिक्विड डिस्चार्ज'' पर उन्नयन का कार्य केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की आई.पी.डी.एस. योजना के तहत शुरू किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत में 50% केन्द्र सरकार एवं 25% राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर, 2022 में सी.ई.टी.पी. संख्या-6 के उन्नयन का कार्य पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में यह ''जीरो लिक्विड डिस्चार्ज'' पर कार्यरत है। इस सी.ई.टी.पी. द्वारा उपचारित संपूर्ण उच्छिष्ट सदस्य इकाइयों द्वारा पुन उपयोग में लिया जा रहा है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मौंजा गेंवा (जोधपुर) में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

391. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील जोधपुर के मौंजा गेंवा में स्थित पुराने बन्धे की राजकीय भूमि खसरा संख्या 948, 956, 962, 963, 964, 966, 967, 968 एवं 969 एवं उसके आसपास सेना की पाइप लाइन के नजदीक अन्य राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण है? यदि हां, तो उक्त भूमियों पर किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी भूमि पर कब से अतिक्रमण कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भूमियों से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सूंथला में स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 84 में स्थित भवन पर अतिक्रमी ने कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार किये गये अतिक्रमण व उसके आस-पास स्थित राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील जोधपुर के मौंजा गेंवा के खसरा संख्या 956, 963, 964, 966, 967, 968 की भूमियां निजी खातेदारी की भूमियां हैं, जिनकी जमाबंदी की प्रतिलिपियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। खसरा संख्या 948 रकबा 1.03 बीघा किस्म गै.मु. बन्धा सिंचाई विभाग के स्वामित्व की भूमि है। खसरा संख्या 962 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 969 रकबा 233 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ स्वामित्व वन विभाग जोधपुर के नाम दर्ज है।

(2) उक्त वर्णित भूमियों में अधिकांश निजी खातेदारी भूमियां हैं, जिन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निगम स्तर से अपेक्षित नहीं है। शेष सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग की भूमियां हैं। जिन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा की जानी है।

(3) इस अतिक्रमण का सीमांकन करवाने के लिए जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा तहसीलदार, जोधपुर के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। अप्रार्थी को निगम स्तर से नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रति उत्तर में अप्रार्थी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जोधपुर महानगर के द्वारा वाद संख्या 07/2023 राधेश्याम रंगा बनाम नगर निगम, जोधपुर में स्थगन आदेश (टी.आई.) प्रस्तुत किया है। संबंधित न्यायालय में निगम स्तर से स्थगन आदेश को निरस्त करवा कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतिलिपियां पुस्तकालय में रखी गयी)

शासन सचिवालय व अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिक के रिक्त पद

392. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शासन सचिवालय व अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिक के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को अनेक संगठनों ने शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो दिनांक 01 जनवरी, 2022 के पश्चात् ऐसे कितने ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुए तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार शीघ्रलिपि विषय को अधिक महत्ता देने के उद्देश्य से शीघ्रलिपि पेपर के अंक लिखित परीक्षा से अधिक करने तथा शीघ्रलिपि परीक्षा में अधिकतम अशुद्धियों की सीमा 10 प्रतिशत तय करने हेतु नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार शासन सचिवालय में 41 एवं 111 अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों में वर्तमान में शीघ्रलिपिक के 305 पद रिक्त है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सभी विभागों से वर्गवार/रोस्टर अनुसार शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों की सूचना मंगवाई जा रही है। रिक्तियां इकजाई होने के पश्चात् अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। 01 जनवरी, 2022 के पश्चात् शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा

(प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री)

के पाठ्यक्रम एवं शीघ्रलिपि को वेटेज देने के संबंध में प्राप्त हुए ज्ञापन परिशिष्ट-ख पर संलग्न है तथा प्राप्त ज्ञापनों के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर संबंधित सेवा नियमों यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा) नियम एवं विनियम, 1999 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं शीघ्रलिपि को वेटेज देने के संबंध में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999, राजस्थान सचिवालय, लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा) नियम एवं विनियम, 1999 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हिम्मत सिंह का गढा (घाटोल) में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

393. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2018 के पश्चात् कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र घाटोल के हिम्मत सिंह का गढा में उक्त केन्द्र को प्रारम्भ कर उक्त में कौन-कौनसे विषय का प्रशिक्षण देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2023 की दिनांक 16.03.2023 तक कुल 48 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई। इनमें से 03 स्थानों (भोपालगढ-जोधपुर, कामां (भरतपुर) एवं गंगापुरसिटी -सवाईमाधोपुर) पर सहवन से दुबारा खोले जाने की घोषणा हो गई थी। शेष 45 औप्रस की वर्षवार सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, घाटोल के हिम्मत सिंह का गढा क्षेत्र में स्थित राजकीय औ. प्र. संस्थान, घाटोल के भवन का आदिवासी दिवस दिनांक

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

09.08.2021 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्‌वारा लोकार्पण किया गया। संस्थान स्वयं के भवन में अगस्त, 2021 से संचालित है।

उक्त औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 08 व्यवसाय यथा इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, मैकेनिक डीजल, फीटर, कारपेन्टर, शीटमेटल वर्कर एवं स्वींइंग टेक्नोलाजी स्वीकृत है। वर्तमान में दो व्यवसाय इलेक्ट्रिशियन एवं वायरमैन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

शेष व्यवसायों के लिए बजट उपलब्धता अनुसार साजो-सामान एवं मशीनरीज क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

डेगाना में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभार्थी

394. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं, ट्रांसजेंडर, महिला अभ्यर्थी एवं विशेष योग्यजनों के लिए संचालित की जा रही है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र डेगाना में माह फरवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल कितने युवाओं, ट्रांसजेंडर, महिला अभ्यर्थी व विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार लाभान्वित अभ्यर्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ आवेदकों के द्‌वारा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त भी उक्त योजना का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो तहसीलवार, ग्राम पंचायतवार वंचित आवेदकों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित आवेदकों को भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय पोर्टल पर विधान सभा वार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार डेगाना तहसील के माह फरवरी 2019 से दिसम्बर 2022 तक कुल 4,463 पात्र आशार्थियों को लाभान्वित किया गया है जिनमें 2,738 पुरुष आशार्थी, 1,670

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

महिला आशार्थी एवं 55 विशेष योग्यजन आशार्थी शामिल हैं। ट्रांसजेण्डर श्रेणी आशार्थी का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। डेगाना तहसील के लाभान्वितों का ग्रामवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। योजनान्तर्गत 20.03.2023 को नागौर जिले के डेगाना तहसील में कुल 780 आवेदन जांच उपरान्त योजनान्तर्गत एक समय में अधिकतम दो लाख आशार्थियों को लाभान्वित किये जाने की सीमा निर्धारित होने के कारण स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित हैं। उक्त आवेदनों में 438 पुरुष, 338 महिला व 4 आशार्थी विशेष योग्यजन श्रेणी के शामिल हैं। जांच हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है। डेगाना तहसील के वंचित आवेदकों का ग्रामवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। शेष रहे शिक्षित बेरोजगारों में से योजना की समस्त पात्रताओं को पूर्ण कर आवेदन करने वाले सभी आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। योजनान्तर्गत दो लाख तक की सीमा तक लाभान्वित हो रहे आशार्थियों में से नियमानुसार अपात्र होने वाले आशार्थियों का भत्ता बंद करते हुये इनके स्थान पर वैरिफाई किये गये आवेदनों मे से 2 लाख की सीमा तक नवीन स्वीकृतियां जारी करते हुए नियमित रूप से लाभान्वित किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अनुसूचित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

395. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के कितने पद किस-किस विषय के स्वीकृत हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये तथा कितने पद कब-कब भरे गये? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर अन्य शिक्षकों से कार्य लिया गया है? यदि हां, तो अनुसूचित क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने

(श्री रामप्रसाद)

शिक्षक लगाये गये तथा उन्हें कितना भुगतान किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विषयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत 03 वर्षों में विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों पर वर्ष 2020 में तथा 1,952 रिक्त पदों पर वर्ष 2023 में भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रेषित की गयी।

उक्त 918 पदों में से आयोग (RPSC) से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर 663 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है तथा शेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य सुचारु संचालन हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नियमित नियुक्ति होने तक विद्या संबल योजना के अंतर्गत गैस्ट फैकल्टी की सेवायें ली गयी है।

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में लगाये गये शिक्षकों (गैस्ट फैकल्टी) एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बैजुपाड़ा (महवा) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

396. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र महवा की तहसील बैजुपाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की नीति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवश्यकता, संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविदयालय खोले जाते हैं।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) विधान सभा क्षेत्र महवा की तहसील बैजुपाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

भीलवाड़ा के एस एम एम महिला महाविद्यालय में पीजी कक्षायें

397. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में S.M.M. Girls College की स्थापना एवं पी जी कक्षाएं कौन से सन् में प्रारम्भ हुईं व उक्त कालेज में कौन-कौन से विषय स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महिला महाविद्यालय में भूगोल, होम साइंस एवं ड्राइंग पेन्टिंग में Post Graduation प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा वर्ष 1971 से स्थापित है तथा वर्ष 1993 से स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित है। उक्त महाविद्यालय में संचालित संकाय मय विषय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, होम सांइस एवं ड्राइंग पेंटिंग विषय खोले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्रीगंगानगर में बन्द विकास डब्ल्यू एस पी फैक्ट्री के कर्मचारियों को परिलाभ

398. श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर में विकास WSP फैक्ट्री को उसके मालिकों द्वारा बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार गौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों को उनके वेतन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की कितनी राशि बकाया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फैक्ट्री तथा उसमें कार्यरत रहे कर्मचारियों के हितों के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त फैक्ट्री में कार्यरत रहे कर्मचारियों को उनके वेतन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कम्पनी को वर्क ऑर्डर वर्ष 2013 से कम मिलने तथा लगातार आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण दिनांक 29.01.2021 से बंद कर दिया गया।

(2) संस्थान के बंद हो जाने पर नियोजक द्वारा श्रमिकों को उनके वेतन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया। जिसके क्रम में 520 श्रमिकों द्वारा कुल 57.43 करोड रुपये (57,43,51,846/-) वेतन एवं अन्य परिलाभों के संबंध में माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, श्रीगंगानगर में वाद दायर किया गया, जो वर्तमान में लंबित है।

(3) माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, श्रीगंगानगर के निर्णय उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी हां। फैक्ट्री में कार्यरत रहे कर्मचारियों को उनके वेतन एवं अन्य परिलाभों के भुगतान के संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जा सकेगी।